नवम भाला, खंड 9, अंक 20

गुरुवार, 6 सितम्बर, 1990
15 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 6 सितम्बर, 1990/15 भाद्र, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
33	3	"श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन" के स्थान पर "श्री मुल्लापल्लो रामचन्द्रन" पढ़िये ।
36	नीचे से पंक्ति 5	"(ब)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
41	नीचे से पंक्ति 8	मंत्री के नाम के पश्चात (के)के स्थान पर "(क)" पढ़िये ।
56	नीचे से पंक्ति 2	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्त: स्थापित कीजिए ।
83	9	पंक्ति के शुरू में "(क)" पढ़िये ।
95	नीचे से पंक्ति 13	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्त: स्थापित कीजिए ।
107	12	"श्री अजिन्दर पाल सिंह" के स्थान पर "श्री अजिन्दर पाल सिंघ" पढ़िये ।
115	नीचे से पंक्ति 1	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
120	12	प्रश्न संख्या "1349" के स्थान पर "4849" पढ़िये ।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्ध
137	नीचे से पंक्ति 11	मंत्री के नाम से पूर्व प्रश्न संख्या "4870" पढ़िये ।
140	14	पंक्ति के प्रारम्भ में "(ख)" पढ़िये ।
143	15	"श्री बदवारी लाल पुरोहित" के स्थान पर "श्री बनवारी लाल पुरोहित" पढ़िये ।
147	15	"(क) से (ग)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये ।
153	9	"यमन" के स्थान पर "नगर" पढ़िये ।
197	नीचे से पंक्ति 7	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
259	नीचे से पंक्ति 12	"डा॰ अजिन्दर पाल सिंह" के स्थान पर "ा0 अजिन्दर पाल सिंह" पढ़िये ।

विषय–सूची

नवम माला, खंड 9 — तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 20, — गुरुवार, 6 सितम्बर, 1990/15 भाद्र, 1912 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर			**2—20**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 407 से 410			
प्रश्नों के लिखित उत्तर		...	**20—190**
तारांकित प्रश्न संख्या 411 से 426	...	...	20—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4705 से 4937, 4937क और 4937ख	....		29—190
नियम 40 के अधीन प्रश्न संख्या 1	....		**190—192**
सदस्य द्वारा त्यागपत्र			**192**
दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने से सम्बन्धित विधेयक के बारे में	...		**192—207**
सभा पटल पर रखे गए पत्र			**214—239** **207—211**
राज्य सभा से सन्देश		...	**211**
भारतीय विश्व कार्य परिषद विधेयक, 1990		...	**212**
राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया			
लोक लेखा समिति			**212—214**
पांचवां से सत्रहवां प्रतिवेदन			
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	...	...	**240—245** **253—255**

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

			पृष्ठ
महाराष्ट्र कपास एकाधिकार खरीद योजना की अवधि बढ़ाई जाना			
श्री हरीश रावत	....	....	240—244
श्री शरद यादव	...		241 254—255
प्रो० महादेव शिवनकर	....	....	244
श्री हरि शंकर महाले	...	...	245 253—245
डा० सुशील परसराम बोपचे			254
सभा के कार्य के बारे में	....	....	245—253
नियम 377 के अधीन मामले	...		256—267
(एक) "नायक" समुदाय के सहनाम समुदायों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किये जाने की मांग			
श्री राजा अम्बान्ना नायक डोरे	...	....	256
(दो) कर्नाटक की सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए राज्य सरकार को बन्ध पत्रों द्वारा धनराशि एकत्र करने की अनुमति दिये जाने की मांग			
श्री पी० सी० मुदाल गिरियप्पा	....		256
(तीन) सहकारी क्षेत्र की यंत्रीकृत नौकाओं में प्रयोग किये जाने वाले डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क समाप्त करने के निर्णय को कार्यान्वित किए जाने की मांग			
श्रीमती उमा गजपति राजू	...	....	257
(चार) बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने और उपचारात्मक उपाय किए जाने की मांग			
श्री ब्रह्मेश प्रसाद वर्मा	....	...	257

(पांच) मध्य प्रदेश में मिट्टी का तेल और रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिये कारगर कदम उठाये जाने की मांग

श्री राघवजी 258

(छः) आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग

श्री राम कृष्ण यादव 258

(सात) भूतपूर्व सैनिकों के लिए "एक रैंक एक पेंशन" योजना लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल — ... 258—259

(आठ) रेलगाड़ियों में सामान बेचने वालों को लाइसेंस दिए जाने की मांग

श्री प्रताप सिंह 259

(नौ) पंजाब में निर्मित इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर लगे करों को समाप्त करने और राज्य को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग

स० अतिन्दर पाल सिंह ... . 259—260

नियम 193 के अधीन चर्चा .... **267—330**

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय
और
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय

श्री काशीराम राणा ... ... 259—269
श्री इन्द्रजीत गुप्त .... 270—278
श्री राजीव गांधी .... 278—315
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह .... 284—322

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक ... . 331—339

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी० उपेन्द्र 331

सहमति के लिए प्रस्ताव

श्री पी० उपेन्द्र 339

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक ... . 339—340

नए अनुच्छेद 371 ञ का अन्त:स्थापन तथा पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद .... 339—340

लोक सभा

गुरुवार, 6 सितम्बर, 1990/15 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय : कृपया मेरी बात सुनिए ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री ए० के० राय : नियम 40 के अन्तर्गत "प्रश्नों के मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची" के अधीन प्रश्न संख्या 1 को सबसे पहले लिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आएंगा तो मैं इसकी जांच करूंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। जब आपका बाद में आयेगा तब कहना।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान से हिन्दुओं का भारत में आव्रजन

[हिन्दी]

*407. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान पाकिस्तान से कितने हिन्दू भारत में बसने के लिए आए; और

(ख) उनमें से कितने हिन्दू इस बीच पाकिस्तान वापस चले गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) यद्यपि इस बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी 211 हिन्दुओं के ऐसे मामले हैं, जो हाल ही में पाकिस्तान से भारत आये हैं और अपने वीजा की प्राधिकृत अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में ठहर रहे हैं। बताया गया है कि वे भारत में अपने ठहरने की अवधि को अनिश्चित काल तक बढ़ाए जाने की अनुमति मांग रहे हैं।

श्री रामेश्वर पाटीदार : इस प्रश्न का जितने हल्के-फुल्के ढंग से उत्तर दिया गया है उससे जाहिर है कि जो मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि गत 6 महीनों के दौरान पाकिस्तान से कितने हिन्दू भारत में बसने के लिये आये हैं उसके जवाब में सरकार ने बताया है कि अभी हाल में 211 लोग आये हैं। क्या पिछले 6 महीने का कोई हिसाब सरकार के पास है ? यदि नहीं है तो क्या हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इतना हिसाब नहीं रख सकता। क्या आप वीसा और पासपोर्ट वालों का ही हिसाब रखते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाटीदार जी बोल रहे हैं तो आप क्यों खड़े हो जाते हैं। वह भी बोलने में सक्षम हैं।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अवैधानिक रूप से जो वहां के नागरिक हैं हिन्दू या मुसलमान, वह कितने भारत में आ गये हैं ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि इसके सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन जो वीजा से आये हैं और जिनकी अवधि खत्म हो गई है, वैसे लोगों की जो संख्या हमारे पास है वह 211 लोग हैं।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैंने तो वीजा के बारे में पूछा ही नहीं था। जो हिसाब से आते हैं, वह तो आते हैं और वापस भी जाते हैं। उनमें से जो नहीं जाना चाहते हैं तो क्यों नहीं जाना चाहते हैं, सरकार ने क्या इस बारे में जांच की है ? क्या इस बारे में जांच आयोग बैठायेंगे ? अब तो ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है, जो पाकिस्तान से आकर भारत में बस गये हैं। मैं यह

पूछना चाहता हूं कि वहां से आने वाले हिन्दुओं में सिख और जैन भी शामिल होते हैं तो यह जो आंकड़े बताये जाते हैं, क्या इनमें सिखों के आंकड़े भी शामिल हैं ? क्या सरकार यह बताएगी कि जो लोग आ रहे हैं, उनको वहां अपनी कितनी महिलाओं को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है ? क्या सब लोग अपनी महिलाएं वहां छोड़कर आये हैं या बाकी रहे हैं ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : यह सही है कि बहुत से लोग तो उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं होती है, इन कारण आते हैं और इस लिहाज से संख्या करोड़ों में नहीं है लेकिन आंकड़ों के हिसाब से वह फीगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है । यह फीगर हम लोगों ने मांगी है और वह बी०एस०एफ० और अन्य सारी संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध होने के बाद माननीय सदस्य को दी जा सकती है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें । आप दो सवाल पूछ चुके हैं । जसवन्त सिंह जी ।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, यह मसला कई सालों से चल रहा है । जैसा माननीय मन्त्री जी को मालूम है, मेरे जिलों में यानी बाड़मेर, जैसलमेर में और मेरी कांस्टीट्वेंसी जोधपुर में पाकिस्तान से ऐसे कई लोग, अभी नहीं बल्कि कई सालों से यह सिलसिला जारी है, आये हैं । आंकड़े तो मैं सरकार से नहीं मांगता लेकिन मैं सवाल के जरिये दो दरख्वास्त सरकार से जरूर करना चाहता हूं । ये लोग जो पाकिस्तान से राजस्थान में आ गये हैं, इनके वापस पाकिस्तान लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता । चाहे जो भी आंकड़े आप लेकर चलें, इसमें राज्य सरकार भी आती है, बी० एस० एफ० भी आता है, सब आते हैं, यह पाकिस्तान लौट नहीं सकते । मैं यह भी जानता हूं कि नागरिकता का प्रश्न समय से जुड़ा हुआ है, उसका अपना एक सिलसिला है, जब तक वह समय पूरा नहीं होगा, जांच पड़ताल नहीं होगी, उनको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती । यह जो बीच का वक्त गुजरता है, जिसमें न उनको राशन कार्ड मिलता है, न वह ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, न व दवा-दारू के कोई इन्तजाम का कोई फायदा ले सकते हैं, क्योंकि, वह अस्पताल नहीं जा सकते तो इस पहलू पर अगर सरकार गौर करे, राज्य सरकार को आदेश दे, क्योंकि, मेरी जानकारी के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में इनकी संख्या हजारों में हैं तो हजारों लोग ऐसे हैं तो विस्थापित हैं, वे पाकिस्तान लौट नहीं सकते, यहां उनको राशन कार्ड मिल नहीं सकता, यहां के नागरिक नहीं होने की वजह से यहां नौकरी नहीं कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिल सकता कि वह ट्रक चला लें, या गाड़ी चला लें वह अस्पताल नहीं जा सकते तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी आंकड़े हों, इस पहलू को ध्यान में रखकर तुरन्त से तुरन्त कोई कदम उठायें ।

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, सवाल था कि कितने हिन्दू भारत में आये हैं । माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, उसमें दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं । बहुत से लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान गये और उनकी नागरिकता खत्म हो गई और वह फिर हिन्दुस्तान में, खासकर राजस्थान में बार्डर पर आ गये हैं और उनको नागरिकता देने का सवाल बहुत दिनों से कन्सीडर किया जा रहा है, वह लम्बित है । रहा सवाल, जो लोग ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह मामला कई वर्षों से लम्बित है, आप समयावधि बताइये । माक-

नीय जसवन्त सिंह जी ने जो बात कही है, वह सही है। यह कब तक लम्बित रहेगा ? 8 साल से यह मामला लम्बित चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जोशी जी, ऐसे नहीं।

श्री सुबोध कांत सहाय : मैं माननीय सदस्य से कह रहा हूं कि इन्होंने दो सवालों को लिंक किया है। बेसिक सवाल है कि कितने हिन्दू भारत में आये और उनका क्या हो रहा है, यह दो सवाल लिंक हो गये हैं। एक तो वहां से जो अल्पसंख्यक आये हैं, वह हैं और एक वहां से मुसलमान आये हैं, वह हैं, दोनों सवाल जुड़े हुए है। दूसरी बात यह कि सरकार की स्पष्ट नीति है, जो लोग वीजा से आते हैं और वे यहां रहना चाहते हैं, तो उनके सम्बन्ध में लिखली हम लोग फैसला लेते हैं कि उनको अनुमति दी जा सकती है कि वे रहें। लेकिन जो गैर-कानूनी ढंग से देश में आते हैं, उनके बारे में विदेश मन्त्रालय और सारे मन्त्रालयों ने फैसला किया है कि उनको हम नहीं रखेंगे। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, केवल हिन्दू का सवाल पूछा है। **(व्यवधान)**

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष जी, प्रश्न तो साफ है, मन्त्री जी प्रश्न संख्या 407 के बजाए 412 का जवाब दे रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ आश्वासन मांगे थे।

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि यह नागरिकता देने का सवाल लम्बित है और पांच साल की अवधि में जो लोग यहां रह गए है, उनके सम्बन्ध में फैसला किया जाएगा। इस पर सरकार विचार कर रही है और जल्दी नीति तय करेगी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से पूरी तरह असन्तुष्ट हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से, एक सिन्धी, जो सिंध में एक विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर है, वह अपने पूर्ण परिवार के साथ वापस आया है और वह यहां पर बसना चाहता है। उसे वीजा नहीं मिल रहा है। वह यहां ठहरना चाहता है लेकिन उसे अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं मिल रहा है। मैं स्वयं उन व्यक्ति को गृह मंत्रालय में ले गया था। वे ऐसा उजर दे रहे हैं, जैसाकि यह एक हल्का फुल्का सा मामला है। हर जगह यही समस्या है, चाहे वह राजस्थान हो, गुजरात हो अथवा सिंध हो। अतः, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिंधी लोग, गुजराज में गुजराती लोग और राजस्थान में राजस्थानी लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। सरकार को इस सभा की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए कि यह समस्या बहुत व्यापक है। यह शरणार्थियों की एक समस्या है और कुछ नहीं है। कृपया इसको उस गम्भीरता से लीजिए और तथ्य को यथावत् रूप में स्वीकार कीजिए। कृपया जब कभी आपको सही रिपोर्ट प्राप्त हो तभी रिपोर्ट दीजिए। मेरा प्रश्न है कि क्या आप इसे शरणार्थियों की एक समस्या, सीमा की एक समस्या मानेंगे और पाकिस्तान से आव्रजित हिन्दुओं के हित को देखेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत साफ कहा है कि जो लोग गैर कानूनी

ढंग से घुसकर आ रहे हैं, सरकार उनको उस नजरिए से नहीं देखेगी। जो लोग वीजा के साथ आ रहे हैं, इन दोनों में फर्क करना होगा, लेकिन बहुत दिनों से (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अपनी जान बचाने के लिए आते हैं।.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे : यह शरणार्थियों की एक समस्या है (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत साफ कह रहा हूं (व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी स्पष्ट करना चाहेंगे, स्थिति क्या है। (व्यवधान)

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कह रहा हूं कि पांच साल के जो रिफूयजी हैं, तो उन रिफूयजियों को टैक्ल करने का अपना अलग तरीका है। उसके लिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मन्त्री जी को प्रोटैक्शन न दें, तैयारी करके नहीं आते हैं। आप इनको प्रताड़ित कीजिए। (व्यवधान)

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत साफ कहा है कि नागरिकता तब तक नहीं दी जा सकती है, जब तक कि उसके ऊपर विचार नहीं किया जाता। रिफूयजी जो आते हैं, उन रिफूयजियों के लिए सरकार का जो नियम है, अगर रिफूयजी की हैसियत से आते हैं तो उनकी उस तरह से देख-रेख की जा सकती है। लेकिन जो लोग यहां पांच साल की अवधि से ज्यादा समय से विभिन्न राज्यों में, खासकर गुजरात और राजस्थान में हैं, उनके बारे में हमने कहा है कि उनको नागरिकता देने के ऊपर सरकार विचार कर रही है और विचार करेगी, इनका फैसला लेगी। रहा सवाल तैयारी का, तो तैयारी का कौन सा सवाल है। (व्यवधान)....

श्री कल्याण सिंह कालवी : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने जिस बात का जवाब दिया है वह सही है कि 1971 में पाकिस्तान से बहुत से लोग हिन्दुस्तान में आये और उस दरम्यान में हिन्दुस्तान के कुछ लोग पाकिस्तान भी गये। दोनों में से कुछ लोग जो हिन्दुस्तान में आये थे, उनमें से कुछ लोग वापस पाकिस्तान गये और जो पाकिस्तान में गये थे, उनमें से कुछ लोग वापस हिन्दुस्तान में भी आये, परन्तु इससे जो एक सबसे बड़ी समस्या जुड़ी हुई है वह यह है कि जो लोग 1971 में हिन्दुस्तान में आये थे, उनमें से 70% लोगों को भारत की नागरिकता मिल चुकी है, बाकी 30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको भारत की नागरिकता नहीं मिली है; 30% में भी ऐसे लोग हैं, जिनमें पिता को तो यहां की नागरिकता मिल गई, लेकिन पुत्र को नहीं मिली। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे केसिस के लिये कुछ करने जा रही है, कोई उच्चस्तरीय समिति बना करके, जिससे

इन लोगों को भी सुविधायें मिल सकें क्योंकि जो लोग हिन्दुस्तान में आये थे वे वापस न जा सकें और न ही उनके वापस जाने की स्थिति है। उनमें से भी जिन लोगों को यहां पर नागरिकता मिल चुकी है, उन लोगों ने यहां पर जायदाद खरीदी और यहां पर सेटल हो गये। कुछ लोगों को राजस्थान इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत जमीन आवंटित हो गई और उस पर वे काश्त भी करने लगे। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो शरणार्थी लोग अब यहां आ रहे हैं, इस तरह के लोगों की हिन्दुस्तान में बहुत कम संख्या है। अभी इन दिनों जो जगह-जगह पर खबरें सुनने को मिली थी, कि पाकिस्तान से बहुत से हिन्दू हिन्दुस्तान में आ रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इस तरह के जो शरणार्थी यहां हिन्दुस्तान में आ रहे हैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये एक विभागीय समिति बनाई जानी चाहिये ताकि ऐसे लोगों को सुविधायें मिल सकें। इस तरह की कार्यवाही करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, अभी 6-7 दिन पहले राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के साथ इस सम्बन्ध में पूरी वार्ता हुई और क्योंकि यह सवाल काफी सालों से लम्बित है इसलिये सरकार ने इस पर निर्णय लेने की दिशा में सोचा है और फैसला भी किया है। इसलिये मैंने कहा है कि ऐसे लोग जो वहां से आते हैं उनको हम सिम्पैथेटिकली ट्रीट करते हैं और जो लोग लम्बी अवधि से वहां पर रह रहे हैं, जिनका परिवार यहां-वहां बंटा हुआ है और जो लोग यहां स्थाई तौर पर रह रहे हैं उनको नागरिकता देने के सम्बन्ध में सरकार निर्णय लेने जा रही है। इस बारे में हमने आश्वासन भी दिया है कि सरकार जल्दी ही इसके लिये कुछ करेगी। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : मन्त्री द्वारा एक आंकड़ा दिया गया है कि भारत में बिना वीजा के 211 व्यक्ति ठहरे हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने समय के अन्दर ही वीजा की अवधि बढ़ाए जाने के लिए आवेदन दिया है और क्या सरकार एक अथवा दो महीनों की निश्चित अवधि के अन्दर ही निर्णय लेने जा रही है। कृपया हमें बताइये कि आपका कितने समय में इन सभी मामलों को निपटाने का विचार है।

[**हिन्दी**]

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, ये जो फिगर हमने बताया है ये 6 महीने का फिगर है, 211 लोगों का, जो हमने बताया है। उसके बाद इन लोगों ने एक लम्बी अवधि के लिये अपने वीजा एक्सटेंशन के लिये आवेदन दिया है। अब सवाल यहां है कि कितने समय में ले लेंगे तो सब लोगों को जो नागरिकता प्रदान करने का सवाल है या ऐसे लोग जो कि लम्बी अवधि तक रहना चाहते हैं अल्टीमेटली वे यहां के नागरिक बनें, इसके लिये सरकार एक मुद्दत निर्णय लेगी और इस अवधि को अभी बताया नहीं जा सकता है क्योंकि यह मामला सालों से लम्बित है, इसलिये इस पर थोड़ा समय लगेगा।

श्रीमती सुनिता महाजन : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि गत 30 वर्ष से यह समस्या चली आ रही है। मेरे क्षेत्र में भी कई सिंध नागरिक ऐसे हैं जो 30-30 साल से यहां की नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि कोई नीति इस बारे में निर्धारित नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : कह रहे हैं कि करने वाले हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि अभी तक नीति निर्धारित नहीं हुई है। तो क्या अभी तक एक भी व्यक्ति को यहां की नागरिकता नहीं दी गई है और यदि दी गई है तो किस नीति के अन्तर्गत दी गई है, किन नियमों के अन्तर्गत दी गई है। मेरे क्षेत्र में 30-30 साल से इन लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में किस प्रकार से नीति बनेगी। अगर अभी तक नीति नहीं बनी है तो जिनको नागरिकता मिली है वह किन नियमों और नीति के अन्तर्गत मिली है।

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नीति का सवाल है, हम लोगों को आए हुए ही कितने दिन हुए हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इनका सवाल है कि जिनको नागरिकता दी गई है वह किस नीति के आधार पर दी गई है।

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिए जाते हैं, उनकी सरकार जांच करती है और नागरिकता दे दी जाती है, अगर वे 5 साल की अवधि पूरी कर लेते हैं, उनके आवेदनों की जांच करके उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। (**व्यवधान**)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। 20-20 साल से लोगों को नागरिकता नहीं मिला है।

श्री सुबोध कांत सहाय : 20-20 साल से नागरिकता का न मिल पाना एक अलग बात है, इसमें किन्हीं पदाधिकारियों में चुस्ती न होने कारण भी यह बात हो सकती है, लेकिन जो नियम है, उस नियम के तहत 5 साल की अवधि पूरी होने पर नागरिकता प्रदान की जाती है। सरकार ने इन सारे सवालों को एक दूसरे एंगल से देखा है, क्योंकि यह सवाल बहुत दिनों से लम्बित है, इस पर फैसला करना है। इस बारे में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई है, क्योंकि राजस्थान में और गुजरात में बहुत लोग रह रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि जिन लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है वह किसी नीति के तहत की गई है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता दिया है, आप बैठ जाइए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो हिन्दू पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनके आने के कारण क्या हैं। पिछले दिनों समाचार पत्रों में समाचार छपा है कि वहां पर उनकी लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनसे जमीनें छीनी जा रही हैं और सिंध से हजारों की संख्या में लोग हिन्दुस्तान में आए हैं। क्या इन लोगों के बारे में आपने पाकिस्तान सरकार से कहा कि इस तरह के हालात वहां पर न बनें जिससे कि हिन्दुओं को पाकिस्तान से माइग्रेंट होकर यहां आना पड़े। क्या आपने यू० एन० ओ० में इस सवाल को उठाया, या पाकिस्तान को इस बात की चेतावनी दी है कि अगर हालात ठीक नहीं हुए तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

जो लोग आ गए हैं; उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अखबारों में छपा है कि उनकी जिंदगी नर्क की तरह हो गई है। पाकिस्तान से तो वे लोग दुखी थे ही, यहां आकर हिन्दुस्तान में भी दुखी हैं, इसके लिए सरकार ने क्या किया है।

श्री सुबोध कांत सहाय : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाए हैं, वे लगभग सभी विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित हैं। अभी पहले जो सवाल किया गया, वीजा देने और नागरिकता प्रदान करने के बारे में, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इस साल अभी तक 50 लोगों को वीजा दिया गया है। जो सवाल विजय कुमार मल्होत्रा जी ने उठाए हैं, वे इस मंत्रालय से संबंधित नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू : महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें इस सम्पूर्ण विषय को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। यह सच है कि कुछ हिन्दुओं को नागरिकता नहीं दी गई है, जब कि वे वीजा के साथ आए हैं। लेकिन यहां बहुत से मुस्लिम भी हैं, जो आए हैं और पुलिस ने उनको वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले ही भगा दिया था। मुझे याद है हमने कोई दस वर्ष पहले उनके प्रवेश को उदार बनाया था। उदारता की इस प्रक्रिया को गत दस वर्षों में सख्त बनाया गया था। यहां अन्य श्रेणी के भी लोग हैं; जो बिना किसी वीजा अथवा प्राधिकार के आए थे। उनमें हिन्दू और मुस्लिम दोनों प्रकार के लोग थे। इस श्रेणी के कुछ लोगों का पाकिस्तान सरकार जासूसी के लिए प्रयोग कर रही है। यह एक बहुत ही नाजुक मामला है और इसमें बहुत-सी चीजें सम्मिलित है, जिन्हें मैं यहां पर बताना नहीं चाहता हूं, जो कि बहुत ही धैर्य पूर्वक इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कि क्या वह इस समस्या की इसके पूर्ण परिप्रेक्ष्य में जांच करेंगे। विशेष कर हिन्दुओं के बारे में, जो आए हैं, उनके लिए कोई समस्या हो सकती है। मैं चाहता हूं कि उन्हें मुस्लिमों की तरफ सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए जो यहां 30-40 वर्षों के बाद अपने परिवारों को मिलने आए हैं। वे वापस जाना नहीं चाहते। हमारी पुलिस को उन्हें वापस भेजने के लिए पीछे नहीं पड़ना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय को इस मामले को इस समग्रता में देखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, तीन-चार स्तरों पर यह सवाल है। जो लोग आए हैं जिनका वीजा है उनको किसी के द्वारा कभी कोई घटना नहीं हुई कि उनको ज्यादा से ज्यादा चकेल दिया हो। लेकिन वीजा को लिबरलाइज किया गया है। यह पहले था कि परिमट से पहले का समय था और परमिट सिस्टम के अन्दर 1952 में पासपोर्ट सिस्टम लागू हुआ। 1974 में भी पासपोर्ट सिस्टम लागू हुआ। तीन-चार स्टेज को लिबरलाइज किया गया। दोनों चीजों के पीछे माननीय सदस्य का उद्देश्य यह है कि जो हिन्दू आते हैं या उनके परिवार आते हैं उनको सक्षम रूप से देखा जाए। सरकार की यह नीति रही है कि उसी नजर से हम उनको देखते हैं। हमने यह कहा है कि हम जल्दी ही कार्यवाही करेंगे और सरकार अपनी नीति के साथ सामने आयेगी।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, यह आपका विशेषाधिकार है, मैं इसे इस प्रश्न के हित में उपयोग करना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रश्न को उठाया गया है। काफी समय तक, हमने इस मामले की उपेक्षा की है। प्रधान मंत्री वहां पर हैं। वह इन सभी मामलों के प्रभारी हैं। विदेश मंत्रालय इसमें आएगा। मेरे माननीय मित्र ने यह बात कही है। जहां तक उनका सम्बन्ध हैं, उन्होंने अच्छा उत्तर दिया है। अच्छे उत्तर को अच्छी प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें विदेश मंत्रालय भी आता है। यह नीति का प्रश्न है।

मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री को यथा शीघ्र इस मामले में सभी संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें न्याय किया जाए।

मेरे माननीय मित्र, श्री जसवन्त सिंह ने अभी-अभी इन लोगों को यहां पर होने वाली तकलीफों और असमर्थताओं के बारे में बताना है। उसके बाद भी उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की जाती। अत: आप विशेषाधिकार और कर्त्तव्य का पालन करते हुए प्रधान मंत्री से इस सम्पूर्ण मामले की ओर विशेष ध्यान देने के लिए कहिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव है उस पर कार्यवाही की जायेगी और मैं समझता हूं कि वह सदन ने जिस गम्भीरता से लिया है। सरकार उससे पूरी तरह से अवगत है।

भारतीय उर्वरक निगम का सिन्दरी यूनिट

[अनुवाद]

*408. **श्री ए० के० राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी यूनिट को अर्थक्षम बनाने के लिए आरम्भ किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्यमान पुराने "माडरनाइजेशन" संयन्त्र के स्थान पर नैफथा आधारित नये संयंत्र के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सिन्दरी कारखाने को भारतीय उर्वरक निगम का एक मुनाफा कमाने वाली यूनिट बनाने के लिए अपेक्षित पूंजी-निवेश के संबंध में कोई व्यापक अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एफ० सी० आई० ने सिन्दरी एकक के विभिन्न संयंत्रों के पुरुद्धार के लिये 17.77 करोड़ रुपये के निवेश का निर्णय लिया है। इस पुनरुद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत सिन्दरी एकक के निम्नलिखित संयंत्रों में इस समय तत्काल प्रतिस्थापन और नवीकरण किये जा रहे हैं :

(I) अमोनियम सल्फेट प्लांट

(II) वर्तमान केप्टिव पावर प्लांट

(III) निट्रिक एसिड प्लांट

(Iv) अमोनियम बाइकारबोनेट प्लांट

(V) अमोनियम निट्रेट प्लांट

(VI) अमोनिया प्लांट में 3 रिबेक्सस का प्रतिस्थापन

(ख) इस समय सिन्दरी में नेफथा पर आधारित नया संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) जैसा कि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया ने सूचित किया है मैसर्स प्रोजेक्ट एण्ड डिवेलेपमेंट इण्डिया लिमिटेड द्वारा एक समस्या निवारण अध्ययन किया गया है जिसमें 57 करोड़ रु० के निवेश से अमोनिया संयंत्र की क्षमता उपयोगिता में 90 प्रतिशत तक सुधार के लिये उपायों का सुझाव दिया गया है। लाभप्रदता का विश्लेषण करने के लिये सरकार को प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्री ए० के० दास : महोदय, सभा पटल पर रखे गए उत्तर में सिंदरी इकाई को 17.77 करोड़ रुपये की छोटी-सी राशि देकर इनके साथ एक भद्दा मजाक किया है : आप यह जानते हैं कि देश

में सिन्दरी कारखाना सबसे पहली इकाई है। यह देश का केवल प्रथम उर्वरक कारखाना ही नहीं है या सार्वजनिक क्षेत्र को पहली इकाई ही है बल्कि यह इस क्षेत्र में हमारे सभी प्रयासों की धुरी है।

किन्तु सिन्दरी कारखाना पिछले 10-15 वर्ष से उपेक्षित रहा है और अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि हमारे प्रयासों का यह आधार ही समाप्त हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के संबन्ध में मातृ घात कर रही है। वर्ष 1951 में स्थापित इस कारखाने की जिसका पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। अनेक इकाइयां हैं। इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए पुनर्गठन संयंत्र जोड़ दिया गया। (व्यवधान) यह सार्वजनिक क्षेत्र के भविष्य का प्रश्न है आप केवल उद्योग की रुग्णता के बारे में सुनते हैं और आप इसको बन्द कर देते हैं।

उद्योग की स्थापना की गई थी। इसका विस्तार किया गया था। सहायक कम्पनी भी स्थापित की गई। रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। महोदय, इसको बढ़ावा देने के लिए, एक व्यापक अभिकल्प और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। और यह कारखाना पतन के कगार पर पहुंच चुका है। इसीलिए मैं देश के प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की इस पूरी इकाई के नवीकरण के लिए एक व्यापक योजना की मांग कर रहा हूं। महोदय, उन्होंने नवीकरण किए जाने वाले छः सयत्रों के लिए मात्र 17.77 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि केवल रक्षित विद्युत संयंत्र के नवीकरण में ही 50 करोड़ रुपये लगेंगे। यह इस आवश्यकता के साथ मखोल करने के सिवा और कुछ नहीं है। अतः मैं महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह 17.77 करोड़ रुपये की राशि का अलग-अलग छ मदों के लिए कैसे वितरण करेंगे। यह मेरे प्रश्न का प्रथम भाग है। दूसरा भाग यह है कि क्या वह इस बात से अवगत हैं कि वहां एक मेथैनॉल संयंत्र भी है जो इसमें सम्मिलित किया गया है जिसकी आधारशिला रखी तो गयी परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। महोदय, यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संयंत्र हैं। दूसरे, रक्षित विद्युत संयंत्र, जिसके सम्बन्ध में आपने आश्वासन दिया कि कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम इसको अन्तिम रूप दे रहा था, के बारे में क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कब इसे लागू कर रहे हैं और क्या आपके पास इसे लागू करने के लिए कोई समय-सारणी है?

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, साफ-साफ कहा गया है कि 17.77 करोड़ रुपये इसमें लगाये जा रहे हैं और जैसा मैंने कहा अमोनियम सल्फेट प्लांट, केप्टिव पावर प्लांट, अमोनियम बाइकारबोनेट प्लांट, निट्रिक एसिड प्लांट, अमोनियम निट्रेट प्लाट, अमोनियम प्लांट में 3 रिवेक्सस का प्रतिस्थापन किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि इस पर सरकार अभी ज्यादा खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं और कोई लेटेस्ट सजेशंस भी हमारे पास नहीं आये हैं....

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीय प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : उसका अलग से होना चाहिए, यह सिन्दरी से सम्बन्धित है।

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय : महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आधुनिकीकरण संयंत्र, जो प्रतिदिन 900 टन अमोनिया तैयार करता है, की अवधि शीघ्र समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कोई भी रसायन संयंत्र 15 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। यदि आप नैफ्था पर आधारित नया संयंत्र अभी चालू नहीं करेंगे, जो संयंत्र 1976 में स्थापित हुआ था फिर उस समय आप क्या करेंगे जब संयंत्र अमोनिया का उत्पादन करना बन्द करेगा? आप इन 5 हजार व्यक्तियों का क्या करेंगे? तीसरा (ग) और (घ) भाग में कहा गया है कि पी० डी० आई० आई० ने एक व्यापक योजना बनाई थी। क्षमता उपयोग अब केवल 60 प्रतिशत है। 57 करोड़ रुपये की लागत से 90 प्रतिशत से अधिक करने के लिए उन्होंने क्षमता उपयोग को बढ़ाकर एक अध्ययन किया है और आपको भेजा है। इस पर निर्णय लेने में आपको कितना समय लग जाएगा? इस नए नैफ्था संयंत्र की स्थापना में विलम्ब करने का क्या औचित्य है जिसके लिए 1989 के दौरान एक रिपोर्ट भी आपको भेजी गई थी?

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : असल में यह 1969 का प्लांट है। इससे भी पुराने प्लांट जहां काम कर रहे हैं वे ठीक से काम कर रहे हैं। जो नैफ्था के आधार पर है, हो सकता है नैफ्था की कमी हो जिसका जिक्र किया गया है। बकिंग एप भाफ फर्टिलाइजर फार एट्थ प्लान है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इनको बदला जाये वैसे भी यह ज्यादा पुराना नहीं है। क्योंकि भटिंडा, पानीपत और नांगल में जहां इसी प्रकार का यंत्र है ठीक से चल रहे हैं इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। यह 1989 की रिपोर्ट है।

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय : 57 करोड़ रुपये लागत की नवीकरण योजना के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है, जिसके लिए पी० डी० आई० एल० ने एक रिपोर्ट भेजी है।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अभी सरकार के पास 57 करोड़ रुपये का प्रस्ताव नहीं आया है। जब आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

डा० विप्लव दास गुप्त : मेरा प्रश्न सिंदरी में ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर पूर्वी क्षेत्र में उर्वरक इकाइयों के कार्यकरण के बारे में है। सामान्य भावना यह है कि पूर्वी क्षेत्र में अनेक इकाइयों के नवीकरण की आवश्यकता है। अनेक तकनीकी मण्डलों का गठन हुआ है और अनेक समितियों ने अपने प्रतिवेदन दिए हैं। दुर्भाग्यवश, अभी यह प्रतिवेदन लागू नहीं हुए हैं।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र पर 500 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया था और यह अनेक वर्ष से बेकार पड़ा हुआ है। थोड़ी-सी राशि का निवेश किया गया है और यह काफी नहीं है क्योंकि जर्मनी और जापान के विशेषज्ञ चाहते हैं कि इस इकाई को चालू करने के लिए 500 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जाए। आप इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं ?

दूसरा, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स जो पूर्वी क्षेत्र में इन इकाइयों की देख-भाल करता है दिल्ली में है और यहीं से इसका नियंत्रण हो रहा है। क्या पूर्वी क्षेत्र में ही कलकत्ता अथवा किसी अन्य स्थान पर इसका मुख्यालय खोलना उचित नहीं होगा ? इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूं कि विपणन प्रभाग को दिल्ली भेजने की योजना है। कम से कम विपणन खण्ड का मुख्यालय कलकत्ता में होना चाहिए। मैं इन प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सिन्दरी खाद कारखाना के विस्तार के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनायी गयी थी जिसमें यह फैसला लिया गया था कि इसके लिए एक नेशनलाई जेक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाये लेकिन वह कार्य बन्द कर दिया गया। उसके बाद फिर इस कारखाने की माडर्नाजेशन करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया जिसमें 200 करोड़ रुपये की लागत से इसको शुरू की गई लेकिन 1983 से लेकर 1985-86 तक इसको 5000 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वहां के अफसरों ने वर्ष 1983-84 में दूर के लिए 58 लाख रुपया डूबा किया और क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि ओवरटाईम में करोड़ों रुपये ऐसे लोगों को दिये गये जो आफिसर्स के चहेते थे ? तो जो इस प्रकार का भ्रष्टाचार सिन्दरी खाद कारखाने में व्याप्त है, उसे दूर करने के लिये क्या कदम उठायेगी ? साथ ही पुराने संयंत्रों को सुधारने और नये संयत्रों को लगाने के लिए जो कार्य करना है, उसके लिए क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार के बारे में पूछा है। भारत सरकार के पास इस बारे में अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी है। यदि कोई शिकायत मिलेगी तो उस पर विचार किया जायेगा और जहां तक सिन्दरी खाद कारखाने को सुधारने का काम है, वह जारी है।

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सिन्दरी स्थित खाद कारखाना पूर्वांचल भारत के लिए है और जब किसानों के लिए 50 परसेंट बजट में रखा है तो सिन्दरी खाद कारखाने को नये ढंग से चलाने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है जबकि विभिन्न कमेटियों ने अपनी रिपोर्टें दी हैं जिसमें यह कहा गया है कि सिन्दरी खाद कारखाने में नये संयंत्र लगाकर उस कारखाने को तैयार किया जाये तो इसमें सरकार को क्या दिक्कतें हैं ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि सिंदरी खाद कारखाने को नये ढंग से चालू करने की बात नहीं है बल्कि उसे सुधारने का काम करना है और उसके लिए 17.77 करोड़ रुपया लगाकर काम जारी है। इसलिये ऐसी बात नहीं है कि उसे नये ढंग से चलाने के लिए सोचा जाये।

पंजाब के बारे में अमरीकी राजदूत की रिपोर्ट

[अनुवाद]

+

*409. श्री सनत कुमार मंडल
श्री शांताराम पोदुवुले } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अगस्त, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "क्लार्क टु सबमिट पंजाब रिपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) सरकार ने 10 अगस्त, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस समाचार को देखा है।

(ख) इस मन्त्रालय ने नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास से इस बात की पुष्टि की है कि संबंधित समाचार अमरीकी राजदूत की वह रिपोर्ट है जो उन्होंने अपनी पंजाब यात्रा के बारे में अपनी सरकार को भेजी थी। भारत सरकार अमरीकी अधिकारी की अपनी सरकार को दी गई उस गुप्त रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती जिसकी विषय वस्तु हमें ज्ञात नहीं है।

श्री सनत कुमार मंडल : महोदय, क्या मैं मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि पंजाब में अशांत क्षेत्रों का दौरा करने और जनता और राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करने से पूर्व अमरीकी राजदूत ने भारत सरकार से बातचीत की थी; यदि हां तो क्या इस बैठक के दौरान विदेश मन्त्रालय या पंजाब सरकार का कोई अधिकारी उपस्थित था। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या उस अधिकारी ने भारत सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट दी कि इस बैठक के दौरान क्या बातचीत हुई और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, अमरीका के राजदूत ने 6 से 10 अगस्त तक पंजाब का दौरा किया और जिन स्थानों का उन्होंने दौरा किया वह हैं—पटियाला पेप्सी कोला फैक्ट्री, चण्डीगढ़, सेमिकण्डक्टर कम्पलेक्स, अमृतसर। उन्होंने सीमान्त क्षेत्रों का भी दौरा किया। वह पंजाब के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल, पश्चिमी कमान के जनरल कमांडर, पंजाब के मुख्य सचिव, पंजाब के पुलिस महानिदेशक पंजाब के राजनीतिज्ञ जिनमें श्री प्रकाश सिंह बादल, कांग्रेस (इ) के अध्यक्ष और अन्य लोगों से भी मिले।

श्री सनत कुमार मंडल : मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अमरीका के इस राजदूत द्वारा पंजाब की यात्रा और वहां राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक के सम्बन्ध में मुम्बई के एक साप्ताहिक ब्लिट्ज को दिया गया साक्षात्कार देख लिया है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और यह कहां तक सही है कि उनकी यात्रा अमरीकी राष्ट्रपति की अनुमानित भारत यात्रा के लिए आधार बनाना था जिसमें स्वर्ण मंदिर के अतिरिक्त पंजाब के सीमावर्ती जिले का दौरा भी सम्मिलित है।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, हमें इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। राष्ट्रपति की कोई यात्रा अपेक्षित नहीं है।

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : नहीं नहीं, क्या मैं इसमें थोड़ा संशोधन कर सकता हूं। हमने अमरीकी राष्ट्रपति को हमारे देश की यात्रा करने का निवेदन किया है। तारीखें अभी निश्चित की जा रही हैं।

श्री शान्ताराम पोटदुखे : पंजाब बजट पर चर्चा करते समय श्री विलियम क्लार्क द्वारा पंजाब के अशान्त क्षेत्रों का दौरा करने के सम्बन्ध में अत्यधिक चिन्ता व्यक्त की गई है। श्री विलियम क्लार्क की यात्रा अमरीकी राष्ट्रपति से पूर्व की यात्रा है। मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि क्या वह मानव अधिकार आयोग के लोगों को उस क्षेत्र की यात्रा की अनुमति देंगे। क्या यह वांछनीय है या क्या वह उन्हें उस क्षेत्र में जाने की अनुमति देंगे ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : राजदूत की पंजाब यात्रा का अन्य मुद्दों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री महोदय ने उत्तर देते समय समाचारपत्र में प्रकाशित उस समाचार का उल्लेख ही नहीं किया कि उन्होंने आल इण्डिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन के ज्ञापन को स्वीकार किया है। मैं पूरी तरह उनसे सहमत हूं कि भारत सरकार के लिए यह पता लगाना तनिक भी सम्भव नहीं है कि अमरीकी राजदूत द्वारा अमरीकी सरकार को क्या रिपोर्ट भेजी गई है।

क्या मैं जान सकता हूं कि आपको अपने आसूचना अभिकरणों के जरिए उस ज्ञापन पत्र की एक प्रतिलिपि मिली थी जिसे अमरीका के राजदूत को भेजा गया था। उसकी विषय वस्तु क्या है ? उस संगठन विशेष के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है ? यदि किसी भविष्य में किसी राजदूत का दौरा लगता है तो उस सम्बन्ध में आपने क्या निर्देश दिए हैं उस सम्बन्ध में क्या औपचारिकताएं होनी चाहिए, क्या वह उन संगठनों से ज्ञापन पत्र प्राप्त कर सकते हैं जो सीधे आतंकवादियों से सम्बद्ध हों और जिनकी वर्तमान नीति भारत विरोधी है, जिसकी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री और साथ ही साथ विदेश मन्त्री ने सार्वजनिक रूप से निन्दा की है कि वे अखिल भारतीय सिख छात्र संघ या किसी ऐसे संगठन की बात स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, जहां तक नीति की बात है यात्रा के दौरान किसी प्रकार का ज्ञापन पत्र प्राप्त करना किसी भी राजनयिक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जो कुछ भी समाचार पत्रों में कहा गया है और हम उस पर गौर कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : यह अच्छी बात है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है। यह एक गलत पूर्वोदाहरन पेश किया गया। कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए। आप क्यों डरते हैं ? मैं जानता हूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि एक गृह मन्त्री के नाते उन्हें किसी आतंकवादी से मिलने की जरूरत नहीं है ? वह क्यों मिलें ? आपकी प्रतिक्रिया क्या है ? मुझे उनसे एक स्पष्ट उत्तर चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री यादवेन्द्र दत्त।

श्री संतोष मोहन देव : यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं विदेश मन्त्री से जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या मजबूरियां या कारण थे कि अमरीकी राजदूत को इस तरह के संवेदनशील क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी गई। उनके साथ विदेश मन्त्रालय का कोई अधिकारी क्यों नहीं गया और उन्हें अन्य संगठनों से ज्ञापन पत्र लेने की अनुमति क्यों दी गई ? क्या यह हमारे आन्तरिक मामलों में एक विदेशी एजेन्सी का हस्तक्षेप नहीं है ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। सभी राजनयिकों को जिन्हें भारत में कार्यभार सौंपा जाता है, जो भारत में पदभार ग्रहण करते हैं—भारत के प्रत्येक हिस्से में यात्रा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : गुजराल जी, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं।

कुछ महीने पहले पंजाब में राजनयिकों के यात्रा करने पर प्रतिबन्ध था। यह प्रतिबन्ध कुछ महीने पहले हटा दिया गया था। इसलिए राजनयिक वहां जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल अमरीकी राजदूत ही वहां गए थे। कई अन्य राजनयिक भी वहां गए हैं।

जैसे कि मैंने कहा था, जहां तक ज्ञापन पत्र आदि स्वीकार करने की बात है हम इस पर गौर कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं समझता हूं कि प्रश्न का सीधे उत्तर देने से बचने की कोशिश करना मन्त्री महोदय के लिए ठीक नहीं है। भारत में अमरीकी राजदूत को पंजाब दौरे के दौरान सिख छात्र संघ से पंजाब में ज्ञापन पत्र मिले। इस संगठन ने खालिस्तान को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए अमरीका से सहायता की मांग की। इस मुद्दे को मैंने और अन्य लोगों ने भी सभा के समक्ष उठाया था। अब मुझे एक स्पष्ट उत्तर चाहिए - यह बात नहीं है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं था; उन्होंने 10 अगस्त को वहां का दौरा किया और अब, ये सितम्बर का महीना है और यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि हम इस पर गौर कर रहे हैं मैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या उनके इस दौरे से पहले उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पंजाब में आतंक को और आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा मिले। हम जानते हैं कि ये आतंकवादी इकाइयां अपराध करने के लिए भड़काने का काम करते हैं। अमरीका में बैठकर वे अमरीकी सरकार की नीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई बार उन्हें आश्रय प्रदान किया है। वे उनकी सहायता कर रहे हैं। उनके प्रति ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है ? यह एक बहुत गम्भीर मामला है। मैं उनसे एक सीधा उत्तर चाहता हूं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जैसे कि मेरे साथी ने अभी कहा था राजदूत ने पिछले महीने भारत का दौरा किया था। इसलिए यह सब कोई ज्यादा समय पहले नहीं हुआ है। इस बीच हम हालात पर गौर कर रहे हैं। परन्तु अभी तक कोई भी गलत बात हमारे ध्यान में नहीं आयी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा गया है : "इस मन्त्रालय ने नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास से इस बात की पुष्टि की है कि संबंधित समाचार अमरीकी

राजदूत की वह रिपोर्ट है जो उन्होंने अपनी पंजाब यात्रा के बारे में सरकार को भेजी थी।" जबकि मन्त्री महोदय कहते हैं कि इस गुप्त रिपोर्ट की विषय वस्तु, जो राजदूत ने अपनी सरकार को भेजी है मालूम नहीं हो सकी है और शायद यह हमारी सरकार को भी ज्ञात नहीं है।

लेकिन उनके पंजाब दौरे के बारे में सरकार को अवश्य ही जानकारी होगी। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अपने पंजाब दौरे के दौरान राजदूत ने किन-किन स्थानों का दौरा किया तथा वे कौन लोग थे जिनसे वे मिले और क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि श्री मान ने खुलेआम अपने वक्तव्य में अमरीकी राजदूत से अपील की कि वह भारत सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाले कि वह खालिस्तान की मांग मंजूर कर दे तथा भारत में कई अमरीकी सहायता देने की बात को अमल में लायें। क्या उन्हें यह बात मालूम है कि जब वह पंजाब गये तो वह किससे मिले थे? वह कब वहां गये?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जैसे कि मेरे साथी ने पहले ही कहा है कि उन्होंने पटियाला, चन्डीगढ़, अमृतसर, और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों —अप्रतिबन्धित क्षेत्रों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान वह पंजाब के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल, जी०ओ०सी० पश्चिमी कमान, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और पंजाब के कुछ राजनीतिज्ञों जैसे प्रकाश सिंह बादल, श्री बेसन्त सिंह, कांग्रेस (ई) के अध्यक्ष और कुछ अन्य लोगों से मिले। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी वह पहले ही यह कह चुके हैं, वह पहले ही इसका खुलासा कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जहां तक श्री मान के वक्तव्य का सवाल है। वह इस सभा, हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है। (व्यवधान)

श्री बन्सत साठे : माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह अधिकांशतया पहले ही समाचार पत्रों में छप चुका है और ज्ञात है। सभा को चिन्ता इस बात की है और सारे देश को इस बात की चिन्ता है कि अमरीका जैसे महत्वपूर्ण देश की गतिविधियां, अपने राजदूत के जरिये, एक अशान्त क्षेत्र में जाकर, वह भी सीमा तक और अवेक्षण करके, लोगों से मिलकर, उनसे यह जानकारी हासिल करना और जो काम अमेनेस्टी करती है, और जो काम मानव अधिकार संस्थाएं करती है उन्होंने वह किया और उन संगठनों से ज्ञापन पत्र लिया जो इस देश को अस्थिर और गिराने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसे ही कुछ कार्यों में लगे हैं। मैं सरकार से वह नहीं पूछ रहा हूं जो पहले हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सब को बढ़ावा देगी और यदि एक राजदूत इस तरह से करे तो अन्य देशों के राजदूतों को भी वहां जाने से क्या कहकर रोकेंगे? क्या आपकी अनुमति ली गई थी या सीमावर्ती क्षेत्रों सहित इन क्षेत्रों में जाने के लिए आपकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है? मैं सीधे यह जानना चाहता हूं कि पंजाब और उल्लखित सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने से पहले अमरीकी राजदूत द्वारा सरकार से इजाजत या सम्मति ले ली गई थी। क्या आप अन्य देशों के राजदूतों को भी इसी तरह की अनुमति प्रदान करेंगे और यदि कोई हमारे आन्तरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करे तो इस क्षेत्र में हमारी स्थिरता का क्या होगा?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे पुराने मित्र श्री वसंत साठे भले ही उन्होंने यह मन्त्री पद नहीं संभाला है, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक बहुत सुधरे विशेषज्ञ हैं। वह जानते हैं कि राजदूत, चाहे उनका जो भी पदभार हो, उन देशों में यात्रा करते हैं। मैंने खुद ऐसा किया है और प्रत्येक ऐसा करता है। पंजाब एक प्रतिबन्धित क्षेत्र नहीं है। यह सत्य है। अतः न केवल अमरीकी राजदूत बल्कि कई अन्य राजदूत भी पंजाब गये हैं। मैं यह बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यह सोचना गलत है कि राजदूत गुप्त मिशनों पर जाते हैं लेकिन यह एक सत्य है कि प्रत्येक राजदूत जो कि भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा करता है या भारत के प्रत्येक हिस्से में जाता है वह यह बात हमें सूचित करता है न कि अनुमति लेता है। तब हम जानते हैं कि वह जा रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : सीमावर्ती क्षेत्रों तक भी महोदय उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न संख्या 410 लेंगे।

हिन्दुस्तान पैकेजिंग की क्षमता का उपयोग

*410 **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेट्रापैक तथा टेट्राब्रिक पैकेजिंग प्रणाली के लिए एक्सट्रूडिड, लेमीनेटिड कागज तथा गत्ते के मुद्रण और निर्माण हेतु हिन्दुस्तान पैकेजिंग की अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसकी उपयोग की गई क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) टेट्रापैक और टेट्राब्रिक दोनों किस्मों की पैकेजिंग प्रणालियों के लिए हिन्दुस्तान पैकेजिंग कम्पनी लिमिटेड की लेमिनेटिड कागज की अधिष्ठापित क्षमता 7650 मीटरी टन प्रति वर्ष है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसकी क्षमता का उपयोग इस प्रकार रहा है :—

1987-88	23 प्रतिशत
1988-89	40 प्रतिशत
1989-90	46 प्रतिशत

श्री बाबूभाई मेघजी शाह : अध्यक्ष महोदय, यह जो टेट्रापिक पैकेजिंग प्रणाली के लिये हिन्दुस्तान पैकेजिंग कम्पनी बनायी गई है। मुख्यतः दूध की पैकिंग के लिये और लैमिनेशन और प्रिंटिंग हेतु यह यूनिट बनायी गई है लेकिन उसकी क्षमता का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्लांट को लगाने में कितनी लागत आई है। पिछले तीन वर्षों के अन्दर इस कम्पनी में वर्षवार मुनाफा किया है या उसे नुकसान हुआ है ? इसके अलावा दूध की पैकिंग के लिये इसने कितना मैटिरियल छापा है ?

श्री नीतिश कुमार : महोदय, जहां तक इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी का सवाल है उसके बारे में बताया जा चुका है कि इसकी इन्स्टॉल कैपेसिटी का उपयोग इसलिये नहीं हो पाया है कि यह एक नई टैक्नॉलॉजी है और डिमांड के आधार पर इसका उपयोग हो सकता है। यूज धीरे-धीरे बढ़ रहा है। सम्भावना है कि इस वर्ष इसका और अधिक यूज होगा—(व्यवधान)—तीन साल का इसमें दिया हुआ है। दो साल के अन्दर दुगना इसका उपयोग बढ़ा है। इस वर्ष 60 प्रतिशत से अधिक हो जाने की संभावना है। यह कम्पनी 1985 में लगायी गई थी और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद यह हिन्दुस्तान पैकेजिंग कम्पनी लिमिटेड के रूप में काम कर रही है। 19 करोड़ 10 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के हिसाब से पैकेजिंग मशीनें आयात की गई। इसमें कुल लागत के बारे में माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसके बारे में मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि संशोधित रूप में यह 4-5 करोड़ के लगभग है।

श्री बाबूभाई मेघजी शाह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि डिमांड के आधार पर इसका यूटिलाइजेशन होता है। मेरे अनस्ट्रार क्वश्चन 3635 दिनांक 0 अगस्त के जवाब में उन्होंने बताया था कि टेट्राब्रिक मशीनें दूध की पैकिंग इसलिये नहीं कर सकतीं कि

[अनुवाद]

सप्लाई की गई पैकिंग सामग्री पर आधारित।

[हिन्दी]

उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सेलम, अलेपी, विजयवाड़ा, सूरत, इन्दौर और जयपुर की यूनिटों का यूटिलाइजेशन 20 प्रतिशत से भी कम हो रहा है हिन्दुस्तान पैकेजिंग कम्पनी दूध की पैकिंग के लिये मैटिरियल बनाने के लिये खोली गई थी लेकिन उन्होंने अपने मैटिरियल को सप्लाई नहीं किया। इसकी वजह क्या है? मेरा स्पैसिफिक क्वश्चयन यह है कि हिन्दुस्तान पैकेजिंग कम्पनी ने दूध की पैकिंग के लिये कितना मैटिरियल बनाया है?

श्री नीतिश कुमार : महोदय, यह पैकेजिंग मैटिरियल दूध के लिये है और दूसरे तरल पदार्थ फल का जूस और तेल जैसे दूसरे तरल पदार्थों के लिये है। इन तमाम चीजों की जो कैपेसिटी है उसका पूरा यूटिलाइजेशन इसलिये नहीं हो रहा है कि उसके हिसाब से डिमांड नहीं है। जितना डिमांड प्लेस होता है उसके हिसाब से उसे सप्लाई किया जाता है। वैसे कम्पनी को मुनाफा भी हो रहा है। इसको 1989-90 में 29 लाख का और 1988-89 में 31 लाख रुपये का मुनाफा हुआ। इस प्रकार कुल 60 लाख रुपये का इस दौरान मुनाफा हुआ। जहां तक सवाल टेट्रापैक तथा टेट्रोब्रिक मशीनों का है उसके सम्बन्ध में पूरा विवरण मेरे पास उपलब्ध है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें दे सकता हूं। बाकी दूध के लिये जो इसकी रिकवायरमेंट है वह कम्पनी उस हिसाब से उसको तैयार करने में सक्षम है।

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो बातें जानना चाहती हूं। पहली बात तो यह है कि जब-जब हम लोग विदेश से टेक्नॉलोजी आयात करते हैं तो उस पर किसी तरह की नजर रखी जाती है या नहीं? हम ऐसी टेक्नॉलोजी को ऐसे ही आयात कर लेते हैं

और फिर हम इस पर अपना सिर खपाते हैं कि इसका,इस्तेमाल कैसे होगा। हालत यह है कि टेट्रापेक की मशीने आईं दूध का डिब्बा बनाने के लिये, अब पता चला कि उसका दाम इसमें इतना लग जाता है, कि दूध को कोई खरीदता नहीं है। अब उसको तेल में उनको दिया जा रहा है, तेल में लगाने से एडीबल आयल की कीमत उसकी बजट से बहुत ज्यादा बढ़ रही है और अब वह प्राइवेट सेक्टर के लोगों को दिया जा रहा हैं और इसके तमाम अंग हैं, इसका कोई आडिट नहीं होता है, इसके हिसाब-किताब पर किसी तरह की निगाह नहीं रखी जाती हैं तो इसके बारे में सरकार का क्या नजरिया है ? मैं जानना चाहती हूं।

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्या ने यह जानना चाहा, यह कहा है कि इसके चलते दूध की कीमत बढ़ जाती है तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि 500 मिली-लीटर का जो टैट्रपिक है, सच पूछा जाय तो अटैट्रा हैडरान है, उसको पैक करने में 42 पैसे की लागत आती है और साधारणतया हमें जो उपलब्ध है, डी० एम० एस० और दूसरी जगहों पर पोलीथीन वाला, उसमें 22 पैसे की लागत आती है तो बहुत ज्यादा का अन्तर नहीं है। जो एल्यूमिनियम फोइल के साथ आता है, उनकी कीमत 60-65 पैसे पड़ती है। लेकिन इसकी पैकिंग बहुत उपयोगी हो जाती है और महीनों इसमें दूध सुरक्षित रह सकता है या कोई भी तरल पदार्थ सुरक्षित रह सकता है। टैक्नोलोजी बढ़िया है, इस्तेमाल ठीक हो रहा है और इससे दाम पर बहुत असर नहीं पड़ता है। यह मैं बता देना चाहता हूं।

नियम 40 के अधीन प्रश्न संख्या—1

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० राम गणेश कापसे—अनुपस्थित
प्रो० प्रेम कुमार धूमाल—अनुपस्थित
श्री संतोष कुमार गंगवार—अनुपस्थित

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में विचाराधीन कैदियों का जेल वैन से भाग निकलना

[अनुवाद]

*411. श्री बनवारी लाल पुरोहित
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अगस्त, 1990 को नई दिल्ली में तिहाड़ जेल से शाहदरा स्थित न्यायालय ले जाते समय सात विचाराधीन कैदी जेल वैन से भाग गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(घ) क्या सरकार का सतर्कता विभाग/केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच कराने का विचार है; और

(ङ) इन विचाराधीन कैदियों को पकड़ने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) दिनांक 10.8.90 को जब 56 विचाराधीन कैदियों को केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ से शाहदरा न्यायालय को ले जाया जा रहा था तो 7 विचाराधीन कैदी जेल के वाहन के तल (फ्लोर) की धातु की पत्ती और लकड़ी के तख्ते को तोड़कर भाग निकले ।

(ग) ऐसे मामलों की जांच करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है । जांच का काम सतर्कता कार्यालय अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) भागे हुए सात कैदियों में से छः कैदी पकड़े गए हैं तथा सातवें कैदी को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रयास जारी हैं ।

भारत में पाकिस्तानी नागरिकों का अवैध रूप से ठहरना

[हिन्दी]

*412 **श्री पुंडलिक हरी दानवे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं; और

(ख) इन्हें वापस भेजने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.12.1989 को 7677 पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत में अवैध रूप से (ठहरने की अवधि समाप्त होने के बाद) ठहर रहे थे ।

(ख) पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के भारत में प्रवेश करने, यहां ठहरने तथा यहां से बाहर जाने के बारे में कार्रवाई करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं । ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए विदेशी अधिनियम तथा नियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को शक्तियां प्रदान की गई हैं । राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का पता लगाने तथा उन्हें निर्वासित करने के लिए अपनी मशीनरी को सुदृढ़ बनाएं ।

विदेशों में योग कक्षाओं के आयोजन हेतु कार्य प्रणाली

[अनुवाद]

*413. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**
श्री शंकर सिंह वघेला } : क्या विदेश मन्त्री भारतीय दूतावासों द्वारा विदेशों में योग कक्षाओं का आयोजन किये जाने के बारे में 5 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3652 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सम्बन्धित दूतावासों के परामर्श से योग कक्षाओं के आयोजन हेतु कार्य प्रणाली तैयार की है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) जी, हां। पदों के सृजन के प्रस्ताव क्रमशः भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की वित्त समिति और शासी निकाय के समक्ष उनकी अगली बैठकों में रखे जाएंगे। इन प्रस्तावों में सूरीनाम, मारिशस तथा इण्डोनेशिया में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों में योग शिक्षकों के पदों तथा मास्को में जवाहर लाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र में भी एक और योग शिक्षक के पद के सृजन की व्यवस्था है।

पंजाब राज्य भूमि विकास बैंक के कार्यकरण में सुधार

*414 **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य भूमि विकास बैंक को आम सभा ने अपने संकल्प के जरिए बैंक के कार्यकरण में सुधार करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बीच कार्यान्वित किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) शेष सुझावों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतिश कुमार) : (क) से (घ) पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि० की आम सभा की 28.4.89 को चण्डीगढ़ में हुई बैठक में बैंक के कारकाज के बारे में ऐसे विभिन्न विषयों पर कई निर्णय लिए गए जो उस बैठक की कार्यसूची में शामिल नहीं थे। चूंकि उन मदों के सम्बन्ध में उक्त आम सभा की बैठक का कार्यवृत्त उचित रूप से प्राधिकृत नहीं था, इसलिए पंजीकार, सहकारी समितियां, पंजाब ने पंजाब पंजाब सहकारी समितियां नियम, 1963 के उपबन्धों के अधीन मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए आम सभा की बैठक के कार्यवृत्त में उन मदों से सम्बन्धित अंश को अमान्य घोषित कर दिया।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कृषि के विकास के लिए क्षेत्रीय योजना

[हिन्दी]

*415. **श्री बालेश्वर यादव**
श्री गिरधारी लाल भार्गव } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी क्षेत्र विशेष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषि के विकास के लिए क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। कृषि विकास योजनाओं को राज्य-वार आधार पर बनाया जाना जारी रखा जाएगा। तथापि, योजना आयोग ने 15 कृषि-जलवायु के क्षेत्रों के आधार पर कृषि योजना सम्बन्धी एक परियोजना शुरू की है। ससाधनों की अड़चनों तथा प्रत्येक क्षेत्र की विकास क्षमता के भीतर संसाधनों के विकास तथा उनके स्थायी तौर पर इष्टतम उपयोग के लिए एकीकृत तथा सभी पहलुओं से पूर्ण योजना के एक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है।

तंजावूर शहर में रेलवे लाइन पर उपरिपुल का पुनर्निर्माण

[अनुवाद]

*416. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत तंजावूर शहर में तंजावूर—त्रिची रेल लाइन पर उपरिपुल के पुनर्निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं,

(ख) क्या इस उपरिपुल के निर्माण में विलम्ब होने से जनता को अत्यधिक असुविधा हुई है, और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के पी. उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से भारत सरकार की है। अन्य सभी सड़कों की जिम्मेदारी आवश्यक रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। तथापि, तमिलनाडु राज्य सरकार ने, जिसके अधिकार क्षेत्र में तंजावूर—त्रिची रेलवे लाईन पर उपरिपुल आता है, 2 टन से अधिक भार वाले वाहनों के आवागमन पर लगी रोक के परिणामस्वरूप जनता को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सड़क निधि के तहत इसके पुनर्निर्माण की योजना बनाई है। चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि, जिसके प्रति प्रस्ताव भेजा गया था, अभी नहीं हुई है इसलिए इस पर आगे कार्रवाई नहीं की गई है।

सामूहिक बलात्कार और दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों के लिए विशेष न्यायालय

*417 **श्री फड़िया मुण्डा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सामूहिक बलात्कार और दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कानून बनाने और विशेष न्यायालयों का गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। विगत कुछ वर्षों के दौरान जिन कानूनों और अनुदेशों को और अधिक सख्त बनाया गया है, उन मौजूदा कानूनों और अनुदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करना अधिक उचित समझा गया है।

डेयरी विकास हेतु "दुग्ध क्रांति" कार्यक्रम

[हिन्दी]

*418. **श्री हरि शंकर महाले**
श्री अन्नारासु इरा } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां डेयरी विकास हेतु "दुग्ध क्रांति" कार्यक्रम चल रहे हैं; और

(ख) इसके फलस्वरूप अब तक क्या उपलब्धि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का चरण –3 (1987-94) इस समय निम्नलिखित 22 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में चल रहा है :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू और कश्मीर
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. नागालैंड
13. उड़ीसा
14. पंजाब
15. राजस्थान
16. सिक्किम,
17. तमिलनाडु
18. त्रिपुरा
19. उत्तर प्रदेश

20. पश्चिम बंगाल
21. गोवा
22. पांडिचेरी

(ख) आपरेशन फ्लड की प्रमुख उपलब्धियां सहकारिता के आधार पर डेरी विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना है जिससे बिचौलियों द्वारा किये जाने वाले शोषण को दूर किया जा सके। इस कार्यक्रम के लाभ अधिकतर छोटे और मार्जिनल किसानों को मिले हैं। आपरेशन फ्लड—3 के अधीन मार्च 1894 तक परिकल्पित लक्ष्यों की तुलना में जून, 1990 की स्थिति के अनुसार, इस कार्यक्रम के प्रमुख घटकों की समग्र संचयी उपलब्धियां नीचे सारणी में दी गई हैं :—

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 1994 तक के लक्ष्य	जून 1990 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	मिल्क शैडों की संख्या	190	174
2.	डेरी सहकारी समितियों की संख्या (हजार में)	70	61.22
3.	कृषक परिवारों की संख्या (लाख में)	80	70.49
4.	औसत दुग्ध अधिप्राप्ति (लाख किलोग्राम प्रति दिन)	137	×98.1
5.	अधिकतम दुग्ध अधिप्राप्ति (लाख किलोग्राम प्रति दिन)	183	×120.3
6.	ग्रामीण दुग्ध परिसंस्करण क्षमता (लाख किलोग्राम प्रति दिन)	200	141.73
7.	दुग्ध विपणन (लाख लीटर प्रति दिन)	137÷	80.08

× वर्ष 1989-90 के औसत आंकड़ों की ओर संकेत मिलते हैं।
÷ इसमें यू. एच. टी. दूध/दूध उत्पाद और अन्य दूध उत्पाद शामिल हैं।

शाखा डाकघरों के काम के घंटे

*419. **प्रो० प्रेमकुमार धूमाल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाखा डाकघरों में प्रति दिन अधिकतम कितने घंटे काम होता है,

(ख) क्या शाखा डाकघर के शाखा पोस्टमास्टर को डाकघर में उसकी उपस्थिति के आधार पर तथा उसके अनुपात में वेतन दिया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो उसको अधिकतम कितने घंटों के काम के लिए वेतन दिया जाता है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर शिव) : (क) 5 घंटे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए मास्टर प्लान

[अनुवाद]

*420. **श्री एल० बी० सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों और नेपाल सीमा को जोड़ने वाले आठ अन्तर्राज्यीय राजमार्गों को इस मास्टर प्लान में शामिल करने की सिफारिश की गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इनमें से किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है,

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन सड़कों का अथवा इनमें से किसी एक सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव है,

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है। सम्भवत: माननीय सदस्य भारतीय सड़क कांग्रेस के तत्वावधान में मुख्य अभियन्ताओं के एक दल द्वारा 1984 में तैयार की गई 20 वर्षीय सड़क विकास योजना (1981-2001) का उल्लेख कर रहे हैं। इस 20 वर्षीय योजना में किए गए प्रस्ताव केवल अनुशंसात्मक स्वरूप के हैं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

बडोदरा से मुम्बई तक एक्सप्रेस मार्ग का विस्तार

*421. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बडोदरा से मुम्बई तक एक्सप्रेस मार्ग का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि लगभग 1.3 करोड़ रुपए की लागत से, वडोदरा से मुम्बई तक एक एक्सप्रेस का व्यवहार्यता अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में हेरोइन का पकड़ा जाना

*422. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जून, 1990 को दिल्ली में 9 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन पकड़ी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) 10 जून, 1990 को कोई हेरोइन जब्त नहीं की गई। तथापि 8 जून, 1990 को दिल्ली पुलिस द्वारा 6 कि० ग्रा० हेरोइन जब्त की गई।

(ख) 8 जून, 1990 को कोतवाली पुलिस स्टेशन में मादक औषध और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

पत्र वितरण व्यवस्था में सुधार

*423 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी भी पत्र को एक राजधानी नगर से दूसरे राजधानी नगर तक पहुंचने में सामान्यतया चार से सात दिन लगते हैं जबकि सरकारी मानदण्ड के अनुसार इसमें केवल चौबीस घन्टे ही लगने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) यह सत्य नहीं है कि सरकारी मानदण्डों के अनुसार एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी के बीच 24 घन्टे के भीतर डाक वितरित की जानी है।

राज्य की राजधानियों में डाक वितरण का समय परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्धारित किया जाता है। यह संभव है कि किसी पत्र को अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के लिए एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी के बीच परिवहन की कुछ कठिनाइयों के कारण 4 से 7 दिन तक का समय लग जाता हो।

(ग) डाक प्रेषण की कार्य कुशलता की जांच करने के लिए डाकघर पर निगरानी रखने का काम दैनिक और आवधिक रूप से किया जाता है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को धनराशि

*424. **श्री के० चोक्का राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का आंध्र प्रदेश को चित्तूर जिले के गांवों की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष धनराशि देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के जिलावार आबंटन का निर्णय आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है ।

पश्चिम-तट और आस्ट्रेलिया के बीच नौवहन सेवा

*425 **श्री सी. श्रीनिवासन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत की गैर-सरकारी कम्पनियों को पश्चिम-तट और आस्ट्रेलिया के बीच नौवहन सेवा चलाने की अनुमति देने का विचार है ताकि भारतीय नौवहन निगम द्वारा नौवहन सेवा न चलाये जाने की स्थिति में विदेशी नौवहन कम्पनियों द्वारा माल भाड़ा दरों में की जा रही वृद्धि को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) भारत के पश्चिम तट और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार की आवश्यकताओं को भारत-आस्ट्रेलिया भाड़ा करार के पश्चिमी तट के सदस्यों द्वारा पूरा किया जा रहा है जिसका एक मात्र भारतीय सदस्य, भारतीय नौवहन निगम है । इस मार्ग पर कुछ गैर-सदस्यीय विदेशी लाइनों द्वारा भी सेवाएं प्रचालित की जाती हैं । भारतीय नौवहन निगम ने भारी घाटे के कारण 30-6-90 से अपनी सेवाएं निलम्बित कर दी ।

यह सामान्य प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि जो भारतीय नौवहन कम्पनियां कांफ्रेंस लाईनों/भाड़ा सम्बन्धी करारों की सदस्य नहीं है, क्या उन्हें लाईनर कांफ्रेंस मार्गों पर नौवहन सेवाओं के प्रचालन की अनुमति दी जानी चाहिए ।

डाक टिकटें जारी करना

*426. **श्री पी० एम० सईद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान फिलेटेलिक सलाहकार समिति ने कितने नए स्मारक डाक-

टिकट जारी करने की सिफारिश की थी और डाक विभाग द्वारा कितने टिकट वास्तव में जारी किये गये;

(ख) निकट भविष्य में कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) एक स्मारक डाक टिकट का डिजायन तैयार करने और उसे जारी करने पर अनुमानत: कितना खर्च आता है; और

(घ) नई दिल्ली की हीरक जयन्ती और एयर मेल पोस्ट शताब्दी के उपलक्ष में जारी किये जाने वाले स्मारक डाक टिकटों पर पृथक-पृथक कितना खर्च आने का अनुमान है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) फिलैटली सलाहकार समिति ने पिछले 2 वर्षों के दौरान स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी करने के लिए 60 (साठ) प्रस्तावों की सिफारिश की थी जबकि इस अवधि के दौरान वास्तव में 83 स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी किए गए।

(ख) इस वर्ष के अन्त तक 31 डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव है।

(ग) एक डाक-टिकट पर जो लागत आती है वह उसके परिमाप, उसमें प्रयुक्त रंगों की संख्या, इस्तेमाल किए गए कागज की किस्म आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। अद्यतन जानकारी के अनुसार, स्मारक/विशेष डाक-टिकट की लागत प्रति डाक-टिकट 8.75 पैसे से 40 पैसे के बीच बैठती है।

(घ) नई दिल्ली की हीरक जयन्ती और हवाई डाक पोस्टकार्ड शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किये जाने वाले डाक टिकटों की डिजाइनों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इन डाक-टिकटों पर प्रति डाक-टिकट 8.75 पैसे से 40 पैसे के बीच लागत आने की संभावना है जो इन डाक-टिकटों में प्रयुक्त रंगों की संख्या और प्रयुक्त कागज की किस्म आदि पर निर्भर करेगी।

आन्ध्र प्रदेश में कृषि विकास हेतु विश्व बैंक ऋण

4705. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को, किसानों को सरकारी माध्यम से प्रयोगशाला तकनीकी उपलब्ध कराने तथा विकसित किस्म के बीजों के उत्पादन के वास्ते मंडल स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने हेतु विश्व बैंक के ऋण के लिए आन्ध्र प्रदेश से कोई अनुरोध मिला है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश ने कपास, लाल-मिर्च, फूलों का अधिक उत्पादन लेने तथा वैज्ञानिक कृषि के सम्बन्ध में महिलाओं को शिक्षित करने हेतु विदेशों से ऋण लेने हेतु भी अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश ने कपास, लाल-मिर्च व फूलों की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए विदेशों से ऋण लेने हेतु अनुमति नहीं मांगी है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में महिला किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु एक परियोजना प्रस्तुत की है।

(ग) इस परियोजना का उद्देश्य महिला किसानों की उत्पादन सम्बन्धी दक्षता के विकास के लिये एक उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना तथा महिला किसानों के क्रियाकलापों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये महिला विस्तार सेवाओं को उपयुक्त रूप से तैयार करना है। इस परियोजना के तहत 5 वर्षों में 47,850 महिला किसानों को लाभ प्राप्त होने की आशा है जो लगभग 478,500 अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देंगी और उनमें जानकारी का प्रसार करेंगी। योजना की अवधि दो चरणों में 10 वर्ष की होगी तथा इस पर 20 88 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

(घ) इस परियोजना के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से इसे संघीय गणतन्त्र जर्मन की सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था लेकिन जर्मन सरकार इस परियोजना के लिए सहायता देने की इच्छुक नहीं थी।

कुमाऊं क्षेत्र में फूलों की खेती

[हिन्दी]

4706. श्री एम० एस० पाल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुमाऊं क्षेत्र में फूलों की खेती को प्रोत्साहन देने और किसानों को उचित मूल्य देने के लिए इन फूलों की बिक्री हेतु कोई प्रभावशाली कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : उत्तर प्रदेश सरकार कुमाऊं क्षेत्र में फूलों की खेती के विकास की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत पौध रक्षण रसायनों और उपकरणों के लिए 50 प्रतिशत राजसहायता मुहैया की जा रही है। फूलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी, अनुसंधान सम्बन्धी सहायता उन्नत तकनीक और फसल को कटाई के बाद की प्रबन्ध व्यवस्था मुहैया की जा रही है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के महाप्रबन्धक द्वारा प्रत्येक शनिवार को टेलीफोन प्रयोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई

[अनुवाद]

4707· श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में इस बात का व्यापक प्रचार किया गया है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के महाप्रबन्धक जनता की शिकायतों को सुनने के लिए प्रत्येक शनिवार को 10 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक अपने कार्यालय में उपलब्ध होंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस बीच पिछले छः महीनों के दौरान माह-वार, उन्होंने कितनी शिकायतों की सुना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) जी हां। निगम की दिल्ली यूनिट के क्षेत्रीय महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धकों के सम्बन्ध में ऐसे विज्ञापन दिये गये हैं।

(ख) क्षेत्रीय महाप्रबन्धकों ने पिछले 6 महीनों के दौरान 715 शिकायतों को निपटाया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया हुआ है :—

महीना	निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या
मार्च, 90	120
अप्रैल, 90	88
मई, 90	112
जून, 90	141
जुलाई, 90	129
अगस्त, 90	125

टेलीफोन और डाक सेवाओं से विभागीय नियंत्रण समाप्त करने की योजना

[हिन्दी]

4708. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय टेलीफोन और डाक सेवाओं से विभागीय नियंत्रण समाप्त करने की कोई योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में किन-किन नगरों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जैसे स्वायत्त निकाय अस्तित्व में आ गये हैं और इसमें अब तक कितनी सफलता मिली है;

(घ) क्या सरकार का कुछ अन्य नगरों में भी यह योजना कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। टेलीफोन और डाक सेवाओं से विभागीय नियंत्रण हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लि० केवल बम्बई और दिल्ली में टेलीफोन प्रणाली का कार्यकरण देखता है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही सेवा पूर्णतः संतोषजनक है।

(घ) और (ङ) अन्य स्थानों पर दूरसंचार प्रणालियों को अलग टेलीफोन निगमों में बदलने का फिलहाल कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। तथापि दूरसंचार विभाग ने दिल्ली और बम्बई में

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यानुभव एवं अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए फील्ड संगठनों के पुनर्गठन के पक्ष-विपक्ष की जांच शुरू कर दी है ।

गन्ने का उत्पादन

[अनुवाद]

4709. **श्री एम० वागा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में गन्ने का उत्पादन वर्षानुवर्ष गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं । 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान आंध्र प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 116 लाख मीटरी टन था, जो कि राज्य में पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1983-84 से 1987-88 तक के दौरान 95 लाख मीटरी टन के गन्ना के औसत उत्पादन से अधिक है ।

पूरे देश में 1989-90 के दौरान गन्ने के 212 मिलियन मीटरी टन के लक्षित स्तर से भी अधिक रिकार्ड उत्पादन होने की आशा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस समय देश में गन्ना विकास की कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है । गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही कार्य योजना निम्न प्रकार से है :—

(I) गुणवत्ता वाले बीज गन्ने का उत्पादन एवं वितरण ।
(II) सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना ।
(III) उर्वरकों का विवेकपूर्ण एवं समय पर उपयोग ।
(IV) पेड़ी की बेहतर व्यवस्था ।
(V) पौध रक्षण उपायों के तहत अधिक क्षेत्र लाना ।
(VI) सह फसलों के साथ प्रदर्शन सहित विस्तार प्रणाली के जरिये तकनोलोजी का अन्तरण ।
(VII) गन्ना विकास कार्मिकों का प्रशिक्षण ।
(VIII) गन्ना विकास कार्यक्रमों में चीनी मिलों की अधिक एवं कारगर भागीदारी ।
(IX) किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना ।

इसके अतिरिक्त खाद्य विभाग चीनी मिलों को सहायता के लिए चीनी विकास निधि में से ऋण सुविधाएं प्रदान करता है, ताकि वे अपनी मिलों की मांग को पूरा कर सकें । प्रमुख घटक, जिन पर ऋण सहायता दी जाती है, इस प्रकार हैं—(I) बीज उपचार प्लांट स्थापित करना; (II) नर्सरियों को लगाना; (III) उन्नत किस्मों के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन देना; (IV) सिंचाई योजनाएं; और (V) पेड़ी की व्यवस्था आदि ।

फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की उत्पादन क्षमता

4710. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की उत्पादन क्षमता में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विकास/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड को कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान फैक्ट की उत्पादन क्षमता मे कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान फैक्ट के विकास/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए किये गये आबंटन के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

वर्ष	1987-88	1988-89	1989-90
		(रु० करोड़ों में)	
अनुमोदित परिव्यय	110 00	100.00	75.00
किस बजटीय समर्थन का है :			
(क) साम्य	40.00	26.00	20.00
(ख) ऋण	42.00	44.00	—
	82.00	70.00	20.00

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान फैक्ट के लाभ के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं : —

वर्ष	कर पश्चात् लाभ (रु० लाखों में)
1987-88	1290.00
1988-89	772.00
1989-90	301.00

सरकारी भवनों में अग्नि रोधी दरवाजे/खिड़कियां लगाना

4711. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री युसुफ बेग } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी विभिन्न बहु-मंजिली इमारतों तथा अन्य भवनों/परिसरों को बार-बार अग्निकांड की दुर्घटनाओं से बचाने हेतु उनमें अग्नि रोधी दरवाजे/खिड़कियां लगाने के संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) दिल्ली में बहुमंजिली भवनों को कब्जे में लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले दिल्ली अग्नि शमन सेवा द्वारा इस पहलू को पहले ही सुनिश्चित किया जा रहा है।

स्वर्गीय श्री सिद्धू कानू और तिलका मांझी के सम्मान में डाकटिकट जारी करना

[हिन्दी]

4712. श्री लाइमन मरांडी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटा नागपुर संथाल परगना के स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता स्वर्गीय श्री सिद्धू कानू और तिलका मांझी के सम्मान में डाक टिकट जारी करने की मांग पर विचार करने तथा इसे जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त डाक टिकट जारी करने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) इन व्यक्तियों की स्मृति में कोई स्मारक डाक टिकट जारी करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं था। अब इस प्रश्न पर एक प्रस्ताव के रूप में विचार किया जा रहा है। इस मामले को फिलैटली सलाहकार समिति, जो कि सरकार को स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी करने और उससे संबंधित अन्य मामलों में सलाह देती है, के विचारार्थ इसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

दिल्ली में मोटर वाहनों की चोरी

[अनुवाद]

4713. श्री परसराम भारद्वाज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष वाहनों पर नम्बर खुदवाने की योजना लागू किए जाने के बावजूद, दिल्ली में मोटर वाहनों की चोरी के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और गत तीन वर्षों के दौरान कितने मोटर वाहन चोरी हुए; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सूचित किये गये मामलों की संख्या

	कार	स्कूटर	मोटर साईकिल	टी. एस. आर	बस/ट्रक	अन्य
1987	628	915	182	121	59	79
1988	443	869	183	136	62	107
1989	475	1262	267	193	46	180
1990	462	656	184	90	35	111

(31-7-90 तक)

(ग) (I) महत्त्वपूर्ण स्थानों पर गश्त गहन की गई है।

(II) आसूचना एकत्र करने के लिए श्रोतों को तैनात किया गया है और जाल बिछाये जाते हैं।

(III) सीमा चौकियों पर चुराये गये वाहनों की जांच गहन की गई है।

(IV) सामरिक महत्व के स्थानों पर टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

आटो-रिक्शा मीटरों का किराए की संशोधित दरों के अनुसार अनुसंशोधन

4714. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तिपहिया आटो-रिक्शा चालकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संशोधित किराया सूची के अनुसार अपने मीटरों का अनुसंशोधन करा लें;

(ख) यदि हां, तो किराये की दरों में संशोधन किए जाने के बाद कितने आटो-रिक्शा चालकों ने अपने आटो-रिक्शा मीटरों का अनुसंशोधन कराया है;

(ग) कितने आटो रिक्शा चालकों ने अपने आटो-रिक्शा मीटर अभी तक अनुसंशोधन नहीं कराये हैं, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार का इन मीटरों को अनुसंशोधित कराने के लिए नई तारीख निर्धारित करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन): (क) जी; हां।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 24-3-90 से भाड़े में संशोधन लागू होने के बाद 30-8-1990 की स्थिति के अनुसार, 20490 आटो-रिक्शा चालकों ने अपने मीटरों का अनुसंशोधन करवा लिया है। अब तक 34810 आटो-रिक्शा चालकों ने अपने मीटरों का अनुसंशोधन नहीं कराया है। मीटरों के अनुसंशोधन के लिए अंतिम तारीख 23-9-1990 निर्धारित की गई है। परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन आटो-रिक्शा चालकों के खिलाफ परमिट की शर्तों का अनुपालन न करने के लिए कार्रवाई की जाएगी जो नियत तारीख तक अपने मीटरों का अनुसंशोधन नहीं कराते।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश में डाकघर और तारघर खोलना

[हिन्दी]

4715. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने डाकघर, तारघर खोले गये हैं और उनकी जिले-वार संख्या कितनी है: और

(ख) मध्य प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार किया गया है और इनमें से वर्ष 1990-91 के दौरान कितने डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जानकारी इस प्रकार है :

(i) **डाकघर**

	सातवीं योजना खोले गए डाकघरों की सं०
पूरे भारत में	4380
मध्य प्रदेश में	421

मध्य प्रदेश में जिले वार खोले गए डाकघरों की संख्या का पता लगाया जा रहा है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ii) **तार घर**

जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) **डाकघर**

डाक सेवाओं के संबंध में आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जहां तक वार्षिक योजना 1990-91 का संबंध है इसमें 1000 शाखा डाक घर और 200 उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आठवीं योजना के लिए संशोधित मानदंडों का अंतिम रूप देते ही राज्य वार लक्ष्य सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

तार घर/टेलीफोन एक्सचेंज

जानकारी एकत्र की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को आबंटित धनराशि

[अनुवाद]

4716. **श्री पलास बर्मन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान "ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास" कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) इसके अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) "ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास" कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय आबंटन नहीं किया जाता है। प्रत्येक राज्य को गठित किए जाने वाले महिलाओं के ग्रुप आबंटित किए जाते हैं और केन्द्रीय अंश के रूप में प्रति ग्रुप 5100/-रु० और यूनिसेफ अंश के रूप में 5000 रुपये की दर से निधियां रिलीज की जाती हैं। वर्ष 1990-91 के लिए ग्रुपों का राज्य-वार भौतिक आबंटन संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1990-91 (जुलाई, 1990 तक) के लिए गठित किए गए ग्रुपों और महिला सदस्यों की संख्या के रूप में उपलब्धि संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

क्र० सं०	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	आबंटित ग्रुपों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	300
2.	असम	220
3.	अरुणाचल प्रदेश	25
4.	बिहार	850
5.	गोआ	30
6.	गुजरात	98
7.	हरियाणा	280
8.	हिमाचल प्रदेश	240
9.	जम्मू और कश्मीर	308
10.	कर्नाटक	400
11.	केरल	140

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	600
13.	महाराष्ट्र	650
14.	मणिपुर	50
15.	मेघालय	60
16.	मिजोरम	50
17.	नागालैंड	30
18.	उड़ीसा	200
19.	पंजाब	110
20.	राजस्थान	450
21.	सिक्किम	30
22.	तमिलनाडु	597
23.	त्रिपुरा	70
24.	उत्तर प्रदेश	1302
25.	पश्चिम बंगाल	340
	संघ शासित क्षेत्र	
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	30
27.	दमन और दीव	20
28.	लक्षद्वीप	20
	योग :	7500

विवरण-2

क्र० सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जुलाई, 90 तक गठित किए गए ग्रुपों की सं०	महिला सदस्यों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	—	—
2.	असम	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
4.	बिहार	4	47
5.	गोआ	2	30
6.	गुजरात	54	713
7.	हरियाणा	—	—

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	4	66
9.	जम्मू और काश्मीर	—	—
10.	कर्नाटक	15	159
11.	केरल	—	—
12.	मध्य प्रदेश	12	158
13.	महाराष्ट्र	—	—
14.	मणिपुर	—	—
15.	मेघालय	—	—
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैंड	—	—
18.	उड़ीसा	8	131
19.	राजस्थान	—	—
20.	पंजाब	1	15
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	31	671
25.	पश्चिमी बंगाल	53	1024
	संघ शासित क्षेत्र		
26	दिल्ली	—	—
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
28.	दादर और नागर हवेली	—	—
29.	लक्षद्वीप	—	—
30.	पांडिचेरी	—	—
	योग :	184	3014

राजामुन्द्री में बिना उप-डाकघर अथवा तारघर वाले गांव

4717: श्रीमती वे० वसुना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में राजामुन्द्री संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कितने गांवों में इस समय उप-डाकघर अथवा तारघर की व्यवस्था नहीं है;

(ख) नये डाकघर, उप-डाकघर अथवा तारघर खोलने हेतु निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत कितने गांव आते हैं; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसे डाकघर/उप-डाकघर अथवा तारघर खोलने हेतु कितने गांवों का चयन किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

अन्तरराष्ट्रीय और लम्बी दूरी की राष्ट्रीय कालों के लिए काल-कलैक्ट सुविधाएं

4718. **श्री हम्माद मोल्लाह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय और लम्बी दूरी की राष्ट्रीय कॉलों के लिए कॉल-कलैक्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) वर्ष 1988 और 1989 के दौरान भारत से अमरीका, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्कैंडनेविआई देशों को कितनी अन्तरराष्ट्रीय कॉलें की गई और इन देशों से कितनी कॉलें आई; और

(घ) भारत को इन कॉलों से रुपये और अमरीका डालरों में कितनी आय हुई ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) अनेक देशों के लिए की जाने वाली अन्तरराष्ट्रीय कॉलों के लिए कॉल-कलेक्ट सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। लम्बी दूरी की राष्ट्रीय कॉलों के लिए भी प्रतिवर्तित (रिवर्सड) प्रभार कॉलों की सुविधा पहले ही उपलब्ध हैं। "प्रतिवर्तित प्रभार कॉल" सुविधा में, किसी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक ट्रंक टेलीफोन घर से प्रभार का पूर्व-भुगतान किए बिना किसी विनिर्दिष्ट टेलीफोन नम्बर के लिए कॉल करने के लिए (विभाग द्वारा जारी एक प्राधिकार-कार्ड के जरिए) प्राधिकृत किया जाता है। ऐसी कॉलों की प्रभार कॉलिंग पार्टी के बजाय कॉल्ड उपभोक्ता (जिस उपभोक्ता को कॉल की जाती है) से वसूल किया जाता है।

(ख) ऊपर पैरा (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता टेलीफोन विभाग में टेलीफोन सेवा के बारे में शिकायतें

4719. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में दुर्गापुर पुल के निर्माण स्थल के पास भूमिगत केबलों को हुई क्षति के कारण कलकत्ता टेलीफोन के "45" और "49" एक्सचेंजों के टेलीफोन उपभोक्ताओं के टेलीफोन काफी संख्या में खराब पड़े हुए हैं;

(ख) क्या एक्सचेंज के अधिकारीगण केबलों को उचित तरीके से बिछाने और उन्हें सुरक्षित रखने में सफल नहीं हो पा रहे हैं;

(ग) क्या अधिकांश टेलीफोन पूरे वर्ष में एक महीना भी ठीक काम नहीं करते हैं;

(घ) क्या खराबियों को तुरन्त दूर नहीं किया जाता है और लिखित शिकायतों का भी जवाब नहीं दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और कलकत्ता टेलीफोन विभाग को अगस्त, 1990 के दौरान कितनी लिखित शिकायतें प्राप्त हुई है और प्रत्येक में टेलीफोन के कितने-कितने समय तक खराब रहने की शिकायत की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। दुर्गापुर पुल के नजदीक की खराब लाइनें 45-49 एक्सचेंज क्षेत्र के कुल टेलीफोनों का मात्र एक छोटा सा प्रतिशत है।

(ख) जी नहीं; पुल के ऊपर डक्टों का निर्माण करना व्यवहार्य नहीं है; अतः पुल पर पाइप के अन्दर केबिलें बिछायी जाती है।

(ग) जी नहीं, खराब टेलीफोन किसी भी समय कुल टेलीफोनों का एक छोटा सा भाग होता है।

(घ) जी नहीं, शिकायतों को तत्काल निपटाया जाता है, लेकिन मानसून के दौरान जब केबिल बड़ी मात्रा में खराब हो जाती है तो उसे दोबारा चालू करने में देरी होती है। लिखित शिकायतों की पावती भेजी जाती है तथा उन पर कार्रवाई की जाती है।

(ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है, जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

गोपालपुर पत्तन को प्रमुख पत्तन के रूप में परिवर्तित करना

4720 **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन को प्रमुख और प्रत्येक मौसम के लिए उपयुक्त पत्तन के रूप में परिवर्तित करने हेतु कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में कब तक निर्णय लेगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (के) जी, नहीं। परन्तु उड़ीसा सरकार ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) इस समय गोपालपुर पत्तन को महापत्तन में बदलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है। तथापि राज्य सरकार ने इस पत्तन को प्रत्येक मौसम के लिए उपयुक्त पत्तन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है परन्तु ऐसे विकास के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

गोपालपुर पत्तन जो एक लघु पत्तन है, के विकास एवं प्रबंध की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

नक्सलवादी गतिविधियों को रोकना

4721. **श्री प्रकाश कोको बहादुर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने हेतु राज्यों को कोई नये मार्ग निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश में नक्सलवाद को रोकने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है; और

(ग) नक्सवादी गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सरकार की नीति देश में उग्रवादी तत्वों से दृढ़ता से निपटने और साथ ही साथ प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज करने की है ताकि स्थानीय लोगों की वास्तविक कठिनाईयों को दूर किया जा सके। सम्बन्धित राज्य सरकार की समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र सरकार अतिरिक्त अर्द्ध सैनिक बलों, राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण की सुविधाओं का व्यवस्था करके, विकसित संचार सुविधाएं इत्यादि के रूप में प्रभावित राज्यों को सभी संभव सहायता दे रही है।

(ग) आंध्र प्रदेश और बिहार नक्सलवादी गतिविधियों से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। वामपंथी उग्रवादियों का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में प्रभाव है।

आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर और कर्नूल में दुग्ध पाउडर संयंत्र

4722. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर और कर्नूल में दुग्ध पाउडर संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुनालूर टेलीफोन केन्द्र में टेलीफोन कनेक्शन

4723. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के क्विलोन जिले में पुनालूर टेलीफोन केन्द्र में नये टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने आवेदकों के नाम प्रतीक्षा-सूची में है;

(ख) नये कनेक्शन देने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) पुनालूर टेलीफोन केन्द्र में सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक प्रदान किये जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) 1-8-90 की स्थिति के अनुसार, पुनालूर में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 457 आवेदकों के नाम दर्ज हैं।

(ख) और (ग) 1990-91 में मौजूदा इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंज का 200 लाइनों से विस्तार करने की योजना है। उपस्कर प्राप्त होने पर यह विस्तार कार्य किया जाएगा। 8वीं योजना के दौरान 1000 लाइनों का और विस्तार करके 1500 लाइनों के मुख्य सी-डॉट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की योजना बनाई गई है। यह उपस्कर भी प्राप्त नहीं हुआ है। जिस परिसर में मौजूद एक्सचेंज स्थित है उसी में एक नए भवन का निर्माण किया जाना है। अतः यह आशा की जाती है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध में लम्बित आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

ए० के० गोपालन की स्मृति में डाक टिकट जारी करना

4724. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए० के० गोपालन की स्मृति में डाक टिकट किस तारीख को जारी करने का विचार है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) श्री ए० के० गोपालन पर 1-10-1990 को डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है।

(ख) सामान्य प्रथा के अनुसा 1 अक्तूबर, 1990 को देश के सभी फिलैटली ब्यूरो तथा काउंटरों के माध्यम से बिक्री के लिए इन डाक टिकटों को जारी करने का प्रस्ताव है।

मुंबई के पश्चिम उपनगरीय क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं

4725. **श्री राम नाईक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई के पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्रों में 8 जुलाई, 1990 को कितने टेलीफोन खराब पड़े थे, और उनमें से कितनों को ठीक कर दिया गया है;

(ख) कितने टेलीफोन अभी भी खराब पड़े हुए हैं;

(ग) इतनी अधिक संख्या में टेलीफोनों के खराब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) 8-7-1990 की स्थिति के अनुसार, पश्चिमी उपनगरों में में 12675 टेलीफोन खराब पड़े थे। इन सभी को ठीक कर दिया गया है।

(ग) भारी वर्षा और उसके बाद आई बाढ़ के कारण कुछ टेलीफोन केबिलों में खराबी उत्पन्न हो गई थी।

(घ) इस सम्बन्ध में किए गए उपचारात्मक उपाय इस प्रकार हैं :—

(I) बड़े पैमाने पर केबिलों की डबिटंग तथा केबिलों के दाबीकरण का कार्य आरम्भ किया गया है;

(II) बाह्य संयंत्रों का पुनर्वास तथा अन्नयन;

(III) खराब केबिलों को ठीक करने के काम पर कड़ी निगरानी रखने के लिए केन्द्रीकृत दोष-नियंत्रण कक्ष खोला गया।

हिमाचल प्रदेश में आई० डी० एन० की सुविधा उपलब्ध कराना

4726. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर एस० एस० ए० का, जिसमें हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर जिलों और कांगड़ा जिले की टेहरा सब-डिवीजन शामिल हैं, आई० डी० एन० सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और एस० एस० ए० के अन्तर्गत शामिल प्रत्येक राजस्व जिले में स्थापना सम्बन्धी कार्य कब तक पूरा होगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) केवल हमीरपुर, ऊना एवं बिलासपुर जिलों को एकीकृत डिजिटल नेटवर्क (आई डी एन) की व्यवस्था करने के लिए चुना गया था बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

(ख) और (ग) ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, अम्ब, बरमाना, कोटखाई, अवाड़, देवी एवं लाम्बलू स्थित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को चालू कर दिया गया है। आठवीं योजना के दौरान अन्य स्थानों पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज एवं डिजिटल संचारण लिंकों को भी चालू किये जाने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर एवं उपयुक्त संचारण माध्यम उपलब्ध हो।

गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को सहायता

[हिन्दी]

4727. **श्री राघवजी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता दी गई ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : केन्द्रीय सरकार के लिए पिछले तीन वर्षों में गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार

को कोई सहायता देना संभव नहीं हुआ, क्योंकि इस राज्य को पहले निर्मुक्त किए गए धन के उपयोग के बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

टेलीप्रिन्टरों का निर्माण

4728. **कुमारी उमा भारती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टरस लिमिटेड द्वारा वर्ष 1989 में रोमन देवनागरी और द्विभाषीय लिपियों में पृथक-पृथक रूप से कितने टेलीप्रिन्टरों का निर्माण किया गया;

(ख) इस कम्पनी के पास देवनागरी अथवा द्विभाषीय लिपि के कितने टेलीप्रिन्टरों के क्रयादेश लम्बित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन क्रयादेशों के अनुरूप सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1989 के दौरान एच०टी०एल० ने (रोमन की) 1927 इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीप्रिंटरों का विनिर्माण किया।

(रोमन) इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की संख्या 4261

(द्विभाषीय) इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की संख्या 143

देवनागरी का कोई भी टेलीप्रिंटर तैयार नहीं किया गया।

(ख) 1989 के दौरान प्राप्त आदेशों के अनुसार 1101 द्विभाषीय इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों के आदेश लम्बित पड़े हुए है। देवनागरी टेलीप्रिंटर के लिए कोई भी आदेश लम्बित नहीं है/कम्पनी को दूरसंचार विभाग द्वारा अपेक्षित बड़ी संख्या में रोमन इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की भी आपूर्ति करनी पड़ी।

(ग) अक्तूबर, 1990 के अन्त तक लम्बित आदेशों को निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

हरियाणा में होडल के लिए एस० टी० डी० सुविधा

[अनुवाद]

4729. **श्री जगपाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में होडल के लिए एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान।

(ग) (I) उपस्कर सम्बन्धी प्राक्कलनों पर मंजूरी के लिए कार्रवाई चल रही है।

(II) संचार माध्यम की योजना बनाई गई है।

गुजरात में नए टेलीफोन एक्सचेंज

4730. **श्री बलवन्त मनवर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों के दौरान गुजरात में सुरेन्द्र नगर, जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिये कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कार्यान्वयन कब तक प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इन चार शहरों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गुजरात में सुरेन्द्र नगर, जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों के ब्यौरे

शहरों के नाम	एक्सचेंजों की संख्या तथा किस्म	चालू होने की संभावित तारीख
1. सुरेन्द्र नगर	सी-डॉट किस्म का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज	8वीं योजना अवधि के दौरान
2. जामनगर	ई-10 बी किस्म का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज	8वीं योजना अवधि के दौरान
3. जूनागढ़	सी-डाट किस्म का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज	8वीं योजना अवधि के दौरान
4. राजकोट	ई-10 बी किस्म के दो इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज और सी-डॉट किस्म का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज।	8वीं योजना अवधि के दौरान

शीत भंडागार विनियम

[हिन्दी]

4731. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शीत भंडागार विनियम के बारे में प्रस्तुत विधेयक को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कब तक अनुमति दे दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शीत भंडागार विनियम के बारे में प्रस्तुत विधेयक को अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि उसी समय भारत सरकार भी शीत भंडागार के विनियम में सारे देश में एक समान कानून सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शीत भंडागार के लिए एक केन्द्रीय कानून लाने पर विचार कर रही थी। तथापि, केन्द्रीय कानून लाने के विचार को त्याग दिया गया था। इसके बजाय एक मॉडल विधेयक तैयार किया गया है और इसे मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को परिचालित किया गया है जिसे यदि वे चाहें तो, यथा आवश्यक परिवर्तन करके अपना सकते हैं।

उड़ीसा में भू-संरक्षण योजना

[अनुवाद]

4732. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से उड़ीसा को अपर कोलाम्ब इन्द्रावती और अन्य नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भू-संरक्षण सम्बन्धी कार्य के बारे में कोई व्यापक योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को लागू किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ङ) अपर कोलाम्ब, इन्द्रावती और सुवर्णरेखा के जल-ग्रहण क्षेत्रों में 82.98 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मृदा संरक्षण कार्य करने के लिए उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव पर कार्यान्वयन के लिए विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि वह जल ग्रहण क्षेत्र नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण

क्षेत्रों में मृदा संरक्षण तथा बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अनुमोदित नहीं है ।

"सऊदी विआस अगेन्स्ट डैड हिन्दू" शीर्षक से समाचार

4733. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 अगस्त, 1990 के "हिन्दू में" सऊदी विआस अगेन्स्ट डैड हिन्दू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पता लगाये गए मृतकों के माता-पिता द्वारा लाई गई जानकारी के अनुसार इस मामले की वस्तुस्थिति क्या है; और

(ग) मृत युवा भारतीय राष्ट्रिक के माता-पिता को यूनानी राष्ट्रिक, जिसकी लापरवाही के कारण रियाद में भारतीय राष्ट्रिक की मृत्यु हुई, द्वारा जमा कराई गई साई "ब्लड मनी" प्राप्त कराने हेतु न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रियाद की एक शरीयत अदालत ने यह फैसला दिया है कि एक मुसलमान के मुकाबले में एक हिन्दू के जीवन मुआवजे की हकदारी 1/15 होगी ।

(ग) सम्बद्ध सऊदी प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया जा रहा है कि वे इस मुआवजे को बढ़ायें ।

कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत

4734. **श्री सुदाम बतात्रेय देशमुख** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में कृषि उत्पादों को उत्पादन लागत का अध्ययन करने के लिए कोई एक मानकीकृत प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किसान के परिवार के सदस्यों के श्रम दिवसों का कैसे आकलन किया जाता है और उनको अपनी भूमि के किराया—मूल्य का हिसाब कैसे लगाया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) किसानों के पारिवारिक श्रम के श्रम दिवसों का हिसाब परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा विभिन्न कृषि कार्यों पर लगाए गए घंटों की इकाइयों के अनुसार लगाया जाता है । पुरुष, महिला तथा बच्चे के श्रम को 1:1.5:2.00 के हिसाब से परिवर्तित करके पारिवारिक श्रम को मानक पुरुष यूनिटों में घंटों में बदला जाता है । एक मानक श्रम दिवस के लिए आठ घंटे लिए जाते हैं । स्वामित्व वाली भूमि के किराए का अनुमान गांव में उसी प्रकार की भूमि के मौजूदा

किराए के आधार पर या नमूना किसानों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लगाया जाता है लेकिन इस पर सम्बन्धित राज्यों के भूमि कानूनों में दी गई उचित किराए की सीमा लागू होती है।

दिल्ली में आग की घटनायें

4735 श्री बलपत सिंह परस्ते
श्री कमल चौधरी
श्री एस० बी० चोरट : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अगस्त, 1990 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अग्नि दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए तथा सम्पत्ति आदि का कितना नुकसान हुआ है;

(ग) इनमें से कितने मामलों की गुत्थी सुलझाई गई है और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) अग्नि दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को यदि कोई मुआवजा दिया गया है, तो कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया; और दिल्ली में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जनवरी से अगस्त, 1990 तक की अवधि के दौरान दिल्ली अग्नि शमन सेवा को कुल 4861 काल किए गये। 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 20 व्यक्ति जख्मी हुए। यह बात निर्धारित नहीं की गई कि सही रूप में कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) 25 मृतकों के परिवारों को 10,000 रुपये प्रति परिवार की दर से सहायता दी गई है। उचित सत्यापन के अभाव में 3 मामलों में भुगतान नहीं किया जा सका। जख्मी व्यक्तियों को 50%/- रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजे के रूप में 10,000/- रुपये का भुगतान किया गया। इसके अलावा 86,84,250 रुपये की राशि का भुगतान 17503 परिवारों को किया गया, जिसकी झुग्गियां आग में जल गई थी। आग की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है दिल्ली प्रशासन द्वारा अधिक झुग्गी-झोंपड़ी वाले स्थानों पर आग रोकने के उपायों के बारे में सुझाव सम्बन्धी पैम्फलेट वितरित किए गए हैं।

काजू के पेड़ लगाना

4736. श्री टी० बशीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अतिरिक्त भूमि पर काजू के पेड़ लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन नए क्षेत्रों/राज्यों का पता लगाया गया है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में, राज्यवार, केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत काजू उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) काजू उगाने वाले परम्परागत राज्यों केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के अलावा मध्य प्रदेश में 1990-91 के दौरान काजू विकास के केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यक्रम के एक अंग के रूप में कोलोनल रोपण सामग्री के साथ क्षेत्र विस्तार की एक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत नए काजू रोपण कार्य के लिये प्रतिपादित राज्यवार लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

	राज्य का नाम	1990-91 में नये काजू रोपण कार्य के लक्ष्य (है०)
1	2	3
1.	केरल	100
2.	कर्नाटक	700
3.	गोवा	300
4.	महाराष्ट्र	200
5.	तमिलनाडु	400
6.	आन्ध्र प्रदेश	100
7.	उड़ीसा	250
8.	मध्य प्रदेश	80

भूतपूर्व राज्यपालों को पेंशन

4737. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व राज्यपालों को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। भूतपूर्व राज्यपालों को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुलबर्गा, कर्नाटक में 5000 लाइनों वाले ईबी टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

4738. **डा० वी० जी० जावाली** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतीक्षा सूची के बकाया आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए गुलबर्गा में 5000 लाइनों वाले ई-बी टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना का प्रस्ताव है जिसे बाद में बढ़ाकर 7500 लाइनों तक कर दिया जाएगा,

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू किया जाएगा,

(ग) क्या कर्नाटक में सेदम, शाहबाद और वाडी में हस्तचालित एक्सचेंज हैं जबकि यादगिरी में बिना एस० टी० डी० सुविधा वाला स्वचालित एक्सचेंज कार्य कर रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इन स्थानों पर स्वचालित एक्सचेंज कब लगाये जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 92-93 के दौरान 5000 लाइनों के एक स्थानीय ई-10बी एक्सचेंज को चालू करने और 93-94 तक इसमें 7500 लाइनों तक का विस्तार करने की योजना है।

(ग) जी हां।

(घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सदाम, शाहबाद, वाडी और यादगिरी में एस टी डी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

नेपाल के साथ द्विपक्षीय समझौता

[हिन्दी]

4739. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1990 में पूंजी निवेश, उद्योग, व्यापार, आवागमन तथा पर्यटन इत्यादि के क्षेत्र में नेपाल के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम में विदेशी नागरिक

[अनुवाद]

4740. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अवैध रूप से रह रहे उन संदिग्ध विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी है जिनके मामले न्यायाधिकरण अधिनियम लागू होने के समय से, वर्ष-वार, न्यायाधिकरणों को भेजे गये हैं :

(ख) न्यायाधिकरणों द्वारा कितने व्यक्तियों को विदेशी नागरिकों के रूप में पाया गया है, कितने व्यक्ति ऐसे नहीं पाये गये हैं और 31 मार्च, 1990 को वर्ष-वार, ऐसे कितने व्यक्तियों के मामले लम्बित पड़े थे : और

(ग) विदेशी नागरिकों के रूप में पाये गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें निर्वासित किया गया, बाहर किया गया अथवा रोका गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुद्धो कान्त सहाय) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित) अधिनियम, 1983 के उपबन्धों के तहत पता लगाए गए/निष्कासित किये गये अवैध प्रवासियों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	न्यायाधिकरणों को भेजे गये मामलों की संख्या	न्यायाधिकरणों द्वारा पाये गये अवैध प्रवासी व्यक्तियों की संख्या	न्यायाधिकरणों द्वारा अवैध नहीं पाये गये प्रवासी व्यक्तियों की संख्या	31.3.1990 को न्यायाधिकरणों के पास लंबित मामलों की संख्या	निष्कासित किये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1984	495	58	66		
1985	287	365	97		
1986	42421	230	353		
1987	3914	399	1002		
1988	4529	912	1256		
1989	3213	883	715		
1990	1733	(30.4.1989 तक)	(30.4.1989 तक)	1244	31.5.1990 तक 481 अवैध प्रवासी निष्कासित किये गये।
(31.3.1990 तक)		यह सूचना 1.5.1989 से 31.3.1990 तक की मध्यावधि के लिए उपलब्ध नहीं है।			

मध्य प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण

[हिन्दी]

4741. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : मध्य प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष-वार कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसके लिए राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : इन्दिरा आवास योजना के तहत योजना के प्रारम्भ से लेकर, मध्य प्रदेश को आवंटित धनराशि से बनाए जा सकने वाले मकानों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

इन्दिरा आवास योजना मध्य प्रदेश

क्रम संख्या	वर्ष	बनाए जा सकने वाले मकानों की संख्या	आवंटन (नकद) (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	1985-86	10740	725.00
2.	1986-87	13500	1033.00
3.	1987-88	13500	1033.00
4.	1988-89	11407	1033.00
5.	1989-90	15070	1537.13
6.	1990-91	18266	2319.72*

*आवंटित संसाधनों को दर्शाता है ।

नागरिक और राजनीतिक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

[अनुवाद]

4742. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी 1966 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के ऐच्छिक विज्ञप्ति ओप्शनल प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उसकी अभिपुष्टि कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अब इस मामले पर पुनर्विचार करने की सोच रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार संविदा का एक पक्षकार है। लेकिन भारत ऐच्छिक प्रोटोकोल का पक्षकार नहीं है जिसके अंतर्गत मानवाधिकार समिति लोगों से ऐसी शिकायतें स्वीकार करके उन पर कार्रवाई कर सकती है जिनमें किसी राज्य पर यह आरोप लगाया गया हो कि उसने इस प्रसंविदा के अन्तर्गत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है। सरकार का मत यह है कि देश के भीतर ऐसी पर्याप्त व्यवस्था है जिसमें इस प्रसंविदा के अन्तर्गत मानवाधिकारों के आरोपित उल्लंघनों के संबंध में व्यक्तियों की शिकायतों को दूर किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में मुंगेली टेलीफोन एक्सचेंज में सुधार

[हिन्दी]

4743. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिले में मुंगेली स्थित टेलीफोन एक्सचेंज की खपत कितनी है;

(ख) क्या इस एक्सचेंज में एम० टी० डी० और आर० एस० डी० की सीधी डायल सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ग) क्या मुंगेली से बिलासपुर लोरमी, पुंडरिया और पाथरिया की लाइनें सदैव खराब रहती है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मुंगेली टेलीफोन एक्सचेंज में सेवाओं में सुधार हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) 200 लाइनें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 1990-91 के दौरान मौजूदा 200 लाइनों वाले मी. बी. एम. एम. मैनुअल एक्सचेन्ज के स्थान पर उच्च क्षमता वाला इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

(II) मार्च, 1990 तक खुले तारों पर लगे ट्रंक संक्रमण को इन्सुलेटेड तार द्वारा बदलने का प्रस्ताव है।

कट्टूर टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा

[अनुवाद]

4744. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में त्रिचूर जिले के कट्टूर टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान।

समेकित मत्स्य विकास कार्यक्रम

4745. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा केरल को समेकित मत्स्य विकास के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या केरल सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि खर्च कर दी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा, समेकित मात्स्यिकी विकास कार्यक्रम के लिए केरल सरकार को, वर्तमान वित्तीय वर्ष (1990-91) तथा पिछले वित्तीय वर्ष (1989-90) के दौरान कोई धनराशि मंजूर नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के लिए सस्ती दरों वाली दुकानें

4746. **श्री एन० के० राघवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता पुलिस के पेटर्न पर दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के लिए सस्ती दरों वाली दुकानें खोलने अथवा उन्हें कोई भत्ता देने पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस के लिए रियायती दुकानें खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कर्मचारियों के

आई.पी. एस. अधिकारियों के अतिरिक्त अपने शेष कार्मिकों को, 200/- रु० प्रतिमाह की दर से राशन भत्ता दिए जाने के लिए एक प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन को भेजा है।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा "पेपर प्रोजेक्ट" के बारे में परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

4747. **श्री एम० बी० चोरट** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में नीमगांव (तेम्भूरानी) में "पेपर प्रोजेक्ट" के बारे में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंजूरी हेतु भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों द्वारा टेलीफोन लाइनों का दुरुपयोग

[हिन्दी]

4748. **डा० शैलेन्द्र नाथ श्री वास्तव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन विभाग के कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर टेलीफोन किसी एस० डी० एफ० में किसी भी प्रयोक्ता के टेलीफोन में ब्लॉक लगाकर और एक्सचेंज की ओर टेलीफोन उपकरण लगाकर, एस०टी० डी० कॉल करने में किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और ऐसे एस० टी० डी० कॉल का खर्च उस प्रयोक्ता को वहन करना पड़ता है, जिसके टेलीफोन नम्बर से यह अवैध कार्य किया गया है ;

(ख) क्या डी० पी० में, किसी प्रयोक्ता का टेलीफोन का तार हटाकर, वहां पर दूसरे प्रयोक्ता का टेलीफोन का तार लगाकर अन्य प्रयोक्ता द्वारा एस० टी० डी० कॉल की जा सकती है और ऐसे मामलों में अन्य प्रयोक्ता के मीटर पठन में वृद्धि नहीं होगी, किन्तु प्रथम प्रयोक्ता, जिसकी लाइन के साथ वह तार जोड़ा गया था, के मीटर पठन में वृद्धि हो जायेगी;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पटना और बिहार के कुछ अन्य डिवीजनों में इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है और उन प्रयोक्ताओं को अत्यधिक धनराशि के टेलीफोन बिल भेजे जाते हैं, जिनके पास एस० टी० डी० की सुविधा होती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे प्रयोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अमरेश्वर सिंह : जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) पटना तथा बिहार के अन्य किसी भी स्थान पर टेलीफोन को दूसरी ओर मिलाने अथवा गलत प्रयोग करने का ऐसा कोई मामला अधिकारियों के ध्यान में नहीं आया है। इस प्रकार की हेराफेरी में लिप्त पाये गए कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। हेराफेरी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से संवेदनशील प्वाइंटों पर या तो ताला लगा दिया जाता है या उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(घ) "अधिक बिलिंग" की शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष पद्धति निर्धारित है।

ई-10 बी किस्म के इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों में उपभोक्ता "एस० टी० डी० प्रबन्ध" नामक सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसके जरिये वे एक गुप्त कोड तय कर सकते हैं जिसकी मदद से केवल वे ही एस० टी० डी० काल कर सकते हैं। इस प्रकार के मामलों में लाइन को दूसरी ओर मिलना संभव नहीं होगा।

महाभारत का महा वर्णन

4749. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० अरुण द्वारा लिखित समराज पुस्तक में महाभारत का वर्णन भद्दे ढंग से किया गया है, जिसके कारण हिन्दू समाज की छवि खराब हुई है :

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं : और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) पुस्तक की विषय वस्तु पर सरकार विचार कर रही है और विचार करने के बाद उपर्युक्त कार्रवाई की जायेगी।

जबलपुर में दूरसंचार विभाग में नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाना

4750. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में दूरसंचार विभाग में पिछले सात वर्षों से काफी संख्या में कार्य कर रहे नैमित्तिक मजदूरों को मई, 1990 में सेवा से हटा दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का दूरदर्शन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को सात वर्षों से कार्य करने वाले सेवा से हटाये गए मजदूरों को वापस लेने तथा उनकी सेवाओं को नियमित करने हेतु निर्देश जारी करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर शिव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इमाम खुमेनी मेमोरियल ट्रस्ट को विदेशी सहायता

4751. **श्री शुभ भूषण तिवारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर में कारगिल जिले और अन्य स्थानों पर स्थित इमाम खुमेनी मेमोरियल ट्रस्ट को ईरान और अन्य स्त्रोतों से मिलने वाली विदेशी सहायता के बारे में कोई जानकारी है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इमाम खुमेनी ट्रस्ट द्वारा किस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) इमाम खुमेनी मेमोरियल ट्रस्ट, कारगिल न तो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पंजीकृत है, न ही उसके द्वारा किसी विदेशी अभिदाय को प्राप्त करने की सूचना है ।

ट्रस्ट ने हाल ही में कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा व्यक्तियों को तंग किए जाने के बारे में बयान जारी किए हैं ।

औषधीय पौधों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यशाला

[अनुवाद]

4752. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी मिशनों के सलाहकारों ने कर्नाटक में 27 से 30 नवम्बर, 1989 तक औषधीय पौधों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यशाला में क्या-क्या सिफारिशें की गई थीं;

(घ) क्या कार्यशाला में औषधीय पौधों के लिये "जोन पार्क" बनाने का सुझाव भी दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में शिमशा पुल की मरम्मत के लिए केन्द्रीय सहायता

4753. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 140 वर्ष पुराने शिमशा पुल की, जो कर्नाटक के मद्दुर-

मंडपा जिले में सोमनाहल्ली और शिवपुरा को जोड़ता है, मरम्मत हेतु केन्द्रीय सहायता के लिये कोई प्रस्ताव भेजा था,

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि की सहायता का अनुरोध किया गया है, और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक धनराशि प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत 85 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बंगलौर - मैसूर सड़क पर मद्दुर के निकट शीमशा नदी पर एक पुल के लिये एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ग) चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वास्तविक बढ़ोत्तरी नहीं हुई है जिसके प्रति प्रस्ताव मांगा गया था, इसलिये इस पर अनुमोदनार्थ कार्यवाही नहीं की गई है ।

"लिट्टे" द्वारा उनके संघर्ष में भारत के सहयोग के लिए अनुरोध

4754. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिट्टे (एल०टी०टी०ई०) के नेताओं ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह श्रीलंका सेनाओं के विरुद्ध उनके संघर्ष में उन्हें सहयोग दें और उन्हें मान्यता प्रदान करें, जैसा कि उसने फिलिस्तिन मुक्ति संघ (पी० एल० ओ०) और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस (ए० एन० सी०) के मामलों में किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) सरकार ने लिट्टे के नेताओं के इस आशय के कुछ बयान अखबारों में देखे हैं ।

(ख) सरकार यह मानती है कि श्रीलंका की जातिय समस्या का समाधान अन्ततः श्रीलंका की सरकार और वहां के तमिलों को ही ढूंढना होगा । इस संघर्ष में उलझे दोनों पक्षों से सरकार ने यह अनुरोध किया है कि वे लड़ाई तुरन्त बन्द करके बातचीत पुनः शुरू करें । सरकार का यह मानना है कि बातचीत करके राजनैतिक समाधान के माध्यम से श्रीलंका की जातिय समस्या को निपटाया जा सकता है और यह बातचीत तमिलों की वैध मांगों को और उनकी शिकायतों को ध्यान में रखकर एक संयुक्त श्रीलंका की परिधि में होनी चाहिये ।

दिल्ली परिवहन निगम में समायोजन के लिए लंबित पड़े चिकित्सा बिल

4755. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के पास दिल्ली के विभिन्न दवा विक्रेताओं के लाखों रुपये के चिकित्सा बिल लंबे समय से भुगतान हेतु लंबित पड़े हैं,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) इन बिलों का भुगतान करने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) भुगतान रोकने के क्या कारण हैं ?

जल-यूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (घ) चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के बारे में, जो दिल्ली परिवहन निगम में मई, 1984 से जनवरी, 1986 तक लागू थी, कैमिस्टों, डाक्टरों और कर्मचारियों द्वारा उसके बड़ी मात्रा में दुरुपयोग किए जाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। उस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को यह छूट थी कि वे पेनल के डाक्टरों में से अपनी पसंद के डाक्टरों से परामर्श कर सकते हैं और पेनल के केमिस्टों से धनराशि की सीमा के बगैर दवाइयां खरीद सकते हैं। जनवरी, 1986 में इस योजना को बदल दिये जाने के अलावा कर्मचारियों, कैमिस्टों और डाक्टरों द्वारा दिए गये दावों की जांच किये जाने का भी निर्णय लिया गया। जांच पड़ताल और पूछ-ताछ होने तक भुगतान रोक लिये गये थे। केमिस्टों द्वारा दिये गये बिलों की जांच दिल्ली परिवहन निगम की जांच पड़ताल समिति द्वारा अब पूरी कर ली गई है। दिल्ली परिवहन निगम से यह कहा गया है कि वे उन केमिस्टों के स्वीकृत दावों को निबटाए जिनके लाइसेंस वैध हैं और प्रतिष्ठान चल रहे हैं।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को धनराशि का आवंटन

[हिन्दी]

4756. **श्री शंकर मुंजारे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवानी और मांडला जिलों में विभिन्न पंचायतों को, पंचायत-वार, कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : चालू वर्ष (अर्थात् 1990-91) के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवानी और मांडला जिलों को राज्य के अंश सहित आवंटित ससाधन जिसमें इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटित संसाधन शामिल है लेकिन दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत आवंटित संसाधन शामिल नहीं हैं, नीचे दर्शाये गये हैं :—

क्रमांक	जिला	आवंटित संसाधन (लाख रुपये में)
1.	बालाघाट	363.67
2.	सिवानी	451.64
3.	मांडला	659.98

1990-91 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार द्वारा जारी की गई जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार जिलों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल सरकारी गैर-सरकारी लोगों के प्रशिक्षण के लिये 50,000 रुपये की राशि अलग करने के बाद जिले की

ग्राम पंचायतों को कम से कम 80 प्रतिशत निधियां वितरित करनी होंगी। संसाधनों का वितरण करते समय गांव की न्यूनतम जनसंख्या को 1000 और अधिकतम जनसंख्या को 10,000 माना जाना है। मार्गदर्शिकाओं में यह भी अपेक्षा की गई है कि ग्राम पंचायतों को आबंटित किए जाने वाले संसाधनों का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर तथा शेष 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की कुल जनसंख्या के आधार पर आबंटित किया जाना चाहिए।

तथापि, भारत सरकार निधियों के पंचायत-वार आबंटन की निगरानी केन्द्र स्तर पर नहीं करती है।

मछली पकड़ने की लागत

4757. **श्री फूलचन्द वर्मा**
श्री मंजय लाल } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने पर आने वाले खर्च और मछलियों के बिक्री मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान समुद्र से पकड़ी गई मछली पर आया खर्च और उसके बिक्री मूल्य का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार ने मछली पकड़ने पर आने वाली लागत में तथा मछली के बिक्री मूल्य में भी कमी करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका मूल्यांकन करने के लिये कोई पद्धतिबद्ध अध्ययन नहीं किया गया है कि मछली पकड़ने की लागत तथा मछली के बिक्री मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मछली पकड़ने की यांत्रिक नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने की संचालनात्मक लागत को कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 1990-91 में मछली पकड़ने वाली 20 मीटर से कम लम्बी यांत्रिक नौकाओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले डीजल आयल पर शत-प्रतिशत उत्पादन शुल्क की प्रतिपूर्ति देने की मंजूरी दी है।

उदयपुर में नए टेलीफोन कनेक्शन

4758. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उदयपुर में टेलीफोन कनेक्शन के लिये कितने आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं,

(ख) उदयपुर में एक नया इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है, और

(ग) प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अमरेश्वर सिंह) : (क) 1.7.90 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या 8108 है।

(ख) 1993 के अंत तक 5000 लाइनों का नया इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू हो जाने की संभावना है।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान वर्तमान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर निपटाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

पौड़ी गढ़वाल (उ० प्र०) में भू-स्खलन

4759 **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में नीलकंठ महादेव, पौड़ी गढ़वाल में भूस्खलन/आप्लावन के कारण हुई क्षति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विनाश के कारण कितने व्यक्तियों की मौत हुई है; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या राहत उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि 9 जुलाई, 1990 को सांय लगभग 5.00 बजे जिला पौड़ी गढ़वाल की नीलकंठ पहाड़ी पर बादल फटा तथा बिजली गिरी उसके बाद भारी वर्षा हुई। इसके कारण, बड़ी-बड़ी चट्टानें, शिलाखण्ड आदि नीचे गिरे और लगभग 1.2 किलोमीटर क्षेत्र पर फैल गये। राज्य सरकार द्वारा यथा सूचित क्षति इस प्रकार है :—

(1) प्रभावित ग्राम	2
(2) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान	15
(3) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान	1
(4) मृत पशुओं की संख्या : —	
(क) बड़े	165
(ख) छोटे	358
(5) प्रभावित फसल क्षेत्र	7.80 हैक्टेयर
(6) सरकारी सम्पत्ति को हुई क्षति का कुछ अनुमान	68.82 लाख रुपये

(ग) इस विनाश में अब तक कुल 96 व्यक्ति गायब हैं। 21 जीवित व्यक्तियों को खोज लिया गया है तथा 31 व्यक्तियों के शव निकाल लिए गए हैं।

(घ) राज्य सरकार द्वारा बचाव और राहत कार्य तत्काल शुरू किये गये। शिलाखण्डों को तथा अन्य बड़े-बड़े पत्थरों आदि को हटाने तथा शवों को निकालने के लिए सेना की सहायता भी ली गई। स्थिति का जायजा लेने के लिये राज्य के मुख्य मन्त्री और पर्वतीय विकास मंत्री ने इस स्थल का दौरा किया। राज्य सरकार ने इस विपत्ति से प्रभावित लोगों में वितरण के लिए राहत के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत इस जिले के वास्ते 15.60 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है। अब तक, अनुग्रह राहत के तहत 13,000/- रुपये, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए मकान —राजसहायता के अन्तर्गत 19,000/- रुपये व्यक्तियों की मृत्यु पर अनुग्रह राशि के भुगतान के रूप में 55,000/- रुपए तथा पशुओं की मृत्यु होने पर अनुग्रह भुगतान के लिए 43,000/- रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, जिन मृत व्यक्तियों के शव पहचान लिए गए थे उनके निकट सम्बन्धियों को मुख्य मन्त्री के विवेक कोष में से अनुग्रह भुगतान के रूप में 1.65 लाख रुपए की एक धनराशि वितरित की जा चुकी है।

स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन पत्र

4760. **श्री काशीराम राणा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को उन स्वतन्त्रता सेनानियों, जिन्होंने दमन और दीव की स्वतन्त्रता में भाग लिया था, के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं :

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकार किए गए हैं : और

(ग) लम्बित पड़े आवेदन पत्रों का कब तक निपटान कर दिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) दमन और दीव को आजाद करने सम्बन्धी आन्दोलन में भाग लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों से सैनिक सम्मान पेंशन प्राप्त करने के लिए प्राप्त आवेदनों के बारे में गृह मन्त्रालय द्वारा अलग ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि गोवा, दमन और द्वीप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध है। निर्धारित तिथि अर्थात 31.3.1982 तक प्राप्त इस प्रकार के आवेदन पत्रों की संख्या 3257 है।

(ख) 873 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है।

(ग) शेष मामलों में भी अन्तिम निर्णय ले लिया गया है। इन मामलों में पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि जिन व्यक्तियों के दावे स्वीकार नहीं किए गए यदि वे पुनः स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो उनके मामलों की पुनरीक्षा की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

सीमा सुरक्षा बल के लिए विमानों/हेलीकाप्टरों की खरीद

[अनुवाद]

4761. **श्री चांगिकराव होडल्या पवार**
श्री आर० एम० राजेश } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल के लिए कुछ अत्याधुनिक विमान और हल्के हेलीकाप्टर खरीदने का कोई प्रस्ताव है : और

(ख) यदि हां, तो खरीदे जाने वाले उन हेलीकाप्टरों और विमानों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इनकी खरीद पर कितनी धनराशि खर्च होगी तथा ये किन देशों से खरीदे जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सीमा सुरक्षा बल के लिए उपयुक्त वायुयान खरीदने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है और ब्यौरे देना संभव नहीं है।

भारत-पाकिस्तान के युद्ध-बन्दियों की वापसी

[हिन्दी]

4762. **श्री रीतलाल कालीदास वर्मा**
श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में अभी भी कितने भारतीय युद्धबन्दी हैं;

(ख) क्या गत तीन महीनों के दौरान भारत और पाकिस्तान के युद्धबंदियों की वापसी के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में हुई बातचीत के कारण कितने युद्धबन्दी अपने-अपने देश को वापस आए हैं; और

(घ) पाकिस्तान में शेष युद्धबन्दियों की वापसी के लिए आगे क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) ऐसा विश्वास किया जाता है कि लापता 54 भारतीय रक्षा कार्मिक पाकिस्तान की जेलों में हैं।

(ख) से (घ) इन लापता भारतीय रक्षा कार्मिकों का पता लगाने तथा उन्हें देश प्रत्यावर्तित करने के सवाल को पाकिस्तान के साथ कई बार उठाया गया है और जुलाई तथा अगस्त, 1990 में विदेश सचिव स्तर की बातचीत में भी उठाया गया था। पाकिस्तान सरकार का बराबर यही कहना रहा है कि कोई लापता रक्षा कार्मिक उनकी हिरासत में नहीं है। इसके बारे में हम पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं।

पाराथीन और ई० एन० पी० कीटनाशकों पर प्रतिबन्ध लगाना

4763. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाराथीन और ई०एन०पी० कीटनाशकों के प्रयोग से खाद्यान्न जहरीला हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कीटनाशकों के निर्माण और प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) पैराथीन का सही नाम पैराथियान है । वैज्ञानिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल इथाइल पैराथियान नाम को रासायनिक कृमिनाशी दवा के लिए किया जाता है । इसी तरह, ई०एन०पी० का सही नाम ई०पी०एन० है । भारत में आठवें दशक के मध्य में इथाइल पैराथियान का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से बन्द कर दिया गया है जबकि ई०पी०एन० के प्रयोग के लिये पंजीकरण करने से मना कर दिया गया है । इसलिए, भारत के सन्दर्भ में उक्त दोनों कृमिनाशी दवाओं के प्रयोग से अनाओं में विषाक्तता फैलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

डाक कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष

[अनुवाद]

4764. **श्रीमती सुमाषिनी अली** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक कर्मचारियों में भारी आक्रोष और असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की उदारनीतियों के अनुसार कर्मचारियों के प्रति कोई सुधारात्मक/समझौताकारी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) जी नहीं । तथापि नैशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल इम्पलाइज, फेडरेशन ऑफ नैशनल पोस्टल आर्गेनाइजेशनल और भारतीय पोस्टल इम्पलाइज फेडरेशन नामक तीन फेडरेशनों से दिनांक 23.7.1990 को 10 सूत्री मांग पत्र प्राप्त हुआ था । फलतः मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए फेडरेशनों के प्रतिनिधियों के साथ 31.7.1990 को एक विशेष बैठक बुलाई गई थी और पहले से ही की जा रही कार्रवाई की मौजूदा स्थिति से उन्हें उचित रूप से अवगत कराया गया था ।

पंजाब में मारे गए व्यक्ति

[हिन्दी]

4765. **श्री हर्षवर्धन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988, 1989 के दौरान वर्षवार और 1990 में अब तक पंजाब में कितने व्यक्ति मारे गए : और

(ख) आतंकवाद, व्यक्तिगत शत्रुता, तस्करी और डकैती आदि के मामलों में पृथक-पृथक कितने लोग मारे गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार आतंकवादी हिंसा के कारण 1988 में 1949 व्यक्ति, 1989 में 1168 व्यक्ति और 1990 (जुलाई तक) में 1210 व्यक्ति मारे गए। आपसी दुश्मनाई और तस्करी और डकैती की घटनाओं में मारे गए इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या सुलभ नहीं है।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अर्जित लाभ

[अनुवाद]

4766. **श्री हेतराम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है, और

(ख) सरकार द्वारा निगम के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया था।

(ख) राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-3 के अन्तर्गत राष्ट्रीय बीज निगम की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है।

तमिलनाडु में जिला मुख्यालयों में एस०टी०डी० सुविधा

4767. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के सभी जिला मुख्यालयों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन जिला मुख्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी है;

(ग) क्या इन जिला मुख्यालयों, में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो एस०टी०डी सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। तमिलनाडु में 20 जिला मुख्यालयों में से 19 जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ख) साउथ आरकाट (कुड्डालोर स्थित जिला मुख्यालय) में एस०टी०डी० सुविधा अभी प्रदान की जानी है।

(ग) और (घ) कुड्डालोर में इस समय मैनुअल उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एम एस टी डी) सुविधा प्रदान की हुई है।

वर्ष 1991-1992 के दौरान मैनुअल एक्सचेंज को आटोमैटिक एक्सचेंज से बदले जाने पर इस स्थान पर एस टी डी सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है ।

बिहार में नए डाकघर और तारघर खोलना

[हिन्दी]

4768. श्री तेज नारायण सिंह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान, सरकार का बिहार में किन-किन स्थानों पर नए डाकघर और तारघर खोलने का और किन-किन डाकघरों और तारघरों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान, बिहार में किन-किन स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(ग) किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है और किन-किन स्थानों को एस. टी. डी. सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) डाकघर : अब तक मंजूर किए गए डाकघरों के नाम संलग्न विवरण—1 में दिये गये हैं संशोधित मापदण्डों को अंतिम रूप देने के बाद और अधिक डाकघरों की मंजूरी पर विचार किया जाएगा । उन्नत किए जाने वाले डाक घरों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

तारघर : जानकारी विवरण—2 में दी गई है ।

(ख) जब भी विभिन्न स्थानों पर टेलीफोनों की मांग दर्ज होगी तभी नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जायेंगे ।

(ग) मध्यम आकार के उन एक्सचेंजों के नाम विवरण-3 में दिए गए हैं जिन्हें उन्नत करने का प्रस्ताव है इसके अलावा बिहार के विभिन्न स्थानों पर छोटे आकार के लगभग 100 एक्सचेंजों को भी उन्नत करने का प्रस्ताव है । मधेपुरा, साहिबगंज और जहानाबाद में एसटीडी सुविधा पहले ही प्रदान की जा चुकी है ।

इसके अलावा निम्नलिखित स्थानों को एसटीडी से जोड़ने का प्रस्ताव है :—

(i) गुमला

(ii) लोहारदगा

(iii) गोड्डा

(iv) अराड़िया

( ) बरौनी

विवरण—1

बिहार

31-3-1990 को मंजूर किए गए नए शाखा डाकघरों के नाम

क्रम संख्या	डाकघर का नाम
1	2
1.	नवादा
2.	रामपुडांड
3.	श्यामपुर
4.	सिकन्द्रपुर
5.	सोनजलपुर
6.	बखरीडुआ
7.	बारगांव
8.	शेखपुर
9.	बिजतपुर सैदात
10.	बनांटा
11.	अंजुई
12.	पिरौंगखास
13.	रशीदपुर
14.	खजूरी
15.	धर्मगतपुर
16.	दुर्लाछपर
17.	बिरला मटियारी
18.	लंगुनाहा
19.	चखनिया
20.	सातेढ़
21.	लांटम
22.	चनमुख
23.	बलमगढ़िया
24.	डुमरी
25.	अमिरामपुर
26.	गढ़िया विजयपुर
27.	बनैली पट्टी
28.	गोलहिया बरहानपुर
29.	लोचनपुर
30.	लालपुर

1	2
31.	शीहपुर
32.	मनमान
33.	मरवा
34.	सादापुर
35.	टेघड़ी
36.	इकराहा
37.	बसगरहा रामपुर
38.	चिकनीघाट
39.	अकरथीपा
40.	करनकिया
41.	मोहनी
42.	खैरीमाल
43.	बारमास्वा
44.	बिल्लोरी
45.	करहरा
46.	बिछोडाह
47.	छबियारा

विवरण—2

क. बिहार के उन स्थानों के नाम जहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए तारघर खोलने के प्रस्ताव हैं।

1. हुलासगंज	जहांनाबाद जिला
2. तैयबपुर	पूर्निया जिला
3. तरवारा	सिवान जिला
4. कुबरी	हजारी बाग जिला
5. परिहार	सीतामढ़ी जिला

ख. बिहार में चालू वर्ष के दौरान उन्नयन किए जाने वाले तारघरों के नाम

1. चाईबासा
2. मधेपुरा
3. लगड़िया
4. गोड्डा
5. साहिबगंज

1	2

6. डुमका
7. किशनगंज
8. अराड़िया
9. नवादा
10. औरंगाबाद (बिहार)
11. जहानाबाद

विवरण—3

मध्यम आकार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उन्नयन किए जाने वाले एक्सचेंज

1. गोड्डा
2. लोहारदगा
3. गुमला
4. अराड़िया
5. टाटसिलवई
6. बरौनी
7. लक्खीसराय
8. बक्सर
9. बेरमो
10. रामगढ़
11. चक्रधरपुर
12. कलगांव
13. घटसिला
14. निरसा
15. छपरा
16. मुंगेर

कोल्हापुर टेलीफोन जिला/मंडल के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

4769. श्री उदय सिंह राव
नाना साहिब गायकवाड़ } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1990 तक कोल्हापुर टेलीफोन जिले/मंडल के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदक पंजीकृत थे;

(ख) उपरोक्त टेलीफोन जिले/मंडल में टेलीफोन कनेक्शन बड़ी संख्या में कब जारी किए गए थे; और

(ग) विभाग द्वारा प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को विशेषकर उन्हें जिन्हें पंजीकरण कराए दो वर्ष से ऊपर हो गए हैं; टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) कोल्हापुर जिले में 31-7-90 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों की स्थिति निम्नानुसार है :—

ओ वाई टी	516
विशेष	604
सामान्य	7967
कुल	9087

(ख) पिछली बार जारी की गयी बड़ी संख्या इस प्रकार थी।

इछलकरंजी—2/90 में 950 कनेक्शन
जयसिंहपुर—2/90 में 67 कनेक्शन
कोल्हापुर—11/89 में 780 कनेक्शन
5/90 में 100 कनेक्शन
शिरोली एम आई डी सी—2/90 में 80 कनेक्शन

(ग) आठवीं योजना का मसौदा इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है कि (आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक) 5000 से कम लाइनों की क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंज में मांग होने पर टेलीफोन प्रदान किए जा सकें और 5000 और उससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंज के प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष तक ही रखा जाए। इस उद्देश्य से आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर रूप से निपटाने के लिए विस्तार योजनाएं बनाई जा रही हैं।

वर्ष 1990-91 के दौरान इछलकरंजी में 1000 लाइनों का विस्तार करना और छोटे आकर वाले 23 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को चालू करना शामिल है। इनके जरिए इछलकरंजी और कुछ उन ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा किया जाएगा जो दो वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में यह सुविधा आठवीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर रूप से प्रदान की जाएगी।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

4770. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और दी गई ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के केन्द्रीय निधियों के आबंटन और रिलीज को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय संसाधनों का आबंटन/रिलीज

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटित निधियां	रिलीज की गई निधियां (21-8-90 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15332.96	7666.48
2.	अरूणाचल प्रदेश	264.54	132.27
3.	असम	4091.67	2045.84
4.	बिहार	30773.42	15386 71
5.	गोवा	285.82	142.91
6.	गुजरात	6472.57	3236.29
7.	हरियाणा	1541.46	385.36
8.	हिमाचल प्रदेश	908.22	454.11
9.	जम्मू और कश्मीर	1289.21	644.61
10.	कर्नाटक	9647.76	4823.88
11.	केरल	5116.95	2558.48
12.	मध्य प्रदेश	21122.00	10561.00
13.	महाराष्ट्र	16339.87	8169.94
14.	मणिपुर	339.06	84.77
15.	मेलालय	396.73	99.18
16.	मिजोरम	167.12	83.56
17.	नागालैंड	425.26	106.32
18.	उड़ीसा	10475.94	5237.97
19.	पंजाब	1340.52	670.26
20.	राजस्थान	10244.22	5122.11
21.	सिक्किम	154.83	77.42
22.	तमिलनाडु	13778.93	13778.93
23.	त्रिपुरा	440.39	220.20
24.	उत्तर प्रदेश	40874.62	20437.31

1	2	3	4
25.	पश्चिम बंगाल	17429.55	8714.78
26	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	156.56	78.28
27.	चण्डीगढ़	38·81	19.41
28.	दादर व नगर हवेली	84.99	42.50
29.	दिल्ली	184.18	92.09
30.	दमन व द्वीप	50.07	25.04
31.	लक्षद्वीप	78.49	39.25
32.	पांडिचेरी	153.25	76.73
	अखिल भारत	210000.00	111213.83

उत्तर प्रदेश में औरीमोर और इलाहाबाद के बीच सड़क का निर्माण

[हिन्दी]

4771. **श्री सूबेदार प्रसाद सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में औरीमोर अनवारा से बरास्ता धरवाल (मिर्जापुर) इलाहाबाद तक एक सड़क बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना कब प्रारम्भ होगी; और

(ग) क्या सोन नदी पर रेड-विजुल नामक स्थान पर एक पुल का निर्माण कार्य भी इस परियोजना में शामिल है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) बढ़ी हुई केन्द्रीय सड़क निधि के तहत, सोन नदी पर पुल के निर्माण के साथ-साथ ओरावाल से जोवाहल तक की सड़क के निर्माण का एक प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। चूंकि निधि में अभी तक वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है इसलिए प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गई है और यह बता पाना कि यह परियोजना कब शुरू होगी अभी संभव नहीं है।

केरल में नारियल की खेती को प्रोत्साहन

[अनुवाद]

4772. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नारियल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई;

(घ) चालू वर्ष के लिए कितनी राशि आबंटित की गई और कितनी दी गई; और

(ङ) राज्य में नारियल की खेती को प्रोत्साहन देने में ये योजनाएं किस हद तक सहायक सिद्ध हुई हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) कृषि मन्त्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड केरल में नारियल की खेती के संवर्धन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है :

(1) क्षेत्र के विस्तार हेतु परियोजना

(2) गुणवत्ता वाली पौध रोपण सामग्री का उत्पादन एवं संवितरण

(3) केरल में उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नारियल की छोटी जोतों में समेकित खेती

(4) नारियल उत्पादकों को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए परियोजना।

(ग) गत तीन वर्षों, अर्थात् 1987-88 से 1989-90 के दौरान इन योजनाओं के तहत केरल को 110.4 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी।

(घ) इन योजनाओं के तहत 1990-91 हेतु केरल के लिए 30 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। तिमाही के दौरान धनराशि निर्मुक्त नहीं की जा सकी।

(ङ) इन योजनाओं से केरल में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए संकर किस्मों के क्षेत्र में विस्तार करने में मदद मिली है। 1985-86 में उत्पादन क्षेत्र 7.05 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 1988-89 में 8.65 लाख हेक्टेयर हो गया था तथा इसी अवधि के दौरान नारियल की गिरियां 3377 मिलियन से बढ़कर 3841 मिलियन गिरियां हो गई थीं।

बिहार के पुरुलिया और अररिया जिलों में डाकघर और टेलीफोन की सुविधाएं

[हिन्दी]

4773. **श्री तसलीमउद्दिन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पुरुलिया और अररिया जिलों के गांवों में डाकघरों और टेलीफोन सेवाओं की सुविधा देने का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ है;

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में इन गांवों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने की विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :

(क) डाकघर

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन सेवाएं

बिहार के पुरला और अरारिया जिलों के विभिन्न गांवों में रेडियो मीडिया के द्वारा टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अप्रैल, 1990 से लम्बित पड़ा हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने और उपस्कर उपलब्ध होने पर इन जिलों के गांवों में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिशें की जा रही है।

पश्चिमी तट क्षेत्रों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

4774. **श्री सी० डी० गामित** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम क्षेत्रीय विकास परिषद ने पश्चिम तट के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का आशय पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद द्वारा अपनी बैठक में उठाई गई, लखपत (गुजरात में) से आरम्भ होकर सतारा (महाराष्ट्र में) पर समाप्त होने वाले लगभग 2526 कि० मी० लम्बे पश्चिमी तटीय राजमार्ग को रा० रा० ग्रिड में शामिल किए जाने संबंधी मांग से है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा, पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा आठवीं योजना जिसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, में इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध परिव्यय पर निर्भर करेगी। तथापि विगत में केन्द्र सरकार ने, इस राजमार्ग के साथ-साथ चुनिन्दा खण्डों के सुधार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत गुजरात सरकार को लगभग 810.31 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच

[अनुवाद]

4775. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की दिल्ली पुलिस तथा अन्य कानून लागू करने वाले एजेंसियों द्वारा सुरक्षा जांच न होने की बात सरकार के ध्यान में लाई गई है : और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) आने वाले सभी यात्रियों की जांच से मुसाफिरों को बड़ी परेशानी होती है। तथापि संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा की जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों का कार्य-निष्पादन

4776. **श्री बबनराव ढाकणे**
श्री सी० डी० गजमित } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने पिछले अनेक वर्षों से लगातार असंतोष-जनक कार्य-निष्पादन दर्शा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक एकक द्वारा वर्ष-वार कितना उत्पादन किया गया और उन्हें कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उन्हें वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों में से केवल फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया (एफ. सी. आई.) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एच एफ. सी.) असंतोषजनक निष्पादन दर्शा रही हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों के उत्पादन और हानियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	1987-88		1988-89		1989-90	
	उत्पादन (000 मी टन एन)	हानि (रु./ करोड़)	उत्पादन (000 मी टन एन)	हानि (रु./ करोड़)	उत्पादन (000 टन एन)	हानि (रु./ करोड़)
एफ.सी.आई.	358.4 (–)	42.66	310.2 (–)	191.24	303.7 (–)	164.80 (अनंतिम)
एच.एफ.सी.	289.2 (–)	104.84	240.2 (–)	156.38	227 4 (–)	169·14 (अनंतिम)

घटिया निष्पादन के मुख्य कारण हैं—पावर की कमी के कारण कम क्षमता उपयोगिता, डिजाइन में कमियां, पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी उपस्कर खराबियां, कम कार्य की प्रकृति, फालतू जनशक्ति और एफ.सी.आई. के रामागुण्डम और तालचर संयंत्रों में पहली बार कोयले पर आधारित प्रौद्योगिक का अपनाया जाना।

(ग) उर्वरक संयंत्रों की लाभप्रदता में सुधार लाने की दृष्टि से पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण कैप्टिव पावर संयंत्र स्थापित करना आदि कुछ योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

लाल सिर वाली सुंडियां

4777. **श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में चिकमगलूर, चित्रादुर्गा और शिमोगा जिलों के कुछ भागों में लाल सिर वाली सुंडियों (रैड हैडिड कैटरपिलर्स) ने फसल को तबाह कर दिया है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उपर्युक्त क्षेत्र को कीटग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का तथा इस आपदा पर अंकुश लगाने हेतु तुरन्त उपाय करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं, कर्नाटक के जिलों में लाल सिर सुंडियों की घटना केवल सूरजमुखी, मूंगफली, ज्वार, रागी तथा दलहन फसलों में चिकमंगलूर के 3743 हैक्टेयर, शिमोगा के 98 हैक्टेयर तथा चित्रादुर्गा के 80 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में घटित हुई है। कीट की घटना 20% से 30% के मध्य परिवर्ती रही जिसे कि जन्तु बाधा की सामान्य तीव्रता से अल्प विचारित किया गया।

(ख) और (ग) जी, नहीं। यद्यपि कर्नाटक की राज्य सरकार ने कीट पर अंकुश लगाने हेतु नियंत्रण उपाय पहले से ही प्रारम्भ कर दिए हैं।

परिवहन श्रमिकों के लिए एक समान मजदूरी नीति

[हिन्दी]

4778. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश भर के परिवहन श्रमिकों के लिए एक समान मजदूरी नीति लागू करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) इस समय, देश में सभी परिवहन कर्मचारियों के लिए एक समान मजदूरी नीति हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रत्येक राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां जिनके आधार पर मजदूरी निर्धारित की जाती है भिन्न-भिन्न होती है और परिवहन श्रमिकों के लिए एक समान मजदूरी नीति नहीं हो सकती।

पत्तनों में भीड़ भाड़

4779. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन बड़े पत्तनों में भीड़-भाड़ की समस्या है, और

(ख) उन पत्तनों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

जल-सूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) कांडला और विशाखापत्तनम को छोड़कर अन्य सभी पत्तन भीड़-भाड़ से मुक्त हैं।

(ख) दिन-प्रतिदिन की प्रचालन सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए, कार्यरत जहाजों की बारीकी से देख-रेख, पत्तन प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करना, जहाज की अग्रिम आयोजना, आदि जैसे कुछेक अल्पकालिक उपाय और नई बर्थों और रेलवे सुविधाओं के सृजन, कांडला में मिडस्ट्रीम डिस्चार्ज के लिए सुविधा के सृजन और पुराने उपस्करों को बदलने, आदि जैसे दीर्घावधि उपाय किए गए हैं।

महाराष्ट्र में मुर्गी-पालन

[अनुवाद]

4780. **डा० दौलतराव सोमूजी अहेर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने महाराष्ट्र में सहकारी-मुर्गी पालन परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने महाराष्ट्र स्थित सहकारी कुक्कुट पालन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की मंजूरी करना बन्द नहीं किया है। योजना को अनुभव तथा समीक्षा के आधार पर संशोधित किया गया है और नए माडल विकसित किए गए हैं। महाराष्ट्र सहित उन सभी समितियों, जिनके प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्राप्त हुए थे, को सलाह दी गई है कि वे प्रस्तावों के नए माडलों के अनुरूप, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के विचार हेतु पुनः प्रस्तुत करें।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

4781. **श्री० महादेव : शिवनकर**
श्री अशोक अनान्दराव देशमुख } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 30 जून, 1990 तक विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जिला-वार और एक्सचेंज-वार कितने लोगों के नाम टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में थे;

(ख) इन कनेक्शनों को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और

(ग) प्रतीक्षा सूची में सभी आवेदनों को निपटाने के लिये टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की रही है और इसे सभा पटल रख दिया जाएगा ।

पंजाब सरकार के सरकारी उपक्रमों में चेयरमैन के रिक्त पद

[अनुवाद]

4782. **श्री कृपाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार के कितने सरकारी उपक्रमों मे चेयरमैन के कितने पद रिक्त हैं :

(ख) ये पद कब से रिक्त हैं :

(ग) चेयरमैनों की नियुक्ति/नामांकन के मानदण्ड क्या हैं : और

(घ) इन पदों को कब तक भरा जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) इस संबंध मे पंजाब सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पंजाब में गोदामों का निर्माण

4783. **श्री कमल चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब को ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वहां पर कितने गोदामों का निर्माण किया जाएगा;

(ग) क्या ऐसे गोदामों का निर्माण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन गोदामों को किस प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है अथवा लाया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु पंजाब की राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को पैरोल पर छोड़ना

4784. **डा० ए० के० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में जुलाई-दिसम्बर, 1989 और जनवरी-जून, 1990 के दौरान अलग-अलग कितने आतंकवादियों को पैरोल पर छोड़ा गया;

(ख) क्या ऐसे मामलों मे एक निश्चित अवधि के पश्चात प्राधिकारियों के पास हाजिरी देने की कानूनी अपेक्षा को पूरा किया जा रहा है :

(ग) यदि नहीं, तो कितने मामलों में पैरोल पर छोड़े गये व्यक्तियों ने हाजिरी नहीं दी : और

(घ) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) 1989 और 1990 (जून, 1990 तक) के दौरान क्रमश: 68 और 5 व्यक्ति पैरोल पर रिहा किये गये। राज्य सरकार ने व्यक्तिगत मामलों के बारे में ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये हैं। तथापि उन्हें सलाह दी गई है कि चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाय।

बोकारो इस्पात शहर-रामगढ़ कैंट के बीच पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत

[हिन्दी]

4785. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या जल-भूतल पहिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात शहर से रामगढ़ कैंट के बीच पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 23 और 31 की हालत बहुत खराब है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कब शुरू होगा और कब तक पूरा होना तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) चास (बोकारो स्टील सिटी)—रामगढ़ छावनी खण्ड जो रा० रा० 23 का एक भाग है, सामान्य तौर पर यातायात योग्य स्थिति में रहा है। बिहार में रा० 23 सहित, राष्ट्रीय रामार्गों के लिए अब तक जारी किए गए 8-65 करोड़ रु० के रख-रखाव अनुदान में से, मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुए कुछ खण्डों पर तात्कालिक मरम्मत शुरू की गई है। तात्कालिक किस्म के सभी मरम्मत कार्य, चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व पूरे कर लिए जाएंगे। चूंकि मानसून अभी समाप्त नहीं हुआ है और मरम्मत कार्य अभी जारी है इसलिए इस पर होने वाले व्यय के बारे में अभी से कुछ बता पाना सम्भव नहीं है।

सौलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी में सरकारी सम्पत्ति का कथित दुर्विनियोग

[अनुवाद]

4786. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी, दिल्ली में सरकारी सम्पत्ति के कथित दुर्विनियोग के मामले का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में जांच की वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) सार्वजनिक सम्पत्ति के दुर्विनियोग और गैर उपभोज्य भण्डार को उपभोज्य पदार्थों के रूप में निस्तारण करने के संबंध में एक शिकायत की गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई मामले की जांच अपने अन्तिम चरण में है।

टेलीफोन सेवा का विस्तार

[हिन्दी]

4787. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने जिले हैं जहां 3000 से कम टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ख) क्या ऐसे जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन जिलों में टेलीफोन सेवाओं के विस्तार के लिये कोई वृहत कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी फील्ड यूनिटों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आठवीं योजना के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रौद्योगिकी

[अनुवाद]

4788. **श्री कैलाश मेघवाल**
श्रीमती वासव राजेश्वरी
श्री परसराम भारद्वाज } : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान देश में नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अपनी योजना के सफल कार्यान्वियन हेतु अपनाई जाने वाले प्रौद्योगिकी के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में वर्ष-वार, क्या चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बड़े मध्यम और छोटे आकार के एक्सचेंजों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। इनमें से मुख्य प्रौद्योगिकियां हैं, ई-10 बी, सी-डाट और आई एलटी (आई टी आई विकसित प्रौद्योगिकी)। जहां तक मध्यम तथा छोटे आकार के एक्सचेंजों का सम्बन्ध है, 8 वीं योजना अवधि के दौरान नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग की प्रस्तावित योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की दृष्टि से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर देश में इसकी पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। बड़ी क्षमता वाले एक्सचेंजों के मामले में,

ई-10 बी, प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादन पहले ही पूर्ण संस्थापित है। यह आशा की जाती है कि बड़े एक्सचेंजों के लिए सी डाट प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादन 8 वीं योजना अवधि के दौरान शुरू होगा।

विज्ञान भवन में आग

4789. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आग लगने की एक और घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विज्ञान भवन में बार-बार आग लगने को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) दिनांक 8-8-1990 को विज्ञान भवन के दूसरे तल पर आयोग कक्ष—एच० में आग लगने की एक मामूली घटना हुई थी। बताया गया है कि आग बेल्डिंग की चिंगारी से लगी थी। आग को दिल्ली अग्नि शमन सेवा द्वारा तुरन्त बुझा दिया गया था।

(ग) और (घ) विज्ञान भवन में दिनांक 16-4-90 को लगी जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को दिनांक 25-7-90 को प्रस्तुत कर दी है। विज्ञान भवन में आग की घटना की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए की गई सिफारिशों को लागू करने के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से विचार किया जायेगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एर्नाकुलम-कन्या कुमारी के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा

4790. **श्री एन० डेनिस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम से कन्या कुमारी तक अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) एर्नाकुलम से कन्या कुमारी तक अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, वेस्ट कोस्ट कैनाल को जिसमें कोचीन (एर्नाकुलम) से त्रिवेन्द्रम के बीच का खण्ड शामिल है, राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है। इस खण्ड पर तथा कोचीन—कोट्टापुरम और कोट्टापुरम बाड़ागारा के बीच के खण्डों पर भी व्यवहार्यता अध्ययन, जिसमें जलीय सर्वेक्षण तथा तकनीकी—आर्थिक अध्ययन शामिल हैं, शुरू किया गया है। बाड़ागारा—केन्सरगोडा के शेष खण्ड पर अध्ययन कार्य प्रगति पर है।

पुरानी ए० बी० एम० कैनाल को पुनः चालू करने तथा इसे त्रिवेन्द्रम जिले में कोवालम के साथ जोड़ने के लिए कन्या कुमारी जिले से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह मामला तमिलनाडु सरकार को भेज दिया गया है।

खाड़ी देशों से भारतीयों की निकासी

4791. श्री जी० एस० वासवराज
श्री गुलाब चन्द कटारिया
श्री छेदी पासवान
श्री प्रकाश कोको बहुमट्ट } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से बड़ी संख्या में भारतीयों की निकासी हुई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुवैत, इराक, सऊदी अरब और ईरान से कुल कितने भारतीय स्वदेश आये हैं; और

(ग) इन देशों में कितने भारतीय अभी भी हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह : (क) जी हां। खाड़ी के हाल के संकट के बाद से कुछ भारतीय राष्ट्रिकों को इराक और कुवैत से प्रत्यावर्तित करना पड़ा था। यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

(ख) 2 अगस्त से 2 सितम्बर, 1990 तक इराक और कुवैत से आमान होकर हवाई जहाज द्वारा 13,357 भारतीयों को प्रत्यावर्तित किया जा चुका था। सऊदी अरब और इरान में रहने वाले भारतीयों को बड़े पैमाने पर प्रत्यावर्तित नहीं किया गया था।

संकट शुरू होने से 30 अगस्त, 1990 तक 1369 भारतीयों को इराक और कुवैत से रियाद होकर हवाई जहाज द्वारा लाया गया था।

(ग) 2 अगस्त, 1990 से पहले इन देशों में भारतीयों की संख्या इस प्रकार थी :

कुवैत	1,72,000
इराक	9,000
सऊदी अरब	4,25,000
ईरान	कोई निश्चित अनुमान नहीं है।

"लिट्टे" के विरुद्ध कार्रवाही करने के लिए "दक्षेस" के सदस्य देशों का समर्थन

4792. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के दौरे पर आए श्रीलंका के संसदीय शिष्टमण्डल ने "दक्षेस" के सदस्य देशों से "लिट्टे" के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए समर्थन देने की मांग की है;

(ख) क्या "दक्षेस" के निर्धारित मानदण्डों में इस प्रकार का समर्थन देने की अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं का रिआयती डी० टी० सी० बस पास

[हिन्दी]

4793. श्री राम सिंह शाक्य
डा० बंगाली सिंह } : क्या अल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं को डी०टी०सी० रिआयती पास सुविधा केवल दो वर्ष के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जबकि उनकी प्रशिक्षण अवधि तीन-चार वर्ष तक होती है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें उनकी पूरी प्रशिक्षण अवधि के लिए रिआयती पास जारी करने का विचार है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं । दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को, दिल्ली परिवहन निगम (निःशुल्क तथा रिआयती पास) विनियम, 1985 के अन्तर्गत उनके पूरे सत्र के लिये रिआयती पास सुविधा प्रदान की गई है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

"फ्रीज" टेलीफोन एक्सचेंज क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शनों के स्थानान्तरण के बारे में मानदंड

[अनुवाद]

4794. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में "फ्रीज" टेलीफोन एक्सचेंज क्षेत्र में नये टेलीफोन कनेक्शनों को मंजूर करने/पुराने कनेक्शनों के स्थानान्तरण के बारे में क्या मानदंड है;

(ख) क्या ऐसे क्षेत्रों में डाक्टर, उच्च सरकारी अधिकारी जैसे कुछ विशेष वर्गों के मामले में कोई प्राथमिकता प्रदान की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) लक्ष्मी नगर (पूर्वी दिल्ली) टेलीफोन एक्सचेंज में डाक्टरों के टेलीफोन स्थानान्तरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत बांगला देश सीमा पर पशुओं की तस्करी

4795. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1990 के "स्टेट्समैन" में "हाऊ ल्यूक्रेटिव इज केटल स्मगलिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि बंगलादेश को प्रतिवर्ष अनुमानतः कितनी संख्या में पशुओं की तस्करी करके ले जाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पशु धन की हो रही कमी को रोकने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान। सरकार को समाचार की जानकारी है।

(ख) पकड़े गए जानवरों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सीमा पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और भारत-बंगला देश सीमा पर जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। सीमा चौकियां और निगरानी बुर्ज स्थापित किये गये हैं। सीमा सुरक्षा बल को नावों और संचार यंत्रों सहित बेना फ्लसं और नाइट विजन डिवाइज, पेट्रोल वाहन जैसे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।

विवरण

सीमा सुरक्षा बलों द्वारा भारत बंगलादेश सीमा पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए उन जानवरों की संख्या का राज्य-वार विवरण निम्न प्रकार से है जिन्हें तस्करी करके बंगलादेश ले जाया जा रहा था :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम जहां से उनकी तस्करी की गई	1988	1989	1990 जुलाई तक
1	2	3	4	5
1.	द० बंगाल	5951	12853	6140
	उ० बंगाल	805	1724	2715
2.	असम	459	965	625
3.	मेघालय	84	30	6
4.	त्रिपुरा	578	335	332
	जोड़	7877	15907	9818

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

4796. **श्री नकुल नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों की गुणवत्ता पर कोई नियन्त्रण है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत बने अधिकांश मकान या तो अधूरे हैं या ढहने वाले हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतिश कुमार) : (क) और (ख) इन्दिरा आवास योजना को 1985-86 के दौरान भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम की एक उप-योजना के रूप में शुरू किया गया था तथा 1.4.1989 से इसे जवाहर रोजगार योजना के शुरू होने के पश्चात जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना के रूप में जारी रखा गया है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं के तहत यह परिकल्पना की गई थी कि कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले कार्य टिकाऊ स्वरूप के होने चाहिए तथा उचित तकनीकी मानकों तथा विशिष्टताओं की कसौटी पर खरे उतरने चाहिये। यह भी परिकल्पना की गई थी कि राज्य सरकार सामान्य रूप से राज्य में कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये तकनीकी/विशेषज्ञ संगठनों की सलाह से न्यूनतम मानक तथा विशिष्टताएं करेगी। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि कार्यान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र में किये गये निर्माण-कार्य ऐसे कार्यों के लिये निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं के अनुकूल हैं। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत भी इस बात पर जोर दिया गया है कि कार्यक्रम के तहत किये जाने वाले निर्माण-कार्य टिकाऊ स्वरूप के होने चाहिये तथा उपयुक्त तकनीकी मानकों और विशिष्टताओं के अनुरूप होने चाहिये।

कार्यक्रम (इन्दिरा आवास योजना सहित) के कार्यान्वयन, निगरानी तथा देख-रेख की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों की है।

इसके अलावा, राज्य मुख्यालयों में इन कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारी भी नियमित रूप से जिले का दौरा करते हैं और फील्ड दौरों की मार्फत यह मालूम करते हैं कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन संतोषजनक ढंग से हो रहा है और यह कि निर्माण-कार्यों का निष्पादन निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में डाक घर की सुविधा से वंचित गांव

4797. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अभी भी ऐसे कितने गांव हैं जहां डाकघर नहीं हैं; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) विभाग की नीति प्रत्येक गाँव के लिये नहीं, बल्कि ग्रामों के एक समूह के लिये डाकघर खोलने की है। तथापि, जिन ग्रामों में कोई डाकघर नहीं है उनमें शाखा पोस्टमास्टर/वितरण एजेंट/ग्राम डाकिया आदि डाक के वितरण/मनी-आर्डरों के भुगतान के लिये जाते हैं। वे बिक्री के लिये डाक-टिकटें और स्टेशनरी भी साथ ले जाते हैं। इन कर्मचारियों को पंजीकृत वस्तुए बुक करने तथा प्रेषण के लिये अन्य पत्र एकत्र करने के लिये भी प्राधिकृत किया गया है। ऐसे अनेक ग्रामों में लैटर-बक्सों की भी व्यवस्था की गई है।

बिहार के 56,947 ग्रामों में डाकघर नहीं है।

(ख) प्रत्येक वार्षिक योजना के अन्तर्गत नए डाकघर खोले जाते हैं। मार्च, 1990 में बिहार में 47 डाकघर खोलने की मंजूरी प्रदान की गई।

रेलवे मेल "इन्सोर्ड पार्सलों" की चोरी

4798. **श्री के मुरलीधरण** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केरल में शोरानूर रेलवे मेल सर्विस से आने वाले इन्सोर्ड पार्सलों की लगातार चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इससे सरकार को कितना घाटा हुआ है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) शोरानूर रेल डाक सेवा कार्यालय में आने वाले बीमाकृत पार्सलों की चोरी का कोई मामला ध्यान मे नहीं आया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात आर्डर का न मिल पाना

4799. **श्री बसंत साठे**
श्री प्रकाश कोको बख्शमहू } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अगस्त, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस में "सी-डॉट बोसिस डालर 5 बी डील ड्यू टु गवर्नमेंट एपैथि" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणी के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सोवियत रूस दूरसंचार विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने अक्तूबर और दिसम्बर, 1988 में भारत का दौरा किया था और उन्होंने सी-डॉट के साथ विचार विमर्श किया तथा दिल्ली और बेंगलूर स्थित सी-डॉट प्रयोगशालाओं का दौरा भी किया। हालांकि रूस ने सी-डॉट प्रौद्योगिकी

और उत्पादों में अपनी रुचि दिखाई लेकिन प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिये सी-डॉट और सोवियत रूस के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं कराए गये और न ही कोई निर्यात आदेश दिया गया। इसलिये घाटे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बटाईदारों का रिकार्ड रखना

4800. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बटाईदारी के अंतर्गत आने वाली कुल भूमि के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं और कुल कृषि योग्य भूमि की तुलना में इसकी प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सभी राज्यों में बटाईदारी के रिकार्ड रखने की व्यवस्था समान है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे रिकार्ड रखने के परिणामस्वरूप बटाईदारों को प्राप्त होने वाले लाभों का ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का राज्य सरकारों को बटाईदारों के रिकार्ड रखने के लिये एक समान व्यवस्था अपनाने का निर्देश देने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में डाक/तार और टेलीफोन सुविधाएं

[हिन्दी]

4801. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में ठेकमा, मुहम्मदपुर, रानी की सराय और लालगंज तथा मऊ जनपद में दोहरीघाट, घोसी, मधुबन, मर्यादपुर, सिपाह और कोपागंज में डाक/तार/टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कोई योजना तैयार की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख)

डाक सुविधाएं

आजमगढ़ जिले के ठेकमे, मुहम्मदपुर, रानी की सराय और लालगंज तथा मऊ जिले के दोहरीघाट, घोसी, मरयादपुर और कायमगंज में डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मदखुवन और सिपाह के सम्बन्ध में जानकारी का पता लगाया जा रहा है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तार/टेलीफोन सुविधाएं

आजमगढ़ और महोउ जिले के इन सभी स्थानों पर तार और टेलीफोन सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं।

भारत बांगला देश सीमा पर तस्करी किए जा रहे पशुओं को रोका जाना

[अनुवाद]

4802. **डा० गुलाम याजदानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत बंगलादेश सीमा से अधिक से अधिक कितनी दूरी तक तस्करी किये जा रहे पशुओं को रोका जा सकता है;

(ख) क्या लघु मामलों में सीमा सुरक्षा बल द्वारा रानीगंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र में इस सीमा से बाहर गायें पकड़ी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बल द्वारा निर्धारित क्षेत्र सीमा का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल का परिचालन अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 कि० मी० की दूरी तक बढ़ाया गया ।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान् । सीमा सुरक्षा बल द्वारा रानीगंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र में इस सीमा से बाहर गायों को पकड़ने अथवा जबरदस्ती भगाकर ले जाने का ऐसा कोई मामला केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं आया है । सीमा सुरक्षा बल ने अपने परिचालन अधिकार क्षेत्र की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है ।

भूमि के घोटाले की जांच

[हिन्दी]

4803. **श्री हरीश पाल**
श्री शिवशरण वर्मा } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अगस्त, 1990 के "जनसत्ता" में बालाजी इन्टरप्राइजिज पर ठगी के आरोप की जांच" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक जांच पूरी कर ली गई है;

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) और (घ) जांच पड़ताल के दौरान मैसर्स बालाजी एन्टरप्राइजिज के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध नहीं बना ।

मध्य प्रदेश में मांडला और दिनदोरी के बीच सीधी डायलिंग टेलीफोन सुविधा

4804. **श्री मोहन लाल झिकराम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांडला (मध्य प्रदेश) मुख्यालय और दिनदोरी (तहसील केन्द्र) के बीच सीधी डायलिंग टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) मांडला से जबलपुर निवास होकर दिनदोरी तक लाइन लाने के क्या कारण हैं, और

(घ) इन दो स्थानों के बीच कब तक सीधी डायलिंग टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

(ग) दिनदोरी के लिये मुख्य ट्रंक एक्सचेंज जबलपुर में है इसलिए जबलपुर से आये के सर्किटों को इस तरह से बनाना होगा ताकि वे बरास्ता जबलपुर जाएं।

(घ) 8वीं योजना के दौरान, बशर्ते कि दिनदोरी मैनुअल एक्सचेंज को आटोमेटिक बना दिया जाए तथा स्थायी संचारण माध्यम उपलब्ध हो।

दालों का उत्पादन

[अनुवाद]

4805. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान दालों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की दालों का आयात किया गया और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की दालों का आयात किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) 1989-90 के लिये दलहनों का उत्पादन के अन्तिम अनुमान कुछ राज्यों से अभी प्राप्त होने हैं। तथापि, वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार दलहनों का उत्पादन 1989-90 के 14.75 मिलियन मीटरी टन के लक्षित स्तर की तुलना में लगभग 12.7 मिलियन मीटरी टन होने की आशा है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित दलहन की कुल मात्रा और मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आयातित मात्रा (हजार मीटरी टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1987-88	586.80	274.88
1988-89	826.54	383.50
1989-90	429.06	227.86

दिल्ली में सम्पत्ति कर सम्बन्धी उच्च अधिकार प्राप्त समिति

[हिन्दी]

4806. **श्री शिवशरण वर्मा**
श्री जे० पी० अग्रवाल
श्री हरीश पाल } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सम्पत्ति कर ढांचे को युक्ति-संगत बनाने के लिये गठित की गई सम्पत्ति कर सम्बन्धी उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस समिति ने अब और अधिक समय की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो यह समिति सर्वप्रथम कब गठित हुई थी और इसकी अवधि क्या थी;

(ङ) इससे पहले इस समिति की अवधि कितनी बार बढ़ाई गई; और

(च) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। मामले से सम्बन्धित विषय जटिल और पेचीदा प्रकृति का होने के कारण देरी हुई जिस पर विस्तृत और गहराई से अध्ययन करना अपेक्षित है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) 5.5.1989 को एक उच्च अधिकार समिति गठित की गई जिसका कार्यकाल 30.9 1989 तक था। इसकी अवधि 31.3.1990 तक बढ़ाई गई। तथापि, 14.2.1990 को समिति का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित समिति का कार्यकाल मूलत: 30.6.1990 तक था, परन्तु उसे बाद में 31.8.90 तक बढ़ाया गया। इसकी अवधि को 30.11.1990 तक और आगे बढ़ाने की मांग की गई है।

(च) रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

पासपोर्टों के प्रारूप में परिवर्तन

4807. **डा० बंगाली सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट के पुराने प्रारूप को बदल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 16 अगस्त, 1990 से।

आंध्र प्रदेश के साथ माइक्रोवेव सम्पर्क

[अनुवाद]

4808 **श्री बाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट-एक डी के सफलतापूर्वक छोड़े जाने के पश्चात् कुछ राज्यों को माइक्रोवेव सुविधा से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश को भी इन्सैट-एक डी के माध्यम से इस माइक्रोवेव सम्पर्क सुविधा से जोड़ने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो आंध्र प्रदेश को इस उपग्रह से माइक्रोवेव सम्पर्क सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सूक्ष्मतरंग लिंक की व्यवस्था करना इन्सैट-1 डी के सफल पूर्वक छोड़े जाने पर निर्भर नहीं करता। सूक्ष्मतरंग और इन्सैट-एक डी प्रत्येक एक दूसरे से स्वतन्त्र लिंक हैं।

(ख) भाग (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आंध्र प्रदेश को सूक्ष्मतरंग और उपग्रह दोनों से पहले ही जोड़ा जा चुका है।

(घ) भाग (ग) में दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

न्हावा-शेवा पत्तन पर बोरों को उतारने और उन्हें भरने हेतु स्वचालित मशीन

4809. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० एन० पी० पर सामान उतारने और उसे सम्भालने (बैगिंग) हेतु एक स्वचालित मशीन स्थापित की गई है तथा इस मशीन से जूट बोरों को भरे जाने (बैगिंग) का काम नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप श्रम-प्रवण जूट उद्योग पर असर पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जवाहर लाल नेहरु पत्तन पर लगाई गई, बोरे भरने की (बैगिंग) स्वचालित मशीन विशिष्ट किस्म के पटसन के बोरे हैंडल कर सकती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज में 197, 198 और 199 नम्बरों पर सेवाएं

4810. **श्री प्यारे लाल हान्डू** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंजों में "197", 198 और 199 नम्बरों पर सेवाएं अति असंतोषजनक रहती हैं और प्रयोक्ताओं को काफी समय तक भी इनकी सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार हैं;

(घ) क्या सरकार का राजधानी के प्रत्येक एक्सचेंज में किसी अधिकारी को इस कार्य हेतु नामित करने और उसके आवास और कार्यालय के टेलीफोन नम्बरों को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि आवश्यक सहायता के लिए उनसे सम्पर्क किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रों की संख्या में वृद्धि और दोष मरम्मत सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण जैसे कुछ उपाय करने के प्रस्ताव है; जिससे इन सेवाओं में और सुधार होगा ।

(घ) और (ङ) सम्बन्धित अधिकारियों के नाम, पदनाम, घर और कार्यालय के टेलीफोन नम्बर दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी में छपे हुए हैं । इसलिए, इनको स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उपभोक्ताओं के पास टेलीफोन डायरेक्टरियां उपलब्ध होती है ।

गुजरात में अधिक राशि के टेलीफोन बिल भेजे जाने के बारे में शिकायतें

4811. **श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात में सर्किलवार, अधिक राशि के टेलीफोन बिल भेजे जाने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ऐसी शिकायतों के निराकरण के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) शिकायतों के शीघ्र निराकरण के लिए गुजरात में कितनी टेलीफोन अदालतें लगाई गई ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) गुजरात राज्य में केवल एक दूरसंचार सर्किल है और पिछले दो वर्षों के दौरान टेलीफोन के अधिक बिल बनाने के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या इस प्रकार है—

1988-89	19,298
1989-90	14,993

(ख) ऐसी शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) शिकायतों को जल्दी दूर करने के लिए गुजरात में आठ टेलीफोन अदालतें लगायी गयी हैं।

विवरण

अधिक राशि के बिल बनाये जाने सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम

1. उपर्युक्त किस्म की सभी शिकायतों की पहले दूरसंचार बिला इन्जीनियरों द्वारा लिपिकीय भूलों की दृष्टि से जांच की जाती है तथा तदुपरांत आंतरिक तथा बाहरी उपस्कर में तकनीकी दोषों की दृष्टि से।

2. जिन उपभोक्ता के बिलों में रिकार्ड की गई कालों की प्रतिशत पिछली किन्हीं छः द्विमासिक अवधियों के दौरान मीटर हुई कालों की अधिकतम संख्या की तुलना में 100% से अधिक दिखाया गया हो तो, यदि उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किया गया हो तो, ऐसे उपभोक्ताओं को तुरन्त राहत देने की दृष्टि से उनके बिल को विभक्त कर दिया जाता है और उपभोक्ता को कथित 6 बिलिंग अवधियों के औसत जमा उसके 10% का तत्काल भुगतान करने के लिए कहा जाता है। जांच होने तक शेष धन राशि को आस्थगित रखा जाता है।

3. कुछ मामलों, में, टेलीफोन को पर्यवेक्षणाधीन भी रखा जाता है ताकि मीटर करने वाले उपस्कर के कार्यकरण की जांच की जा सके तथा उपभोक्ता के कालिंग पैटर्न का पता लगाया जा सके।

4. उपभोक्ता के परिसर में मीटरिंग उपस्कर के कार्यकरण के बारे में तथा विशेष अवसर पर विस्तृत जांच की जाती है और रिपोर्ट उस प्राधिकारी को भेजी जाती है जो छूट मंजूर करने के लिए सक्षम हो।

5. अधिक राशि के बिल बनाये जाने सम्बन्धी सभी शिकायतों के मामलों पर निर्णय पहले दूरसंचार इन्जीनियरों द्वारा लिया जाता है और यदि उस निर्णय से उपभोक्ता संतुष्ट न

हो तो उस स्थिति में वह निदेशक, दूरसंचार/मुख्य महाप्रबन्धक/महानिदेशक दूरसंचार की अपील कर सकता है जो गुणावगुण के आधार पर मामले की पुनरीक्षा करते हैं और अपना निर्णय देते हैं।

गढ़वाल क्षेत्र के जिलों में डाकघर और उप-डाकघर खोलना

4812. **श्री सी० एम० लेगी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र के जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और जिले-वार खोले गये उप-डाकघरों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वहां के निवासियों की मांगों को पूरा करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान वहां खोले जाने वाले नये डाकघरों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कालीकट बाइ पास

4813. **श्री पी०ए० एन्टनी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट में एक बाइ-पास के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसके प्रथम चरण के निर्माण कार्य का प्रस्ताव और द्वितीय चरण हेतु भूमि अधिग्रहण आकलन सम्बन्धी प्रस्ताव लम्बित पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर कब तक मंजूरी दे दिये जाने की सम्भावना है और वास्तविक कार्य कब तक शुरू होगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : भू-अधिग्रहण लागत सहित लगभग 38.0 करोड़ रु० की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर 231 कि० मी० से 28 कि० मी० लम्बे कालीकट बाई पास के लिए एक प्रस्ताव है।

(ख) से (ग) यह प्रस्ताव अक्तूबर, 1982 से लम्बित है। लेकिन इस वर्ष के शुरू में यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को चार चरणों में शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। वार्षिक योजना 1990-91 में, चरण-I के लिए 8.3 करोड़ रु० का प्रावधान है। चरण III एवं IV के लिए भू-अधिग्रहण के 2.85 करोड़ रु० के प्राक्कलन को फरवरी, 1990 में स्वीकृति दी गई थी। मार्च, 1990 में चरण-1 के लिए सर्वेक्षण तथा जांच प्राक्कलनों को स्वीकृति दी गई। चरण-2 के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्राक्कलनों पर कार्यवाही की जा रही है। चरण-I के निर्माण-प्राक्कलन पर भी, जो हाल ही में प्राप्त हुआ है, कार्यवाही की जारी है। चूंकि ठेकेदारों की पूर्ण योग्यता तथा निविदाओं को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होता है इसलिए इस परियोजना के शुरू होने की सही तारीख/समय सीमा अथवा समय-सूची के बारे में बता पाना मुश्किल है। तथापि, प्राधिकारियों से कार्यवाही को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

गुजरात के शहरों में एस० टी० डी० सुविधा

4814. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कौन-कौन से शहर एस० टी० डी० सुविधा से जुड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का राज्य के कुछ और शहरों में एस० टी० डी० सुविधा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यह सुविधा इन्हें किन-किन तिथियों तक शुरू कर दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) गुजरात राज्य के 5 नगर एस० टी० डी० सुविधा से जुड़े हुए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित 13 अतिरिक्त केन्द्रों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है : —

अंकलेश्वर, बावला, बोकल, छतराल, डूंगरी हिमत नगर, कोडिनार, नान्देसिरी, ओखा, पोलेज, पानोली, पालिथाना और राजुला।

एक मुश्त अदा किये गये मोटर वाहन कर की वापसी

4815. **श्री जे० पी० अग्रवाल** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाहन के एक राज्य से दूसरे राज्य में अन्तरित किये जाने की स्थिति में लोगों को उनके द्वारा एक मुश्त जमा किये गये मोटर वाहन कर को वापस पाने में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या इस प्रकार के करों की परिवहन निदेशालय द्वारा वापसी हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई मार्गनिर्देश जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) अनुपातिक वापस अदायगी का प्रश्न (1) वाहन के स्थाई रूप से राज्य से वाहन स्थान्तरित होने, (2) वाहन की स्क्रैपिंग अथवा इसके पंजीकरण के निरस्त होने के कारण वाहन के स्थाई रूप से प्रयोग न होने अथवा (3) वाहन के अस्थाई तौर पर प्रयोग न होने के मामलों में उठता है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को, अपने-अपने मोटर वाहन कराधान अधिनियमों में वापस अदायगी सम्बन्धी खण्ड

(क्लासिस) तथा वापस अदायगी की कार्यविधि का प्रावधान करने के लिये मार्गनिर्देश जारी कर दिए गये हैं। सुझाये गये वापस अदायगी सम्बन्धी खण्ड इस प्रकार है :—

(1) जिन मामलों में किसी मोटर वाहन के लिए उम्र भर के कर का भुगतान कर दिया गया है और उस वाहन का इस्तेमाल एक निश्चित अवधि के लिए जो एक माह से कम न हो, किसी सार्वजनिक सड़क पर लगातार प्रयोग नहीं किया गया है तो समय-समय पर अधिसूचित दर पर अनुपातिक वापस अदायगी की जाएगी जो ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी जो ऐसी अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट की जाएं।

2. यदि किसी मोटर वाहन का उम्र भर के लिए कर का भुगतान कर दिया गया हो और किसी कारणवश, चाहे वह कुछ भी हो, वाहन का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया हो अथवा स्वामित्व के हस्तान्तरण अथवा पते में परिवर्तन के कारण वाहन को राज्य के वाहन किसी स्थान पर ले जाया गया हो तो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर निर्धारित अवधि में आवेदन करने पर कर की वापसी की जाएगी जो ऐसी अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होंगी।

यदि स्वामित्व के हस्तान्तरण अथवा पते में परिवर्तन के कारण वाहन को राज्य के बाहर किसी स्थान पर ले जाया जाता है तो कर वापस करने पर स्वामित्व के हस्तान्तरण अथवा पते में परिवर्तन हो जाने का सबूत प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा।

इसके अलावा यह भी शर्त है कि जहां कराधान अधिनियम के अन्तर्गत लगाए जाने वाले कर की दरों को अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संशोधित किया जाता है, वहां राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, समय-समय पर उसी अधिसूचना द्वारा अथवा एक अलग अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में उसी तरह से अधिनियम के अन्तर्गत वापस अदायगी की दर को संशोधित कर सकते हैं और तदनुसार, वापस अदायगी की ऐसी दरों के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रविष्टियां शामिल कर सकते हैं और ऐसी अधिसूचना की तारीख को अथवा उसके बाद पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में कर की वापस अदायगी ऐसी संशोधित दरों पर होगी।"

(ख) से (घ) परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें, वापस अदायगी प्राप्त करने के मामले में अपुविधा की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, वापस अदायगी के मामलों को जल्द निबटाने के लिये राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को लिखा जा रहा है।

कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में संचार केन्द्र

4816. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राव वाडियर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय में एक संचार केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) क्या ऐसे संचार केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रत्येक संस्थान में भी स्थापित किये जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में संचार केन्द्रों की स्थापना करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन संचार केन्द्रों के मुख्य कार्य क्या होंगे ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) नहीं।

(ग) "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास" नामक योजना के अन्तर्गत सरकार ने उन राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को जिन्होंने केन्द्रीय सहायता के लिए उच्च प्राथमिकता प्राप्त मद के रूप में संचार केन्द्र की स्थापना को शामिल किया है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

(घ) संचार केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके वैज्ञानिकों से किसानों तक सूचना पहुंचाने के काम में तेजी लाना है।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन डिवीजन के लिए भूमि का अधिग्रहण

4817. **श्री पी० सी० थामस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) कोचीन डिविजन के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(ख) इस भूमि के मालिकों के साथ क्या शर्तें स्वीकार की गई हैं;

(ग) वहां से अनुसूचित जातियों के कितने परिवारों को बेदखल किया गया;

(घ) उनमें से कितने परिवारों को दूसरी जगह भूमि दी गई;

(ङ) अनुसूचित जातियों के कितने परिवारों को "फैक्ट" में रोजगार दिया गया; और

(च) क्या सरकार अनुसूचित जातियों के उन शेष परिवारों को रोजगार देगी जिन्हें उक्त प्रयोजनार्थ बेदखल किया गया था किन्तु अभी तक "फैक्ट" में उन्हें रोजगार नहीं दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1966 से 1968 की अवधि के दौरान भूमि का अधिग्रहण किया गया था। भूमि के मालिकों के साथ कोई विशिष्ट शर्तें अथवा करार नहीं किये गये थे।

(ग) 983 परिवारों में से, जो कि बेदखल किये गये थे, 203 परिवार अनुसूचित जाति से सम्बद्ध रखते थे।

(घ) सभी बेदखलियों को वैकल्पिक भूमि दी गयी थी।

(ङ) अब तक 85 अनुसूचित जाति के बेदखली व्यक्तियों को फैक्ट में रोजगार दिया गया है।

(च) जी नहीं।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत महाराष्ट्र को धनराशि

4818. **श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ग्रामीण जनता के आर्थिक विकास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये धन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उसमें से अब तक कितनी धनराशि इन योजनाओं पर व्यय की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) महाराष्ट्र राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों की कोई कमी सूचित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,894.536 लाख रुपये और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 20,424.87 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। जून 1990 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 576.23 लाख रुपये और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 849.60 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

उड़ीसा में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना

4819. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की एक शाखा स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का बागवानी के विकास हेतु उड़ीसा को कोई विशेष अनुदान देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) भारत सरकार उड़ीसा में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का कोई शाखा कार्यालय स्थापित करने

का कोई विचार नहीं है। तथापि, उड़ीसा स्थित भुवनेश्वर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का एक मण्डी आसूचना केन्द्र स्थापित किया गया है, जो कि अप्रैल, 1990 से कार्य कर रहा है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार राज्य में बागवानी विकास की अनेक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को सहायता दे रही है। केन्द्र सरकार के पास राज्य में बागवानी विकास के लिए उड़ीसा को कोई विशेष अनुदान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

किसानों को राजसहायता

[हिन्दी]

4820. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ट्रैक्टरों, बीजों, उर्वरकों और पम्पसेटों आदि की खरीद के लिये किसानों को राजसहायता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) सरकार विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-मक्का, कदन्न और गेहूं तथा चावल विकास के समेकित कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे और सीमांत किसानों को बीज पर राजसहायता उपलब्ध करा रही है। पहले से ही रिआयती दरों पर उर्वरकों की सप्लाई की जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पम्पसेटों विद्युत और डीजल के पम्पसेटों को लगाने सहित उथले नलकूपों/खुदे हुए कुओं के निर्माण के लिए राजसहायता उपलब्ध करायी जा रही है। 4-8 एकड़ भूमि रखने वाले किसानों में छोटे अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रिआयतें देने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

राजस्थान में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायतों को धनराशि देना

4821. **श्री नन्दलाल मीणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन जिलों के क्या नाम हैं जहां जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के दौरान पंचायतों को धनराशि दी गई थी और प्रत्येक जिले को कितनी धनराशि दी गई थी;

(ख) क्या इसे जांचने के लिये कि दी गई धनराशि को उचित रूप से व्यय किया गया है, कोई निगरानी की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) बांसवाड़ा, जूनगढ़पुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में उन पंचायतों के क्या नाम हैं, जहां धनराशि के दुरुपयोग का पता चला है;

(ङ) यदि ऐसी घटनाओं की कोई जांच नहीं कराई गई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वह अवधि कब कराने का विचार किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) इन्दिरा आवास योजना के लिए निर्धारित निधियों को अलग करने के बाद जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जिलों को प्राप्त निधियों के 80% अंश को ग्राम पंचायतों में 1000 से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 1000 और 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 10,000 मानने के आधार पर जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायतों में बांटा जाना था। 1989-90 के दौरान योजना के अन्तर्गत राजस्थान में जिला-वार आवटित संसाधन संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) और (ग) कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन, निगरानी और सर्वेक्षण का उत्तरदायित्व अनिवार्य तौर पर सम्बन्धित राज्य/संघ शासित सरकारों का है। कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिकाओं में जांच अनुसूची तैयार करने और उसका अनुमोदन राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है। सभी स्तरों पर राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्धारित अनुसूचियों का पालन करना होता है जैसा कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, यह कार्यक्रम की निगरानी आवधिक रिपोर्टों/विवरणियों जिनकी अवधि मासिक, तिमाही और वार्षिक है, की मार्फत निगरानी करती है।

1989-90 के दौरान राजस्थान में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये खर्च के अनन्तिम आंकड़े 10648.94 लाख रुपए थे और रोजगार सृजन के अनन्तिम आंकड़े 443.77 लाख श्रम दिन थे जबकि लक्ष्य 439.21 लाख श्रम दिनों का था। इस प्रकार रोजगार सृजन के सम्बन्ध में उपलब्धि 101.04 प्रतिशत है।

(घ) और (ङ) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में उन्होंने किन्हीं विशिष्ट जांच की आवश्यकता महसूस नहीं की और इसलिए मार्गदर्शिकाओं और राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित जांच अनुसूची में कार्यक्रम के कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए किए गए प्रावधानों के अलावा और कुछ नहीं किया गया।

(च) केन्द्रीय मार्गदर्शिकाओं में कार्यक्रम के कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण का काम सन्तोजनक रूप से सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच बिन्दुओं और संतुलनों का प्रावधान है। इस प्रकार जांच कार्यक्रम का अभिन्न अंग है तथापि, यदि जवाहर रोजगार योजना निधियों के दुरुपयोग के विशिष्ट मामले भारत सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं तो उनकी जांच करने के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राजस्थान में 1989-90 के दौरान आवंटित जिलावार संसाधन

क्र० सं०	जिला	राज्य अंश सहित आवंटित संसाधन (लाख रु० में)
1	2	3
1.	गंगानगर	588.78
2.	बीकानेर	404.89

1 2	3
3. चुरू	676.05
4. झुनझुनूं	834.18
5. अलवर	374.96
6. भरतपुर	255.51
7. सवाई माधोपुर	49 .10
8. जयपुर	638.28
9. सीकर	259.40
10. अजमेर	232·73
11. टोंक	226.93
12. जैसलमेर	268.34
13. जोधपुर	846.90
14. नागौर	1120.85
15. पाली	825.12
16. बाडमेर	776.30
17. जालौर	305.92
18. सिरोही	218.40
19. भीलवाड़ा	291.78
20. उदयपुर	748.76
21. चित्तौड़गढ़	326.84
22. डूंगरपुर	351.15
23. बांसवाड़ा	185.32
24. बूंदी	500.15
25. कोटा	478.57
26. झालवाड़	255.87
27. धौलपुर	109.16
योग :	12594.24

असम में उल्फा की गतिविधियां

[अनुवाद]

4822. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के "उल्फा" उग्रवादियों ने असम में प्रत्येक चाय बागान से 5-5 लाख रुपए मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चाय बागान के मालिक यह मामला सरकार की जानकारी में लाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके जान-माल की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) चाय व्यापार और उद्योग द्वारा सरकार के ध्यान में उल्फा (यू० एल० एफ० ए०) की गतिविधियों को लाया गया है जिसमें चाय कम्पनियों से धन ऐंठने की बात शामिल हैं। तथापि, असम सरकार के अनुसार चाय उद्योग के किसी व्यक्ति ने उल्फा द्वारा ऐसी मांग किए जाने की कोई सूचना असम सरकार को नहीं दी है और पुलिस में भी कोई शिकायतें दर्ज नहीं की गई है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उल्फा विरोधी उपायों में उल्फा उग्रवादियों को गिरफ्तार करना, हथियारों को जब्त करना, उनके छिपने के स्थानों पर छापे मारना और चाय बागान प्रबन्धकों के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश देना शामिल है।

कुवैत से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए व्यय की गई धनराशि

[हिन्दी]

4823. **श्री छेदी पासवान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुवैत पर आक्रमण के बाद खाड़ी-देशों से भारतीय मूल के लोगों को स्वदेश लाने के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) चूंकि खाड़ी के देशों से भारतीय मूल के लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया अभी चल ही रही है, अतः सरकार द्वारा खर्च की गई कुल राशि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रत्यावर्तियों के रोजगार तथा पुनर्वास के लिए अन्य उपाय राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक होंगे।

कोचीन शिपयार्ड में जलपोतों का निर्माण

[अनुवाद]

4824. **डा० सुधीर राय** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड की स्थापित क्षमता, प्रतिवर्ष दो जलपोतों के निर्माण की है, जबकि वहां मात्र पांच जलपोतों के निर्माण में पन्द्रह वर्ष का समय लग गया; और

(ख) यदि हां, तो इस शिपयार्ड के धीमे विकास के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) शिपयार्ड को संस्थापित क्षमता इसके उत्पादन शुरू करने के वर्ष अर्थात् 1976-77 से निम्नलिखित रही है :—

		(डी डब्ल्यू टी)
1976-77		18750
1977-78		26250
1978-79		32625
1979-80		42000
1980-81		70000
1981-82		77000
1982-83		90000
1983-84		92000
1984-85		1,05,000
1985-86		1,20,000
1986-87	और आगे	1,50,000

तथापि, 11 वर्षों की अवधि में 10 जहाजों का निर्माण करके 75000 डी डब्ल्यू टी प्रत्येक की संस्थापित क्षमता वाले दो जहाजों का लक्ष्य उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाना था।

यार्ड ने 1976 में उत्पादन शुरू करने की तारीख से 5 जहाज डिलीवर करने में 13 वर्ष लगाए ।

(ख) कमी के कारण ये थे :—

(1) जहाज निर्माण सुविधाएं 1979 के अन्त में जाकर पूरी हुई ।

(2) पूर्ण क्षमता का लक्ष्य 10 वें जहाज से और उत्पादन शुरू होने के 11 वें वर्ष में प्राप्त किए जाने की योजना थी । 5 जहाजों के बाद जहाजों की पहली श्रृंखला रुक गई थी ।

(3) कच्चे माल और उपस्करों की समय पर और योजनाबद्ध ढंग से अनुपलब्धता

(4) लगभग आधे वर्ष तक बारिशों के साथ-साथ खराब मौसम का बना रहना ।

(5) काम की गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त आर्डरों का अभाव और फलस्वरूप उत्पादन शून्यता ।

(6) पांचवें जहाज के बाद जहाज की किस्म में परिवर्तन जिसके फलस्वरूप तेल टैंकरों के निर्माण के लिए नए कौशल और प्रौद्योगिकी को अपनाना पड़ा जिससे अधिगम वक्र (लर्निंग क) और उत्पादकता पर प्रभाव पड़ा ।

(7) उत्पादकता के योजनाबद्ध स्तरों को प्राप्त न कर पाना ।

(8) सब-कन्ट्रैक्टिंग का विरोध ।

(9) उपलब्ध अनुषंगी सामग्री और मूल-भूत सुविधाओं का स्तर नीचा होना।

इन्द्रावती नदी पर उपरि पुल

[हिन्दी]

4825 **श्री मानकू राम सोड़ी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगदलपुर-निजामाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर भोपालापट्नम के समीप इन्द्रावती नदी पर एक उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता है;

(ख) इस पुल के कब तक बनाए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस पुल पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) इन्द्रावती नदी पर पुल, आन्ध्र प्रदेश में निजामाबाद तथा मध्य प्रदेश में जगदलपुर को जोड़ने वाली सड़क पर पड़ता है जिसे 1989 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 16 के रूप में घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की एकीकृत योजना बनाने के लिए सभी कमियों की, जिसमें पुलों की कमियां भी शामिल हैं, जांच करनी पड़ती है। इसलिए इस पुल के निर्माण कार्यक्रम तथा इसकी अनुमानित लागत के बारे में अभी से नहीं बताया जा सकता।

पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों का अपहरण

[अनुवाद]

4826. **श्री जगपाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवादी संगठनों द्वारा अपहरण किये गये सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें मुक्त कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) आतंकवादियों की इस प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर पुल का पुनर्निर्माण और चौड़ा करना

[हिन्दी]

4827. **डा० सुभाष परशराम बोरचे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के नागपुर—रायपुर सेक्शन पर नागपुर और भंडारा के बीच मंदा के समीप कन्हन नदी के ऊपर निर्मित पुल बहुत पुराना और सकरा है जिसके कारण प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान दुर्घटनाएं होती हैं और यातायात ठप्प हो जाता है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस पुल के पुनर्निर्माण और चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने तथा पूरा होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कन्हन नदी पर दो लेन वाले पुल के निर्माण का प्रस्ताव 1990-91 की वार्षिक योजना में शामिल है । राज्य सरकार द्वारा निश्चित लागत का प्राक्कलन अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि यह कार्य कब शुरू किया जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा ।

आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों को सहायता

4828. **श्री के० एस० राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मई, 1990 के दौरान आंध्र प्रदेश के समुद्री—तूफान ग्रस्त जिलों में तूफान से मारे गये व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाया है, और प्रत्येक मामले में वायदे के अनुसार, 25,000 रुपये का भुगतान अनुग्रह राशि के तौर पर किया है,

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को यह राशि दी गई है और इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि मई; 1990 के समुद्री तूफान में 928 व्यक्ति मरे। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को मृत्यु के प्रत्येक मामले में 25,000 रुपए (इण्डियन पीपुल्स नेचुरल कैलामिटीज ट्रस्ट (आई० पी० एन० सी० टी०) द्वारा दी जाने वाली सहायता में से प्रत्येक को 15,000 रुपए और प्रधान मन्त्री राहत कोष से 10,000 रुपये) की दर से मरने वाले के निकटतम सम्बन्धी को अनुग्रह-राशि की अदायगी करने के लिये सहमत हो गई है । इस प्रयोजन के लिए अब तक इंडियन पीपुल्स नुचुरल कैलामिटीज ट्रस्ट से 78 लाख रुपये की राशि और प्रधान मन्त्री राहत कोष से 2 करोड़ रुपये की राशि नियुक्त की गई है । ट्रस्ट को शेष राशि की अदायगी राज्य सरकार द्वारा दी गई अदायगी के ब्यौरे की रसीद और लाभानुभोगियों की पहचान के आधार पर की जाएगी ।

विदेशों में भारतीय दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग

4929. **श्री अशोक आनन्द देशमुख** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय दूतावासों में हिन्दी के प्रयोग के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ख) सरकार विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ पत्र-व्यवहार किस भाषा में करती है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों को समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं कि वे राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करें। विदेश स्थित राजदूतावासों/कौंसलावासों को हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध कराए गए हैं तथा कई मिशनों में हिन्दी का ज्ञान रखने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किये गये हैं। इसके अलावा, विदेश स्थित भारत का राजदूतावास, काठमांडु में एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के अलावा 6 भारतीय मिशनों में (फिजी में मिशन हाल ही में बन्द कर दिया गया है) हिन्दी अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। विदेश स्थित कई भारतीय राजदूतावासों तथा कौंसलावासों में मुफ्त हिन्दी कक्षाएं भी चलाई जाती हैं।

(ख) अंग्रेजी और हिन्दी।

तमिल उग्रवादियों से हथियारों का जब्त किया जाना

[हिन्दी]

4830. **श्री अतिन्दर पाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1987 से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान भारत में तमिल उग्रवादियों से कुल कितने तथा रुपए में कुल कितने मूल्य के हथियार जब्त किए गए;

(ख) ये किन-किन देशों के बने हुए हैं ;

(ग) जब्त किये गये हथियारों का ब्यौरा क्या है तथा इसकी संख्या कितनी है और इन पर लगे मिशनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अवैध रूप से हथियार रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान क्या कार्यवाही की गई है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जून, 1987 से जून, 1990 के दौरान भारत में तमिल उग्रवादियों से बरामद किये गये हथियारों की कुल संख्या और रुपयों में उनकी कीमत।

वर्ष 1987 से 1990 तक बरामद किये गये हथियारों के ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

एके 47 रायफलें	104
एके 47 गोलियां	58,574
9एमएम पिस्तोल	78
9एमएम गोलियां	1328
एके०-47 मैगजीन	196
लाइट मशीनगन	41
एलएमजी राउंड	4,916
एलएमजी मैगजीन	14
रिवाल्वर	20
सेल्फ लोडिंग राईफल	3

एसएनआर राउंड	14,556
रोकेट मोर्टार लाउंचर गन	1
रोकेट/शोल्ज या मोर्टार	190
हथगोले	21

कीमत : 5 करोड़ रुपये से अधिक

(ख) निर्माता देशों के नाम ।

नाम और निर्माता देश के नाम उपलब्ध नहीं है ।

(ग) बरामद किये गये हथियारों की संख्या और इन पर निशान ।

एके 47 रायफल	104
एके 47 राउंड	58,574
एके 47 मैगजीन	196
लाइट मशीनगन	41
एलएमजी राउंड	4916
एलएमजी मैगजीन	14
9एमएम पिस्तोल	78
9एमएम राउंड	1,328
रिवाल्वर	20
सेल्फ लोडिंग राईफल	3
एसएनआर राउंड	14,556
रोकेट/लाउंचर गन	1
रोकेट/शोल्ज या मोर्टार	190
हथगोले	21

25.7.90 को सेथुबवाचथोरम, तंजावुर जिले में एलटीटीई के डर से बरामद की गई दो 9एमएम पिस्तोल जिन पर निम्नलिखित निशान और नाम अंकित हैं के अलावा बरामद किये गये किसी भी शस्त्र पर निर्माता देश का नाम नहीं है ।

(1) 9एमएम पिस्तोल	बोडी नं० 103476 माडल 75 मेड-इन चेकोस्लोवाकिया
(2) 9एमएम पिस्तोल	स्टार बेक्वेरिया ईबार स्पेन एम 4 के लीबर बोडी नं० 1661693

(घ) अवैध रूप से हथियार रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई तथा उसके परिणाम ।

1987 के दौरान 5 मामले दर्ज किये गये। 3 मामलों में टीईएलओ से संबंधित श्रीलंका तमिल उग्रवादी थे और जिन्हें गिरफ्तार नहीं किये जा सका। एक मामले में दो पीएलओटीई केडर अंतर्ग्रस्त थे. उन पर मुकदमा चलाया गया और दोषी करार किया गया। एक मामले में ईपीडीपी से सम्बन्धित 5 श्रीलंका तमिल उग्रवादी अंतर्ग्रस्त थे। मामला विचारण के लिए लंबित है।

1988 में 16 मामले दर्ज किए गए। 10 मामलों में शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किए गए और कोई गिरफ्तार नहीं की गई। श्रीलंका तमिलों के विरुद्ध दो मामले विचारण के लिए लंबित हैं, 4 मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

1989 के दौरान 5 मामले दर्ज किए गए। दो मामलों में कुछ स्थानीय व्यक्ति अंतर्ग्रस्त थे और शेष 3 मामलों में श्रीलंका तमिल अन्तर्ग्रस्त थे। सभी 5 मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

चालू वर्ष के दौरान 12 मामले दर्ज किए गए। 5 मामलों में श्रीलंका तमिल उग्रवादी अन्तर्ग्रस्त थे। 7 मामलों में राज्य ने शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किया। जिन मामलों में श्रीलंकाई अंतर्ग्रस्त थे, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है।

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

4831. **श्री रवि नारायण पाणि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सम्बलपुर, जिला ढेंकनाल, उड़ीसा के निवासियों से टेलीफोन एक्सचेंज के विकास और उड़ीसा में नए टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दूरसंचार विभाग को उड़ीसा के संभलपुर और धेनकनाल जिले के निवासियों से, विकास एवं नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के बारे में प्राप्त किसी अभ्यावेदन की जानकारी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथापि इस वित्तीय वर्ष के दौरान पल्लाहरा (जिला धेनकाल) और कुचिंडा (जिला संभलपुर) में एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलने के लिए सरकार की योजना है।

अफगानिस्तान के विदेश मन्त्री का दौरा

4832. **श्री आर० एन० राकेश**
श्री माधव राव सिंधिया
श्री माणिकराव होडल्या गावीत } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान के विदेश मन्त्री ने जून, 1990 में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ पारस्परिक, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हितों के मामलों पर हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(ग) उक्त दौरे के दौरान जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए उनका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) अफगानिस्तान के विदेश मन्त्री ने भारत-अफगान संयुक्त आयोग की नवीं बैठक के सिलसिले में 12 और 13 जून, 1990 को भारत की यात्रा की थी। इस बैठक के समापन पर 13 जून, 1990 को एक व्यापक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें कृषि से लेकर पण्य सहायता और दूर संचार तक के क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है इस प्रोटोकाल में मानचित्र विज्ञान, दूरसंचार, पर्यटन, मौसम विज्ञान तथा जल, विद्युत जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्पना की गई है। जो समझौते हुए हैं उनमें दूसरी बातों के अलावा द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करना और दवाइयों तथा चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई के लिए भारत के वार्षिक अनुदान को दुगुना करना, एक औद्योगिक बस्ती तथा कास्टक सोडा संयंत्र की स्थापना के लिए संभावित अध्ययन, भारत में अफगानी तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि तथा 35 भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को अफगानिस्तान में प्रतिनियुक्ति पर भेजना शामिल है।

आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार-विमर्श हुआ। दोनों पक्षों के बीच बातचीत आपसी समझबूझ के साथ हुई और दोनों के विचारों में समानता थी।

बिहार में एस०टी०डी० सुविधा

[हिन्दी]

4833. **श्री जनार्दन यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार में कितने और किन-किन शहरों में एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध करायी गयी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : उपस्कर उपलब्ध होने पर एस.टी डी. सुविधा प्रदान किए जाने वाले शहरों की सं० 16 है। इनके नाम इस प्रकार हैं :—

गोदा, गुमला, जहानाबाद (चालू किए गए) अरेरिया, लोहारदागा, मधुपुरा (चालू किए गए) साहेबगंज, पाकुर, निरसा, चक्रधरपुर, तातिसलवाई, मेसरा, धारशिला पिरसुधी कहल गांव लखी सराय।

श्रीलंका द्वारा पाकिस्तान से मांगी गई सैन्य सहायता

[अनुवाद]

4834. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका अपनी जातीय समस्याओं का सैनिक हल ढूंढने के लिए पाकिस्तान से सैन्य सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि श्रीलंका की सरकार मौजूदा संघर्ष में विदेशों की सरकारों से हथियार ले रही है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है।

(ख) सरकार ने विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप की ओर से जिसका भारत की सुरक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, अपनी चिंता से श्रीलंका की सरकार को अवगत करा दिया है।

सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में भवनों के लिए भुगतान किया गया किराया

[हिन्दी]

4835. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान उनके मन्त्रालय में हिमाचल प्रदेश में निजी भवन के मालिकों को डाकघर, तार-घर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए उनके भवनों को पट्टे पर लेने हेतु कितनी धनराशि किराये के रूप में भुगतान की गई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :

(दूरसंचार)

(I) जुलाई, 1989 से जून, 1990 तक टेलीफोनों एक्सचेंजों के लिए अदा किया गया किराया 13,27,064/- रुपए है।

(II) जुलाई, 1989 से जून, 1990 तक तारघरों के किराये के रूप में 1,20,480/- अदा किए गए।

(डाक)

डाक विभाग ने निजी मालिकों को वर्ष 1989-90 के दौरान किराए के रूप में कुल रु० 13,29,697/- (तेरह लाख उनन्तीस हजार छः सौ सन्तानवे रुपए) अदा किए हैं।

बांगलादेश को "तीन बीघा कारिडर का पट्टा" देने के बारे में समझौता लागू किया जाना

[अनुवाद]

4836. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश को तीन बीघा कोरिडर के स्थाई तौर पर पट्टे पर दिए जाने के सम्बन्ध में भारत और बंगला देश के बीच वर्ष 1974 और 1982 में हुए समझौतों को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रक्रिया आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरि किशोर सिंह) (क) और (ख) जी हां। तीन बीघा मामले में 3.5.90 को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ परा-

मर्श करके इन समझौतों को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं जिसमें भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी शामिल है ।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को हुआ लाभ

[हिन्दी]

4837. **डा लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को अब तक कितना लाभ हुआ है

(ख) लाभ की राशि का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा,

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाए गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) महानगर टेलीफोन निगम द्वारा (कर पश्चात) अर्जित निवल लाभ का ब्यौरा नीचे दिया है :—

(करोड़ रुपयों में)

1986-87	136.52
1987-88	131.23
1988-89	252.18
1989-90	201.64 (प्रत्याशित)

(ख) म० टे० नि० लि० द्वारा अर्जित लाभ का उपयोग लाभांश का भुगतान करने, विशेष आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट आरक्षित निधि का सृजन करने और पूंजीगत निवेश के लिए आंतरिक संसाधन के तौर पर किया जाएगा ।

(ग) और (घ) कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबंध और सार्वजनिक उद्यम कार्यालय (बी पी ई) के मार्गनिर्देश म.टे.नि.लि. पर भी लागू होते हैं ।

नेताजी विमान दुर्घटना के मामले की पुन: जांच

[अनुवाद]

4838. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेताजी विमान दुर्घटना के मामले की पुन: जांच कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने सम्बद्ध सरकारों को इस सम्बन्ध में सभी सामग्री आदि उपलब्ध कराने के लिये लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में संथाल परगना और साहेबगंज के बीच सड़क डाक सेवा

[हिन्दी]

4839. **श्री साइमन मरांडी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में संथाल परगना मंडल मुख्यालय और साहेबगंज जिला मुख्यालय के बीच सड़क डाक सेवा में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। चूंकि मौजूदा प्रणाली के विरुद्ध कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, अतः बिहार में संथाल परगना जिला मुख्यालय एवं साहेबगंज जिला मुख्यालय के बीच मौजूदा डाक संचारण प्रणाली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के डाकू-आतंकित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

4840. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने डाकू-आतंकित क्षेत्रों में सड़क निर्माण सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत धौलपुर जिले में संगारा-कालाखेत-रोन्धई और चिलपुर-बसाइकारे सड़कों का निर्माण करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) योजना के अन्तर्गत चल रहे स्वीकृत कार्यों की संतोषजनक प्रगति और निधियों की उपलब्धता और पात्रता मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए नए कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। राजस्थान में चल रहे कार्यों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है तथा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि पहले से स्वीकृत कार्यों का कार्यान्वयन शीघ्र करें। पहले से स्वीकृत परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय की प्रगति के आधार पर उपरोक्त दोनों कार्यों को प्रशासनिक अनुमोदन देने के प्रस्तावों पर विचार जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना तथा एस० टी० डी० की सुविधा प्रदान करना

4841. प्रो० प्रेम कुमार धूमल
श्री के० प्रधानी } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा जिलों में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां चालू वर्ष के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार किया गया है;

(ख) उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं, जहां इस वर्ष के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का विचार किया गया है;

(ग) ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं, जिनमें जिला और तहसील मुख्यालयों के बीच सीधा सम्पर्क नहीं है; और

(घ) जिला क्षेत्रों के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को आपस में कब तक जोड़ा जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान हमीरपुर, ऊना तथा कांगड़ा जिलों में नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों को स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

जिले का नाम	स्थान का नाम
1. हमीरपुर	चबूतरा तथा नाल्टी
2. ऊना	थायल तथा घनारी
3. कांगड़ा	नागरू दौलतपुर तथा जलोट

चालू वित्त वर्ष के दौरान, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) 1990-91 के दौरान चम्बा, कल्पा, कुल्लू एवं किलांग ।

(ग) सात एक्सचेंजों का सम्बन्धित जिले/तहसील मुख्यालयों से कोई सम्पर्क नहीं है ।

(घ) 8वीं और 9वीं योजनाओं के दौरान उत्तरोत्तर ।

ग्रामीणेतर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए पृथक सेल

[अनुवाद]

4842. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत विभागेतर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मन्त्रालय में एक पृथक सेल खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोला जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए संचार मंत्रालय में पहले ही एक पूर्ण अनुभाग है जो ई० डी० एवं प्रशिक्षण अनुभाग के नाम से जाना जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए डाक कर्मचारी

4843. प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई० डी० कर्मचारी समेत कितने डाक कर्मचारी, अब तक कश्मीर घाटी को छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं;

(ख) क्या ई० डी० कर्मचारियों समेत इन कर्मचारियों को अन्यत्र काम पर लगा दिया गया है और उन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विभागेतर कर्मचारी

4844. प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कितने विभागेतर कर्मचारी कार्य करते हैं;

(ख) जनवरी, 1989 से जून, 1990 तक दिल्ली में कितने विभागेतर कर्मचारी नियुक्त किये गए; और

(ग) मद्रास विलमन डिवीजन और सेन्ट्रल स्टेशन, मद्रास टी० एम० ओ० में कितने विभागेतर डाक कर्मचारी नियुक्त किये गये ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फैक्स सुविधा

4845. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1990 तक राज्य-वार किन-किन स्थानों पर फैक्स सुविधा उपलब्ध थी;

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुविधा अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध कराने की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) 30-6-90 की स्थिति के अनुसार फैक्स सुविधायुक्त केन्द्रीय तारघरों/ विभागीय तारघरों के 67 केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-1 पर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) मार्च, 1991 तक 189 अतिरिक्त केन्द्रों पर फैक्स सुविधा का विस्तार करने का प्रस्ताव है। राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

30-6-1990 को स्थिति के अनुसार फैक्स सुविधा युक्त केन्द्रों की सूची

राज्य का नाम	केन्द्र का नाम
1. आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
	सिकन्दराबाद
	विजयवाड़ा
	विशाखापट्नम
	गुंटूर
	इलूरु
2. अरुणाचल प्रदेश	इटानगर
3. असम	गुवाहाटी
	सिलचर
4. बिहार	पटना
	रांची
5. गोआ	पणजी
6. गुजरात	अहमदाबाद
	बड़ौदा
	राजकोट
	सूरत
	गांधीधाम
7. हरियाणा	अम्बाला
8. हिमाचल प्रदेश	शिमला
9. जम्मू और कश्मीर	जम्मू तवी
	श्रीनगर
10. कर्नाटक	बंगलौर
	मंगलूर
	मैसूर

राज्य का नाम	केन्द्र का नाम
11. केरल	कालीकट
	कोचीनी
	कन्नानोर
	तेलीचेरी
	त्रिचूर
	त्रिवेन्द्रम
12. मध्य प्रदेश	भोपाल
	इन्दौर
13. महाराष्ट्र	बम्बई
	नागपुर
	नासिक
	पुणे
	सोलापुर
14. मणिपुर	इम्फाल
15. मेघालय	शिलांग
16. मिजोरम	एजवाल
	कोहिमा
17. नागालैंड	दीमापुर
18. उड़ीसा	भुवनेश्वर
	कटक
19. पंजाब	जालन्धर
20. राजस्थान	जयपुर
	जोधपुर
	अजमेर
21. सिक्किम	गंगटोक
22. तमिलनाडु	मद्रास
	मदुरै
	कोएमटूर
23. त्रिपुरा	अगरतला
24. उत्तर प्रदेश	आगरा
	इलाहाबाद
	गोरखपुर
	कानपुर
	लखनऊ
	मुरादाबाद
	वाराणसी

राज्य का नाम	केन्द्र का नाम
25. पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता सिलीगुड़ी दुर्गापुर
संघ शासित क्षेत्र	
अण्डमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर
दिल्ली	नई दिल्ली
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
पांडिचेरी	पांडिचेरी

विवरण-2

विस्तार योजना के अधीन, मार्च, 1991 तक फैक्स सुविधा की संस्थापना के लिए प्रस्तावित केन्द्रों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा (अनन्तिम)

राज्य का नाम	केन्द्रों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	16
2. असम	3
3. बिहार	3
4. गोवा	1
5. गुजरात	16
6. हरियाणा	8
7. हिमाचल प्रदेश	3
8. जम्मू और कश्मीर	2
9. कर्नाटक	20
10. केरल	10
11. मध्य प्रदेश	6
12. महाराष्ट्र	16
13. उड़ीसा	18
14. पंजाब	10
15. राजस्थान	10
16. तमिलनाडु	18
17. उत्तर प्रदेश	25
18. पश्चिम बंगाल	4
	189

पासपोर्टों को जब्त करना

4846. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** । क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान अनेक पासपोर्ट जब्त किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पासपोर्ट जब्त करने के विरुद्ध कोई अपील/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस समय इनमें से कितनी अपीलें निर्णयाधीन हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) और (ग) जी हां ।

(ख) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में धूम्रपान

4847. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **जल-यातायात परिवहन मंत्री** दिल्ली परिवहन निगम की बसों में धूम्रपान के बारे में 3 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की अथवा उसके अन्तर्गत चल रही बसों में धूम्रपान निषेध की चेतावनी का कोई अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ख) क्या इन सभी बसों में पैनलों पर स्पष्ट रूप से यह अनुदेश लिखे गए हैं कि धूम्रपान करना मना है; और

(ग) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-यातायात परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं । दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि उनके द्वारा सख्त निगरानी रखी जा रही है और किसी उल्लंघन के मामले में जांच दस्ते द्वारा कार्रवाई की जाती है । बसों के चालकों दल को निर्देश दिये गये हैं कि वे न तो स्वयं बसों में धूम्रपान करें और न ही किसी यात्री को धूम्रपान करने दें । उनके प्रचालनों के अधीन प्राइवेट बसों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का अनुशासन लागू किया जाता है ।

(ख) और (ग) बसों में "धूम्रपान निषेध" के निर्देश दर्शाए जाते हैं जैसाकि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है । दिल्ली मोटर व्हीकल नियमावली के अनुसार यदि धूम्रपान कर रहे किसी व्यक्ति से धूम्रपान बन्द करने के लिए कहे जाने पर वह अपनी अभिलिप्सा जाहिर करता है तो उसे बस से उतारा जा सकता है और वह उसके द्वारा अदा किये गए किराये को वापस लेने का हकदार नहीं होता है । बस के चालक दल को यह निर्देश दिया गया है कि वे बस को तब तक के लिए तत्काल रोक दें जब तक यात्री धूम्रपान करना बन्द न कर दे या बस से उतर न जाए ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के हैदराबाद-जेदचेरला सेक्शन को चौड़ा करना

4848. श्री एम० वागा रेड्डी
श्री जे० चोक्का राव } : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के हैदराबाद-जेदचेरला सेक्शन को चौड़ा करके चार लेनों वाला बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस हिरासत में मृत्यु

1849. **श्रीमती जे० जयन्ती** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुलिस हिरासत के दौरान होने वाली मौतों की दर में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का दोषी परिरक्षक अधिकारियों को दण्ड देने, मृतकों के निकट सम्बन्धियों को उपयुक्त मुआवजा देने के लिए कोई समान विधान बनाने का विचार है और उक्त विधान को सम्पूर्ण देश पर लागू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) यह विषय संविधान की सातवीं अनुसूची के राज्य सूची के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य के राज्यपालों की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे पुलिस हिरासत में होने वाली कथित मौतों की जांच करें। केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पुलिस हिरासत में हुई मौतों की संख्या में वृद्धि होने के बारे में ऐसा कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। केन्द्र सरकार पुलिस हिरासत में कुछ विशेष प्रकार के अपराधों के लिए होने वाली मौतों के बारे में मुआवजा देने के सम्बन्ध में एक योजना पर कार्य कर रही है। सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के विचार जान लेने के बाद एक उचित केन्द्रीय विधान लाने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर कैमिकल्स कम्पनी का अन्तरण

4850. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मंगलौर कैमिकल्स कम्पनी को सरकारी क्षेत्र की राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स को अन्तरित करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स द्वारा मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० को अधिकार में लेने का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया है। तथापि, अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

आंध्र प्रदेश में उप-डाकघर और तार घर खोलना

4851. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में एक हजार और इससे अधिक जनसंख्या वाले कितने गांवों में उप-डाक घर नहीं हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में कितने उप-डाकघरों में टेलीग्राम की सुविधाएं नहीं हैं; और

(ग) आंध्र प्रदेश में निकट भविष्य में स्थान-वार कितने डाक और तारघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1988-89 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की संख्या 3,556 है जहां शाखा डाकघर नहीं है।

(ख) आंध्र प्रदेश में 1207 उप-डाकघरों में तार सुविधाएं नहीं है।

(ग) 1-4-90 से 30-6-90 की अवधि के दौरान 21 नए डाकघर खोले गए हैं ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संशोधित मानदण्ड बनते ही वर्ष के लिए आगामी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है।

विवरण

1-4-90 से 30-6-90 की अवधि के दौरान खोले गए नए डाकघरों की सूची

क्र० सं०	नाम
1.	हस्तकावेरी
2	येनुर

क्र० सं०	नाम
3.	जौनोपल्ली
4.	64-पेड्डर
5.	नदीमपल्ली
6.	इकबईपल्ली
7.	गुदेड़
8.	एन, नरसापुरम
9.	लक्सपल्ली
10.	देवाजिपल्ली
11.	मचन्नापल्ली
12.	दसकुप्पन
13.	बदलागुंटा
14.	देवुदरिपल्लि
15.	थिम्मम पट्टा
16.	कामरुपल्ली
17.	बसापुरम
18.	वेंकटेश्वरपुरम
19.	गोमिलापुर
20.	रामपल्ली दायेरा
21.	जुबली हिल्स

कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंजों में भ्रष्टाचार

4852. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या संचार मंत्री कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज में भ्रष्टाचार के बारे में 3 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस उत्तर के भाग (ख) में बताया गया जांच कार्य अब तक पूरा कर लिया गया है और दोषी लोगों के विरुद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण कर लिया गया है,

(ख) क्या अभी तक भंडार का लेखा-जोखा रखने सम्बन्धी पद्धति में सुधार नहीं किया गया है तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टाकों और स्टोरों के लिए कलकत्ता टेलीफोन के प्रत्येक एक्सचेंज में वास्तविक जांच नहीं की गई है,

(ग) क्या प्रत्येक एक्सचेंज में अभी तक, भंडार में हुई कमियों का पता नहीं लगाया गया है और न ही इसका उचित लेखा-जोखा रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक किन-किन एक्सचेंजों में भंडार में हुई कमियों का पता लगा लिया गया है और इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

(ख) स्टोर का लेखा-जोखा रखने के लिए स्थायी अनुदेश और निर्धारित प्रपत्र होते हैं जिनके अनुसार प्राप्त किए गए और जारी किए गए स्टोर की प्रविष्टि इन निर्धारित फार्मों में की जानी होती है । प्रभारी अधिकारियों को संवेदनशील स्टोर की शत-प्रतिशत वास्तविक जांच और अन्य स्टोर को नमूने के तौर पर जांच व्यक्तिगत रूप से करनी होती है । कलकत्ता टेलीफोन में, अधिकांश मंडल इन्जीनियरों ने ये जांचें की हैं ।

(ग) ऐसी जांचों के दौरान किन्हीं कमियों का पता नहीं चला है ।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से स्टोर की मदों की खरीद

4853. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम स्टोर की विभिन्न मदों एवं अन्य सम्बन्धित सामग्रियों की खरीद के लिए बड़ी संख्या में निविदा पूछताछ सम्बन्धी अनुरोध जारी करता रहा है,

(ख) क्या ये सभी निविदा पूछताछ सम्बन्धी अनुरोध सरकारी क्षेत्र से उपलब्ध मदों के लिए सभी अवसरों पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में उन्हें कोई अन्तर तक नहीं प्राप्त होता है; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की कुछ निविदा पूछताछ सम्बन्धी अनुरोधों में शामिल होने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में उन्हें कोई अन्तर तक प्राप्त नहीं होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा गत दो वर्षों के दौरान स्टोर की मदों की खरीद के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जारी किए गए निविदा पूछताछ सम्बन्धी अनुरोधों का ब्यौरा क्या है तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से यदि कोई खरीद की गई है, तो वह कितने मूल्य की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अपेक्षाओं और हाथ में लिए हुए जहाज निर्माण कार्यक्रमों दोनों को परस्पर ध्यान में रख कर पूछताछ सम्बन्धी अनुरोध जारी करता रहा है ।

(ख) प्रचलित नीति के अनुसार जहां सम्बन्धित मांग सूची के अन्तर्गत आने वाली सामग्री की लागत 5 लाख रुपए से कम है, वहां इसके लिए पंजीकृत पार्टियों को सीमित निविदाएं जारी

की जाती है। जब कभी किसी मांग सूची की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक आंकी जाती है तो सार्वजनिक निविदाएं जारी करके उन सभी को, जो आपूर्ति करने के इच्छुक हों, निविदा-दस्तावेज प्राप्त करने और कोटेशन भेजने हेतु आमंत्रित किया जाता है। यह पद्धति समान रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों पर लागू होती है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के इच्छिक उपक्रम निश्चित रूप से हिस्सा ले रहे हैं और निविदाओं में प्रतिस्पर्द्धात्मक रहे हैं। भेल, बी एच पी वी, मेसर्स, जेसोप्स एंड कम्पनी आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पूछताछ सम्बन्धी अनुरोध का जवाब दे रहे हैं। ऐसे सभी मामलों में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जवाब भेज रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जब भी निविदाओं में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें पूरा ब्यौरा दिया जाता है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें उन्हें हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो। पिछले दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से खरीदी गई स्टोर सामग्री की राशि निम्न प्रकार है :–

वर्ष	खरीददारी की कुल कीमत	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से की गई खरीददारी की कीमत
	(लाख रु०)	
1988	305.49	291.1
1989	1385.54	1367.55

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, आंध्र प्रदेश को प्राप्त पासपोर्ट सम्बन्धी आवेदन

4854. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अगस्त, 1989 से आज तक पासपोर्ट सम्बन्धी कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक पासपोर्ट सम्बन्धी कितने आवेदन पत्र निपटाए गये हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों और दिल्ली स्थित पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने में औसतन कितना समय लगता है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तथा डिलीवर किए गए पोत

4855. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड; विशाखापत्तनम ने वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितने पोतों का निर्माण किया है तथा कितने डिलीवर किये गये हैं, और

(ख) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत "आफ लोड वर्क" कितने प्रतिशत होता है और उक्त अवधि के दौरान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कितना "आफ लोड वर्क" किया गया ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा 1987-88, 1988-89 1989-90 के दौरान निर्मित किए गए और किए गए जहाजों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	जहाजों/विसल्स की संख्या	जहाजों का विवरण
1	2	3
1987-88	2	1 ओ पी एस एस वी 1 ड्रिलशिप
9988-89	7	एक 27000 डी डब्ल्यू टी का बल्क कैरियर 6 डम्ब बर्जिज
1989-90	2	दो 27000 डी डब्ल्यू टी बल्क कैरियर

(ख) फैक्टरीज अधिनियम के अन्तर्गत आफ-लोड प्रणाली की प्रतिशतता का प्रश्न ही नहीं उठता । क्योंकि आफ-लोडिंग का विषय अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है । किए गए आफ-लोड कार्य की वर्ष वार प्रतिशता मीट्रिक रूप में नीचे दी गई है :—

वर्ष	जहाज निर्माण	जहाज मरम्मत	अपतटीय प्लेटफार्म
1	2	3	4
1987-88	3.62	19.78	20.34
1988-89	1.42	13.80	45.81
1989-90 (अनंतिम)	2.33	18.58	29.62

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा किराये पर ली गई प्राइवेट बसों के विरुद्ध शिकायतें

4856. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली परिवहन निगम द्वारा किराए पर ली गई प्राइवेट बसों द्वारा डी टी सी पास को न मानने, अधिक किराया लेने, दुर्व्यवहार करने, बसों का उचित रख-रखाव न करने और लापरवाही से बस चलाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि इस प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। निजी प्रचालकों की बसों के प्रचालनों में अनुशासन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने निजी बस प्रचालन को विनियमित करने के लिए एक विशेष कक्ष की स्थापना की है जो एक वरिष्ठ अधिकारी के नियन्त्रण में कार्य कर रहा है यह स्वतन्त्र रूप से और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर भी नियमित जांच करता है। जनवरी-जुलाई, 1990 के दौरान ऐसी जांच से दिल्ली परिवहन निगम के पास को नहीं मानने के 54 मामले, अधिक किराया चार्ज करने के 76 मामले, दुर्व्यवहार के 199 मामले तथा अन्धाधुंध ड्राइविंग के 23 मामले पकड़े गए हैं। यह जांच दस्ता इस बात का भी निरीक्षण करता है कि क्या बसों को उचित स्थिति में रखा जाता है और निजी प्रचालकों को, जब कभी आवश्यक होता है, तत्काल सुधार करने का भी निर्देश देता है। यात्रियों की शिकायतों पर और दिल्ली परिवहन निगम के जांच दस्तों द्वारा उल्लंघन का पता लगाए जाने पर कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप जनवरी-जुलाई, 1990 के दौरान निजी प्रचालकों पर, पासों को मान्यता न देने, अधिक किराया वसूलने आदि जैसे उल्लंघनों के लिए 3.30 लाख रुपए के जुर्माने किए गए थे। इसी अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के यातायात अपराधों के लिए निजी बस चालकों पर यातायात पुलिस प्राधिकारियों द्वारा मौके पर लगाए गए कम्पाउंडिंग शुल्क की राशि 1.17 लाख रुपये है।

"टर्न-की" आधार पर पूर्ण चीनी संयंत्र सप्लाई

4857. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय स्तर की स्थायी समिति ने "टर्न-की" आधार पर पूर्ण चीनी संयंत्र सप्लाई करने हेतु कम्पनियों की सूची बनाने के लिए कुछ मान-दण्ड निर्धारित किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 अगस्त, 1990 की स्थिति के अनुसार "टर्न-की" आधार पर पूर्ण चीनी संयंत्र सप्लाई करने के लिए सूचीबद्ध की गई कम्पनियों/फर्मों का ब्यौरा क्या है

(घ) क्या सूचीबद्ध की गई कुछ फर्में/कम्पनियां स्वयं इन मिलों के यंत्रों में से किसी भी यंत्र का निर्माण नहीं करती हैं परन्तु इन्हें अन्य विशेषताओं के आधार पर उक्त शर्तों में छूट दी गई है, और

(ङ) यदि हां, तो इन फर्मों/कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर "टर्न-की" चीनी मिलों/संयंत्र सप्लायरों की सूची रखता है। राष्ट्रीय स्तर पर समिति ने मौजूदा स्थायी समिति के गठन से पूर्व विद्यमान "टर्न-की" सप्लायरों की सूची को अपने गठन के पश्चात पहले की भांति स्वीकार कर लिया है और तत्पश्चात् प्रत्येक के गुण-दोषों के आधार पर 3 अतिरिक्त सप्लायरों को सूचीबद्ध कर लिया गया है और प्रमुख मानदण्डों के आधार पर इसके बाद फर्म को पेषण संयंत्र, टॉयलर टर्बो अल्टेनेटर तथा अपकेन्द्रीय करण में से कम से कम एक प्रामाणिक उपकरण का स्वीकृत सप्लायर होना चाहिये। 31.8.90 के अनुसार 'टर्न-की" चीनी संयंत्रों के सूचीबद्ध सप्लायरों की एक सूची संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

पूर्ण चीनी संयंत्रों के सप्लायर

1. मैसर्स आंध्र फाउन्ड्री एवम् मर्शन कम्पनी, लिसिटेड, मौला अली हैदराबाद।
2. मैसर्स बुकाउ वुल्फ इण्डिया लिमिटेड, पिम्परी पुणे-411018
3. मैसर्स बिन्नीज इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड पोस्ट बाक्स संख्या-111, मीनाम्बक्कम, मद्रास-600061
4. मैसर्स इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हिमालय हाउस कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
5. मैसर्स इण्डियन सुगर एंड जेनरल इंजीनियरिंग कारपोरेशन 5 एंड 6, कम्युनिटी सेंटर, पी० बी० संख्या 700 न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली।
6. मैसर्स दी के०सी०पी० लिमिटेड, तिरुवेल्युर मद्रास-600019
7. मैसर्स राष्ट्रीय भारी इन्जीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, 16 महात्मा गांधी पथ पुणे-411001
8. मैसर्स प्रेम भारी इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, गार्नी मिल्स दिल्ली पथ मेरठ (यू० पी०)।
9. मैसर्स रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड, बाइकुल्ला, सर जे० जे० रोड बाम्बे।
10. मैसर्स टेक्समाको लिमिटेड बेल्गारिया पथ, कलकत्ता-700056
11. मैसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, पो. आफिस-टी एस एल-नैनी. इलाहाबाद (यू० पी०)
12. मैसर्स बालचन्दनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (विजन प्रभाग), 16, महात्मा गांधी पथ पुणे-411001

13. मैसर्स आनन्द टैक्स एंड वेसेल्स प्राइवेट लिमिटेड, डी-8, [एम आई डी सी इस्ट्रीट संख्या 16 मेरोल अन्धेरी (इ) बाम्बे-400093

14. सुमाक इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, 506-507, कुराल बाजार, 32-33, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

15. विक्रम वेसेल्स इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड बाम्बे।

16. उत्तम इंडस्ट्रीयल इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अग्नरोधी दरवाजों का आयात

4858. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा पोत निर्माण के लिये संघटक और फालतू पुर्जों का आयात के बारे में 26 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न सख्या 6534 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा देश से आयात किये गए संघटकों और पुर्जों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान, कितने मूल्य के अग्निरोधी दरवाजों का आयात किया गया और किस देश से इनका आयात किया गया और इन दरवाजों के आकार-प्रकार आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल पोतों के लिये अग्निरोधी दरवाजे भारतीय निर्माता कंपनियों के पास उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विदेशों से कुछ विशेष पेंट और ब्रुश भी आयात करता है;

(ङ) क्या कुछ सरकारी उपक्रम भी इन वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं किन्तु हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 1988-89 और 1989-90 के दौरान प्रत्येक देश से किये गये आयातों का ब्यौरा संलग्न विवरण—1 और विवरण—2 में दिया गया है।

(ख) 1989-90 के दौरान आयात किये गये अग्निरोधी दरवाजों की कीमत 8.43 लाख रु. है। ये स्वीडन से आयात किए गए थे और इनके संक्षिप्त विनिर्देश निम्न प्रकार हैं :—

"1976 के सोलन नियमों एवं 198 तथा 1983 के इनके संशोधनों द्वारा निर्धारित मानक अग्नि प्रशिक्षणों में पूरे उतरने वाले लो फ्लेम स्प्रेडिंग विशिष्टताओं से युक्त कैलशियम सिलिकेट कोर वाले फायर क्लास कोर्स जिनकी आपूर्ति डोर फ्रेमिंग लाकिंग एरेजमेंट्स हैंडल्स, इलेक्ट्रो-मेगनेटिक कैच्ड आटो-डोर क्लीजर्स के साथ की जाती है तथा जो पूरी एसेम्बली स्थापित करने के लिये तैयार होते हैं और इन्हें यूनाइटेड किंगडम के व्यापार विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।"

(ग) ये, भारतीय निर्माता कंपनियों के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) कुछ विशेष पेंट्स आयात किए जाते हैं। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० द्वारा पेंट-ब्रशों का आयात नहीं किया जाता है।

(ङ) और (च) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संघटक और हिस्से पुर्जे तब खरीदता है जब उनके आफर, तकनीकी उपयुक्तता/डिलीवरी अवधि की अपेक्षा को पूरी करते हों और उनकी कीमत, किसी निजी उद्यम के तकनीकी रूप से उपयुक्त न्यूनतम आफर से 10% के भीतर होती है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० द्वारा तकनीकी विकास महानिदेशालय/इलेक्ट्रानिकी विभाग से स्वदेशीय अनुमति प्राप्त करने के बाद, प्रतिपूरक लाइसेंसों पर, सभी सीमित अनुमत्य और प्रतिबन्धित मदों का आयात किया जाता है।

विवरण—I

एच एल एस द्वारा 1988-89 के दौरान आयातित मदें

क्र० सं०	सामग्री/अन्तर्वस्तु	सी आई एफ मूल्य लाख रुपये (लगभग)	किस देश से आयात किए गए
1	2	3	4
1.	स्वेज कैनाल सर्च-लाईट्स	1.96	पश्चिमी जर्मनी
2.	(2 जहाज) सी वाल्वज	0.50	पश्चिमी जर्मनी
3.	टेलीफोन उपकरण	2.59	यू. के.
4.	सैटेलाइट नेवीगेशन	1.07	जापान
5.	बायलर प्लांट (2 जहाज)	48.23	डेन्मार्क
6.	जहाज की खिड़कियों के वाईपर	0.60	इटली
7.	इपो कास्ट	3.48	सिंगापुर
8.	"बी" क्लास पैनल्स के लिये धात्विक भाग	1.71	यू. के.
9.	स्पष्ट दृश्यक पर्दे	0.31	यू. के.
10.	डी जी सेट्स	149.16	जापान
11.	बिजली के केबल	45.34	दक्षिण कोरिया
12.	स्टैर्न प्रेम	4.19	दक्षिण कोरिया
13.	रडर हार्न तथा रडर के पुर्जे	12.13	दक्षिण कोरिया
14.	नाविक यंत्र	0.71	पश्चिमी जर्मनी
15.	एस एच पी मीटर (2 जहाज)	6.80	पश्चिमी जर्मनी
16.	"बी" श्रेणी के दरवाजे	5.25	स्वीडन
17.	बिजली की सीटी	1.83	पश्चिम जर्मनी

1	2	3	4
18.	डी जी सेट	124.00	डेन्मार्क
19.	जहाज के पेच के पम्प	6.00	हालैंड
20.	बायलर प्लांट के पुर्जे	0.97	डेन्मार्क
21.	जहाज के पिस्टर के पम्प	2.75	डेन्मार्क
22.	स्वच्छ जल उत्पादक	8.31	डेन्मार्क
23.	मुख्य इंजन तथा उसके पुर्जे	401.84	पोलैंड
24.	चेन की कैवल	11.21	योगोस्लाविया
25.	मास्ट हैड लाईट तथा लैंस	0.05	पश्चिम जर्मनी
26.	स्वेज नहर सर्च लाइट के लिये पुर्जे	0.13	नार्वे
27.	आय नेविगेशन लैंप-भाग	0.01	पश्चिम जर्मनी
28.	जहाज के पम्प कम्प्रेशर, सीवेज प्लांट के लिये अतिरिक्त पुर्जे	1.95	यू. के.
29.	वायु प्राप्यक	0.30	पश्चिम जर्मनी
30.	स्वत: तापमान वाल्व	0.20	पश्चिम जर्मनी
31.	गदलेपन का सांसूचक-ओ बी पृथक्कारक	0.41	पश्चिम जर्मनी
32.	दूर से प्रचालित हाईड वाल्व के पुर्जे	0.19	यू. के.
33.	इंजन के मुख्य पुर्जे	0.14	स्विटजरलैंड
34.	इलैक्ट्रानिक स्थिरता सूचक	5.42	यू. के.
35.	सेलेनायड वाल्व	0.58	स्वीडन
36.	शाफ्ट जनरेटर	117.70	स्विटजरलैंड
37.	एफ डब्ल्यू जनरेटर	7.37	डेन्मार्क
38.	मेरीन गीयर पम्प	2.59	जापान
39.	आटोमेशन पुर्जे	3.99	सिंगापुर
40.	ओ बी प्रथक्कारक	2.89	पश्चिम जर्मनी
41.	डापलर सीडलाग के पुर्जे	0.89	नार्वे
42.	गायरो कम्पास	5.32	पश्चिम जर्मनी
43.	नाविक यंत्रों के पुर्जे	0.12	यू. के.
44.	परोपेलर शाफ्टिंग	63.13	पश्चिम जर्मनी
45.	मेरीन सेन्ट्रीपुगल पम्प	19.34	यू. के.
46.	मलजल को ठीक करने का प्लांट तथा मेरीन मस्मक	13.61	यू. के.
47.	मुख्य एयर कम्प्रेशर	10.44	यू. के.
48.	मुख्य तथा आपातकालीन स्विच बोर्ड	54·24	सिंगापुर
49.	एम ई के लिये फीडर माड्यूल	5.52	स्वीडन

1	2	3	4
50.	एम ई के लिये तेल पृथक्कारक	32.06	जापान
51.	मुख्य तथा केन्द्रीय कम्प्रेशर	9.32	जापान
52.	सीलिंग कम्पाउंड	1.66	दक्षिण कोरिया
53.	श्वास यंत्र	0.59	यू. के.
54.	बायलर प्लांट	26.36	स्वीडन
55.	बायरलेस रिसीवर	1.94	यू. के.
56.	वौसम डेक के हैच कवर	147.12	यू. के.
		1368.70 लाख	

विवरण—2

1989-90 के दौरान एच एस एल द्वारा आयातित मदें

क्र० सं०	सामग्री/संघटक	सी आई एफ मूल्य लाख रु० (लगभग)	किस देश से आयात किए गये
1	2	3	4
1.	मेरीन पम्प—1128 के पुर्जे	0.50	यू. के.
2.	डी जी सेट—1128 के लिये पुर्जे	0.10	जापान
3.	इलैक्ट्रो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गीयर	22.07	नीदरलैंड
4.	मारलिन लोडिंग कम्प्यूटर-1130	2.67	यू. के.
5.	स्वच्छ जल उत्पादक के पुर्जे-1128	0.41	डेन्मार्क
6.	1131 के लिए फर्नी डोपलर सोनार प्रणाली	17.00	जापान
7.	डोपलर स्पीड लाग-1129 हेतु कम सप्लाई की गई मदें	0.04	नार्वे
8.	ए एवं बी क्लास दरवाजे-1131	8.67	स्वीडन
9.	एयर कम्प्रेशर के मुख्य पुर्जे	0.19	यू. के.
10.	इको ध्वनि उपकरण-1131	0.91	नार्वे
12.	बायलर प्लांट-1129 के लिये प्रेरक	0.15	डेन्मार्क
13.	विस्फोटक विरोधी चेतावनी सायरन	0.46	नार्वे
14.	मुख्य इंजन-1129 के पिस्टन को ठंडा करने हेतु चेस्ट	0.60	पोलैंड

1	2	3	4
15.	1129 के रडार संघटक	2.18	यू. के.
16.	मेरीन रेडियो उपकरण-1129	2.00	यू. के.
17.	हाइड्रोलिक उपकरण-1130 के संघटक	0.25	यू. के.
18.	आटोमेशन उपकरण के पुर्जे	1.29	सिंगापुर
19.	पम्प के पुर्जे	0.03	यू. के.
20.	स्टीयरिंग गीयर-1129 क उपकरण	6.00	नीदरलैंड
21.	मुख्य इंजन-1129 के पुर्जे	2.00	पोलैंड
22.	मेरीन पम्प-1130 के पुर्जे	0.16	यू. के.
23.	ए आर ओ वाल्व-1130 के संघटक	0.08	यू. के.
24.	आटोमेशन उपकरण-1131	24.56	फ्रांस/सिंगापुर
25.	मुख्य इंजन-1129 के हाइड्रोलिक पुर्जे	4.28	स्टिजरलैंड
26.	मस्मक के पुर्जे	0.03	यू. के.
27.	मुख्य इंजन-1131	377.00	पोलैंड
28.	स्वचालित दूरभाष प्रणाली-1131	6.67	यू. के.
29.	6 आर टी ए 58 मुख्य इंजन-1130 के पुर्जे	2.38	स्विटजरलैंड
30.	1131 के लिए स्वचालित निर्देशक सूचक एवं ट्रांस रिसीवर	2.37	यू. के.
31.	शाफ्ट जनरेटर-1131 के पुर्जे	0.20	स्टिजरलैंड
32.	बी क्लास पैनल-1131	21.40	यू. के.
33.	पिग्रीम नट-1129 के लिये राड स्पेनर 7	0.10	पश्चिम जर्मनी
34.	मुख्य इंजन पुर्जे-1130	0.32	पोलैंड
35.	फीडर माड्यूल-1130 के सुरक्षा वाल्व	0.34	स्वीडन
36.	एच आर ओ वाल्व-1130 के पुर्जे	0.25	यू. के.
37.	मुख्य इंजन पुर्जे	2.28	पोलैंड
		509.51 लाख	

पंजाब में माल ढुलाई व्यापार में एकाधिकार प्रवृत्ति

4859. बाबा सुच्चा सिंह : क्या जल-सूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब में ट्रांसपोर्टरों के बीच प्रतिस्पर्द्धा न होने के कारण खाद्यानों की ढुलाई में हानि हो रही है;

(ख) केन्द्र के नियंत्रण वाले क्षेत्र में और केन्द्र के नियंत्रण रहित क्षेत्र में वर्तमान ढुलाई प्रभार प्रति क्विंटल कितना है; और

(ग) ट्रांसपोर्टरों में प्रतिस्पर्द्धा बनाने के लिए और एकाधिकार व्यापार के समाप्त करने हेतु सरकार के प्रस्ताव क्या हैं ?

जल.भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) संबंधित एजेन्सियों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कृषि आदानों की खरीद हेतु अल्पावधि ऋण

4860. **श्री एल० बी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उवर्रक सहित कृषि आदानों की खरीद हेतु वर्ष 1988-89 के दौरान राज्यों को 260 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण दिये गये थे,

(ख) क्या इस धनराशि के उपयोग में अनियमितताएं बरतने के बारे में सरकार को कोई सूचना मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) । (क) जी हां ।

(ख) सरकार को बिहार में इस धनराशि के उपयोग में अनियमितताएं बरतने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तम्बाकू उत्पादकों का शोषण

4861. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू उत्पादकों के शोषण को रोकने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों में बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मद्रास में नये टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा अवधि कम करना

4862. **श्री अन्वारासु इरा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष मद्रास में नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने के लिए प्रतीक्षा अवधि कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मद्रास में इस वित्तीय वर्ष (1-4-90 से 31-7-90 तक) के दौरान 3289 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 1990-91 के वित्तीय वर्ष के दौरान मद्रास में कुल 13500 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। 8 वीं योजना के मसौदे को उद्देश्य से तैयार किया गया है जिससे 5000 और इससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेन्जों में प्रतीक्षा सूची को औसतन एक वर्ष तक रखा जाए। इस उद्देश्य से 8 वीं योजना अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर रूप से निपटाने के लिए विस्तार योजनाएं तैयार की जा रही है।

119 देशों के संचार संघ के लिए उपग्रह

4863. **कुमारी उमा भारती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 119 देशों के संचार संघ के लिए इन्टल सैट आफ वाशिंगटन ने एक उपग्रह प्रक्षेपित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस उपग्रह से भारत को भी दूर-संचार और प्रसारण सुविधाएं प्राप्त होंगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) से (ग) सूचना की प्रतीक्षा है और प्राप्त होते ही उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में लाइसेंस प्राप्त डाक एजेन्सियां

[हिन्दी]

4864. **श्री राजबीर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) इस समय देश में लाइसेंस प्राप्त कितनी डाक एजेन्सियां कार्यरत है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी एजेन्सियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लाइसेंस प्राप्त डाक एजेंसियों (एल पी ए)को डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री तथा पंजीकृत मदों की बुकिंग के लिए कमीशन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त डाक एजेन्सियों की इस आधार पर उपर्युक्त पारिश्रमिक अर्जित करने के अधिक अवसर नहीं मिलते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक-घरों के माध्यम से डाक सुविधाएं प्रदान की जाती रहेंगी।

ब्रिटेन में भारतीयों पर जातीय हमले

[अनुवाद]

4865. **श्री शांताराम पोटदुखे :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में भारतीयों पर हमलों में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीयों के साथ मुख्य रूप से आवास, रोजगार एवं आप्रवास के क्षेत्रों में भेदभाव बरता जाता है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीयमूल के ब्रिटिश नागरिकों की दुर्दशा एवं परेशानी से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराने तथा ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के प्रति लंदन स्थित इण्डिया हाऊस प्रशासन के कार्यकरण एवं दृष्टिकोण में सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) से (ग) एशियायीयों के खिलाफ जातीय आक्रमण में वृद्धि होने की खबरें हैं। भारतीय समुदाय के खिलाफ आक्रमण के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। खासतौर पर लेकिन जिन इलाकों में इन आक्रमणों में वृद्धि हुई है वहां प्रमुख रूप से भारतीयों की बसावट नहीं है। भारत का लन्दन स्थित हाई कमीशन भारतीय नागरिकों के साथ और भारतीय मूल के ब्रिटिश राष्ट्रिकों के साथ भी निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। जहां कहीं कोई समस्या होती है जिसमें सुरक्षा का मामला अथवा उनके खिलाफ भेदभाव बरते जाने के मामले भी शामिल है, उन्हें उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

पंजाब में सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार

4866. **बाबा सुच्चा सिंह :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सहकारी संस्थाओं, जिनका प्रबन्ध प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, में दुर्विनियोग और भ्रष्टाचार का कोई मामला सरकार की जानकारी में लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सी-डाट द्वारा पत्रिकाओं का प्रकाशन

4867. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का प्रकाशन सी-डाट के कार्यकलापों का एक भाग है;

(ख) क्या सी-डाट द्वारा एक तिमाही पत्रिका "इन्फोटल" प्रकाशित की जाती है जिसके सम्पादकीय सलाहकार विदेशी लोग हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य पर सी-डाट ने कितनी धन-राशि खर्च की है तथा इसके लिए भविष्य की क्या योजना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तकनीकी जानकारी का प्रचार सी-डाट की गतिविधियों से सम्बन्धित होता है।

(ख) जी हां। इसके सलाहकार बोर्ड में अवैतनिक आधार पर विदेशी विद्वान भी है।

(ग) उनके नाम ये है :—

—प्रो० एल० बिटोची—इटली
—डा० जार्ज वलेरडो—मेक्सिको
—प्रो० ब्रूस लुसिगनैन—संयुक्त राज्य अमेरिका
—श्री एस० के० पुढासैनी—नेपाल

(घ) सी-डाट द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

खर्च की गई राशि रु०	8,34,483/-
आय	4,72,677/-
सी-डाट द्वारा खर्च की गई निवल राशि रु०	3,61,806/-

प्रकाशन को आत्म निर्भर बनाने के प्रयास जारी रहेंगे।

हल्द्वानी में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

4868. **श्री एम० एस० पाल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्द्वानी में इलेक्ट्रानिक आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां आवश्यक उपकरण कब तक लगाए जाने की सम्भावना है और यह टेलीफोन एक्सचेंज कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) हल्द्वानी में टेलीफोन एक्सचेंज को वर्ष 1992-93 के दौरान संस्थापित करने तथा चालू करने की योजना है।

ब्रिटेन स्थित तमिल एक्शन कमेटी से प्राप्त ज्ञापन

4869. **श्री पी० एम० सईद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन स्थित तमिल एक्शन कमेटी से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें भारत सरकार से तमिलों की रक्षा करने और श्रीलंका के सैनिक बलों द्वारा तमिलों की हत्या तथा निर्दयतापूर्वक उन्हें यंत्रणा देने, लम्बे समय तक उन्हें हिरासत में रखने तथा जेलों में उनकी हत्या करने पर रोक लगाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) और (ख) लन्दन आस्थानी "तमिल एक्शन कमेटी" ने 14 जुलाई, 1990 के अपने एक पत्र में एक अपील की है। इस पत्र में दूसरी बातों के अलावा यह आरोप भी लगाया गया है कि श्रीलंका की सेना को सामान्य तमिल जनों को आतंकित करने और उनकी हत्या करने की खुली छूट दी गई है। इस पत्र में सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह श्रीलंका की सरकार पर इस बात के लिए जोर डाले कि वह तमिल भाषी लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या बन्द करे।

(ग) सरकार ने श्रीलंका में रहने वाले तमिलों की हिफाजत और सुरक्षा के संबन्ध में श्रीलंका की सरकार के समक्ष कई अवसरों पर चिन्ता व्यक्त की है। 27 अगस्त को अपने एक वक्तव्य में प्रधान मन्त्री ने इस संघर्ष में तेजी से वृद्धि होने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी तथा श्रीलंका में लड़ाई तुरन्त बन्द करके बातचीत पुनः शुरू करने का अनुरोध किया था।

कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास

श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि करने और उसका दर्जा बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) कृषि में प्रौद्योगिकी को सुधारने और उनका दर्जा ऊंचा करने के लिए विशेष जोर दिये जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाया गया है। ये क्षेत्र हैं—बारानी खेती, प्रजनक बीज उत्पादन, गन्ने पर अनुकूली अनुसंधान, संकर बीजों का संवर्धन और विकास, कटाई के बाद की इन्जीनियरिंग और टेक्नालोजी और अनुसंधान के सीमांत क्षेत्र जैसे-जैव टेक्नालोजी, अन्तरिक्ष चित्रण, सूचना विज्ञान और कृषि में प्लास्टिक का उपयोग।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनियमितताएं

4871. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए "संघ सरकार-सिविल" सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने निर्धारित लेखा-प्रक्रिया को नहीं अपनाया है और काफी बड़ी रकम का गोलमाल किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी रकम का गोलमाल किया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में लेखा परीक्षा दल द्वारा अक्तूबर, 1988 में की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इस आशय का एक पैरा शामिल किया है कि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली के छात्रावास में रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों से प्रति माह वसूली जाने वाली राशि सितम्बर, 1986 से अक्तूबर, 1988 तक की अवधि में तत्कालीन खजांची द्वारा कैश बुक में हिसाब में नहीं ली गई। लेखा परीक्षा दल द्वारा इस अनियमितता की ओर ध्यान दिलाये जाने पर तत्कालीन खजांची द्वारा इस राशि को दिनांक 17-10-88, 19-10-88, 24-10-88 और 26-10-88 को कैश बुक में हिसाब में लिया गया।

(ख) लेखा परीक्षा दल की आपत्ति 15,970/- रुपये की राशि के सम्बन्ध में थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा था कि 18,000/- रुपये की राशि कैश बुक में काफी विलम्ब से हिसाब में ली गई।

(ग) इस अनियमितता की जांच की गई और यह पाया गया कि यद्यपि सरकारी धन का दुर्विनियोजन नहीं हुआ फिर भी तत्कालीन खजांची, आदान एवं संवितरण अधिकारी और छात्रावास के वार्डन ने सरकारी धन को समय से जमा करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन न कर अपने कर्त्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह नहीं किया। परिणामस्वरूप तत्कालीन आदान एवं संवितरण अधिकारी, खजांची तथा वार्डन को उनकी कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए कठोर चेतावनी दी गई और उन्हें उनके पद से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया।

राक फास्फेट की रियायती दरों पर सप्लाई

4872. **श्री एच० सी० श्रीकांतया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रियायती दरों पर रॉक फास्फेट सप्लाई करने के लिए कर्नाटक के किसानों, विशेष रूप से मलनाद क्षेत्र के किसानों, से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वाहनों के मालिकों से रात्रि पार्किंग शुल्क लिया जाना

4873. **श्री पी० एम० सईद**
श्री राम सागर (सेवपुर)
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम की रात्रि के समय निगम की सड़कों पर वाहन खड़े करने वाले व्यक्तियों से पार्किंग शुल्क लेने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित शुल्क राशि और इस योजना के औचित्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे निगम को हर महीने कितना राजस्व प्राप्त होगी;

(घ) क्या यह योजना नई दिल्ली क्षेत्र में भी लागू होगी;

(ङ) क्या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े किए जाने वाले तिपहिया स्कूटरों, टैक्सियों, आइसक्रीम और पानी के ठेलों से भी ये पार्किंग शुल्क लिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) नगर पालिका सड़कों, पटरियों पैदल पथ पर खड़े दिए जाने वाले दुपहिया स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड को छोड़कर अन्य वाहनों पर रात्रि के समय वाहन खड़े करने के लिए शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन है। प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) और (च) आइसक्रीम और पानी की ट्रालियों को खड़ा करने पर शुल्क लगाने पर शुल्क लगाने के प्रश्न पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा।

पश्चिम महाराष्ट्र की नदियों में नौवहन सुविधाएं

[हिन्दी]

4874. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम महाराष्ट्र की नदियों को नौवहन योग्य बनाने का कोई प्रस्ताव है, ताकि उनमें पूर्व/पश्चिम दिशाओं में यातायात आ-जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में पूर्व/पश्चिम यातायात के लिए नदियों की नौचालन योग्य

बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पश्चिमी घाट के कारण तटीय पट्टी में नदियों की नौचालन योग्य लम्बाईयां अत्यन्त सीमित हैं।

बाढ़ के कारण हानि

4875. **श्री रामलाल राही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर होने वाली जान और माल की हानि के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाढ़ के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इन करणों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहाकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

निम्नलिखित कारणों से बाढ़ आती है :—

(1) अत्यधिक वर्षा होने के साथ-साथ अपर्याप्त जल अवधारण क्षमता के कारण नदी के किनारों पर से पानी बहना;

(2) नदी के तल में प्रसारण या अवरोध आने के कारण;

(3) नदी के तटों पर अतिक्रमण;

(4) रेल और सड़क के मिलने के स्थान पर पानी के लिए अपर्याप्त निकास मार्ग;

(5) नदी के मार्ग में परिवर्तन और अपदारण;

(6) वनों की कटाई;

(7) मृदा संरक्षण और जलविभाजक प्रबन्धन का अभाव; और

(8) मुख्य नदी में बाढ़ आने पर सहायक नदी और आस-पास के क्षेत्रों में पानी का विपरीत बहाव।

(ग) और (घ) वर्षा की तीव्रता और घटना के आधार पर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 40 मि० हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़-प्रवण क्षेत्र माना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड स्थापित किए हैं। बाढ़ से बचाव के वास्तविक कार्य, जैसे बाढ़ नियंत्रण जलाशय, तटबंध और नहरें बनाने के अतिरिक्त गैर निर्माण कार्यों जैसे बाढ़ पूर्वसूचना नेटवर्क की स्थापना और आवास तथा आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए बाढ़ के क्षेत्र के विभाजन पर जोर दिया जाता है ताकि बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके। अब तक, लगभग 13.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को उचित स्तर तक बाढ़ से संरक्षित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य तेलों की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य

4876. श्री काशीराम राणा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा पामोलीन और मूंगफली का तेल किस मूल्य पर खरीदा जाता है और किस मूल्य पर बेचा जाता है; और

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम ने वर्ष 1987-88 से 1989-90 की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कितना लाभ कमाया ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राष्ट्रीय डेरी विका। बोर्ड ने राज्य व्यापार निगम से 15,000 रुपए प्रति मीटरी टन जमा लागू करों की दर से पामोलीन की खरीद की है। तेल वर्ष 1989-90 के दौरान पामोलीन का बिक्री मूल्य प्रति 10 किलोग्राम 239 रुपये से 250 रुपये जमा लागू कर के बीच रहा है। तेल वर्ष 1989-90 के दौरान, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने खुले बाजार से मूंगफली के तेल की खरीद प्रति 10 किलोग्राम 197 से 271 रुपये जमा लागू कर के बीच के मूल्य पर की है। इस समय मूंगफली के तेल की बिक्री केवल उपभोक्ता पैक में 'धारा" ब्रांड के अन्तर्गत की जा रही है जिसके मूल्य इस प्रकार हैं :—

	रुपये प्रति एक लीटर	रुपये प्रति 5 किलोग्राम
मूंगफली का डबल फिल्टर किया हुआ तेल	27.00	155.00 गुजरात में 160.00 महाराष्ट्र में
मूंगफली का परिष्कृत तेल	31.50	188.00

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, तिलहनों और खाद्य तेलों के बारे में बाजार हस्तक्षेप कार्य-नीति के अधीन भारत सरकार की ओर से इस कार्य को कर रहा है और अतिरिक्त राशि, यदि कोई होती है, तो वह बाजार हस्तक्षेप निधि में शामिल की जाती है।

श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार

[अनुवाद]

4877. प्रो० के० वी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के श्रमिक संघों और प्रबंध मंडल के बीच 14 जुलाई, 1990 को एक दीर्घावधि समझौता हुआ था, जिसके अनुसार जिस अवधि के लिये यह समझौता हुआ है उस अवधि के दौरान वे हड़ताल नहीं करेंगे;

(ख) क्या वर्तमान समझौते में पूर्व समझौते में उल्लिखित "अबैध हड़ताल" के स्थान पर "हड़ताल" शब्द कर देने से श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) फैक्ट के प्रबन्धतंत्र तथा कर्मचारियों यूनियनों के बीच दीर्घावधिक समझौते में यह व्यवस्था है कि समझौते के अंतर्गत आने वाले मामलों पर समझौते की मियाद के दौरान यूनियन या श्रमिक हड़ताल नहीं करेंगे। यह प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अनुरूप है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आठवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में पूंजी निवेश

4878. श्री ए० के० राय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में कितना पूंजी निवेश करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का भविष्य में मुख्य ठेकेदार की भूमिका उर्वरक उद्योग के विकास में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्थान पर प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड को देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) 8वीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में किये जाने वाले प्रस्तावित निवेश को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) और (ग) पी०डी०आई०एल० को प्रमुख ठेकेदारी देने के बारे में सरकार को जो भी प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर पी० डी० आई० एल० द्वारा प्राप्त तकनीकी क्षमता को ध्यान में रखते हुये गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खाद्य तेल का आयात

4879. श्री बाबू भाई मेघजी शाह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान बाजार में खाद्य तेल की सप्लाई की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का तेल जारी किया गया; और

(ग) थोक में और खुदरा रूप में बेचे गए खाद्य तेल का ब्यौरा क्या है ?

श्री, हां।

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतिश कुमार) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) थोक में तथा खुदरा रूप में निर्मुक्त किये गये खाद्य तेल का ब्यौरा इस प्रकार है : –

(मात्रा मीटरी टन में और रुपये करोड़ में)

अवधि	थोक		खुदरा	
(वित्तीय वर्ष)	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1987-88	61280.000	107.86	0.000	0.00
1988-89	54760.000	92.02	1476.000	3.07
1989-90	207482.000	394.77	20027.000	46 45
योग	323522.000	594.65	21503.000	49.52

इसमें सरकार की ओर से चलाई जा रही बाजार हस्तक्षेप कार्य सम्बन्धी परियोजना के अधीन बेची गई मात्रा भी शामिल है ।

मूंगफली के तेल की तस्करी

4880. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने कच्छ सीमा से मूंगफली के तेल की बड़े पैमाने पर की जा रही तस्करी के बारे में सरकार को अवगत कराया है;

(ख) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग को नागपुर सिटी के बाहर से होकर गुजारना

4881. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर सिटी से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को सिटी से बाहर से गुजारने के लिये इसके निर्माण में कोई प्रगति हुई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना का कार्य पूरा करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) नागपुर बाई पास का विकास तीन चरणों में किया जाना है। रा० रा० 7 (नागपुर-वर्धा) तथा रा० रा० 6 (नागपुर-भण्डारा) के बीच के खण्ड में प्रथम चरण के लिये भू अधिग्रहण हेतु 68.55 लाख रु० के प्राक्कलन को मार्च, 1990 में स्वीकृति दी गई थी। इस खण्ड के लिए उपयोग सेवाओं को स्थानान्तरित करने के लिये 63.74 लाख रु० के प्राक्कलन को भी अगस्त, 1990 में स्वीकृति दी गई थी। पूरी तरह से भूमि अधिग्रहीत किए जाने के बाद ही प्रथम चरण का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार से भू-अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने तथा शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है। चूंकि बाई पास का विकास चरणों में किया जा रहा है इसलिए इस पूरी परियोजना के पूरी होने की नियत तारीख के बारे में अभी से नहीं बताया जा सकता।

मध्य प्रदेश में पक्की सड़कों का निर्माण

4882. **श्री डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय**
श्री फूलचन्द वर्मा } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पक्की सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव मंजूर हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) विशेष समस्या वाले क्षेत्रों में सड़कों के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1987 में मध्य प्रदेश सरकार ने नीचे दर्शाई गई 10 ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था :

क्रमांक	सड़क का नाम	जिले का नाम
1.	सलैया सेलोन भूसोर रोड़	छत्तरपुर
2.	कोसद प्रताप-पुरा रोड़	भिंड
3.	नेहला बरेछा क्रासिंग अटरेटा थाना रोड़	दतिया
4.	जोउरा से सुमाउली रोड	मुरैना
5.	थाना खुर्द से बिलौआ रोड़	शिवपुरी
6.	खिरिया ककरवाहा रोड़	टीकमगढ़
7.	माण्डला पिपरतोला पहाड़ी खेड़ा पहाड़ी नाला से गंगाहू रोड़	पन्ना
8.	डांडा खिरक टिगरा रोड़ से कुलेथ रोड़	ग्वालियर
9.	सिरसी बदरवास रोड़	गुना
10.	मानगढ़ से देवाल वाया भाईस्वाहा रोड़	सागर

1989-90 तक, उपरोक्त 10 निर्माण-कार्यों को पर्याप्त वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता और इस योजना के अंतर्गत पहले स्वीकृत कार्यों की राज्य सरकार द्वारा असन्तोषजनक प्रगति के कारण प्रशासनिक अनुमोदन नहीं दिया जा सका था। राज्य सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने में आ रही समस्याओं के बारे में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने अपने पहले प्रस्ताव में संशोधन किया है और अब जनवरी, 1990 में पहले बताये गए 10 निर्माण-कार्यों में से पहले पांच कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन मांगा है। राज्य सरकार के इस संशोधित प्रस्ताव पर विचार करते समय उनके संशोधित अनुमानों में कुछ मौलिक विसंगतियां देखी गई हैं और ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य सरकार से आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। राज्य सरकार से अपेक्षित स्पष्टीकरण उपलब्ध न होने के कारण इन निर्माण कार्यों की प्रशासनिक अनुमोदन के लिए और जांच नहीं की जा सकी है।

प्रमुख पत्तनों से खनिजों का निर्यात

[हिन्दी]

4883. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न प्रमुख पत्तनों से कितनी आय प्राप्त हुई,

(ख) किन-किन प्रमुख पत्तनों से खनिजों का निर्यात किया जाता है, और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन पत्तनों से कितनी मात्रा में खनिजों का निर्यात किया गया ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान महापत्तनों से लगभग 1142 करोड़ रु० की आय हुई थी।

(ख) खनिजों का निर्यात मुख्यतः मुरगांव, विशाखापत्तनम, मद्रास न्यू मंगलूर और पारादीप पत्तनों से किया जाता है। थोड़ी मात्रा में खनिजों का निर्यात बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, कांडला और टूटीकोरिन पत्तनों से भी किया जाता है।

(ग) 1988-89 और 1989-90 के दौरान महापत्तनों से खनिजों की क्रमशः लगभग 34.76 मिलियन टन और 34.86 मिलियन टन मात्रा का निर्यात किया गया।

डी० टी० सी० में स्क्रैप की बिक्री में अनियमितताएं

4884. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी टी सी में स्क्रैप की बिक्री में अनियमितताओं के बारे में सरकार को कोई सूचना प्राप्त हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) इन अनियमितताओं में शामिल पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) दल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि जनवरी, 1990 में उन्हें दो निविदाकारों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि स्क्रैप के लिए बिक्री-करार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नहीं दिया गया था और यह भी कि बेची जा रही स्प्रिंग लीफ स्क्रैप को उचित रूप से नहीं तोला जा रहा था। स्प्रिंग लीफ का बुक वैलेंस के साथ पुनः निर्धारण करने के लिए तत्काल एक समिति गठित की गई थी। इसने बताया कि भार में अन्तर था और रिकार्डों की तुलना में सामग्री अधिक पाई गई थी।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के स्क्रैप यार्ड के दो सहायक स्टोर-कीपर्स को, जिन्हें इस मामले में जिम्मेदार पाया गया था, निलम्बित कर दिया गया है। दिल्ली परिवहन निगम का सतर्कता विभाग गहराई से जांच कर रहा है।

(घ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को पुनः न होने देने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है तथा स्क्रैप के लिए दी जाने वाली सामग्री जारी करने पर निगरानी करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है जिसमें सतर्कता विभाग का एक प्रतिनिधि भी शामिल है।

जम्मू और कश्मीर और पंजाब में आतंकवादियों की हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के सम्बन्धियों को रोजगार देना

[अनुवाद]

4885. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछले पांच वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के सम्बन्धियों को रोजगार देने के बारे में विभिन्न केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों और अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालयों को कोई निर्देश देने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर के विस्थापित लोगों को दिए गए कुल मुआवजे की राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की नीति है कि आतंकवादी हिंसा में मारे गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के निकट सम्बन्धी को यथासंभव उसी प्रतिष्ठान में ग्रुप-"सी" तथा "डी" पदों में रोजगार उपलब्ध कराया जाय।

(ग) जम्मू और कश्मीर सरकार तथा दिल्ली प्रशासन ने कश्मीर से आए प्रवासियों के राहत पर क्रमशः 10.00 करोड़ तथा 40.00 लाख रुपए से भी अधिक की राशि खर्च की है, जिसमें पात्र

परिवारों को जम्मू में चार अथवा उससे अधिक सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को 1000 रुपए तथा दिल्ली में चार अथवा उससे अधिक सदस्यों वाले प्रत्येक परिवार को 500 रु० की राशि का भुगतान शामिल है ।

पंजाब के प्रवासियों के लिए विभिन्न राहत उपायों पर पंजाब सरकार तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा 20.8.90 तक 27,00,64,745 रु० खर्च किए जा चुके हैं ।

दिल्ली पुलिस के निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों के विरुद्ध शिकायतें

4886. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली के पुलिस आयुक्त को निरीक्षकों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उनमें से कितने मामलों का अब तक निपटान किया गया है,

(ख) क्या सरकार का दिल्ली पुलिस के निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों और अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज शिकायतों की जांच करने के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित करने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (बिहार) को वित्तीय सहायता

4887. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, बिहार को और अधिक धनराशि देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास योजना के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अस्थाई तौर पर 1990-91 वर्ष के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए 35 लाख रु० की राशि आवंटित की है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

[हिन्दी]

4888. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में गोदी कर्मचारी कितनी बार हड़ताल पर रहे और इसके क्या कारण थे, और

(ख) सरकार ने उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) बंबई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन, मुरगांव और कांडला स्थित सात गोदी श्रमिक बोर्डों के पंजीकृत और सूचीबद्ध गोदी श्रमिकों ने अपने वेतन संशोधन की मांग को लेकर, 17 अप्रैल, 1989 से 22 अप्रैल, 1989 तक सभी पत्तनों के पत्तन और गोदी श्रमिकों की हड़ताल में भाग लिया था। इस मामले पर समझौते के लिए मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली द्वारा विचार किया गया था और पत्तन एवं गोदी श्रमिकों के पांच फेडरेशनों के प्रतिनिधियों और जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के अधिकारियों के बीच भी विचार-विमर्श हुआ। इन विचार-विमर्शों के बाद एक सहमति हुई और हड़ताल समाप्त कर दी गई थी।

उपर्युक्त के अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान बम्बई, मद्रास और कांडला गोदी श्रमिक बोर्डों के पंजीकृत/सूचीबद्ध गोदी श्रमिकों द्वारा भी कुछ हड़तालें की गई थीं। वे निम्नलिखित हैं :—

(I) बम्बई में गोदी, श्रमिक तीसरी शिफ्ट पुनः शुरू किए जाने के विरोध में 17 मार्च, 1989 को एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए थे। मामले पर समझौता वार्ता की गई और उसी दिन मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के समक्ष एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए।

(II) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड के पंजीकृत गोदी श्रमिक, सूखा एवं अंतरिम राहत के मुगतान के लिए अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 24 अप्रैल, 1987 की दूसरी शिफ्ट से 25 अप्रैल, 1987 की पहली शिफ्ट तक और 4 सितम्बर, 1987 की दूसरी शिफ्ट से 5 सितम्बर, 1987 की पहली शिफ्ट तक हड़ताल पर चले गए थे। द्विपक्षीय विचार-विमर्श द्वारा मांगों पर समझौता हो गया था।

(III) कांडला में, पंजीकृत गोदी श्रमिक, कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के सदस्यों के रूप में इन्टक यूनियन के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति का विरोध करने के लिए 22 मई, 1989 को 16.00 बजे से 23 मई, 1989 को 1600 बजे तक हड़ताल पर चले गए थे। इसके अलावा, कांडला में पंजीकृत गोदी श्रमिक, कुछ स्थानीय मांगों को सामने रखने के लिए 22 अप्रैल, 1987, 27 अप्रैल, 1988, 2 जुलाई, 1977 और 23 जुलाई, 1988 को कुछ घन्टों के लिए हड़ताल पर चले गए थे और द्विपक्षीय विचार विमर्श के बाद सामान्य काम-काज बहाल हो गया था।

महाराष्ट्र में मत्स्य गोदियां

4889. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में कितनी गोदियां स्थापित करने का विचार किया गया है; और

(ख) इन पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । तथापि, सैद्धान्तिक रूप से यह निर्णय ले लिया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र के अगरदंडा में गहरे समुद्र में मात्स्यिकी के बन्दरगाह का विकास किया जाए, बशर्ते प्रौद्योगिकीय-आर्थिक रूप से यह संभव हो । प्रौद्योगिकीय-आर्थिक सम्भाव्यता के पता लगाए जाने के बाद ही अगरदंडा में मात्स्यिकी बन्दरगाह पर होने वाले सम्भावित खर्च का पता लग सकेगा ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, महाराष्ट्र में नियुक्तियां

4890. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और जिला-वार महाराष्ट्र में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई,

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) वर्ष, 1988 और 1989 के दौरान महाराष्ट्र में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित सूचना नीचे प्रस्तुत की गई है । जिला/क्षेत्र वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । तथापि जब भी भर्ती आयोजित की जाती है तो उम्मीदवारों के लिए राज्य के किसी जिले में भर्ती हेतु भाग लेने में कोई रोक नहीं है ।

वर्ष	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1988	229	73	43	345
1989	196	60	26	282

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

नक्सलवादियों के आतंक को समाप्त करने के लिए बिहार को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

4891. **श्री एल० बी० सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को राज्य में नक्सलवादियों के आतंक को समाप्त करने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह वित्तीय सहायता अब बन्द कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) केन्द्रीय बिहार के जिलों में उग्रवादियों की गतिविधियों को शांत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अक्तूबर, 1988 में एक "आपरेशन सिद्धार्थ" नामक कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के तंत्र को मजबूत करने के अतिरिक्त विभिन्न विकासीय गतिविधियां आरम्भ की गई थी। केन्द्र सरकार (कृषि मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा अतिरिक्त भूमि/भूदान/सरकारी बेकार भूमि, आवंटित किए जाने वालों के लिए ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य सरकार को क्रमशः 222.50 लाख रु० 620 लाख रुपए तथा 130 लाख रु० तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 1989-90 के दौरान उपरोक्त प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के मानदण्ड

4892. **श्री एल० बी० सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण में नए डाकघर खोलने के मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मानदण्डों का बिहार के मुंगेर और बेगूसराय ज़िलों में पालन किया गया है; और

(ग) बिहार के मुंगेर और बेगूसराय जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1990-91 के दौरान कितने नए डाकघर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न विवरण दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी तक मुंगेर जिले में 4 शाखा डाकघरों को तथा बेगूसराय जिले में एक की मंजूरी दी गई है। मानदण्डों में संशोधन होने के पश्चात और डाकघरों के बारे में विचार किया जाएगा।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए मानदण्ड

(I) एक ग्राम पंचायत वाला ग्राम समूह एक डाकघर के लिए पात्र है बशर्ते कि (क) ग्राम पंचायत में आने वाले ग्राम समूहों की कुल जनसंख्या सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 तथा पहाड़ी, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में 1500 से कम न हो एवं (ख) उस ग्राम समूह में कोई अन्य डाकघर न हो।

(II) डाकघर सामान्यतः ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में खोला जाएगा। यदि ऐसा मौजूदा डाकघर में से 3 कि० मी० के भीतर आता हो तो उसी ग्राम पंचायत के

किसी अन्य ऐसे उपयुक्त ग्राम में डाकघर खोला जा सकता है जो दूरी की शर्त पूरी करता हो।

(III) पहाड़ी क्षेत्र में 3 कि० मी० की पाबन्दी पर विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत छूट दी जा सकती है।

(IV) सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का 33.1/3% होगा तथा पहाड़ी जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में यह लागत का 15 प्रतिशत होगा।

उपर्युक्त मानदण्डों को आठवीं योजना के प्रयोजन से संशोधित करने का प्रस्ताव है।

बिहार के मुंगेर और बेगूसराय जिलों में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

4893. **श्री एल० पी० सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने अथवा विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंज में इलेक्ट्रानिक प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए क्या मापदण्ड हैं;

(ख) क्या बिहार के मुंगेर और बेगुसराय जिलों में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने के बारे में लगातार मांग की जाती रही है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान, इन दोनों जिलों में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) किसी स्थान विशेष में नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का आधार 10 या इससे अधिक की दत्त मांग होती है। मांग के सञ्जित क्षमता से अधिक होने पर या उपस्कर के उपयोगी कार्यकाल के समाप्त होने पर इस किस्म के एक्सचेंज का उन्नयन किया जाता है/को बदला जाता है।

(ख) विभाग को ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता। तथापि, बरौनी में 400 लाइनों के एन ई ए एस, बेगुसराय जिले के बिहार में 128 पोर्ट सी-डॉट, बरेही में 128 पोर्ट सी-डाट तथा मुंगेर जिले के मुंगेर में 2048 पोर्ट आई० एल० टी० चालू किये जाने के प्रस्ताव हैं बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

गुजरात के पनोली टेलीफोन एक्सचेंज में अप्रयुक्त पड़े केबिल

[हिन्दी]

4894. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के पनोली टेलीफोन एक्सचेंज में एक करोड़ रुपये के केबिल अप्रयुक्त पड़े हैं और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) गुजरात में पनोली में टेलीफोन एक्सचेंज परियोजना में 16 लाख रु० मूल्य के केबिल उपलब्ध कराए गए थे एक करोड़ के नहीं। परियोजना के लिए उपलब्ध कराए गए केबिलों को 80% केबिल बिछाए जा चुके हैं और शेष केबिल दिसम्बर, 90 तक बिछाए जाने का प्रस्ताव है।

सरदार सरोवर परियोजना में संचार व्यवस्था

[अनुवाद]

4895. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना में संचार व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए "फ्रिक्वेन्सी" आवंटन के लिए अगस्त, 1988 में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को "अनापत्ति" प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक मंजूरी दिये जाने और "फ्रिक्वेन्सी" आबंटित किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) अगस्त, 1988 में सरदार सरोवर परियोजना की संचार प्रणाली के लिए "फ्रीक्वेन्सी आबंटित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

तथापि, उसी परियोजना के लिए गुजरात सरकार को जून, 1980 में आबंटित फ्रीक्वेन्सी के लाइसेन्स का नवीकरण करने के लिए अप्रैल, 1989 में गुजरात सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था। अगस्त, 1989 में इसे मंजूरी दे दी गई थी तथा इसके बाद लाइसेन्स का नवीकरण किया गया।

(ग) उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव समाप्त करने के अमरीकी प्रयास

4896. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव समाप्त करने के प्रयास किये हैं;

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने पाकिस्तान सरकार से इस बात की पुष्टि की है कि उसने उन 13 शिविरों को बन्द कर दिया है, जिनमें कश्मीरी आतंकवादियों को प्रतिशिक्षित किया जा रहा था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) अमरीकी सरकार ने शिमला समझौते की भावना से शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान के लिए समर्थन व्यक्त किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

काकीनाडा-यनम सड़क का सुधार

4897. **श्री राज मोहन रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने काकीनाडा-यनम सड़क को चौड़ा करने और उसमें सुधार करने के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धन दिए जाने का निवेदन किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.76 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से काकीनाडा से यनम तक वाया तल्लारेवू 0/0 से 29/5 कि० मी० तक सड़क के सुधार के लिए राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि में चूंकि वास्तविक वृद्धि अभी नहीं हुई है; जिसके प्रति प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, अत: प्रस्तावों पर अनुमोदन के लिए आगे कार्रवाई नहीं की गई है।

ग्रामीण जल पूर्ति हेतु आन्ध्र प्रदेश से भेजी गई परियोजना रिपोर्ट

4898. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रमों के बारे में आंध्र प्रदेश से विभिन्न परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां; तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार से अधिक फ्लोराइड तथा खारेपन से प्रभावित 1229 समस्या-ग्रस्त गांवों को कवर करने के लिए 48.94 करोड़ रुपए की लागत वाली 48 ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राप्त हुई है।

(ग) इन योजनाओं की जांच की जा रही है तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत शीघ्र ही तकनीकी अनुमोदन सूचित कर दिया जाएगा।

द्विपक्षीय सहायता हेतु योजना सहित कोई अन्य योजना/परियोजना ग्रामीण विकास विभाग में अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं है।

हथियारों के लिए लाइसेन्स देने की प्रणाली को उदार बनाना

[हिन्दी]

4899. **श्री काशीराम राणा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हथियारों के लिए लाइसेन्स प्रदान करने की प्रणाली को उदार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सुरक्षा, खेलकूद, चांदमारी आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु शस्त्र अधिनियम, 1959 तथा शस्त्र नियम, 1962 में पर्याप्त उपबंध मौजूद हैं तथा वास्तविक और प्रमाणित आवश्यकता के आधार पर और लोक शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कानून और व्यवस्था की व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा आवेदकों को लाइसेन्स जारी किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

दूरसंचार इन्जीनियरों द्वारा हड़ताल के कारण हानि

[अनुवाद]

4900. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष मई में दूरसंचार इंजीनियरों द्वारा हड़ताल के कारण दूरसंचार विभाग को हुई हानि का कोई आकलन किया है,

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) हड़ताल की अवधि के दौरान विभाग के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं। मई, 90 के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल जुलाई में जारी किए जा चुके हैं और उनके आंकड़े सितम्बर/अक्तूबर, 90 में उपलब्ध हो पाएंगे। केवल तभी घाटे का अनुमान लगाया जा सकता है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए इस समय कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) हड़ताल [मई 1990 में दूरसंचार इंजीनियरों द्वारा नियमानुसार कार्य] के दौरान दूरसंचार सेवाओं का कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाये गये हैं।

खाड़ी के देशों में रह रहे भारतीय और उनकी वापसी

4901. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
श्री सुखेन्द्र सिंह } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी के प्रत्येक देश में रह रहे भारतीयों की संख्या का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश में उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में भारतीयों के खाड़ी के देशों से अन्यत्र चले जाने का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) और (ख) खाड़ी के देशों में भारतीय की संख्या नीचे लिखे अनुसार आंकी गई है :—

बहरीन	80,000
कुवैत	1,72,000
अम्मान	1,90,000
कतार	45,000
सऊदी अरब	4,25,000
संयुक्त अरब अमीरात	2,75,000
यमन	6,000

(ग) और (घ) 2 अगस्त से 2 सितम्बर, 1990 तक खाड़ी देशों से हवाई जहाज द्वारा 13,357 भारतीयों को भारत वापस लाया गया था।

टेलीफोन टेलेक्स एक्सचेंजों और तारघरों से आय

4902. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 को स्थिति के अनुसार टेलीफोन टेलेक्स एक्सचेंजों और तारघरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) 1 जनवरी, 1990 को स्थिति के अनुसार इन कार्यालयों से राज्यवार कितनी आय हुई; और

(ग) इनके विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये राज्यवार क्या योजनायें बनाई गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अमरेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

भाग—क. विभिन्न राज्यों में टेलीफोन, टेलेक्स एक्सचेंजों तथा टेलीग्राफ कार्यालयों की संख्या इस प्रकार है :—

क्र० सं०	राज्य/दूरसंचार सर्किल का नाम	1-1-90 की स्थिति के अनुसार टेली फोन एक्सचेंज की संख्या	1-1-90 की स्थिति के अनुसार टेलेक्स एक्सचेंजों की संख्या	31-3-90 स्थिति के अनुसार संयुक्त कार्यालयों सहित टेलीग्राफ कार्यालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2009	29	4064
2.	असम	207	6	437
3.	बिहार	442	10	2093
4.	गुजरात (दादर नागर हवेलीदमण एवं द्वीव सहित)	951	37	1808
5.	हरियाणा	300	10	381
6.	हिमाचल प्रदेश	286	3	607
7.	जम्मू एवं कश्मीर	120	2	464
8.	कर्नाटक	1487	21	4066
9.	केरल (लक्ष्य दीप सहित)	629	15	2033
10.	मध्य प्रदेश	1033	18	3872
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	1546	33	2652
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय. मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य सहित	162	6	248
13.	उड़ीसा	414	11	1967
14.	पंजाब (चण्डीगढ़ सहित)	503	9	615
15.	राजस्थान	794	11	1715
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	1270	50	5678
17.	उत्तर प्रदेश	1137	29	5765
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित)	513	11	1515
19.	दिल्ली	57	1	74
	योग	13680	311	39454

भाग --ख. विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में टेलीफोन, टेलेक्स एक्सचेंजों और टेलीग्राफ कार्यालयों से प्राप्त राजस्व (1-4-89 से 31-12-89 तक की अवधि के दौरान) इस प्रकार है :

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/दूरसंचार सर्किल का नाम	टेलीफोन	टेलीग्राम	टेलेक्स
1.	आंध्र प्रदेश	134.67	4.59	5.10
2.	असम	9.75	1.32	.10
3.	बिहार	30.99	1.72	.57
4.	गुजरात (दादर और नागर हवेली दमन और द्वीव सहित)	161.95	3.04	4.76
5.	हरियाणा	25.65	1.04	.41
6.	हिमाचल प्रदेश	8.24	.48	.09
7.	जम्मू व कश्मीर	13.95	1.28	.55
8.	कर्नाटक	130.81	4.42	4.22
9.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	64.92	1.75	3.41
10.	मध्य प्रदेश	69.37	7.91	.84
11.	महाराष्ट्र (गोवा शामिल है) (म० न० टे० एन एल इसमें शामिल नहीं है)	129.45	8.32	4.68
12.	उत्तर पूर्व (अरूणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय, मिजोरम नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	9.08	.54	.07
13.	उड़ीसा	20.06	.85	.86
14.	पंजाब (चण्डीगढ़ सहित)	82.02	3.26	.69
15.	राजस्थान	44.02	1.86	1.60
16.	तमिलनाडु (पांडीचेरी सहित)	188.90	5.94	14.46
17.	उत्तर प्रदेश	101.10	3.01	3.09
18.	पं० बंगाल (सिक्किम और दमन व निकोबार द्वीप समूह)	134.06	2.024	6.26
19.	एम डी एन एल, दिल्ली	355.64	0.64	30.93
20.	एम टी एन एल, बम्बई	460.28	0.59	40.00

टिप्पणी 1. उचत आंकड़ों को छोड़कर प्राप्त होने वाले लेखे और अग्रिम राजस्व को शामिल करने वाले आंकड़े।

2. गलत वर्गीकरण के कारण टेलेक्स के लिए महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के आंकड़े ऋणात्मक दर्शाये गये हैं।

भाग-ग

—प्रत्येक राज्य के लिए सामान आधार पर विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना बना ली गई है और इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित है :—

—5000 लाइनों से कम क्षमता वाले एक्सचेंजों में (8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (मांग होने पर टेलीफोन उपलब्ध कराना और बड़े एक्सचेंजों में प्रतीक्षा अवधि को कम करके औसतन एक वर्ष तक लाना।

—सभी मैनुअल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण करना।

—उन सभी उपस्करों को बदलना जिनकी मियाद समाप्त हो चुकी है; जो खराब और अनुपयोगी हो गए हैं।

—उपमण्डलीय मुख्यालयों/समकक्ष ब्लॉकों/सहसीलों को राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग नेटवर्क से जोड़ना।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के आयल गैसिफिकेशन प्लांट में विस्फोट

4903. **प्रो० के० वी० थामस** : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, उद्योगमण्डल, केरल के आयल गैसिफिकेशन प्लांट में एक विस्फोट हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, केरल के विभिन्न संयंत्रों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) जी हां। 18-5-90 को जब एक आयल गैसिफिकेशन संयंत्र चालू किया जा रहा था, तो नेफथा रिकवरी अनुभाग के नेफथा/कन्डेंसेट सेपेरेटर में विस्फोट हुआ था और समस्त रिकवरी अनुभाग आग की चपेट में आ गया था। संयंत्र के संचालन स्टाफ के दो कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु हुई। उत्पादन हानि के अलावा लगभग 60 लाख रु० के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। फैक्ट ने हमेशा सुरक्षा का काफी उच्च स्तर बनाए रखा है। हाल ही में, संयंत्र के सचालन और अनुरक्षण में सुरक्षा के कुछ अतिरिक्त कदम उठाये गये हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं :—

(I) फैक्ट ने एक "सुरक्षा प्रथम" समिति का गठन किया है जो कि सभी संयंत्रों की सुरक्षा पद्धति की आवधिक पुनरीक्षा करती है।

(II) फीडो ने 1987 में सभी सन्यन्त्रों की सुरक्षा जांच की थी और उसकी सिफारिशें कार्यान्वित की गयी हैं।

(III) दुर्घटना के पश्चात् इन्जीनियर्स इण्डिया लि० नई दिल्ली द्वारा "जोखिम और संचालन अध्ययनन" किया गया था और इसके द्वारा की गयी सिफारिशों कार्यान्वित की जा रही हैं।

एफ० बी० आई० और सी० आई० ए० अधिकारियों के साथ रेल मन्त्री की बैठक

4904. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्री ने हाल ही में अपने अमरीकी दौरे के दौरान वाशिंगटन में एफ० बी० आई० और सी० आई० ए० अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी; और

(ख) यदि हां, तो मुलाकात के दौरान उनके साथ किस प्रकार की बातचीत हुई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बेरोजगार और विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (पी० सी० ओ०) आवंटित करना

[हिन्दी]

4905. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक गांव में बेरोजगार अथवा विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र आवंटित करने का है ताकि ग्रामीणों को सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ इन व्यक्तियों की सहायता भी हो सके;

(ख) क्या बेरोजगार अथवा विकलांग व्यक्तियों को, प्रत्येक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, न्यायालय, कृषि मंडियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र आवंटित करने का भी प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अमरेश्वर सिंह) : (क) जी नहीं । अभी तक ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है जिसके अन्तर्गत ग्रामों में बेरोजगार अथवा विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक टेलीफोन घर आवंटित किए जाएं ।

(ख) और (ग) जब कभी आवश्यकता हो, तब अस्पताल, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सिनेमा घरों आदि जैसे स्थानों में खोले गए केवल स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर बेरोजगार अथवा विकलांग व्यक्तियों को आवंटित करने सम्बन्धी नीति पहले ही मौजूद है ।

फसल बीमा योजना

4906. **श्री सी० डी० गामित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा मार्च, 1990 तक व्यापक बीमा योजना के अन्तर्गत कितनी सहायता मांगी गई है;

(ख) कितनी राशि मंजूर की गई है और इस रकम में से कितनी वास्तव में दी गई है; और

(ग) शेष रकम कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) मार्च, 1990 तक वृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत गुजरात में सम्बन्धित किसानों को भुगतान किए जाने वाले क्षतिपूर्ति दावों की कुल राशि 329.90 करोड़ रुपए थी, जो अब भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा राज्य में विभिन्न ऋण वितरक एजेंन्सियों को अदा कर दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता है।

गुजरात में मूंगफली का उत्पादन

4907: **श्री सी० डी० गामित** : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने मूंगफली के तेल की बढ़ती मांग को देखते हुए मूंगफली की खेती बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कितनी अनुदान राशि का अनुरोध किया है;

(घ) इसके लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृति की गई थी तथा इसमें से कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ) शेष धनराशि कब तक दे दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं होता है। तथापि, 1990-91 के दौरान तिलहन उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों, इनमें गुजरात भी शामिल है, में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि मूंगफली सहित तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आदानों की सप्लाई और किसानों को समर्थन सम्बन्ध सेवाएं मुहैया करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा सके। इस योजना के अन्तर्गत, 669.51 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 502.13 लाख रुपए है। निधियां शीघ्र ही निर्मुक्त की जा रही हैं।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाए गए मकान

4908. **श्री सी० डी० गामित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मार्च, 1990 तक कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ख) इस योजना के लिए गुजरात सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है;

(ग) अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गयी है और कितनी धनराशि दी गयी है; और

(घ) शेष धनराशि कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र वर्मा) : (क) गुजरात में मार्च, 1990 तक इन्दिरा आवास योजना के तहत 22574 मकानों का निर्माण किए जाने की सूचना मिली है।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के कुल संसाधनों का 6 प्रतिशत इन्दिरा आवास योजना के लिये निर्धारित किया गया है तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रही कुल ग्रामीण जनसंख्या में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों में गरीबों के अनुपात के अनुसार इस वर्ग विशेष के लिए राज्यों में वितरित किया गया है। गुजरात से इन्दिरा आवास योजना के लिए कोई विशिष्ट मांग नहीं आई है।

(ग) 1990-91 के दौरान गुजरात को इन्दिरा आवास योजना के लिए 490-29 लाख रुपए के केन्द्रीय अंश और 122.57 लाख रुपए के राज्य अंश को मिलाकर 612.86 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। गुजरात को अभी तक इन्दिरा आवास योजना के संसाधनों का 245.15 लाख रुपए का केन्द्रीय अंश रिलीज किया गया है।

(घ) 1990-91 के दौरान जवाहर योजना के संसाधनों को चार किश्तों में रिलीज किया जाना है। जवाहर रोजगार योजना के संसाधनों की तीसरी और चौथी किश्त योजना के तहत निर्धारित कुछेक शर्तों को पूरा किए जाने के पश्चात क्रमशः अक्तूबर, 1990 और जनवरी, 1991 के माह में रिलीज की जाएंगी।

महिलाओं पर अत्याचार

[अनुवाद]

4909. **श्रीमती विजयाराजे सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1989 और 1990 के दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि जैसे विभिन्न राज्यों से महिलाओं पर होने वाले अत्याचार तथा उन्हें परेशान करने के सम्बंध में प्राप्त सूचनाओं के मामलों में अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में तथ्य क्या है; और

(ग) राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने की सलाह दी गई है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान महिलाओं के प्रति किये गये अपराधों के रूप में सूचित किये गये मामलों की संख्या के राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार विवरण-I और विवरण-II संलग्न है।

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों सहित, अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच पड़ताल करना, पता लगाना और रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। उन्हें महिलाओं के प्रति अपराओं को रोकने के लिए कदम उठाने होते हैं।

(ग) गृह मंत्रालय ने अप्रैल, 1990 में सभी राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किये थे कि महिलाओं के प्रति अपराधों के सभी मामलों को गम्भीरता से लिया जाए। उन्हें विशेष रूप से सलाह दी गई थी कि मामलों को तत्काल दर्ज करें, उपयुक्त स्तर द्वारा उनकी जांच कराए, जल्दी से न्यायालय में मामले दायर करें और उन पर पुरजोर कार्रवाई करे ताकि अपराधी व्यक्तियों को दण्ड मिलें।

विवरण—I

वर्ष 1989 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के रूप में दर्ज किए गए मामलों की संख्या

राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	बलात्कार	शीलभंग	महिलाओं और लड़कियों का अपहरण	छेड़-छाड़	दहेज-मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	577	1612	683	1647	320
2.	अरूणाचल प्रदेश	24	25	28	—	—
3.	असम	415		565	34	18
4.	बिहार	738		393	39	228
5.	गोवा	15	22	14	1	—
6.	गुजरात	245	768	713	418	51
7.	हरियाणा	138	246	205	290	151
8.	हिमाचल प्रदेश	54	181	119	—	18
9.	जम्मू और कश्मीर	176	934	540	271	7
10.	कर्नाटक	171	923	261	67	175
11.	केरल	176	586	88	—	16
12.	मध्य प्रदेश	915	2508	485	12	75
13.	महाराष्ट्र	810	2805	862	697	

1	2	3	4	5	6	7
14.	मणिपुर	16	31	105	—	—
15.	मेघालय	18	44	8	—	—
16.	मिजोरम	37	30	7	4	—
17.	नागालैंड	6	—	4	—	—
18.	उड़ीसा	182	653	174	78	42
19.	पंजाब	83	36	96	5	78
20.	राजस्थान	712	1346	2070	17	130
21.	सिक्किम	5	3	1	—	—
22.	तमिलनाडु	238	719	312	899	122
23.	त्रिपुरा	76	107	65	4	9
24.	उत्तर प्रदेश	1363	1850	2166	2208	1364
25.	पश्चिम बंगाल	516	361	425	128	402
	कुल (राज्य)	7706	16463	10389	6933	3894
	संघ क्षेत्र					
26	अण्डमान व निकोबार	4	31	13	9	—
27.	चण्डीगढ़	17	8	16	23	1
28.	दमन व द्वीप	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
29.	दादर व नगर हवेली	2	2	1	—	
30.	दिल्ली	131	160	685	2414	
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	6	19	22	246	2
	कुल (संघ क्षेत्र)	150	220	737	2692	112
	कुल जोड़	7856	16983	11126	9625	4006

टिप्पणी (1) आंकड़े राज्यों/संघ क्षेत्रों से प्राप्त महीनावार अपराध आंकड़ों पर आधारित है जिनको अन्तरिम समझा जायेगा।

(2) मध्य प्रदेश के आंकड़े मई, 89 तक और दमन और दीव के अक्तूबर, 89 तक उपलब्ध हैं।

(3) 1989 के कुल आंकड़ों में मई, 89 तक मध्य प्रदेश के आंकड़े और दमन और दीव के अक्तूबर 89 तक के आंकड़े सम्मिलित हैं।

(4) "—" शून्य सूचना देते हैं।

(5) प्रश्न . प्राप्त नहीं के लिए।

विवरण-2

वर्ष 1990 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के रूप में दर्ज किये गये मामलों की संख्या

राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	बलात्कार	शीलभंग	महिलाओं और लड़कियों का अपहरण	छेड़खानी	दहेज.मृत्यु	तक आंकड़े
1	2	3	4	5	6	7	8
	राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	219	580	222	387	95	अप्रैल, 90
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	14	9	—	—	मई, 90
3.	असम	96	40	148	4	4	मार्च, 90
4.	बिहार			प्र० म० N. A.			
5.	गोवा	5	13	14	2	—	जून, 90
6.	गुजरात	24	115	116	44	17	फरवरी, 90
7.	हरियाणा	46	46	22	74	16	मार्च, 90
8.	हिमाचल प्रदेश	23	97	54	4	11	जून, 90
9.	जम्मू और कश्मीर	19	79	81	22	2	मार्च, 90
10.	कर्नाटक	77	408	154	15	104	जून, 90
11.	केरल	86	293	71	2		मई, 90

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश			प्र० न० N. A.			
13.	महाराष्ट्र	408	1319	435	356		
14.	मणिपुर	15	16	50	—	—	जून, 90
15.	मेघालय	10	5	3	—	—	अप्रैल, 90
16.	मिजोरम	27	15	1	—	—	जून, 90
17.	नागालैंड	4	—	1	1	—	मई, 90
18.	उड़ीसा	96	207	90	19	23	मई, 90
19.	पंजाब	29	33	45	7	47	मई, 90
20.	राजस्थान			प्रा० न० —.—. N. A.—.—.			
21.	सिक्किम	1	—	1	—	—	जून, 90
22.	तमिलनाडु	104	224	154	277	31	मई, 90
23.	त्रिपुरा	43	80	41	—	4	जून 90
24.	उत्तर प्रदेश			प्रा० न० —.—. N. A. —.—.			
25.	पश्चिम बंगाल	72	42	62	2	66	फरवरी 90
	संघ शासित क्षेत्र						
26.	अण्डमान और निकोबार	1	6	6	1	—	जून 90

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	चण्डीगढ़	6	2	10	5	—	जुलाई, 90
28.	दमन और दीव			प्रा० न०			
				—.—. N. A. —.—.			
29	दादरा और नगर हवेली	3	5	3	—	—	
30.	दिल्ली	13	11	45	153	11	जून, 90
31.	लक्षद्वीप			प्रा० न०			
				—.—. N. A. —.—.			
32.	पांडिचेरी	9	11	4	80	—	जून, 90

टिप्पणी : (1) आंकड़े राज्यों और संघ क्षेत्रों से प्राप्त महीनावार अपराध सांख्यिकी पर आधारित हैं और इनको औपबन्धिक माना जाय।

(2) "—" सूचना दर्शित करता है।

नई दिल्ली में हुई भारत पाकिस्तान वार्ता

4910. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान द्वारा उग्रवादियों और अलगाववादियों को प्रशिक्षण देकर, हथियार देकर तथा घुसपैठ कराकर भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप को रोकने के लिए पाकिस्तान का आश्वासन लेने हेतु भारत और पाकिस्तान के बीच इस वर्ष अगस्त में नई दिल्ली में हुई विदेश सचिव स्तर की वार्ता के दूसरे दौर में क्या प्रगति हुई ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरि किशोर सिंह) : बातचीत के दूसरे दौर में भारत ने अन्य बातों के अलावा पाकिस्तान को कई ठोस उपायों का सुझाव दिया था जैसे कानून तोड़कर भागने वालों को वापस सौंपना, घुसपैठियों और हथियारों को जब्त करना, आतंकवाद से नाता तोड़ने की स्पष्ट सार्वजनिक अभिव्यक्ति, कश्मीर की घटनाओं के सदर्भ में सरकारी तौर पर प्रायोजित निधियों को बन्द करना और भड़काने वाली तथा शत्रुतापूर्ण बातें कहना बन्द करना ताकि इस बात का पता चले कि पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवाद को सहायता वस्तुत: बन्द करना चाहता है। इन बातों पर तथा परस्पर विश्वास विकसित करने के अन्य उपायों पर विचार-विमर्श सितम्बर, 1990 के अन्त में दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच होने वाली बातचीत के तीसरे दौर में जारी रहेगा ।

विकासशील देशों को सहायता

4911. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग तथा भारतीय तकनीकी एवं अधिक सहयोग के अन्तर्गत विकासशील देशों को सहायता देने सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए आवंटित बजट तथा इस पर वास्तव में खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को यह सहायता दी गई है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई हैं;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में स्थापित गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र के माध्यम से सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) और (ख) संगत सामग्री संग्रहीत की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । "नाम" विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र अप्रैल, 1989 में नई दिल्ली में विकासशील देशों के बीच विज्ञान एव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संवर्द्धित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था । मशा यह है कि इस केन्द्र के लिए वित्त की व्यवस्था सदस्य देशों से नियमित अंशदान से की जाए । केन्द्र के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों के आधार पर भारत सरकार इसके खर्च की अपनी भागीदारी तय करेगी ।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

4912. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से सहायता मांगने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में कितनी धन-राशि मिलने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) राजस्थान में राजमार्गों के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, "राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के एक्रोल कोटपुतली (69 कि० मी०) खण्ड को लगभग 55.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से चार लेन का बनाने तथा सुदृढ़ करने के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता मांगने का एक प्रस्ताव है, जो बैंक के साथ समझौता-कर्ताओं पर निर्भर करता है । जो अभी की जानी है ।

दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियन्त्रण और जल निकासी मंडल संख्या तीन के सूर्य नगर स्थित भण्डार से इस्पात की चोरी

4913. **श्री गंगाचरण लोधी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 के मध्य में दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियन्त्रण और जल निकासी मंडल संख्या तीन के सूर्य नगर स्थित भण्डार से लाखों रुपयों के मूल्य का इस्पात चोरी हो गया था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी;

(ग) यदि हां, तो उस मामले की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है और उस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) क्या सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नियमों के अनुसार स्टाक की वास्तविक सामयिक जांच की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सूर्य नगर स्थित भण्डार में 3 लाख रु० कीमत की लगभग 33 एम. टी. इस्पात कम पाया गया ।

(ख) और (ग) अप्रैल और अक्तूबर, 1989 में इस्पात के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई । बाद में की गई शिकायत के आधार पर विवेक विहार थाने में भा० द० सं० की धारा 380 के अन्तर्गत एक मामला सूचना रिपोर्ट सं० 296/89 दिनांक 9.11.89 दर्ज किया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) नवम्बर, 1989 से भण्डार की सावधिक रूप से वास्तविक जांच की जा रही है ।

उड़ीसा सर्कल के लिए टेलीफोन परामर्शदात्री समिति

4914. **श्री मंगाराज मलिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सर्कल की गत टेलीफोन परामर्शदात्री समिति कब गठित की गई थी और इस टेलीफोन परामर्शदात्री समिति में किन-किन श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया गया था;

(ख) क्या सरकार का विचार परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने अथवा कार्यालय-वार राजस्व जिलों, जिला प्रबन्धक, दूरसंचार के लिए पृथक टेलीफोन परामर्शदात्री समिति का गठन करने का है, और

(ग) कटक, जिला प्रबन्धक, दूरसंचार कार्यालय में टेलीफोन परामर्शदात्री समिति में कितने सदस्य होंगे और इसका गठन कब तक किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) उड़ीसा दूर संचार सर्किल के लिए पिछली सलाहकार समिति का गठन दो वर्ष के लिए 28.2.1990 तक, किया गया था । उक्त समिति का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा किया गया था :—

(i) संसद सदस्य
(ii) राज्य की विधान सभा
(iii) राज्य प्रशासन
(iV) प्रेस
(V) चिकित्सा व्यवसाय
(vi) विधिक व्यवसाय
(Vii) अन्य व्यवसाय जैसे इन्जीनियर, वास्तुविद आदि ।
(viii) व्यापार, वाणिज्य और उद्योग
(ix) जन सेवक और अन्य

(ख) सलाहकार समितियों की संख्या और उनकी संरचना सम्बन्धी ब्यौरा अनुबन्ध में दिए गए हैं, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) कटक दूर संचार जिले के लिये 20 सदस्यों वाली सलाहकार समिति का गठन शीघ्र ही किए जाने की संभावना है ।

विवरण

दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियां—गठन और भाग लेने वाले प्रतिनिधि

क्र० सं०	भाग लेने वाले प्रतिनिधि की श्रेणी	बम्बई कलकत्ता और दिल्ली के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां	5 राज्यों के लिए दूर संचार सलाहकार समितियां	मद्रास के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति	13 राज्यों के लिए दूरसंचार सलाहकार समिति	17 बड़े टेलीफोन जिलों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां	66 छोटे जिलों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां	13 अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियां
			(क)		(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	संसद सदस्य	3	3	3	3	2	2	2
2.	राज्य प्रशासन	1	1	1	1	1	1	1
3.	राज्य विधान सभा	4	4	3	3	3	2	3
4.	निगम अथवा नागरिक निकाय	2	—	1	—	1	1	—
5.	प्रेस	4	4	3	3	2	1	1
6.	चिकित्सा व्यवसाय	2	2	2	2	2	1	1
7.	विधिक व्यवसाय	2	2	2	2	2	1	1
8.	अन्य सभी व्यवसाय जैसे इन्जीनियर-वास्तुविद आदि	2	2	2	2	2	1	1
9.	व्यापार-वाणिज्य और उद्योग	10	10	6	6	5	5	4
10.	जन सेवा और अन्य	10	12	7	8	5	5	6
	कुल	40	40	30	30	25	20	20

(क) बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ।

(ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश ।

(ग) अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलूर, बड़ौदा कालीकट, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लुधियाना, लखनऊ, मदुरै, मंगलूर, पूणे, राजकोट, सूरत ।

(घ) आगरा, इलाहाबाद, अम्बाला, अलेप्पी, अहमदनगर, अगरतला, आसनसोल, बलसार, भुज, भावनगर, बेलगाम, भोपाल, चित्तूर, कन्नानोर, कटक, कुद्दालोर, दीमापुर, एलुरू, एरोडा, फरीदाबाद, फिरोजपुर, गुरकल, गुवाहाटी, गुंटूर, गाजियाबाद, हुबली, हिसार, इन्दौर, इम्फाल, जूनागढ़, जबलपुर; जामनगर, जलगांव, जालंधर, कुरनूल, कोट्टायम, करनाल, कल्यान, कोल्हापुर, मेहसाणा, मैसूर, मेरठ, नागपुर, नाडियाद, नासिक, पटना, पालघाट, पंजिम, पटियाला, पोर्ट ब्लेयर, राजामुंदरी, रोहतक, श्रीनगर, शोलापुर, शिलांग, सालेम, सिलीगुड़ी, त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर, त्रिची, तिरूनेलवेली, तंजौर, विजयवाड़ा, वाराणसी, वेल्लोर और विवलोन ।

(ङ) मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम गोवा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चन्डीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा मिनीकाय, दादर तथा नगर हवेली, पांडिचेरी ।

अल्फा को बंगला देश से तथाकथित सहायता

4915. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री शान्ताराम पोटदुखे } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक, 13 जुलाई, 1990 के "बिजनिस स्टेन्डर्ड" कलकत्ता "में अल्फा रैन्सम रानडिवूस इन ढाका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या बंगला देश सरकार के साथ उग्रवादियों को तथाकथित सहायता और उकसाने सम्बन्धी मामला उठाया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सूचना की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में आतंकवादी नेताओं के वक्तव्य

4916. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स बब्बर खालसा और आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, को चार प्रमुख नेताओं की पंजाब में बेकसूर लोगों की हत्या और धन लूटने की निंदा करने के बारे में 19 जुलाई, 1990 को चंडीगढ़ में संयुक्त रूप से जारी वक्तव्य की ओर गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में 20-7-1990 को समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार देखा है। सरकार के पास आगे कोई सूचना नहीं है ।

हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की यूनिटों को अर्थक्षम बनाना

[हिन्दी]

4917. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में मैसर्स हाल्डन टाप्सो को हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की यूनिटों की क्षमता के अधिक उपयोग तथा इन्हें अर्थक्षम बनाने के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए तथा सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या इस एजेंसी ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन को यूनिटों को अर्थक्षम बनाने के लिए इन सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) परामर्शदाताओं ने सिफारिश की है कि हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच० एफ० सी०) के दुर्गापुर, बरौनी, नामरूप I तथा II एककों का 486.39 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर पुनरुद्धार/पुनर्वास किया जा सकता है तथा उसके पश्चात 10% क्षमता उपयोगिता की गारंटी दी जा सकती है।

(घ) और (ङ) परामर्शदाताओं की रिपोर्ट तथा विभिन्न अन्य विकल्पों की पूर्ण रूप से जांच की गई। तथापि, चूंकि विभिन्न प्रस्तावों में वृहत निवेश अन्तर्ग्रस्त है, इसलिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए वर्षा-जल का भण्डारण

[अनुवाद]

4918. **श्रीमती वासव राजेश्वरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेय जल संकट दूर करने के लिए वर्षा जल के भण्डारण और इसके उपयोग करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत जल संरक्षण और भू-जल स्रोतों की सम्पूर्ति से संबंधित उप-मिशन के अधीन, राज्य सरकारों को भूमि संरक्षण, वन-रोपण, आधारभूत ढांचों के निर्माण, तालाबों के निर्माण, स्रोतों की सम्पूर्ति आदि के लिए योजनाएं आरम्भ करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी योजनाओं के लिए विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अपर्याप्त वर्षा वाले अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं जिसके लिए तकनीकी अनुमोदन दिया जाता है, के लिए पूरी सहायता दी जाती है।

(ख) अनुमोदित योजनाओं की लागत, रिलीज की गई निधियों, वर्षा जल एकत्रीकरण ढांचों हेतु किए गए व्यय के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्षा जल एकत्रीकरण के सम्बन्ध में एक मैनुअल परिचालित किया है।

विवरण

बल एकत्रीकरण डांचों की योजनाओं की वित्तीय प्रगति

लाख रुपए में

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिले का नाम	अनुमोदित योजनाओं की कुल लागत	रिलीज की गई निधियां					व्यय	जिस तारीख तक सूचना दी गई	देय शेष राशि
			1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	कुरनूल	14.310	7.000				7.00	1.980	6/90	7.310
	पूर्वी गोदावरी	43.500		21.250			21.250	11.540	6/90	22.250
	महबूबनगर	16.000		8000			8.000	0.750	6/90	8.000
	प्रकाशम पश्चिमी	19.000		9.500			9.500	5.380	6/90	9.500
	गोदावरी	8.700		4.350			4.350	5.680	6/90	4.350
	कृष्णा	29.650		15.000			15.000	8.850	6/90	14.650
	गुन्टूर	20.000		10.000			10.000	12.480	6/90	10.000
	अनन्तपुर	20.000		10.000			10.000	6.570	6/90	10.000
	चित्तूर	10.000		5.000			5.000	2.860	6/90	5.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	आदिलाबाद	15.000		7.500			7.500			7.500
	कुडप्पा	22.750		11.400			11.400	3.860	6/90	11.350
		218.910	7.000	102.000			102.000	59.950	6/90	109.910
बिहार	पलामू	12.930		6.465	0.000		6.465			6.465
गुजरात	कच्छ	151.010		75.000			75.000	37.290	3/90	76.000
	जामनगर	149.350		75.000			75.000	73.510	3/90	74.350
		300 360	0.000	150.000			150.000	110.800		150.360
हरियाणा	गुड़गांव	15.520	10.000				10.000	0.3[illegible]0	1/90	5.520
कर्नाटक	धारवाड़	87.400	24.750	27.000			51.750	24 750	9/89	351650
	गुलवर्गा	39.000	29.2[illegible]0		9.750		39.000	28.640	6/89	0.000
	रायचूर	69 400	24.750	18.000	26.650		69.400	37.220	9/89	0.000
		195.800	78.750	45.000	36.400		160.150	90.610		35.650
केरल	पालघाट	34.195		17.000			17.000			17.195
मध्य प्रदेश	झबुआ	111.080		55·540	55.540		111.080	55.[illegible]40	12/89	0.000
	राजगढ़	143.060		71.530	71.530		143.060	58.200	10/89	0.000
	शहडोल	263.750		131.870			131.870			131.880
		517.890		258.940	127·070		386.010	113.740		131.880
महाराष्ट्र	सतारा	6.810			3.400		3.400			3.410
	लातूर	19.975			9.990		9.990			9.985
		26.785	C.000	0.000	13.390		13.390	0.000		13.395
मिजोरम	आइजल	26.220	20.000				20.000	10.500	12/89	6.220
	अन्य क्षेत्र	3·520			1.760		1.760			1.760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		29.740	20.200	0.000	1.760		21.760	10.500		7.980
पंजाब	अमृतसर	29.320			14.660		14.660			14.660
	फिरोजपुर	0.938			0.470					0.468
	रोपड़ आदि	27.590								27.590
		57.848	0.000	0.000	15.130		15.130	0.000		42.718
राजस्थान	चुरू	33.000	10.000				10.000			23.000
	बाड़मेर	34.400		20.000			20.000			14.400
	नागौर	33.000		20.000			20.000			13.000
		100.400	10.000	40.000	0.000		50.000	0.000		50.400
सिक्किम	द०/प०									
	सिक्किम	50.270		25.000	25.270		50,270	31.490	3/90	0.000
तमिलनाडु	रामनाथपुरम	29.440				14.720	14.720			14,720
त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	154.960		16.000	61.480		77.480			77.480
उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	140 840			40.840		140.840	57.500	1/90	0.000
	हमीरपुर	81.490			81.490		81.490	38.600	1/90	0.000
	आगरा	24.910			12.000		12.' 00	0.000	1/90	12.910
	सुल्तानपुर	224.090			224.090		224.090	108.000	1/90	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	बांदा	173.900		86.950			86.050			86.950
		645.230	0.000	86.950	458.420		545.370	204.100		99.860
पश्चिम बंगाल	मिदनामपुर	39.655			19.830		19.830			19.825
	बांकुरा	33.730	25.000		8.730		33.730	16.200	3/89	0.000
	पुरुलिया	30.664			15.334		15.334			15.330
		104.49	25.000	0.000	43.894		68.894	16·200		35.155
लक्षद्वीप		47.600	21.780				21.780			25.820
पांडिचेरी		108.550		18.550	45,000		63.550			45.000
योग		2650.477	172.530	765.905	827.814	14.720	1780.969	637.690		869.508

भारत-पाकिस्तान सीमा प्रदेश में कांटेदार तार लगाने के सम्बन्ध में किसानों को मुआवजा

[हिन्दी]

4919. **श्री बेगा राम चौहान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान सीमा प्रदेश में कांटेदार तार लगाते समय किसानों की एक मुरब्बा भूमि पाकिस्तान की तरफ छोड़ दी गई थी;

(ख) क्या प्रभावित किसानों को, उनसे अधिगृहीत की गई भूमि के बदले में न कोई मुआवजा दिया गया है और न ही कोई वैकल्पिक भूमि दी गई है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) प्रभावित किसानों को वैकल्पिक भूमि के रूप में अथवा अन्य आर्थिक सहायता के रूप में कब तक मुआवजा दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) भारत-पाक सीमा पर 150 गज की दूरी पर सामान्यतः चुनिन्दा क्षत्रों में बाड़ लगाई गई है किसानों को बाड़ के उस पार पड़ने वाले उनकी भूमि पर जाने और उस पर खेती-बारी जारी रखने के लिए उपयुक्त स्थानों पर गेट बनाए गए हैं। क्योंकि संदर्शित भूमि सम्बन्धित किसानों के पास है इसलिए मुआवजा के भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्दिया में पोत निर्माण एकक की स्थापना के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

[अनुवाद]

4920. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक हल्दिया में पोत निर्माण एकक की स्थापना के लिये ऋण सहायता देने को सहमत हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) हल्दिया में किसी जहाज-निर्माण इकाई की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसलिए एशियाई विकास बैंक द्वारा ऐसी किसी इकाई की निधियां प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

[हिन्दी]

4921. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जनवरी, 1990 से रोजगार के कितने अवसर सृजित किये गये हैं; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार में पहली जनवरी, 1990 से लेकर 31 जुलाई, 1990 तक रोजगार के 703.92 लाख श्रमदिनों का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) (जो कि एक-स्वरोजगार कार्यक्रम है) के अन्तर्गत इसी अवधि के दौरान 2.39 लाख गरीब परिवारों को सहायता दी गई है।

(ख) भारत सरकार ने बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं : —

(1) बिहार में 1989-90 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 907.31 लाख श्रमदिनों के रोजगार सृजन की तुलना में 1990-91 के लिये 1125.86 लाख श्रमदिनों के रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(2) बिहार में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम में रोजगार घटक को बढ़ाने के लिये, वर्ष 1989-90 में मजदूरी सामग्री के 50:50 के अनुपात की तुलना में इसे 1990-91 के दौरान बढ़ाकर 60:40 के अनुपात में कर दिया गया है।

(3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में प्रति व्यक्ति सबसिडी जो 1989-90 में 2568 रुपये थी, को 1990-91 में बढ़ाकर 3146 रुपए कर दिया गया है ताकि गरीब परिवार ऐसी जीवनक्षम परिसम्पत्तियां प्राप्त कर सकें जिनसे पर्याप्त आय हो सके और उनकी गरीबी दूर करने में मदद कर सकें।

प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु कोटा प्रणाली

[अनुवाद]

4922. **श्री वी० कृष्ण राव**
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस कनेक्शनों की भांति संसद सदस्यों की सिफारिशों पर प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु कोई कोटा प्रणाली प्रारम्भ करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यह कोटा प्रणाली कब तक प्रारम्भ की जाएगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) संसद सदस्यों की सिफारिशों पर प्राथमिकता के आधार पर लगाये जाने वाले टेलीफोनों की संख्या तय करने के लिये अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी सिफारिशों पर विधिवत विचार किया जाता है और प्राथमिकता के आधार पर वरीयता के अनुसार टेलीफोन मंजूर किये जाते हैं।

वीसा सम्बन्धी विनियमनों में संशोधन

4923. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा की प्राक्कलन समिति (1990-91) ने सरकार से भारत और बंगला देश के बीच वीसा सम्बन्धी विनियमनों में संशोधन करने का अनुरोध किया ताकि लोगों के अनधिकृत रूप से और बिना अधिपत्र के आने जाने को रोका जा सके,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के विरुद्ध जर्मन औद्योगिक फर्म की शिकायतें

4924. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और बोन, पश्चिम जर्मनी स्थित भारतीय दूतावास को जर्मन की कुछ औद्योगिक फर्मों से हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, शिमला के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस निगम ने जर्मन की फर्मों को भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये और उनके साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) से (ग) बोन स्थित भारत के राजदूतावास के एम/सी गोरहार्ड एंड बक गम्बह एंड कम्पनी से यह शिकायत मिली है कि उसने अग्नि संरक्षित इस्पात के दरवाजे बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन के साथ समझौता किया है लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार से यह पता चला है कि किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और न ही भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन को लेटर आफ इन्टैंट जारी किया गया है ।

पालिका बाजार नई दिल्ली में अवैध व्यापार

[हिन्दी]

4925. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालिका बाजार, नई दिल्ली बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार का केन्द्र बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस व्यापार को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) चोरी किए गए वीडियो कैसेटों/ब्लू फिल्मों की अवैध बिक्री के कुछ दृष्टान्त दिल्ली पुलिस के ध्यान में आये हैं।

(ख) और (ग) दोषारोपण सम्बन्धी सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस तथा दिल्ली की अपराध शाखा के कार्मिकों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

खालिस्तान आर्मी

[अनुवाद]

4926. **श्री यादवेन्द्र दत्त**
श्री बाई० एस० राजशेखर रेड्डी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस शर्त की जानकारी है कि अमृतसर में एक नई खालिस्तान-आर्मी गठित की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि वे सैनिक, जो ब्लू-स्टार आपरेशन के बाद सेना छोड़ गए थे, और जिन्हें अब सेना से निकाल दिया गया है अथवा सेवा मुक्त कर दिया गया उन्हें अब नई खालिस्तान-आर्मी में भर्ती किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसमें अब तक कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं; और

(घ) इसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) सरकार ने इस संबंध में समाचार देखा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस सूचना की पुष्टि में कोई बात नहीं है।

टैट्रापैक के लिए कागज तथा एल०डी०पी०ई० का आयात

4927. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा टैट्रापैक के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज और एल०डी०पी०ई० की कम सप्लाई की जा रही है और इनका आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इनके आयात किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रत्येक टैट्रापैक पर रायल्टी का भुगतान दुर्लभ मुद्रा में किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक भुगतान की गई रायल्टी का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) टैट्रापैक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लैमिनेटिड कागज के उत्पादन के वास्ते अपेक्षित कागज का अब तक आयात नहीं किया गया है। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार एल० डी० पी० ई० का आयात उस समय किया गया जब स्वदेशी स्रोतों से सप्लाई नहीं हो सकी थी :—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन)	भाड़े सहित लागत मूल्य (रु०)
1	2	3
1987-88	600	71,79,162.09
1988-89	400	87,73,468.00
1989-90	200	36,34,630.70

(ग) और (घ) टैट्रापैक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लैमिनेटेड कागज पर रायल्टी देय थी। सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग करार की शर्तों के आधार पर 1988-89 के दौरान 6.5 लाख रुपए की रायल्टी की एक बारगी अदायगी समतुल्य विदेशी मुद्रा में की गई थी। कोई अन्य रायल्टी देय नहीं है क्योंकि करार अब समाप्त हो गया है।

शिलांग समझौते को स्वीकार न किया जाना

4928. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा राष्ट्रीय परिषद की केन्द्रीय समिति ने केन्द्रीय सरकार और कुछ भूमिगत संगठनों, जिनको नागा जनता की ओर से उनका प्रतिनिधित्व करने का कोई राजनैतिक प्राधिकार नहीं है, के बीच हुए शिलांग समझौते और अन्य समझौतों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इसका पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध ज्ञापन

[हिन्दी]

4929. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1988 में दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य मुद्दे उठाए गए थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय)। (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) ज्ञापन में पिछली सरकार पर कुप्रशासन, अयोग्यता, गरीब और कमजोर वर्गों के साथ विश्वासघात करने, चुनाव से पूर्व किए गए वायदों को न निभाने, आदि के आरोप लगाए गए और महानगर परिषद को भंग करने तथा दिल्ली में विधान सभा का गठन करने की मांग की गई है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि आवश्यक कार्रवाई की गई है।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का कार्यकरण

4930. **श्री सुरेन्द्र सिंह**
श्री विजय कुमार मल्होत्रा } : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1990 के जनसत्ता में "आर टी ओ के दफ्तरों में दलालों का जोर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को दलालों के चुंगल से मुक्त कराने, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में दलालों और कर्मचारियों के बीच संपर्क समाप्त करने और जनता को कुशल सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन दिल्ली ने सूचित किया है कि निदेशालय के कार्यालयों में और उनके आसपास कार्यरत कुछेक व्यक्तियों की अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए :—

(I) न केवल उनके स्थाई ढांचों को गिराने बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे ढांचे फिर न बने, एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। निदेशालय की प्रवर्तन शाखा द्वारा कार्यालय भवन से अनैतिक तत्वों को वस्तुतः निकाल बाहर करने के लिए कड़े सुरक्षात्मक उपाय किए गए। बाहर से ही यह सुनिश्चित करने के साथ-साथ कि ऐसे तत्व इस निदेशालय में प्रवेश न कर सकें भीतर की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत कर दिया गया।

(II) प्रत्येक कार्यालय में शिकायत पेटियां रखी गई हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ये जनता की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे तक अपने-अपने कार्यालयों में बैठें।

(III) दीर्घकालीन उपाय के रूप में आवेदकों की प्रतीक्षा अवधि को कम करने के लिए नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। शेख सराय, जनकपुरी और मजनू का टीला में नये कार्यालय खोले गए।

(IV) आम जनता की सहायता के लिए सभी कार्यालयों में लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र उपलब्ध कराए गए हैं और सभी कार्यालयों में सहायता काउंटर खोले गए हैं।

(V) ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने को सरल बनाने के लिए इस निदेशालय ने असेम्बली लाइन प्रक्रिया शुरू की जहां न केवल फीस वसूली को यांत्रिकृत (मैकेनाइज्ड) किया गया है बल्कि आवेदक की प्रतीक्षा अवधि में भी काफी कमी हुई है।

परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन अनैतिक तत्वों पर लगातार निगरानी रख रहा है तथा स्थिति को नियंत्रित रखने के लिये स्थानीय पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं।

डिसप्लेस्ड रेजीडेंट्स एसोसिएशन, महिला आश्रम करनाल से प्राप्त ज्ञापन

[अनुवाद]

4931. **श्री माणिक साग्याल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डिस्प्लेस्ड रेजीडेन्ट्स एसोसिएशन, महिला आश्रम, करनाल, हरियाणा से 16 जुलाई, 1990 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उनकी मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) डिसप्लेस्ड रेजीडेंट्स एसोसिएशन, महिला आश्रम, करनाल ने अपने तारीख 16-7-90 के ज्ञापन में अनुरोध किया है कि महिला आश्रम, करनाल के नए प्रवासी परिवारों को स्थायी तौर पर बसाया जाये और वहां के निवासियों पर अत्याचार करने वाले हरियाणा सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी (निवासियों) सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

(ग) महिला आश्रम, करनाल के नए 54 पत्र प्रवासी परिवारों के लिए लघु व्यवसाय/व्यापार की व्यवस्था करके उन्हें पुनः बसाने के लिए मार्च, 1987 में एक संशोधित योजना मंजूर की गई थी, जिसके लिए हरियाणा सरकार को धनराशि भी उपलब्ध करा दी गई थी। हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई केवल राज्य सरकार द्वारा ही की जा सकती है क्योंकि वे उन्हीं के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आते हैं। तथापि राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे उचित कार्रवाई करें।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जी०आर०पी० और आर०पी०एफ० के कर्मचारियों का धोखा-धड़ी की गतिविधियों में शामिल पाया जाना

[हिन्दी]

4932. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों के शोषण और अपराधी तत्वों के साथ मिली भगत से धोखाधड़ी में संलग्न जी० आर० पी० और रेलवे पुलिस बल के कुछ कर्मचारियों पर लगे आरोप की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि उक्त तत्व टिकटों की अवैध बिक्री, बर्थों का आरक्षण, यात्रियों के सामान की चोरी, पड़ोसी राज्यों के दुकानदारों का सामान अवैध रूप से उठाकर ले जाना और औषध आदि की बिक्री आदि जैसी गतिविधियों में संलग्न हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा 6-6-89 को एक छापा मारा गया और दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को व्यापारियों से धन एंठते हुए पाया गया । उसे निलंबित किया गया और उसके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई । नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गैर कानूनी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

अवधि	दलाली	सीटर	हाकर	ड्राइवर
1-1-90 से 15-8-90 तक	399	131	273	97

(ग) पुलिस द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाया जाता है ।

इस्लामपुर सब-डिवीजन को पृथक जिला बनाने की मांग

[अनुवाद]

4933. **श्री इन्द्र जीत** : क्या गृह मन्त्री बिहार और पश्चिम बंगाल (क्षेत्र अन्तरण) अधिनियम, 1956 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशनगंज सब-डिवीजन का एक भाग बिहार से पश्चिम बंगाल को अन्तरित किया गया था जो कभी दार्जिलिंग जिले का एक भाग बनाया गया था जैसा कि उक्त अधिनियम के खण्ड 3 (3) में व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो यह पश्चिम बंगाल के पश्चिम, दीनाजपुर जिले को कब अन्तरित किया गया था और ऐसा किन परिस्थितियों के कारण किया गया;

(ग) क्या इस क्षेत्र (जिसे अब इस्लामपुर सब-डिवीजन के रूप में जाना जाता है) के स्थानीय लोग इसे एक पृथक जिला बनाने की मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) बिहार और पश्चिम बंगाल (क्षेत्रों का स्थानान्तरण) अधिनियम, 1956 की धारा 3 (3), जैसा कि उसी अधिनियम की धारा 3 (1) (क) में वर्णित है, के अनुसार बिहार के पुर्निया जिले के किशनगंज उप-क्षेत्र का भाग नियत तिथि अर्थात् 1 नवम्बर, 1956 से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का भाग हो गया है ।

(ख) से (घ) जिलों का पुनर्गठन और राज्य में नये जिलों का बनाना राज्य सरकार की सूचि के अन्तर्गत है । इस सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम की धारा 3 (4) पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

पश्चिम बंगाल के किशनगंज उपमंडल के निवासियों की भाषायी और सांस्कृतिक पहचान बनाये रखना

4934. **श्री इन्द्र जीत** : क्या गृह मंत्री राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन (1955) के पैराग्राफ संख्या 653 में की गई सिफारिशों तथा बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्र का अन्तरण) विधेयक, 1956 सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार ने 1956 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस आशय के आश्वासन को अक्षरण: पूरा किया है कि बिहार से पश्चिम बंगाल को अन्तरित हुए किशनगंज उपमंडल के क्षेत्र के निवासियों की भाषायी और सांस्कृति पहिचान बनाये रखी जायेगी और वहां कोई भी विस्थापित व्यक्ति नहीं बसाया जायेगा;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल को अन्तरित हुए क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि उपरोक्त आशय के आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया है और उन्होंने इस मामले में न्याय प्राप्त करने के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है; और

(ग) उपरोक्त आश्वासनों के अनुसार इस क्षेत्र के लोगों की भाषायी और सांस्कृतिक पहिचान ज्यों की त्यों बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

होशियारपुर में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

4935. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला होशियारपुर (पंजाब) में तैनात एस० पी० रैंक और इससे ऊपर के रैंक वाले उन अधिकारियों की संख्या और ब्यौरा क्या है, जो सी० आर० पी० एफ० जैसे अन्य सर्विस कैडरों से प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) इनमें से कितने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं; और

(ग) क्या सरकार का उन्हें अपने मूल संगठन को वापस भेजने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्रीनगर में कर्फ्यू लगाया जाना

4936. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, से 30 जून, 1990 तक की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर में कितने दिन कर्फ्यू नहीं लगा;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान श्रीनगर के किसी क्षेत्र में अधिक से अधिक कितने घंटे तक लगातार कर्फ्यू लगा रहा;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान श्रीनगर में प्रतिदिन औसतन कितने घंटे आंशिक कर्फ्यू लगा रहा;

(घ) क्या नागरिकों द्वारा उठाई गई परेशानियों के सम्बन्ध में अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है ।

राजस्थान में मात्स्यिकी का विकास

[हिन्दी]

4937. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उदयपुर डिवीजन, जिसका भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है, मात्स्यिकी के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : (क) से (ग) राजस्थान, जिसमें इसका उदयपुर डिवीजन शामिल है, में केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं :—

(1) **मछली पालन का विकास** :

केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना के अन्तर्गत अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, डूंगरपुर, जयपुर, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर जिलों में तेरह मछलीपालक विकास एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं । इन मछली पालक विकास एजेंसियों ने अब तक मछली पालन के लिए 2217 हेक्टेयर क्षेत्र में टैंकों और तालाबों का विकास किया है और 3231 मछली पालक प्रशिक्षित किए हैं ।

(2) **राष्ट्रीय डिम्पोना कार्यक्रम** :

केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना के अन्तर्गत दो डिम्पोना फार्म-व-हैचरियां स्वीकृत की गई हैं, एक उदयपुर जिले में बांसवाड़ा में और दूसरी कोटा जिले में ताकि प्रत्येक में 10 मिलियन डिम्पोना का उत्पादन किया जा सके । सूचित किया गया है कि इन दोनों हैचरियों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है ।

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के साल्ट वाटर बेसिनों में रौम्यालू की पैदावार

[अनुवाद]

4937क. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के साल्ट वाटर बेसिनों में रौम्यालू पैदावार में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में ताइवान और थाईलैंड के विशेषज्ञ दलों ने आंध्र प्रदेश के अनेक भागों का दौरा किया है;

(ग) क्या इस विशेषज्ञ दल ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान भारत से अन्य देशों को रौम्यालू व कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : (क) आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में झींगा पालन (रौम्यालू) के विकास के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) 1989-90 (जनवरी, 1990) में एक खारापानी मछली पालक विकास एजेन्सी स्वीकृत की गई थी। यह एजेन्सी 1990-91 से कार्य प्रारम्भ करेगी और इसका उद्देश्य इस जिले में प्रतिवर्ष लगभग 50 हेक्टेयर खारे पानी के क्षेत्र को झींगा पालन के अन्तर्गत लाना है।

(2) नेल्लोर जिले के 8.8 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अर्धगहन झींगा पालन की प्रौद्योगिकीय-आर्थिक व्यवहार्यता के प्रदर्शन के लिए एक झींगा पालन परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने ताईवान या थाइलैंड से किसी विशेषज्ञ को आन्ध्र प्रदेश का दौरा करने के लिए आमन्त्रित नहीं किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता है।

(घ) 1988-89 और 1989-90 में भारत द्वारा अन्य देशों को निर्यात की गई हीमित श्रिम्प (रौम्यालू) की मात्रा क्रमशः 56,835 मीटरी टन और 58,010 मीटरी टन थी।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों की सेवाएं नियमित करना

4937-ख. **श्री मनोरंजन भक्त** । क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्डमान और निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों में दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले ऐसे कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष 240 दिन की सेवा पूरी कर ली है;

(ख) क्या अतीत में ऐसे श्रमिकों की छंटनी की गई थी अथवा अण्डमान और निकोबार प्रशासन इनकी छंटनी करने पर विचार कर रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन सभी श्रमिकों की सेवाएं नियमित करने के लिए कोई निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) ऐसे श्रमिकों को नियमित रोजगार देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किये गये है। फिर भी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 7-6-88 को अनियत मजदूरों की भर्ती के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार सभी, प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों, को चाहिए वह अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनियत मजदूरों को नियुक्त करने के बारे में उनकी पुनरीक्षा करें ताकि निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्त की जा सके :—

(क) सभी पात्र अनियत मजदूरों को उतने नियमित पदों पर भर्ती किया जाये जो नियमित पद न्यायसंगत हों।

(ख) उपरोक्त (क) के अतर्गत में आने वाले शेष अनियत मजदूर जिनको काम पर रखना अनिवार्य समझा जाता है। तथा जो दिशा निर्देशों के अनुरूप पाये जाते हैं, उनको दिशा निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(ग) शेष अनियत मजदूरों को, जो उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत नहीं आते, नौकरी से निकाल दिया जाता है।

नियम 40 के अधीन प्रश्न

देश का नाम "भारत" (इण्डिया) से बदल कर 'हिन्दुस्तान" करना

1. **प्रो० राम गणेश कापसे**
   प्रो० प्रेम कुमार धूमाल
   श्री संतोष कुमार गंगवार } : क्या श्री राम नाईक, संसद सदस्य दिनांक 29-12-89

को सभा में उनके द्वारा पुरःस्थापित किए गए संविधान (संशोधन) विधेयक, 1989 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) विधेयक के साथ संलग्न "उद्देश्यों और कारणों के कथन" में उनके द्वारा बताए गए उद्देश्यों के अतिरिक्त और क्या उद्देश्य हैं, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने "भारत" (इण्डिया) शब्द को बदल कर "हिन्दुस्तान" करने के लिये संविधान में संशोधन का सुझाव दिया है;

(ख) देश का सुझाया गया "हिन्दुस्तान" नाम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होगा; और

(ग) वर्तमान नाम "भारत, अर्थात् इण्डिया" शब्दों का किन आधारों पर लोप करने का विचार है ?

श्री राम नाईक, संसद सदस्य

(क) विधेयक में "उद्देश्यों और कारणों के कथन" में बताये गये इन कारणों के अतिरिक्त कि आम आदमी "भारत" (इण्डिया) को "हिन्दुस्तान" के नाम से जानता है और साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने इस देश का नाम "भारत" (इण्डिया) रखा था, अन्य कारण इस प्रकार है :

(एक) उस हीन भावना को दूर करना, जो देश में कुछ समय से पैदा हो गई है और जिसके कारण "हिन्दू" शब्द को साम्प्रदायिकता, रूढ़िवादिता और क्षेत्रीयतावाद का पर्याय माना जाता है ।

(दो) उस आश्वासन को पूरा करना, जो मैंने लोक सभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को देश का नाम बदलने के बारे में दिया था ।

(ख) "हिन्दू" शब्द के पीछे एक समृद्ध, व्यापक, प्रगतिशील, सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास है । अतः देश का "हिन्दुस्तान" नाम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा और हाल ही में पनपी विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने में समर्थ होगा ।

(ग) "भारत" (इण्डिया) शब्द का लोप किये जाने के निम्नलिखित आधार हैं :—

(एक) साम्राज्यवादी अंग्रेज बहुत से भारतीय (हिन्दुस्तानी) नामों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते थे, देश का नाम "इण्डिया" गलत रखे जाने से अंग्रेजों द्वारा थोपे गये उपनिवेशवाद की दुर्गंध आज भी आती है । यहां तक कि श्रीलंका (सीलोन), सूरीनाम (डच गुयाना) जैसे छोटे छोटे देशों ने भी स्वतन्त्रा प्राप्ति के पश्चात्, अपने राष्ट्रीय गौरव और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विदेशियों द्वारा रखे गये नाम बदल लिए हैं ।

(दो) अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाम "इण्डिया" से यह गलत धारणा उत्पन्न होती है कि यह राष्ट्र ब्रिटिश शासन के पश्चात् ही अस्तित्व में आया है । जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे राष्ट्र का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है । 'हिन्दुस्तान" नाम में इस सम्पूर्ण इतिहास की झलक मिलती है ।

(तीन) भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी व्यक्तिवाचक नामों का अनुवाद कभी नहीं किया जाता ।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुप्पुस्वामी जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है ? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। क्या आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

12.04 म० प०

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे राजस्थान के भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री विश्वेन्द्र सिंह का 30 अगस्त, 1990 का पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने 30 अगस्त, 1990 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

12.05 म०प०

दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने से सम्बन्धित विधेयक के बारे में

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने से सम्बन्धित विधेयक को ले रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुप्पुस्वामीजी, क्या आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुप्पुस्वामीजी, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री कुरियन को बोलने की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री कुरियन को बोलने की अनुमति दी है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने से संबंधित विधेयक कल यहां लाया गया और आपने सभी दलों के नेताओं और सचेतकों को अपने कक्ष में चर्चा हेतु बुलाया था। चर्चा में.....

अध्यक्ष महोदय : आम सहमति हो गई थी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय प्रो० मधु दण्डवते वहां उपस्थित थे। वह अब यहां नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय वहां थे। सरकार की ओर से यह निवेदन किया गया था कि हमें सरकार के

साथ सहयोग करना चाहिए। हम सरकार के साथ सहयोग कर रहे थे और सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने में हमने सहयोग दिया था। प्रो० मधु दण्डवते ने वित्त विधेयकों को बिना उन पर चर्चा किए ही पारित करने में सहयोग करने हेतु हम से निवेदन किया था। हमारे कई सदस्य अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा करना चाहते थे। सहयोग तथा रचनात्मक सहयोग के नाते हम इस बात पर सहमत हो गये थे कि वित्त विधेयक बिना चर्चा के पारित किए जा सकते हैं। यह सहमति इस आश्वासन पर था कि कल रात को ही सरकार यह देखने के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलाएगी कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने से सम्बन्धित विधेयक पर किसी आम सहमति पर पहुंचा जा सकता है। महोदय, आपने स्वयं यह सुझाव दिया था कि जैसाकि प्रसार भारती विधेयक के मामले में हुआ, जिसे लोक सभा पारित कर सकती थी, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने से सम्बन्धित विधेयक पर भी हमें एक प्रयास करना चाहिए। श्री दिनेश सिंह, हमारे वरिष्ठ नेता जो वहां उपस्थित थे, ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि हम इस विधेयक के विरुद्ध नहीं हैं और केवल हम विधेयक की विषय वस्तु से सहमत नहीं है और इसलिए यदि हम साथ बैठते हैं तो किसी आम सहमति के लिए कोई जगह बना सकते हैं। यह आश्वासन उपाध्यक्ष महोदय तथा सभी दलों के नेताओं की उपस्थिति में आपके कक्ष में दिया गया। उस आश्वासन पर हम वित्त विधेयकों को बिना चर्चा के पारित करने हेतु सहमत हो गए थे। महोदय, मुझे यह कहना चाहिए कि सरकार उस आश्वासन को पूरा करने की भी परवाह नहीं करती....(**व्यवधान**) क्या यह धोखा देना नहीं है? उन्होंने वित्त विधेयकों को बिना चर्चा किये पारित करने के लिए हमारा सहयोग मांगा जिसके लिये आमतौर पर कोई भी विपक्ष सहमत नहीं होगा परन्तु हम उस पर सहमत हुए। अब वे दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने वाले विधेयक को भी जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं। देश में आग लगी हुई। क्या आप सोचते हैं कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने से संबंधित विधेयक मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने से उत्पन्न स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है? हम मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा चाहते हैं। देश जल रहा है। कितने लोग मारे जा चुके हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। देश भर में पुलिस विद्यार्थियों की हत्या कर रही है। आज दिल्ली में पूर्ण बन्द है। देश के विभिन्न भागों में आग लगी है। सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। आप इस तरह जल्दबाजी नहीं कर सकते, हमें मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा अवश्य करनी चाहिये। इसके पूरा होने के बाद ही आप कोई अन्य कार्य कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, कल जब आपने सब पार्टियों के लीडरों को बुलाया था, उसमें यह बात तय की की गई थी कि कल चाहे 12 बजे तक बैठना पड़े परन्तु हम दिल्ली के बिल को जरूर लेंगे। (**व्यवधान**) कुरीयन साहब ने जो कुछ कहा है हमने उसको शांति से सुना जब कि उनकी सारी बातें असत्य थी, उसमें कुछ भी सत्य नहीं था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कल वहां पर आपके सामने यह बात हुई थी कि 4 बजे से पहले दिल्ली का बिल मूव कर दिया जाये तो आपने कहा था कि कल इसको मूव कर दिया जाये और फिर इस पर मतदान कर दीजिये। अब इनके ऊपर है कि ये इस बिल को पास करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैंने वहां पर भी यह बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी किसी तरीके से भी कोई न कोई बहाना बनाकर इसको रोकना चाहती है। इसलिये कोई जेंटलौन एग्रीमेंट है तो मधु दण्डवते जी वहां पर थे, उन्होंने कहा था और लिखा था। आपके कहने के बाद उन्होंने राइटिंग में आपको पढ़कर सुनाया था कि ये आपस में जेंटलौन एग्रीमेंट हुआ हैं कि आज इसको न लिया जाये, कल इसको लेंगे, कल वोटिंग हो जायेगी। ये बात भी उसमें लिखी हुई है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कम से कम हमारे अन्दर इतना शिष्टाचार तो होना चाहिए कि उनकी बात आराम से सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने यह भी कहा था कि कल जीरो आवर नहीं होगा, ये बात भी उसमें तय हुई थी कि कांग्रेस पार्टी के रवैये आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, ये उसको पास करना नहीं चाहते। मैंने तब भी कहा था कि हिम्मत के साथ, ईमानदारी से ये क्यों नहीं कहते कि इस बिल को पास करना नहीं चाहते, इसको रखना नहीं चाहते, परन्तु कोई न कोई बहाना बना करके इसे टालना चाहते हैं, कल आखिरी दिन है, आज इस सदन में आयेगा तो कल राज्यसभा में जायेगा। आपने कहा था कि मैं आज के बाद इसको नहीं रोक सकता, कल चाहे हमको रात के दो तीन बजे तक भी क्यों न बैठना पड़े इसे पूरा किया जायेगा। दण्डवते जी ने उनके सामने सब बातें कहीं थी, परन्तु आज मुझे आश्चर्य हुआ कि एक जेंटलौन एग्रीमेंट करके, यहां पर तय करके और पीछे से इस तरह से मुकर जाये यह चीटिंग है, ये धोखा है।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : वह स्पष्ट झूठ बोल रहे हैं। यह सभा की अवमानना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उनकी बात शांति पूर्वक सुन लेंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, इनकी तरफ से प्रपोजल आई थी कि आपस में कोई कंसेंसस निकले, परन्तु इनके साथ कंसेंसस पोसीबल नहीं है क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। फिर

श्री दण्डवते जी ने इनसे कहा कि बताइये आप क्या अमेंडमेंट चाहते हैं, आप अपने अमेंडमेंट नम्बर 1,2,3,4 बताइये। और उसके ऊपर कोई कंसेंसस कर लें, लेकिन आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं आया। आज इस तरह से बहाना बना रहे हैं, देश जल रहा है, देश में यह आग लगा रहे हैं और दिल्ली के बिल को यहां पर किस तरह से रोका जाए, यह कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा कहना है कि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ है, इनसे कहिए कि उसको मत मूव करें, वोटिंग करें, बाद में जो कुछ कहना होगा वह कहेंगे। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी तो सुन लीजिये।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हमारी बात भी सुनिए। यह तो कोई तरीका नहीं है कि ये तो जो मर्जी आए बोलें और हमारी बात न सुनी जाए।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर हर प्रकार के आक्षेप लगाये जाए और हम उनको सुनते रहें बोलने का मौका भी न दिया जाए, यह कौन सा न्याय है। कम से कम हमको बोलने का मौका तो मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० आर कुमारमंगलम : मैं कल बैठक में उपस्थित था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें सरकार का पक्ष सुनना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : श्री उपेन्द्र उस बैठक में उपस्थित नहीं थे। श्री मधु दण्डवते वहां थे। परन्तु दुर्भाग्यवश वह अब यहां उपस्थित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मलिक वहां थे।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : जैसा कि मैं जानता हूं, उस बैठक में प्रो० दण्डवते ने किसी कागज पर कुछ बातें भी लिखी थीं और इस बात पर सहमति हुई थी कि बाद में शाम को या रात में विचार विमर्श होगा जिसमें बेशक सभी दल शामिल होंगे और मुख्य रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यह समझने के लिए शामिल होंगी कि विधेयक के कुछ खण्डों तथा प्रावधानों पर क्या मतभेद थे। कांग्रेसी दोस्त यही कहते रहे कि उन्हें कुछ सन्देह हैं। परन्तु उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि वे मतभेद क्या थे। फिर हम बैठक के बाद यह समझकर चले गए कि बाद में शाम को या रात में, यह देखने के लिए कि क्या किसी आम सहमति पर पहुंचा जा सकता है, एक बैठक होगी। अब मैं श्री दिनेश सिंह जो यहां बैठे हैं, से मालूम हुआ है कि वे बैठक में आने को तैयार थे परन्तु उन्हें बुलाया नहीं गया। वह यह बात कह रहे हैं कि सरकार ने उन्हें नहीं बुलाया, इसलिए वे क्या कर सकते थे ? कोई बैठक नहीं हुई। अब, श्री उपेन्द्र को स्पष्ट करना चाहिये कि वह बैठक क्यों नहीं बुलाई गई।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : मैं प्रक्रिया के एक मुद्दे पर आपका संरक्षण चाहता हूं। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी नयी प्रक्रिया स्थापित कर रहे है जिसके अन्तर्गत चार बड़े राजनैतिक दलों

की अनेक मामलों और विधेयकों पर एक निश्चित सहमति हो जाती है और बाकी हम सभी की उपेक्षा की जाती है। महोदय, संविधान राजनैतिक दलों को मान्यता नहीं देता है। हम सभी समान सदस्य रूप से हैं। मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी उपेक्षा नहीं की जायेगी।

श्री इन्द्र जीत : प्रसार भारती विधेयक में हमारी उपेक्षा की गयी थी।

अध्यक्ष महोदय : आपकी उपेक्षा नहीं की जायेगी। आप गोरक्षा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री इन्द्र जीत : प्रसार भारती विधेयक के बारे में संसदीय कार्य मंत्री ने छोटे दलों से परामर्श न करने के लिए सदन में तब माफी मांगी थी। यही प्रक्रिया फिर अपनाई गई है और हम देखते हैं कि इन राजनैतिक दलों में नापाक गठबन्धन और समझौते हुए हैं और हमारी उपेक्षा की गयी है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर रहा है।

श्री इन्द्र जीत : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको भली प्रकार से संरक्षण प्राप्त है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : श्री इन्द्र जीत गुप्त ने इस सदन में आपके चैम्बर में हुए समझौते के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूं। संसदीय कार्य मंत्री को उस बात का जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम श्री उपेन्द्र की बात सुनते हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी०उपेन्द्र) : महोदय, यह बात सही है कि मैं बैठक में उपस्थित नहीं था। मैं प्रसार भारती विधेयक के सम्बन्ध में दूसरे सदन में था परन्तु हमारे राज्य मंत्री उस बैठक में उपस्थित थे और मुझे बैठक की भी पूरी रिपोर्ट मिल गयी थी। अतः यह बात निश्चित है कि हमने कल सुबह गृह मन्त्री के निवास पर कांग्रेस दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। हमने विषय पर गहराई से चर्चा की थी। हमने भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों सहित दूसरे दलों से भी अलग से बातचीत की थी। हमने पाया था कि इस विधेयक के बारे में विभिन्न दलों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में काफी अन्तर था और हमने भी इस बात का अनुभव किया था कि इन दो विरोधी दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करना अत्यधिक कठिन है। हम इस नई लोकसभा के प्रथम सत्र से ही सभी मुख्य विधेयकों पर आम सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया का निरन्तर अनुसरण कर रहे हैं और हम सफल हुए हैं। इस विधेयक पर भी आम सहमति प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहा है और हम महीनों से इस पर बातचीत कर रहे हैं। गृह-मन्त्री इस बारे में अनेक दलों के साथ अलग से एवं कुछ समूहों के साथ सामूहिक रूप से बातचीत कर रहे हैं, परन्तु इस दोनों परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के बीच अन्तर को कम नहीं किया जा सका। महोदय, यद्यपि एक आम सहमति जरूरी है, तथापि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसद किसी विषय पर केवल बातचीत करने में भी पीछे हट जायेगी क्योंकि इसमें आम सहमति नहीं है। यह प्रजातन्त्र

है। हम विषय की उपेक्षा नहीं कर सकते। (व्यवधान) सदन यह निर्णय करे कि हम इस विधेयक के बारे में क्या करना चाहते हैं। अन्ततः हम एक आम सहमति प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं परन्तु केवल इसलिये कि इसमें आम सहमति नहीं है, आप विषय को स्थगित नहीं कर सकते। इसका निर्णय करना होगा। आपको कोई निर्णय लेना होगा। अतः लोकतान्त्रिक निर्णय तो यह है कि सभी दल अपने-अपने पक्ष निर्धारित कर लें और विधेयक पर बहस होने दें। यदि कोई सहमति नहीं होगी, तो यह विधेयक अन्ततः गिर जायेगा। वही अन्तिम निष्कर्ष हो सकता है। परन्तु अभी भी मैं महसूस करता हूं कि कि कार्य-मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिए समय आबंटित कर दिया है। यह कल के लिए नियत था और आप से समझौता करके इसे आज के लिए स्थगित कर दिया गया। मैं निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम के अनुसार चर्चा आरम्भ की जाए और दल गृह मंत्री के साथ एक और बैठक करना चाहते हैं तो हम तुरन्त बैठक बुला सकते हैं तथा कोई दूसरा प्रयास कर सकते हैं। परन्तु फिलहाल बहस जारी रहने दें। यदि मतदान के समय आम सहमति हो जाती है, तो हम इसे पारित कर सकते हैं अन्यथा इसे अस्वीकार किया जा सकता है। अतः उस कारण हमें चर्चा स्थगित नहीं करनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आपके कक्ष में कल जो बातें हुई थीं उसमें मैं उपस्थित नहीं था। मेरे दो साथी उपस्थित थे और मेरी जहां तक जानकारी है कुछ बातें तय हुई, वे यह थीं कि दिल्ली के विधेयक पर आज हम चर्चा करेंगे, चर्चा पूरी करेंगे। यह बात जो अभी की गई जिसकी पुष्टि—इन्द्रजीत जी ने की है, आपकी बात की पुष्टि की तो वहां शायद सजेशन आया कि कंसेन्सस खोजने की और कोशिश की जाए, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इन्द्रजीत जी और शायद निर्मल जी ने यह आभास दिया कि कंसेन्सस खोजने की और कोशिश की जाए। यह भी ठीक उस मीटिंग में हुआ था। सरकार की जितनी जानकारी उनको थी, उनकी अपनी पार्टी के ब्यूज की हमारी पार्टी के ब्यूज की, यहां की और आपकी, उसके आधार पर सोचा कि कन्सेन्सस संभव नहीं होगा। मैं निवेदन करता हूं कि बहस आरंभ हो जाए और हम बैठते हैं। पिछली बार प्रसार भारती पर ऐसा लगता था कि कन्सेन्सस नहीं निकलेगा और निकल गया और मैं समझता हूं कि कन्सेन्सस शायद हम निकाल पाए। यह दोनों तरफ से प्रामाणिकता होगी। लेकिन उस बहाने से बहस को नहीं रोकना चाहिए। आपका कमीटमेंट था कि बहस हम आरंभ करेंगे। निर्णय करने से पहले हम कन्सेन्सस निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो सदन जो भी निर्णय करें, उसे स्वीकार करना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि कोई न कोई तरीका निकाल कर के अभी मंडल कमीशन पर इस बात पर बहस करेंगे। दिल्ली के मामले को टालना, यह दुनिया को धोखा नहीं दे सकता तो जहां दुनिया निष्कर्ष निकालेगी कि इस पर विरोध करना चाहते थे और स्पष्टतौर पर विरोध नहीं कर सकते थे इसलिए मंडल कमीशन की चर्चा करो। मैं विपक्ष से पुनः निवेदन करता हूं कि गृह मंत्री जी बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, और मिलकर के देखते हैं कि कितना अन्तर है दोनों के दृष्टिकोण में। यहां पर मिल सकते हैं और कंसेन्सस इवाल्व कर सकते हैं बहस अभी से आरम्भ कर देनी चाहिए। निर्णय चार बजे से पहले करेंगे और जो संकल्प था, उस संकल्प पर हरेक व्यक्ति कायम है (व्यवधान)

श्री विनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो बातें मैंने यहां सुनीं मुझे बड़ा दुःख हुआ। आपके कमरे में कुछ बातें की जायें, आप हम लोगों को वहां बुलायें और वहां कुछ बातें तय हों और उसकी यहां पर गलतबयानी हो, मैं समझता हूं कि यह इस सदन की मर्यादा के खिलाफ है। अगर यही तरीका आगे रहने वाला है तो आपके कमरे में बात करने का कोई मतलब नहीं रह जायेगा।

कल हम लोग आपके कमरे में बैठे, आपने बहुत समय दिया, दो बजे तक हम लोग बैठे रहे, आपको खाने में भी देरी हुई, उपाध्यक्ष महोदय भी बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के दो माननीय संसद सदस्य भी बैठे हुए थे, मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने अपने नेता को सही बात नहीं बताई, क्योंकि नेता जी ने यहां कहा कि उनको मालूम नहीं था। अपने नेता को भी गलत बता सकते हैं तो सदन को क्या बताते हैं, आप खुद इससे समझ सकते हैं। जैसा कि अभी माननीय सदस्य इन्दरजीत जी ने जिक्र किया वहां पर जो बातें तय हुई थीं उसका कांग्रेस पार्टी ने पूरा पालन किया, जो विधेयक उपेन्द्र जी कल पास करा ले गये इतने कम समय में वह किसी हालत में पास नहीं होते; अगर आपके कमरे में एकत्व नहीं बनता कि यह बिल जल्दी पास करा लेंगे, बल्कि जरूरी होगा तो हमारे सदस्य भी नहीं बोलेंगे। उसके बाद चार बजे मण्डल आयोग लिया जायेगा और शाम को एक कोशिश की जायेगी कि इस पर एकत्व निकले। अब क्या सरकार उस पर से बदल गई, सरकार को मालूम था कि एकत्व नहीं निकलने वाला है तो वहीं कहना चाहिए था, शाम को नहीं रखना चाहिए था, धोखे से बिल पास नहीं कराने चाहिए थे। इस लिए साफ बात होनी चाहिए थी कि शाम को मीटिंग नहीं होगी। शाम की मीटिंग नहीं होती तो हम तय करते कि दिन में कितना समय लेंगे, लेकिन आपको धोखा दिया गया। हमको धोखा दिया गया और सदन को धोखा दिया गया यह तरीका कोई तरीका नहीं है कि नेता न आयें अपने लोगों को भेज दें और वे जाकर कुछ और बात कहें नेता कुछ और कहें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री न आयें और अपने साथी को भेज दें और उनको बोलने न दें, खुद जवाब दें। इस तरह का तरीका अपनाया जायेगा तो यह खेल सभी खेल सकते हैं और इससे सदन की गरिमा नहीं बढ़ेगी, मान्यता नहीं बढ़गी और न इससे सदन का काम आसानी से आगे चल सकेगा। मैं साफ करना चाहता हूं.... (**व्यवधान**)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आप बताइये कि क्या हुआ था, आप तो गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री विनेश सिंह : माननीय सत्यपाल जी बतायें कि कल यह नहीं तय हुआ था कि शाम को मीटिंग की जायेगी और एकत्व निकालने की कोशिश की जायेगी। उन्होंने सदन में जो बात कही उसके बारे में बतायें कि यह बात थी या नहीं।

मैं आपको इस झगड़े में नहीं लाना चाहता, आपसे नहीं पूछना चाहता, जब इस तरीके से गलतबयानी हो रही है तो मैं आपको बीच में नहीं लाऊंगा। मैं सत्यपाल जी से कहूंगा, मैं जानता हूं कि वह इस तरह से असत्य नहीं बोलेंगे जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइन्दे अभी बोले हैं। वह साफ बतायें। मैंने कल भी आपके कमरे में कहा था, सदन में भी कहा, फिर कहना चाहता हूं कि दिल्ली को राज्य बनाने में कांग्रेस की पूरी दिलचस्पी है। हमारी पूरी कोशिश है कि वह बने लेकिन

जो विधेयक यहां पर लाया गया है उसमें हमको कुछ एतराज हैं क्योंकि जो उसके मुद्दे हैं, उनसे हमें मतभेद है मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कहा गया है कि कांग्रेस उसे गिराना.... । (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाये ।

श्री दिनेश सिंह : ठीक है, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाये लेकिन जिस तरह से इसे राज्य का दर्जा देना चाहते हैं, उसमें हमारे मतभेद हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ यही कहना है कि वे दिल्ली राज्य का विधेयक लाये और कांग्रेस ने उसका गिरा दिया और ये लोग घूम-घूमकर और नाच-नाच कर यह कहते फिरें कि कांग्रेस ने इसे गिरा दिया । हम यह जानते हैं कि बिना हमारी सहमति के यह बिल पास नहीं होगा इसलिए इन्हें कहने की क्या जरूरत है ? हम तो उस वक्त बहस के लिए तैयार हो सकते हैं जब एकमत हों । इसलिए गलत बयानी से कोई फायदा नहीं होगा । यदि आप लोग शाम को बैठ जायें और एक मतैक्य निकल जाये तो इस पर कल बहस हो जाये (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करूर) : अध्यक्ष महोदय कल हमें अपने कक्ष में बुलाने की कृपा की हमने विस्तार से ये चर्चा की थी और इस बात की सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया था कि सदन की कार्यवाही किस प्रकार सचालित की जाये ।

भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों ने दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने सम्बन्धी विधेयक के बारे में मामला उठाया है । प्रत्येक विधेयक का अपना महत्व है । हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते(व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये । वित्त के बारे में मामले की अनिवार्यता के कारण और हमने य स्वीकार कर लिया था कि इस पर अधिक चर्चा किये बिना इसको कल चार बजे या 4.15 बजे से पहले समाप्त कर देंगे क्योंकि अनुपूरक बजट बहुत महत्वपूर्ण है, उस समय हमने समूची चर्चा ही समाप्त कर दी थी ।

रेलवे बजट के बारे में भी, यह बहुत महत्वपूर्ण था, अधिकांश सदस्य इसमें हिस्सा लेना चाहते थे और इस बारे में कुछ कहना चाहते थे । लेकिन सहमति हो गई थी । हमने अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया था कि वे हमें सहयोग दें, और उन्होंने सहयोग दिया । हमने यह भी कहा कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि समूचा देश इस बारे में उत्तेजित है । रोजाना हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि कितने विद्यार्थी मरे है, कितनी हिंसात्मक गतिविधियां हुई हैं, कितनी सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है । क्या आप इन बातों से चिन्तित नहीं हैं ? दूसरी तरफ आप इस बारे में अधिक चिन्तित हैं । यही समय है कि हम विषय पर तुरन्त चर्चा करें क्योंकि हम इस पर और अधिक विलम्ब नहीं कर सकते । यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार इसके लिए वचनबद्ध है हमारी पार्टी भी इसके लिए वचनबद्ध है । हम मण्डल आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करते हैं । इसलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं । मैं नहीं जानता कि क्या संसदीय कार्य मंत्री इस सत्र को इस सप्ताह के बाद जारी रखने की अनुमति देंगे,

लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करते तो यही समय है कि हम इस मण्डल आयोग की रिपोर्ट को तुरन्त लें और देखें कि अधिकांश सदस्य इसमें भाग ले सके (**व्यवधान**) जैसा कि मैंने कहा है दिल्ली को राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी यह विधेयक आपके अनुसार महत्वपूर्ण है। मेरे लिए पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देना ज्यादा महत्वपूर्ण है (**व्यवधान**) ऐसी कई बातें हैं। श्री भक्त अण्डमान में रुचि रखते हैं। इसलिए कुछ भी महत्वहीन नहीं है। उस समय कुछ सदस्यों ने कहा था कि वे आपस में मिलकर बात करना चाहते हैं और सर्वसम्मति तैयार करना चाहते हैं। महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या इन पार्टियों को एकत्र करके तथा कुछ निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कोई प्रयास किया गया है जैसा कि उन्होंने प्रसार भारती विधेयक के मामले में किया है। इसके लिए आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते (**व्यवधान**) कृपया मेरी बात सुनिये। हमें मिल बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए और सर्वसम्मति का प्रयास करना चाहिये। मैं उनसे दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने सम्बन्धी विधेयक पर राजनीति का खेल न खेलने का अनुरोध करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस बारे में गम्भीर हैं तो हम सबको मिल बैठकर एक सर्वसम्मति पर पहुंचना चाहिए। (**व्यवधान**) यह एक राजनीतिक मामला नहीं है। अतः, मैं समूचे सदन से मण्डल आयोग पर तुरन्त बहस करने का अनुरोध करता हूं। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि वैसे तो दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में पूरे हाउस का कन्सैन्सस है कि यदि आज रात तक भी बैठना पड़े तो हम सब बैठें, परन्तु हमारी सजैस्शन यह थी ..(**व्यवधान**)

हमारी सजैस्शन यह थी कि जैसा यहां डिप्टी स्पीकर साहब ने भी सजैस्ट किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने वाले बिल पर चर्चा तो आज हो जाये लेकिन वोटिंग कल हो। अब प्रश्न यह है कि इनको कैसे एकोमेडेट किया जाये। जब पहले से यह तय हो गया है कि इस बिल पर डिस्कशन आज हो जाए, मैंने कल भी यही कहा था कि हम बी० जे० पी०, जनता दल और लैफ्टिस्ट पार्टीज तीनों दिल्ली की जनता को दिये गये वचन के प्रति कमिटिड हैं, हम सब दिल्ली को स्टेटहुड देने के मामले में एकमत हैं ...(**व्यवधान**)

जब हम सब मिलकर दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान किये जाने के प्रश्न पर सहमत हैं, एकमत हैं, कमिटिड हैं तो ये लोग क्यों यूनियन टैरिटरी की बात कर रहे हैं। इस तरह कभी कन्सैन्सस नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया, आप बैठिये। श्री बसंत साठे।

[**अनुवाद**]

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : महोदय, जहां तक दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के विधेयक का सम्बन्ध है यह विधेयक हम सभी से सम्बन्धित है। प्रसार भारती विधेयक के मामले में, सभी पार्टियों ने संसदीय मामलों मन्त्री के साथ तीन बार विभिन्न संशोधनों पर मिल बैठकर बातचीत की है और उसका हल खोज लिया। जहां चाह वहां राह (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अपने पिछले सैशन में भी यही कहा था, 6 महीने से आप यही कहते आ रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, यह उनकी एक आदत बन गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, आपके नेता बोल रहे हैं। हमें इनकी बात सुनने दीजिए।

श्री बसन्त साठे : महोदय, जैसा श्री दिनेश सिंह जी ने कहा है इस पर हमारी भी उत्सुकता और इच्छा स्पष्ट थी। आपके चेम्बर में, श्री सत्यपाल मलिक इस बात पर सहमत हुए थे कि सर्व-सम्मति के लिए रात को एक बैठक की जायेगी। यह स्पष्ट है यह राष्ट्रीय हित का विधेयक है और कोई व्यक्ति इसे हल्के फुल्के ढंग से नहीं ले सकता। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली देश की राजधानी है (व्यवधान) मुझे विश्वास है सभी पार्टियां इस विधेयक पर शान्तिपूर्ण ढंग से चर्चा करना चाहेंगी (व्यवधान) सदन में, कोई सर्वसम्मति तैयार नहीं की जा सकी आपको कुछ समय देने के लिए अपने पद के प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए और संसदीय कार्य मन्त्री को भी सभी पार्टियों की राय के लिए कुछ समय की अनुमति देनी चाहिए। जिससे कि इस विधेयक को पारित किया जा सके। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इस मामले के दो पहलू हैं (व्यवधान) श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री निर्मल चटर्जी ने, वामपंथी पार्टियों की ओर से मीटिंग में विचार व्यक्त किए हैं उसमें मैं कुछ और नहीं कहना चाहता इस मामले के दो पहलू हैं। प्रथम, विषय को चर्चा के लिए लेने दूसरा, विधेयक को आसानी से पारित कैसे किया जाये इस पर विचार करना है।

अध्यक्ष महोदय : यह सच है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए यह दो विभिन्न पहलू हैं। हम चाहते हैं कि प्रसार भारती विधेयक की तरह अगर मदभेदों को सीमित करने की संभावना है तो उसके प्रयास किये जाने चाहिये। उसमें कोई रुकावट नहीं है इसे अब भी किया जा सकता है। लेकिन इस बीच प्रश्न यह है कि क्या सदन दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के बारे में चर्चा करेगा। मेरा अलग से मुद्दा है। ऐसा लगता है, हम इस विषय पर केवल तभी चर्चा कर सकते हैं जब विपक्ष हमें इसकी अनुमति देता है। इस सदन में यह स्थिति हो गई है हम भी राज्य को दर्जा देने से संबंधी विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। प्रश्न यह है सदन को इस विधेयक पर चर्चा शुरू करने दीजिये और सर्वसम्मति के लिए पार्टियों के बीच चर्चा होनी चाहिए। हम पुनः दोहराते हैं चर्चा की गई थी, यह विचार किया गया था कि मीटिंग और चर्चा की जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इसके लिए कोई पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिये। अतः मैं दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी विधेयक पर चर्चा शुरू करने का अनुरोध करता हूं। निःसंदेह इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि सभी पार्टियां

उस पर विचार व्यक्त करने की इच्छा रखती है। इसी बीच, मुझे आशा है कि कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय कर लिया होगा कि उनकी तरफ से कौन बोलेगा; लेकिन मैं नहीं जानता कि किसको प्राधिकृत किया गया है सदन में इस पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वह झूठ बोल रहे हैं। संसदीय कार्य मन्त्री यह स्पष्ट कर सकते हैं कि जो सत्य नहीं है उसको बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री पी० उपेन्द्र : आपने अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर दी है (व्यवधान) महोदय, विपक्ष की तरफ से कितने लोग बोलेंगे ? मुझे बोलने दें। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : वह सभा को केवल गुमराह कर रहे हैं। वह "सेन्सर" मन्त्री हैं। श्री सत्यपाल मलिक बतायें कि आम सहमति और बैठक के बारे में सच क्या है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वह सेंसर के सम्पादन में निपुण हैं।

श्री दिनेश सिंह : उन्होंने उस चर्चा को भी सेंसर कर दिया है जो चैंबर में हुई थी। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं श्री सत्यपाल मलिक से अनुरोध करता हूं कि वह बोलें क्योंकि वह उस बैठक में मौजूद थे। श्री उपेन्द्र मौजूद नहीं थे। (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, दिनेश सिंह जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। इसलिए उन्हें सभा को "धोखा देना' तथा गुमराह करना जैसे कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक दिन का मामला नहीं है। हमारे बीच सहमति हुई है। इसमें कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। मेरा यह सुझाव है कि हम कार्य सूची में सम्मिलित चर्चा से बच नहीं सकते हैं। मेरा ठोस सुझाव यह है कि आज एक बजे दल के नेता गृह मन्त्री से मिलेंगे तथा विधेयक पर चर्चा 2.30 म० प० पर शुरू की जाये। अन्य मुद्दों को मध्यान्ह भोजन न करके निपटाया जा सकता है। 2.30 म० प० पर हम दिल्ली के बारे में चर्चा शुरू कर सकते हैं। हमने इसके लिए 3 घन्टे का समय निर्धारित किया है। इस विधेयक पर चर्चा समाप्त करने के बाद हम मंडल आयोग पर चर्चा जारी कर सकते हैं। हम रात्रि भोज की भी व्यवस्था करेंगे क्योंकि हमें कार्य सूची के विषयों को निपटाना है। हम उनकी इच्छानुसार समय देंगे। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : जी नहीं। वह इसे इस प्रकार सेंसर नहीं कर सकते। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप कार्य सूची को देखिये। कार्य सूची के अनुसार, जिसे मन्त्री महोदय ने स्वयं तैयार किया है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद प्रसार भारती विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए आखिरकार कार्य सूची प्रकाशित हो गई है। सभा की अनुमति के बिना आप इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं ? हम इस बात से सहमत नहीं हैं। इस सभा को मनमाने ढंग से नहीं चलाया जा सकता। आपने कार्य सूची प्रकाशित कराई है। यह सभा की संपत्ति है। आप इसमें ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : कोई नया गेम मत खेलो।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि आप लिस्ट आफ बिजनस के आर्डर को चेंज करने के विषय में उपेन्द्र जी के सुझाव पर विचार कर रहे हैं क्योंकि अभी पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि इसके बाद हम दिल्ली स्टेट हुड के बिल पर विचार करेंगे। लिस्ट आफ बिजनस को प्रिपेयर करने का काम, उसमें सुझाव देने का काम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का है। उनके सुझाव के आधार पर आपके सैक्रेटेरिएट के द्वारा लिस्ट आफ बिजनस सरकुलेट की जाती है। यदि उनके मन में ईमानदारी होती तो उसे प्रायरिटी आईटम के रूप में यहां पर रखते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने आपकी बात सुन ली है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री हरीश रावत : मैं संक्षेप में अपने व्यवस्था के प्रश्न को बता रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप एक्सपीरीएंसड पार्लियामेन्टेरियन हैं, इसमें व्यवस्था का क्या सवाल है ?

श्री हरीश रावत : पांच सप्ताह का सैशन था और इस पांच सप्ताह के सैशन में यदि सरकार ईमानदार होती दिल्ली विधेयक पर विचार करने के लिए तो इनको पहले ही सप्ताह इसको लेकर आना चाहिए था। ये हमेशा उसे आखिर में, हर सप्ताह की लिस्ट में आखिरी आइटम के रूप में, पांचवे—छटे आइटम के रूप में रखते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि न तो सरकार न सरकार के सहयोगी दल बी० जे० पी० ईमानदारी के साथ स्टेटहुड को स्वीकार करना चाहते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि लिस्ट आफ बिजनस के आर्डर को बदलने के विषय में बिना हाउस की कन्सैसस के इसमें चेन्ज नहीं किया जा सकता है चाहे पार्लियामेंट्री अफैसर्स मिनिस्टर का चुनाव हो। इसमें हाउस की राय ली जाती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम आगे कार्यवाही करें और पत्र सभा पटल पर रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी इस चर्चा को समाप्त नहीं किया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

इस समय श्री सी० के० कुप्पुस्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए

अध्यक्ष महोदय : श्री कुप्पुस्वामी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब अपने स्थानों पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने स्थान पर चले जायें तो मैं निर्णय करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राकेश जी ये सब नहीं होता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। तब मैं आपकी बात सुनूंगा। जब तक आप अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे तब तक मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : याद रखिए, मामले उठाने का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर जाइए। मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं बोलने के लिए आपको बुलाऊंगा। यदि आप अपने स्थान पर जाएंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। श्री कुप्पुस्वामी, कृपया अपने स्थान पर जाइये।

इस समय श्री सी० के० कुप्पुस्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कुप्पुस्वामी को बोलने के लिए बुलाता हूं।

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में श्रीलंका से बहुत अधिक संख्या में शरणार्थियों के आने से राज्य में गम्भीर समस्या पैदा हो रही है। तमिलनाडु में एक लाख से अधिक शरणार्थी हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोयम्बटूर में शरणार्थी निगम के स्कूलों में बिना भोजन, कपड़ा और आवास के ठहरे हुए हैं। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। वे लगभग भूखे मर रहे हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार उनकी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। गृहमंत्री महोदय ने अभी तक तमिलनाडु में शरणार्थी शिविरों का दौरा नहीं किया है। अकेले कोयम्बटूर में ही ऐसे आठ शिविर हैं। उनके लगातार ठहरने से राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है। वस्तु गृहमंत्री महोदय को कोई परवाह नहीं है। मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि इस मामले में निष्क्रिय होकर वह तमिलों के साथ विश्वासघात कर रही है। इन लोगों को तमिलों के कल्याण के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस स्थिति पर ध्यान दिया जाए और शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में लिट्टे के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा हुई थी। यह 45 मिनट तक भी नहीं चली थी। इस पर अधूरी चर्चा थी। हम इस चर्चा का इन्तजार कर रहे हैं और उसके लिए अनुरोध कर रहे हैं। एक लाख से अधिक शरणार्थी तमिलनाडु में घुस आए हैं। कानून और व्यवस्था भंग हो चुकी है। स्कूल बन्द कर दिए गये हैं। तमिलनाडु में बहुत अधिक असन्तोष व्याप्त है। हम नियम 193 के अधीन चर्चा करने के कर रहे हैं। चर्चा नियम 193 के अधीन शुरू हुई थी। परन्तु हमें गृहमंत्री महोदय का जवाब नहीं मिला था। यदि आप चर्चा की अनुमति नहीं देंगे तो हम इसे जारी रखने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? समय बीतता जा रहा है (व्यवधान)

[हिन्दी]

आपकी भी तो मां बहनें हैं. आप चुप रहिये।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आज हर हालत में दिल्ली का बिल पास होना चाहिए। यह इसलिए नहीं चाहते क्योंकि इस बार कांग्रेस का दिल्ली में डिब्बा गोल हो जायेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरा आपसे अनुरोध है कि नियम 193 के अधीन लिट्टे पर जो अधूरी चर्चा हुई है उसे शुरू किया जाए। सत्र कल समाप्त हो रहा है। मंडल आयोग पर चर्चा चल रही है। हम इस पर कल चर्चा करें। हम चाहते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति को यह सुनिश्चित

* मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

करना चाहिए कि लिट्टे पर चर्चा कल शुरू हो। हम इनके बारे में एक आश्वासन चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस तरह मत धमकाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अन्वारासु इरा (अड्डास मध्य) : मैंने नोटिस दिया है। मुझे आप बोलने का अवसर दीजिए। (व्यवधान)

19 जून को लिट्टे के लोगों ने ई० पी० आर० एल० एफ० के नेता और 16 अन्य लोगों की हत्या कर दी। हमने नियम 193 के अधीन इस मामले पर चर्चा करने के लिए कहा था। यद्यपि चर्चा की अनुमति दी गयी थी परन्तु यह अधूरी थी। इसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। लिट्टे की गतिविधियां बढ़ रही हैं। तस्कर आ रहे हैं, औषधियों की बिक्री की जा रही है। कालेज और स्कूल के छात्रों को निषिद्ध वस्तुयें दी जा रही हैं...

अध्यक्ष महोदय : इस तरह मत दोहराइये।

(व्यवधान)

श्री अन्वारासु इरा : इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चर्चा की अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

हम चाहते हैं कि आप लिट्टे पर चर्चा करने की अनुमति दें। (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै (करूर) : अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही आपको लिखित में दिया है। तमिलनाडु में श्री लंका से आये शरणार्थियों की समस्या है। तमिलनाडु में बहुत-सी अवैध गतिविधियां जारी हैं। शरणार्थियों को भी बड़ी परेशानी है। किसी को चिन्ता नहीं है। उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। (व्यवधान) इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि नियम 193 के अधीन इस चर्चा को तुरन्त शुरू किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

1.00 म० प०

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : उत्पाद शुल्क की वापसी के बारे में सभा में जोरदार चर्चा हुई है। वित्त मंत्री महोदय ने इस सभा के अन्दर और बाहर एक वक्तव्य दिया है। उनके वक्तव्य से शंका और बढ़ गयी है। उन्होंने सभा के अन्दर और बाहर कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि यह मामला उन्हें बताया गया था। उन्होंने कहा है कि राजस्व सचिव को भी इसकी जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि उत्पाद शुल्क की वापसी से 30 रुपये प्राप्त हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्राक्कलन समिति पहले से ही इस मामले पर विचार कर रही है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

1.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1990 और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का वर्ष 1987-88 का वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन

गृह मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 उपधारा (3) के अन्तर्गत राज्यपाल भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1990, जो 30 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 675 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1407/90]

(2) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के वर्ष 1987-88 के वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या, एल० टी० 1408/90]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : मैं श्री अजीत सिंह की ओर से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के क्रियान्वयन से संबन्धित एक जनवरी, 1988 से 31 दिसम्बर, 1988 तक की अवधि के अठारहवें वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1409/90]

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, श्री आरिफ मोहम्मद खान की ओर से मैं राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 40

के अन्तर्गत राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण) नियम, 1989, जो 26 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 253 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1410/90]

मुम्बई डाक श्रम बोर्ड के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन से संलग्न सुधार-पत्र तथा लेखापरीक्षित लेखे और,

दो तेल वाहक पोतों पर भारतीय नौवहन निगम को हुए घाटे के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 286 के 28 जुलाई, 1988 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : मैं श्री के० पी० उन्नीकृष्णन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मुम्बई डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन* से संलग्न सुधार पत्र के शुद्धि पत्र की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1411/90]

(2) (एक) दो तेल वाहक पोतों पर भारतीय नौवहन निगम को हुए घाटे के बारे में श्री बनवारी लाल पुरोहित तथा प्रो० रामकृष्ण मोरे द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 286 के 28 जुलाई, 1988 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1412/90]

भारतीय डाक घर (बारहवां संशोधन) नियम 1990

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : मैं भारतीय डाक घर अधिनियम, 1988 की धारा 10 तथा 74 के अन्तर्गत जारी किए गए भारतीय डाक घर (बारहवां संशोधन) नियम, 1990 जो 12 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में सा० का० नि० 630 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1413/90]

पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण और नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं श्री चिमन भाई मेहता की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

*वार्षिक प्रतिवेदन 29 मई, 1990 को सभा पटल पर रखा गया था।

(1) (क) (एक) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ख) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1414/90]

(3) (एक) नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1415/90]

(5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1416/90]

राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड जयपुर तथा तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड मद्रास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम 1990 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 20 के अन्तर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड (संशोधन) नियम, 1990 जो 23 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 94 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1417/90**]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1990 जो 23 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 403 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का० आ० 488 (अ) जो 18 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह निदेश दिया गया है कि 1 अप्रैल, 1990 से 30 सितम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा वाणिज्य बोर्डों को उर्वरक की पूर्ति स्वदेशी विनिर्माताओं द्वारा बनाए जाने वाले उर्वरक में से की जाये।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1418/90**]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1419/90**]

(ख) (एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1420/90**]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1420/90**]

असम में उल्फा की गतिविधियों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 690 के 9 अगस्त, 1990 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तत्वपाल मलिक) : मैं श्री सुबोध कांत सहाय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) असम में उल्फा की गतिविधियों के बारे में प्रो० महादेव शिवनकर तथा श्री जनार्दन तिवारी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 690 के 9 अगस्त, 1990 को दिये गये शुद्ध उत्तर में शुद्धि करने; तथा

(दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1421/90]

पंजाब कृषि उपज मंडी (दूसरा संशोधन अधिनियम 1989)

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : मैं पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजाब कृषि उपज मंडी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 5) जो 11 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1422/90]

1-03 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

अपर सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 5 सितम्बर, 1990 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय विश्व कार्य परिषद विधेयक, 1990 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

1.03½ म० प०

भारतीय विश्व कार्य परिषद विधेयक, 1990
राज्य सभा द्वारा यथापारित

अपर सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित भारतीय विश्व कार्य परिषद विधेयक, 1990 सभा पटल पर रखता हूं।

1.04 म० प०

लोक लेखा समिति

पांचवीं से सत्रहवां प्रतिवेदन

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वातानुकूलन संयंत्र को चालू न करने के कारण पूंजी अवरुद्ध होने से संबंधित 61वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में पांचवां प्रतिवेदन ।

(2) सीमा-शुल्क प्राप्तियां—आयातकों द्वारा निष्पादित बांडों और बैंक गारंटियों में अनियमितताओं से संबंधित 92वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में छठा प्रतिवेदन ।

(3) सीमा-शुल्क प्राप्तियां—अन्तर्देशीय सीमा-शुल्क बन्धकित भाण्डागार से संबंधित 124वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में सातवां प्रतिवेदन ।

(4) सीमा-शुल्क प्राप्तियां—गलत निर्धारणीय मूल्य अपनाने के कारण शुल्क की कम वसूली से संबंधित 133वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में आठवां प्रतिवेदन ।

(5) भारत सरकार टकसाल, मुम्बई—सिंहावलोकन से संबंधित 90वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में नौवां प्रतिवेदन ।

(6) मानिकगढ़-चान्दुर नई बड़ी लाइन और चित्रदुर्ग-रायदुर्ग नई मीटर रेल लाइन से संबंधित 128वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में दसवां प्रतिवेदन ।

(7) स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय और प्रभारित विनियोग (1987-88) तथा स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय और प्रभारित विनियोग (1986-87) से संबंधित 147वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन ।

(8) रेलों के विद्युतीकरण से संबंधित 123वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में बारहवां प्रतिवेदन ।

(9) महानगरीय परिवहन परियोजना, कलकत्ता से संबंधित 142वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

(10) (एक) खड़गपुर-मद्रास वाइडगेंज माइक्रोवेव स्कीम (दो) कलकत्ता उत्तरी बंगाल असम वाइडगेंज माइक्रोवेव स्कीम (तीन) नागपुर-बगलोर वाइडगेंज माइक्रोवेव स्कीम से संबंधित 129वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।

(11) पुणे टेलीफोन से संबंधित 149वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(12) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा समाहरित राशि जमा करने में विलम्ब से संबंधित 28वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

(13) समस्याग्रस्त गाँवों में पेयजल की आपूर्ति से संबंधित 85वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि वे तत्काल मेरे कमरे में आएं।

सभा 2.00 म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.03 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.03 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में हरिजनों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार तथा जोर-जुल्म के विरोध में जब कांग्रेस (आई) के नेता श्री बलराम सिंह और श्रीमती शीला दीक्षित ने इसका विरोध किया और पूर्व सांसद श्री चन्द्रपाल शैलानी ने भी, कि एक हरिजन महिला पर अलीगढ़ में अत्याचार हुआ तो उनको उत्तर प्रदेश की जेलों में बन्द कर दिया गया। इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार ढाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को जेल में बन्द रखा गया है, बिना कोई चार्जशीट लगाये हुये, बिना किसी आरोप के जेल में बन्द रखा जा रहा है और करीब दो हजार से ज्यादा कार्यकर्त्ता पिछले तीन दिन से इस तरीके से जेल में बन्द रखे गये हैं, जिनमें भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री, वर्तमान संसद सदस्य भी हैं। इन लोगों को सी क्लास की जेल में रखा जा रहा है और अपराधियों के साथ रखा जा रहा है। 6 हजार के करीब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्त्ता, जो महिलाओं और हरिजनों के ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में जेल गये हैं, उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कृपया हमें कुछ कहने दीजिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा।

(व्यवधान)

2.05 म० प०

दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने से सम्बन्धित विधेयक के बारे में—(जारी)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, लन्च के हाउस एडजर्न हुआ, उससे पूर्व अध्यक्ष जी ने सभी पार्टियों के नेताओं को आमन्त्रित किया था कि आप मेरे कक्ष में इस बात पर विचार करने के लिए आएं कि दिल्ली विधेयक पर किस प्रकार से आगे बढ़ा जाये। इस बात का मुझे खेद है कि उस बैठक में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। **(व्यवधान)**

मैं समझता हूं कि मुझे तो कम से कम स्मरण नहीं है कि मेरे संसदीय जीवन में सभी अध्यक्ष ने आमंत्रित किया हो और किसी पार्टी के नेता या किसी पार्टी के सदस्य उसमें अनुपस्थित रहे हों।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : संयुक्त संसदीय समिति की एक बैठक में ऐसा हुआ था कि विपक्ष श्री बलराम जाखड़ के पास नहीं गया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी। मैं तब नहीं था, इसलिए हो सकता है, लेकिन मुझे आज बहुत अफसोस हुआ। अगर उसको आप उचित समझते हैं तो ठीक है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष जी, उस बैठक में फिर भी हम सब लोगों ने निवेदन किया, कल अगर यह अपेक्षा थी कि एक बार फिर से बैठकर दिल्ली के बारे में यदि कोई मतभेद हैं और उन पर कंसेंसस हो सकती है तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिये, अभी भी करनी चाहिये। मैं इसमें अभी भी इस मत का हूं कि कंसेंसस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यद्यपि आप में से जिन्होंने विधेयक देखा होगा तो उनको पता होगा कि इस विधेयक में, जिसमें दिल्ली को स्टेट का दर्जा देने पर बात है, वही आपत्ति करेगा, इस विधेयक में कुछ नहीं है, सिर्फ इसके सब्सीक्वेंट फालोअप बिल पर ही बहस हो सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि विपक्ष के लोग, सरकार जो मीटिंग बुला रही है, उसमें उपस्थित हों और चर्चा कर लें। तब तक बाकी सदन की कार्यवाही आप चलाइए और उसी विश्वास के साथ जो विश्वास कल की मीटिंग में व्यक्त किया गया कि आज के दिन हम दिल्ली का विधेयक स्वीकार करेंगे और उस पर कोई निर्णय करेंगे।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आडवाणी जी का बहुत आदर करता हूं, हमेशा किया है और केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनका आदर करता हूं। (व्यवधान)

बीच में मत बोलिए, क्या आपके लीडर का आदर करना भी जुर्म है, मैं उनका आदर करता हूं और करता रहूंगा, आपान चाहें तो भी करूंगा।

[अनुवाद]

मेरे विचार से वह सर्वाधिक योग्य सांसद हैं। मुझे उत्तेजित मत कीजिए।

[हिन्दी]

आडवाणी जी से मेरा नम्र निवेदन है, उन्होंने ठीक कहा कि अध्यक्ष जी बुलाएं तो जाना चाहिए, लेकिन हमारे न जाने के कारण क्या है अध्यक्ष महोदय के सामने मीटिंग हो, उसमें एक बात तय हो. जिसका कन्फरमेशन कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया, जो वहां बात हुई थी, रात की मीटिंग में बात हो गई थी, उसमें विजय कुमार जी कोई गलत इंप्रेशन लेकर आये आमतौर से विजय कुमार जी गलत कहने के आदी नहीं हैं, अब उन पर पता नहीं किसका असर हो गया है। (व्यवधान)

वे भी भले आदमी हैं। मेरा कहना यह है कि पी० उपेन्द्र जी को मुश्किल भी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रह चुका हूं, मेरी प्राब्लम थी, ओवर बर्डन की और इनकी प्राब्लम है ये सब, तो मैं समझ सकता हूं। पी० उपेन्द्र कल मीटिंग में नहीं आये, मधु जी को भेज दिया, आज कुछ और कह दें, सत्यपाल मलिक को बोलने न दें लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम नहीं गए तो कोई स्पीकर साहब के अनादर की भावना से नहीं, मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब आदर योग्य हैं, हम उनका आदर करते हैं और हमारे आदमी नहीं गये तो इस ख्याल से नहीं गये कि जो स्पीकर के यहां कल तय हुआ था, अगर उसकी कद्र ही नहीं है, जो यहां आपने दिखाया, तो जो हम नहीं गये, उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं, आप पर है।

दूसरी बात मैं आडवाणी जी से कहना चाहता हूं कि हम दिल्ली में, मैं मैरिट्स पर नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

मैं मैरिट्स पर नहीं बोलूंगा, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, यू कांट स्टाप मी। (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : हम तुम्हारी मर्सी पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमें डिक्टेट कर रहे हैं ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : मैं उनकी बात में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यदि वे चाहें तो मैं मानने को तैयार हूं...(व्यवधान)....मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बहुत उत्सुक हैं और हमने इसका संकेत भी दिया था....(व्यवधान) में उनके प्रत्युत्तर में बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सिकिहो सेमा (नागालैंड) : महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य श्री खुराना का ध्यान नियम 349 और 352 की ओर आकर्षित किया जाना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इन नियमों की जानकारी नहीं है। उनमें न्यूनतम शालीनता भी नहीं है। मैं आपसे उनका ध्यान इन नियमों की जानकारी नहीं है। उनमें न्यूनतम शालीनता भी नहीं है। मैं आपसे उनका ध्यान इन नियमों की ओर आकर्षित करने का अनुरोध करता हूं...(व्यवधान) ...जब अन्य सदस्य बोल रहे होते हैं तो भी खुराना सदा अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। वह ऐसा कब तक करेंगे ? वह वयोवृद्ध हैं और हम यह बात स्वीकार करते हैं। परन्तु उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सबको बोलने का अधिकार है। यह कांग्रेस की मीटिंग नहीं है। क्या आपके लिए कोई रूलिंग नहीं है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें कार्य-सूची के अनुसार चलना होता है। मैं आपको बहुत कम समय दे रहा हूं। वे यहां और बाहर भी अच्छे मित्र हैं। इसलिए चिंता न करें। (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : मैं एक मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। श्री आडवाणी ने जो कुछ कहा है उसके प्रति मेरी बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया है। कांग्रेस तो इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि दिल्ली का एक अच्छा राजनीतिक दर्जा होना चाहिए, एक मन्त्रिपरिषद और एक विधान सभा होनी चाहिए। हमारी बहुत सी आशंकाएं हैं। सरकार ने संविधान (संशोधन) विधेयक का केवल एक भाग पेश किया है। उसमें हम अनेकों बातें चाहते हैं। उन्होंने वे बातें सामने नहीं रखीं हैं। दूसरा विधेयक भी पेश नहीं किया गया है। वे जो कुछ बता रहे हैं उससे ज्यादा छिपा रहे हैं। हम कई मुद्दे उठाना चाहते हैं। हम आम सहमति बना सकते हैं। हम दिल्ली को राजनीतिक

दर्जा देने से कम में रुचि नहीं रखते हैं। हम इसकेलिए 1914 से कह रहे हैं। और हमने दिल्ली को यह दिया भी....(व्यवधान) हमने यह दिया था और आपने इसे लिया था। आपने इसे सफेद हाथी कहा था....(व्यवधान) . मैं विधान सभा में था। उनमें से कोई भी विधान सभा में नहीं था और वे कुछ नहीं जानते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राकेश जी, कृपया बैठ जाइए। आप व्यवधान न डालिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इन्होंने जो व्हाइट एलीफेंट के बारे में कहा है वह गलत है।

श्री एच० के० एल० भगत : सुनो, आप मेरी बात तो सुनो ..((व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। तब ऐसी बातें नहीं होंगी।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि मैं तथ्यों के मामले में गलत नहीं हूं। खैर, वे बाद में अपना मत बदल लेंगे। परन्तु वह सब ठीक है। हम सरकार के साथ बैठकर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे मन में अनेक गंभीर आशंकाएं और कई बातें हैं। दूसरा विधेयक नहीं लाया जा रहा है। कुछ ऐसी संवैधानिक गारंटियों की आवश्यकता है कि उसमें क्या है, आने वाले समय में क्या होने जा रहा है आदि। हम मिल बैठकर सहमति बनाने के लिए तैयार हैं। यदि हम इसके लिए प्रयास करें तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा ? फिर भी, यह अच्छी बात है कि उन्होंने यह कहा है कि यदि हम एक साथ बैठकर बात करके कोई रास्ता खोज सकते हैं, यदि हम किसी बात पर सहमत हो सकते है, तो ठीक है...(व्यवधान) ..मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी राज्य का दर्जा पाने और यह कहने कि वे यह करना चाहते हैं और इस पर हाय-तौबा करना चाहते हैं कि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती, के प्रति गंभीर है। यदि आप यह खेल खेलना चाहते हैं, तो हम इसे खेलना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना : यह सच है।

[हिन्दी]

कि कांग्रेस नहीं चाहती है। इसलिए आपने दिल्ली के चुनाव टाल दिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : यह आपकी हाय-तौबा है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, क्या आप उन्हें इस प्रकार बोलते रहने देंगे **(व्यवधान)**...आप जानते हैं कि हमारे समर्थन के बिना आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा समर्थन मिले....**(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री कुरियन को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा श्री कुरियन।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने अध्यक्ष महोदय द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लिया था; इससे कोई अनादर करना नहीं चाहते थे....**(व्यवधान)**

माननीय आडवाणी जी ने कहा कि ऐसा पहली बार...**(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जाएगा उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री कुरियन।

श्री पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं पुनः यह स्पष्ट करना चाहूंगा...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अग्रवाल जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इसके बाद आप मत उठिए....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपके सदस्य हैं जो बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : महोदय, आप उन्हें भी चेतावनी दीजिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आपने श्री खुराना को चेतावनी क्यों नहीं दी ? **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आपने श्री खुराना को चेतावनी क्यों नहीं दी ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुमार मंगलम जी मुझे बोलने दीजिए। यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वह जितना चाहे उतना दुर्व्यवहार कर सकते हैं। क्या हम सदस्य नहीं हैं ? महोदय, अब बहुत हो गया। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कुमार मंगलम जी आप भी सभा में ठीक ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कुमार मंगलम जी, आप कृपया बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप देख सकते हैं कि आप काफी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ उसके बारे में कहा है मैं वही बात आपके बारे में भी कहता हूं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कुमार मंगलम जी, आप श्री खुराना की ओर नहीं देखेंगे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, हम उन्हें कैसे उत्तेजित कर सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : साहब क्या ये इतनी खूबसूरत हसीना हैं कि ये इनकी तरफ देखें ? (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं इस बात को फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग न लेने का अर्थ यह नहीं है कि हम उनका निरादर कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करके अपनी बात कहिये ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम केवल अध्यक्षपीठ का ही सम्मान नहीं करते हैं अपितु पीठासीन अध्यक्ष द्वारा लिये गये विनिर्णयों का भी समान रूप से सम्मान करते हैं। अध्यक्षपीठ का ही सम्मान केवल तभी होगा जब अध्यक्षपीठ द्वारा लिए गए विनिर्णयों का समर्थन किया जाता है और उनका पालन किया जाता है। हम यही कुछ महसूस करते हैं। माननीय आडवाणी जी ने कहा है कि यह पहला मौका है जब विपक्ष ने अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक का बहिष्कार किया है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। मेरे पास इस बात के उदाहरण हैं कि माननीय बलराम जाखड़ जी ने जब तत्कालीन विपक्ष के साथ बैठक बुलाई थी तब उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया था।

महोदय, मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह संसद के इतिहास में पहला मौका है कि पीठासीन अध्यक्ष द्वारा लिये गये किसी विनिर्णय की सरकार ने उपेक्षा की हो। कब

श्री सत्यपाल मलिक ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। प्रो० मधु दंडवते भी इस बैठक में उपस्थित थे। दोनों इस बैठक में उपस्थित थे। सरकार ने प्रो० दंडवते को आज जानबूझकर सभा में आने से मना कर दिया है। मलिक यहां बैठे हुए हैं लेकिन श्री उपेन्द्र ने उन्हें सच बोलने से मना कर दिया है। क्या यह अध्यक्षपीठ का निरादर नहीं है ? क्या सभा में उपस्थित न होने देना या उनके निर्देशों का पालन न करना अध्यक्षपीठ का निरादर नहीं है ? आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप भी उस समय उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक में कही गई किसी बात पर ठीक टिप्पणी करना अथवा किसी सदस्य का नाम लेना ठीक नहीं है। आप कृपया ऐसी बातें न करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, अध्यक्षपीठ के साथ निर्णय किया गया था और उससे सरकार मुकर गई है। मैं समझता हूं कि यह न केवल अध्यक्षपीठ का निरादर है अपितु यह सभा का भी निरादर है।

महोदय, दूसरे, हमने माननीय अध्यक्ष को बताया था कि हम बैठक में भाग लेने को तैयार हैं बशर्ते कि हमें इस बात का आश्वासन दिया जाये कि जो भी निर्णय लिया जायेगा उसका पालन किया जायेगा तथा हमें इस बात का भी आश्वासन दिया जाये कि सरकार अध्यक्षपीठ द्वारा लिए गए किसी निर्णय को सभा में गलत ढंग से पेश नहीं करेगी। हम यही कुछ चाहते थे और हमने इस संबंध में अध्यक्ष को भी बता दिया था। हमारे नेता श्री भगत जी ने भी कहा है कि हम बैठक में भाग लेने को तैयार हैं बशर्ते कि हमें निम्नलिखित आश्वासन दिया जाये : (1) कि जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका पालन किया जाएगा; तथा (2) वहां निर्णय लेने के पश्चात कोई भी सदस्य यहां आकर उसे गलत ढंग से पेश नहीं करेगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह श्री मल्होत्रा की ओर से अपने नेता को गुमराह करने—क्योंकि माननीय आडवाणी जी उस समय वहां उपस्थित नहीं थे और मुझे विश्वास है कि वह सच बोल रहे हैं—और सभा में झूठ बोलने के लिए क्षमा याचना करें। उन्हें इस सभा से क्षमा याचना करनी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले भी सदन में कहा था कि स्पीकर साहब यहां हाजिर हैं। स्पीकर साहब पूरी बात पर प्रकाश डाल देते तो सारा मामला साफ हो जाता। आप भी वहां पर थे। सारे मामले में जो कुछ हुआ, मैंने शुरू में ही बातें रख दीं थीं। मधु दन्डवते जी ने पेपर तैयार किया था कि वहां पर क्या फैसला हुआ, उन्होंने पढ़कर भी सुनाया। उसमें दो बातें आईं, आपने उस समय इस बात का जिक्र किया था कि आज इसको मूव कर दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने जो कहा था उसका आप जिक्र नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : बाद में इन्होंने कहा कि आज मूव न किया जाए, कल इस पर वोटिंग हो जाए। तब हमने यह कहा कि जनटलमैन एग्रीमैंट यदि है तो कल इसके ऊपर डिबेट होगी, कल वोटिंग हो जाएगी चाहे रात बारह बजे तक बैठें। इस शर्त पर आज न लिया जाये, आज बाकी काम कर लें। यह बात ठीक है। मैंने उस समय भी कहा था कि क्या कोई कन्सैसस निकल सकता है? कनसैन्सस निकलने के सवाल पर वहां भी यह बात रखी गई थी कि कनसैन्सस इमपासीबिल है पर कोशिश कर ली जाए। और गवर्नमैंट को बता दें कि क्या करना चाहते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं आई। उसके बाद आडवाणी जी ने कहा कि आप अभी कनसैन्सस कर लीजिए, शाम को कर लीजिए पर कनसैन्सस की बात सिर्फ यह है कि बिल नहीं आने देना है और बिल पास नहीं होने देना है। अभी भगत जी ने सारी बातचीत में एकबार भी दिल्ली को स्टेट देने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम अनैम्बली देना चाहते हैं, अच्छा पोलिटिकल सैटअप देना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम कोई बात 40 साल से सोच रहे हैं लेकिन स्टेट असैम्बली की कोई बात नहीं की कि हम दिल्ली को स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं। यदि स्टेट का दर्जा नहीं देना चाहते हैं तो इसमें आनैस्ट डिफरैंस आफ ओपीनियन है।

[अनुवाद]

वे इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि दिल्ली को राज्य का दर्जा देने में वास्तव में मतभेद है?

[हिन्दी]

यदि वे नहीं देना चाहते हैं तो इसको ईमानदारी से औपोज करें, यह कहें कि हम इसको औपोज करते हैं। इनके बिना वह पास नहीं होगा यह हम जानते हैं। यह एक संवैधानिक संशोधन है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : यदि वे कांग्रेस (आई) के विरुद्ध आरोप लगाने के लिये इस सभा का उपयोग करना चाहते हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आप व्यवस्था दीजिए। हम इस पर यहीं चर्चा करना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपया उन्हें नियंत्रित कीजिए। वे व्यर्थ में यह सब कुछ कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें नियंत्रित करूंगा। आप कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : वे हमारे ऊपर आरोप पर आरोप लगाते जाएं हम बिना किसी गलती के स्वीकार कैसे करें? यह बिल्कुल गलत बात है, आप उनको कन्ट्रोल कीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, आप 'उन्हें नियन्त्रित करिए' कहकर मुझे नियंत्रित करने का प्रयास न करें। आप कृपया बैठ जाइये। मैं उन्हें नियंत्रित करने में पूर्णतया सक्षम हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं एक मिनट और लेना चाहता हूं। यह जो बार-बार कहा जा रहा है कि जल्दी में मत करिए, बैठकर रास्ता निकालें, आपको याद होगा कि पिछले सैशन में इस हाउस में बार-बार कहा गया कि आज जो-जो चीजें करना चाहते हैं, बैठकर कनसैन्सस कर लें। उस बात को चार महीने बीत गए। 1947 से 40 कमेटियां बैठ चुकी हैं कोई कनसैन्सस निकालने के लिए। 40 साल में ये कनसैन्सस नहीं निकाल पाए तो क्या 40 मिनट में निकाल लेंगे। 40 मिनट में कोई कनसैन्सस नहीं निकलेगा परन्तु फिर भी हम कहना चाहते हैं कि अभी आधा घंटा, एक घंटा बात कर लीजिए। आडवाणी जी ने रिक्वैस्ट की है, बैठकर कोई रास्ता निकालकर आज रात को वोटिंग तक की नौबत आ जाये। ये बता दें कि हमारी ये छ चीजें डाल दें, दो चीजें उसमें तय कर लें परन्तु यह नहीं हो सकता कि आप यह कहें कि सैशन खत्म हो जाए और कुछ न हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा० तम्बि दुरै अब आप बोलिये। आप किसी दूसरे विषय पर बोलें। इसी विषय पर न बोलें।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : हमारे दल ने आज उस बैठक में भाग लेने के बारे में सोचा था लेकिन हम इस बैठक में भाग नहीं ले सके।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं .....

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल भी हमने बैठक में भाग लिया था। मैं समझता हूं कि हम इस सभा का समय नष्ट होने से बचा सकते हैं **(व्यवधान)**। आप मेरी बात सुनिये **(व्यवधान)**। मैं यह समझता हूं कि दिल्ली को राज्य का दर्जा देते समय इस मामले पर विचार करते हुए, यह सोचते हुए कि सभी इस विषय पर एकमत होंगे, समय नष्ट करने से बचा जा सकता है और हमें इस विधेयक को पारित करने का प्रयास करना चाहिए **(व्यवधान)**।

लेकिन हम हर दफा जब सत्र समाप्त होने वाला होता है तब इस मामले को उठाते हैं और अन्य महत्वपूर्ण मामलों को नजर अन्दाज कर देते हैं। अतः उन्होंने आज भी इस विषय को लेने के संबन्ध में इस तरह का रवैया अपनाया होगा।

अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए चिंतित हैं। (व्यवधान) आप पांडिचेरी के संबन्ध में चिंतित क्यों नहीं है ? भारतीय जनता पार्टी केवल दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने के संबन्ध में चिंतित है, कांग्रेस दिल्ली को राज्य का दर्जा मिलने के बारे में चिंतित है। मैं पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दिलाने के बारे में चिंतित हूं। और कोई भी पांडिचेरी के बारे में चिंतित नहीं है। हमारी उपेक्षा की जा रही है। दिल्ली में दक्षिण भारतीयों की उपेक्षा की जा रही है। दिल्ली राज्य में भी ऐसा ही होगा। यद्यपि हम यह जानते हैं कि हम भारतीय हैं लेकिन हमारी भाषा और संस्कृति के संबन्ध में हमारे हित सुरक्षित नहीं है। इन सभी बातों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम इस विधेयक पर सभी की सहमति चाहते हैं। यदि आप बिना किसी सर्व-सम्मिति के इसी प्रकार मजबूर करते रहे तो हम इस विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते।

अनेक सदस्यों ने लिट्टे और कुवैत के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये हैं। कुवैत के सम्बन्ध में मैं पहले ही आपको लिखकर दे चुका हूं। कुवैत में क्या हो रहा है ? हमारे लोगों ने अनेकों बार यह बात उठाई है।

जो भी हो, श्री उपेन्द्र प्रसार भारती विधेयक पेश करने जा रहे हैं (व्यवधान) कल भी हमने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम देखा था। (व्यवधान) मैं उसी बात पर आ रहा हूं। कुवैत में क्या हो रहा है ? दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम में दिखाया गया था कि वहां किस प्रकार लोग तकलीफ उठा रहे हैं। उन्हें खाने को भोजन नहीं मिल रहा है वे खाने के लिए झपट रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और आपस में लड़ रहे हैं वहां इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। (व्यवधान) हमारी भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज वहां नहीं उतर सके। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई कर रही है; सरकार हमारे लोगों को वहां से निकालकर वापस हमारे देश में कैसे लायेगी ? क्या यह देश की चिंता नहीं है ? क्या दिल्ली को राज्य का दर्जा देना इन विषय से भी अधिक महत्वपूर्ण विषय है ? कुवैत, लिट्टे तथा पांडिचेरी के मामलों का क्या हुआ ? कृपया आप इन सब बातों का उत्तर दीजिए और तत्पश्चात् आगे बढ़ें (व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री जे० पी० अग्रवाल : (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी सफाई में बोलने का मौका दिया जाये। यह बहुत गलत बात है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको टाइम दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जो बातें नियमानुसार की जा सकती हैं उन्हें आप नियम विरुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मैंने प्रातः ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था। सरकार का सदैव ही यह प्रयास रहा है कि सभी मुख्य विधेयकों पर

सर्वसम्मिति हो और इस मामले में माननीय अध्यक्ष अथवा आपको शामिल करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कल यह निर्णय लिया गया था कि सरकार को एक बैठक बुलानी चाहिए और यह बैठक लाभप्रद रहेगी या नहीं इस सम्बन्ध में हमने अलग से विभिन्न दलों से परामर्श किया था और जैसा कि मैंने प्रातः उल्लेख किया था, इस संबन्ध में गम्भीर मतभेद हैं। लेकिन अब सभी दलों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि वे बैठक में भाग लेने को तैयार हैं। यदि सभी दल तैयार हैं तो गृहमंत्री 3 बजे बैठक बुला सकते हैं। आप उनके साथ बैठ जाइये तथा इस संबंध में विचार विमर्श करें।

[हिन्दी]

श्री जे० पी० अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मल्होत्रा साहब ने जो बात कही मैं आपके माध्यम से इस बात को जरूर दोहराना चाहता हूं कि दिल्ली में हमेशा कांग्रेस ने असेम्बली की मांग की है और पालिटिक्स पावर की मांग की है। दिल्ली में जब 1952 में असेम्बली थी तब वह एक सफेद हाथी थी, यह उनका कहना था। आज वह इसको दोहराना चाहते हैं। अब कहते हैं कि दिल्ली वालों को असेम्बली चाहिये तभी दिल्ली को पावर मिलेगी। 1977 में जब इनकी सरकार थी तब क्या ये सो गये थे, तब इनको यह मालूम नहीं था। अभी यह भूल रहे हैं कि यह दिल्ली आदमियों की दिल्ली है। यहां से न कांग्रेस को कोई हटा सकता है और न ही उसको कोई हरा सकता है....(**व्यवधान**)....

[अनुवाद]

श्री डी० के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : दिल्ली का राज्य को दर्जा देने से संबन्धित विधेयक का कार्य सूची में कोई उल्लेख नहीं है। (**व्यवधान**) सम्बन्धित मंत्री महोदय ने इस बात की कोई वजह नहीं बताई है कि कार्य-सूची में उल्लिखित अन्य मदों को क्यों छोड़ा जाये और दिल्ली को राज्य का दर्जा देने से संबन्धित विधेयक को प्राथमिकता क्यों दी जाये। वह कार्य-सूची में उल्लिखित अन्य मदों की अपेक्षा दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने से सम्बन्धित विधेयक को वरीयता दिये जाने के लिए सभा से अनुरोध क्यों कर रहे हैं, इसके कुछ तो कारण होंगे। (**व्यवधान**) अतः जब तक यह विषय कार्य-सूची में न हो तब तक इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री नायकर द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को उचित समझता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर इस बात पर चर्चा की जा रही है कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री तारीफ सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाय, यह सभी पार्टियों के घोषणा-पत्र में था। दिल्ली में कोई भी जिम्मेदार सरकार नहीं रही है, जो दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह हो। सब पोलिटिकल पार्टीज ने चुनाव के समय यह वायदा किया था कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे। इसमें कम्प्रोमाइस बने या नहीं बने, यह दूसरा मुद्दा है और भगत जी जैसा कह रहे थे कि हम शुरू से मांग कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस की अगर नीयत होती,

दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की तो यह पहले दे दिया होता। जनता पार्टी के शासन में हमने यह बिल प्रस्तुत कर दिया था लेकिन दुर्भाग्य से जनता पार्टी की सरकार चल नहीं पाई और दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सका। केवल कुछ तकनीकी मुद्दों को लेकर जो इसमें अड़चन पैदा की जा रही है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए उसको इन्साफ देने के लिए दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाय और उसके ऊपर तुरन्त बहस कराई जाय, यह मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं बड़ी विनम्रता से सभा का सहयोग मांगना चाहती हूं। चूंकि मैं वर्तमान सत्र के स्थगन से पूर्व देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा चाहती हूं, मेरा सभी दलों से विनम्र निवेदन है कि वे सभा का समय बर्बाद करने की बजाय प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक को पारित कर दें। इसके पश्चात् यदि सभा चाहे तो दिल्ली को राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी विधेयक को चर्चा के लिए लिया जा सकता है। परन्तु किसी भी हालत में, महिलाओं पर अत्याचार के सम्बन्ध में सभा में चर्चा होनी ही चाहिए। मेरा यही नम्र निवेदन है। (व्यवधान)

श्रीमती जे० जमुना (राजामुन्द्री) : मैं इसका समर्थन करती हूं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : कुवैत में स्थिति और अधिक चिन्ताजनक होती जा रही है। तीन दिन पहले मैं, हमारे मुख्य सचेतक प्रो० कुरियन तथा दो अन्य सदस्य विदेश मन्त्री, श्री इन्द्र-कुमार गुजराल से मिले थे। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने बड़ी नम्रता से हमें उन विभिन्न उपायों के बारे में स्पष्ट किया जो कुवैत में फंसे लोगों को खाद्य सामग्री तथा दवाईयां पहुंचाने के लिए किये जा रहे थे। उन्होंने उन अन्य प्रबन्धों के बारे में भी स्पष्ट किया जो वहां से लोगों के स्वदेश लाने के लिए किये जा रहे थे। परन्तु दुर्भाग्यवश आज के समाचार पत्रों में एक बहुत ही चिन्ताकारक समाचार छपा है कि वे सभी प्रबन्ध ठप्प हो गए हैं। भारतीय पोत परिवहन निगम पोत "टीपू सुल्तान" दवाईयों तथा खाद्य सामग्री से लाद कर वहां गया। उस पोत को कुवैत के निकट रुकने की अनुमति नहीं दी गई। अब वहां खाद्य-सामग्री, दवाईयों तथा पीने के पानी की कमी है। दूरदर्शन पर भी एक समाचार दिखाया गया कि लोग पानी के एक-एक गिलास के लिए कैसे चिल्ला रहे थे। यदि इन सभी समस्याओं को तुरन्त हल नहीं किया गया तो वहां मौजूद सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। आज एक और चिन्ताजनक समाचार आया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार किया जा रहा है कि भारत सरकार ईराक समर्थक है तथा इसीलिए हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। कुवैत में कार्यरत कर्मचारियों का एक बड़ी संख्या सरकारी कार्यालयों तथा अन्य लोकोपयोगी सेवाओं में कार्यरत है। उन्हें अपने कार्यालयों में जाने को विवश हैं परन्तु वे अपने जीवन की सुरक्षा के बारे में चिन्तित हैं। तीन रोज पहले मुझे एक पत्र मिला कि श्री साजन इब्राहीम नामक एक नौ सेना कर्मचारी को गोली से मार दिया गया है। इसके परिवार के बारे में कोई सूचना नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से अपील

करूंगा कि वह सोचे गए सभी प्रबन्धों को कार्यान्वित किया जाए तथा स्थिति का कोई सौहार्दपूर्ण हल ढूंढा जाए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत अपना ध्यानाकर्षक प्रस्ताव पेश करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री पी० सी० थामस (मुलवत्तुपुजा) : हमारे माननीय मन्त्री श्री उन्नीकृष्णन् कल खाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं। हम कल तक सरकार से यह उत्तर लेना चाहेंगे कि सरकार क्या करने जा रही है क्योंकि लोगों को वहां से निकालने के लिए तुरन्त बहुत सारी चीजें की जानी हैं। कुवैत से अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं निकाला गया है। केवल वही लोग निकाले गये थे जो अम्मान लाए गए थे, तथा जिनकी संख्या लगभग एक लाख थी; कुवैत में क्या हो रहा है इसका कोई समाचार नहीं है। वहां स्थिति बड़ी खराब है। वहां लोगों के पास खाद्य सामग्री, पीने का पानी तथा दवाईयां नहीं हैं। उनको वापस लाना होगा; तथा उसके लिए शीघ्र ही कदम उठाने पड़ेंगे। हमारा सुझाव है कि लोगों की पूर्ण निकासी होने तक श्री उन्नीकृष्णन वहां रुकें। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगत सिंहपुर) : महोदय, सभी दल लोगों को काम का अधिकार देने के लिए उसी प्रकार से वचनबद्ध हैं जिस प्रकार हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए वचनबद्ध हैं। संविधान में कितनी ही बार संशोधन हो चुके है, हम इसमें काम पाने का अधिकार तथा शिक्षा पाने का अधिकार सम्मिलित करने के लिए इसमें संशोधन कराना चाहते हैं। बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में हजारों युवा काम तथा शिक्षा पाने के अधिकार की मांग कर रहे हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राकेश जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी अध्यक्ष पीठ के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से सहयोग करते रहे हैं। अब देखिए, पौने तीन बजे हैं। आज हम उन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जो कार्यसूची में नहीं है। यह ठीक नहीं है। कृपया सहयोग कीजिए। कार्य-सूची में दर्ज विषय भी आप ही पेश कर रहे हैं। इसीलिए कृपया सहयोग कीजिए तथा आईये, कार्य-सूची में दर्ज विषयों पर विचार करें। अन्वारासु जी, आप सुबह बोले थे। यदि आवश्यक हो तो आप कल बोल सकते हैं; आज नहीं। अब पौने तीन बजे हैं। मैं श्री हरीश रावत को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राकेश जी, कृपया अपनी सीट पर जाईए। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाएं।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : महोदय, 'लिट्टे' की गतिविधियों के बारे में काफी सदस्य उत्तेजित है। कृपया सरकार को यह निदेश दें कि वे कल एक वक्तव्य दे (व्यवधान)...

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : महोदय, मैं सत्र के आरम्भ से ही यह मांग करता आ रहा हूं कि इस मुद्दे पर सरकार एक वक्तव्य दे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मेरा एक सुझाव है कि माननीय सदस्यों की भावनाएं, चाहें वे तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के सदस्य हों, वहां सूखे की स्थिति है और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ह्रास किया जा रहा है, मेहरबानी करके इनको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने दीजिए। इससे सदन का भी समय बच जाएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने-अपने स्थानों पर नहीं जाएंगे तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 3.00 म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित की जाती है।

2.51 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा 3.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई

3.03 म० प०

लोकसभा 3.03 म०प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब वातावरण शान्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय अभी कुछ देर पहले सदस्यों की.....के कारण आपने उत्तेजना देखी .....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, आप अपनी बात कहिए।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि विशेष रूप से तमिलनाडु तथा जम्मू-कश्मीर के ये सदस्य.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनके लिए बोल रहे हैं। मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा। हां, श्री अन्बारासु।

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : महोदय, इसी प्रकार महिला सदस्यों को भी अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं महिलाओं को भी अनुमति दूंगा।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : महोदय, श्री लंका में वहां के हजारों तमिलों की हत्या की जा रही है। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। वास्तव में इस मामले को मानव अधिकार आयोग में ले जाया जाना चाहिए था। इस सत्र के आरम्भ से ही हम यह मांग करते आ रहे हैं कि नियम 193 के अधीन इस मामले पर तथा तमिलनाडु में "लिट्टे" की गतिविधियों जैसी अन्य समस्याओं पर चर्चा की अनुमति दी जाए। परन्तु इस सरकार ने उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

या तो उन्हें स्वत: कोई वक्तव्य देना चाहिए था या नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे लगता है कि वे तमिलों के विरोधी हैं, वे तमिलों की समस्याओं में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं।

महोदय क्या वे तमिलनाडु को भारत के नक्शे से निकालना चाहते हैं। इसलिए, श्रीमान मैं चाहता हूं कि इस विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा हो। उन्हें कम से कम इस विषय पर स्वत: कोई वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार के सवाल है, इस सदन के फ्लोर पर जो भी प्रॉमिस किए जाएं, उन प्रॉमिसेज को पूरा करना सरकार का कर्तव्य होता है। माननीय गृहमंत्री जी ने हमें इसी सदन के अन्दर यह आश्वासन दिया था कि इसी सैशन की समाप्ति के पूर्व किसी भी हालत में विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के डैवलपमेण्ट बोर्ड संविधान के आर्टीकल 372 के अन्तर्गत गठित कर दिए जाएंगे। कल, माननीय उपाध्यक्ष जी इस सदन का आखिरी दिन है; परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कारंवाई हुई प्रतीत नहीं होती, किसी तरह की हलचल दिखाई नहीं देती है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से विदर्भ की जनता मराठवाड़ा की जनता को और कोंकण की जनता को आश्वासन दिया गया; उसे पूरा करने में यह सरकार असफल रही है। सदन में दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने से सम्बन्धित जो बिल आ रहा है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, दिल्ली की जनता को···

उपाध्यक्ष महोदय : प्वांइट पर आईए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : एक मिनिट। दिल्ली की जनता को माननीय सदस्यों ने जो प्रॉमिस दिया, उनकी इज्जत का सवाल है। आज हमारी इज्जत का सवाल है। माननीय गृहमंत्री

जी ने जो आश्वासन दिया है, उस आश्वासन के आधार पर हमने विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के जो पिछड़े भाग हैं, उनके डेवलपमेन्ट के लिए वहां पर जो आन्दोलन चल रहा है और जनता को जो आश्वासन दिया है, उसकी पूर्ति तुरन्त होनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार आज हमें कम से कम यह आश्वासन तो दे, हमें जवाब दे कि सरकार की इस विषय में क्या भूमिका है और अपना आश्वासन सरकार पूरा करती है कि नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसको आप कितना चलाएंगे ? अब आप बैठ जाइए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इस पर अपना आश्वासन पूरा नहीं कर पाई, तो विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण की जनता सहन नहीं करेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। यह बात सरकार को समझ लेनी चाहिए। क्या खाली दिल्ली की जनता का महत्वपूर्ण प्रश्न है ? जहां पर 40 वर्षों से पिछड़ापन है। वह विदर्भ, मराठावाड़ा और कोंकड़ का इलाका महत्वपूर्ण है कि नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : पुरोहित जी, अब आप बैठ जाएं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार आश्वासन दे, तो मैं बैठूं। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि जो वचन दिया है, उसकी पूर्ति होगी कि नहीं ? मुझे आज इस सदन में इसका आश्वासन चाहिए। मुझे इसका स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, अखिल भारतीय छात्र संघ और अखिल भारतीय नौजवान संघ के तत्वावधान में लाखों की संख्या में छात्र और युवा आए हैं और जिस शर्त पर हम लोगों ने समर्थन दिया सरकार को, वह घोषणा-पत्र लागू होगा जिसमें काम के मौलिक अधिकार और शिक्षा के मौलिक अधिकार की मुख्य मांगे लेकर ये लोग देश भर से आए हैं—छात्र हैं, छात्राएं हैं, युवक हैं, देश भर के लोग हैं। जितने हम पुराने लोग हैं, उनको याद होगा कि हम लोग अपने छात्र जीवन में, विद्यालय के जीवन में, अखिल भारतीय छात्र संघ के ही सदस्य थे। उस समय देश भर में वही एक संस्था थी, दूसरा कोई संगठन नहीं था। काम का मौलिक अधिकार और राष्ट्र संघ की ओर से यह साल साक्षरता का वर्ष मनाया जा रहा है;

श्री लाखू सिंह (दौसा) : मण्डल कमीशन के लिए कह रहे हैं ?

श्री भोगेन्द्र झा : अब जो मैं जानता हूं वह मैं कह रहा हूं। यह बात तो बाद में आई है। जिसके लिए लोग बुलाए गए हैं, वह मैंने कहा—लेकिन जो इसके सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति में बातें हुई थीं और मैंने आग्रह किया था, तो हमारे कार्य-मंत्रणा समिति के कार्य को देखने वाले मंत्री ने कहा था कि अभी विधेयक तैयार नहीं है, लेकिन अब तो विधेयक तैयार हो गया है, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इस विधेयक को कम से कम इस सत्र में पेश तो कर दें। मैं यह भी आग्रह करूंगा कि अगर प्रधान मंत्री को समय हो, तो वे अन्यथा इस सरकार के कोई मंत्री, उन प्रदर्शन-कारियों के सामने जाकर इस बात का आश्वासन दें कि कम से कम इस सत्र में यह पेश हो जाए।

अगले सत्र में हम उसको पारित करें या विचार करें, यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन पेश भी न होना, यह बुरा होगा, उस संविधान संशोधन विधेयक का, जिसमें मौलिक अधिकार-शिक्षा का और काम का शामिल करने का सवाल है।

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : मैं आपके और सदन के माध्यय से कहना चाहता हूं कि रुहेल खण्ड डिवीजन में कल उग्रवादियों ने गोली चलाकर वहां पर लोगों को मार दिया, 3-4 लोग बस में ही मार दिये गये और वे मारकर भाग गए। कुछ लोग घायल हो गए, 6-7 लोग अस्पताल में पड़े हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बरेली, पीलीभीत, बदाऊं, लखीमपुर उग्रवादियों का बहुत बड़ा केन्द्र बनता जा रहा है। मैंने पहले भी एक बार कहा था, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहां के इलाके में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ गई है, इस पर ध्यान दें। **(व्यवधान)**

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी श्री भोगेन्द्र झा जी ने कहा कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए परिवर्तन लाना है। मैं कहना चाहता हूं कि दो बार प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक पिछले शुक्रवार को हुई है। उसका सारा मसौदा तैयार किया जा रहा है और राइट टू वर्क को शामिल किया जायेगा। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो घन्टे से हम दिल्ली राज्य विधेयक के संबन्ध में चर्चा कर रहे हैं, जो कि कार्यसूची में नहीं है। पिछले दो सप्ताह से महिलाओं पर अत्याचारों के बारे में चर्चा कार्य सूची में शामिल की जाती रही है और संसदीय कार्य मंत्री प्रतिदिन इस पद को कार्य सूची के अन्त में रख देते हैं किन्तु इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप रात में देर तक बैठने के लिये तैयार हैं ?

श्रीमती सुखबंस कौर : नहीं, हम तैयार नहीं हैं। इस पर अभी चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके लिये कोई सुझाव दीजिए, अन्यथा मैं इसे अभी सभा में चर्चा के लिये नहीं ले सकता हूं।

श्रीमती सुखबंस कौर : वह तो हम करेंगे। **(व्यवधान)** एक और बात यह है कि पंजाब से आई हुई महिलाओं के साथ कल दिल्ली पुलिस ने मारपीट की लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। **(व्यवधान)**

श्रीमती जे० अमुना (राजामुन्द्री) : श्रीमान् पिछले 15 दिन से मैं महिलाओं पर अत्याचार के बारे में बोलने की प्रतीक्षा कर रही हूं। किन्तु वे इस पर चर्चा को टाल रहे हैं। इस पर अभी कई महिला सदस्यों को बोलना है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि उन्होंने महिलाओं के लिये आयोग गठित किया है और दूसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार के बारे में महिला सदस्यों को बोलने का अवसर देने के बारे में उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। पिछले दो सप्ताह से मैं इस पर बोलने के लिए बहुत धैर्य से प्रतीक्षा कर रही हूं। अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि हमें कम से कम नियम 193 के अन्तर्गत सूची बद्ध इस विषय पर तो बोलने का अवसर दिया जाये। **(व्यवधान)**

डा० बिप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमान्, मैं इस मामले को उठा रहा हूं जिसका संबन्ध कलकत्ता में बंगाल चैम्बर आफ कामर्स की एक बैठक में यूरोपीय आर्थिक समुदाय में भारत के राजदूत द्वारा दिये गये भाषण से है। मेरे विचार में उन्होंने अपने भाषण में ऐसी कई बातें कहीं हैं जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नीतियों के पूर्णतः विरुद्ध है। उदाहरणार्थ, उन्होंने लाइसेंसीकरण का विरोध किया है तथा इसे समाप्त करना चाहा है। वे मुक्त अर्थव्यवस्था तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध आयात करने के पक्ष में हैं और उन्होंने अर्थव्यवस्था में छोटे उद्यमियों के लिए कतिपय क्षेत्रों में आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने सरकारी क्षेत्र की निन्दा की है। मेरा कहना यह है कि क्या यही सरकार की नीति है ? (व्यवधान)। वह भारत के राजदूत हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। यदि सरकार की यही नीति है, यदि वे सरकार की नीति का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो यह सरकार की सुस्थापित नीतियों से हटकर है और सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्होंने सरकार की नीतियों को प्रतिबिम्बित किया है। यदि ऐसा ही है तो हमारे साथ परामर्श किया जाना चाहिये था और नीति के इस विषय पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि हम इससे अवश्य सहमत हैं, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप की सरकार है।

(व्यवधान)

डा० बिप्लव दास गुप्त : यदि इस विषय पर सरकार के भीतर उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय या योजना मंत्रालय के बीच मतभेद दिखाई देता है तो वह स्वीकार्य नहीं है। जो भी मतभेद हों उन्हें मंत्रिमंडल में ही हल करना होता। किन्तु तीसरी संभावना यह है कि वह अपने मन की बात कह रहे हैं। यदि ऐसा है तो यह एक अलंकरण है जो एक वरिष्ठ सिविल सेवक के लिये नहीं है। श्रीमान, उससे स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए और यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हो तो उन्हें वापस बुला लेना चाहिए क्योंकि एक सिविल सेवक को ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह स्पष्ट करे कि क्या वह उक्त राजदूत के वक्तव्य में सहमत है और क्या इससे सरकार की नीति प्रतिबिम्बित होती है.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

डा० बिप्लव दास गुप्त : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। यदि यह उस व्यक्ति की राय है तो इसकी कड़ी आलोचना की जानी चाहिये। उसे वापस बुलाया जाना चाहिए और उन्हें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के राजदूत के पद से स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव (गोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर० सी० त्यागी और श्री जैन को अमेरिका से हिन्दुस्तान में एंटी डिटैक्टर मिसाइल का मुख्य यन्त्र बनाने के लिये 1972 में बुलाया गया था। जब वह उक्त मुख्य यन्त्र बनाने में सफलता प्राप्त कर रहे थे तो उस समय श्री जी० के० मैनन ने उनको बाहर करने के लिये एक षड्यन्त्र-रचा और आर० सी० त्यागी को पुनः मिलिट्री स्कूल पूना भेज दिया। वहा उनको ज्वाइन ही नहीं करने दिया गया। देश की सुरक्षा को

जो लाभ इससे मिलने वाला था वह नहीं मिला। श्री आर० सी० त्यागी 1977 से सेवा मुक्त हैं। उन्होंने न्याय के लिये कोर्ट में मुकदमा दायर किया हुआ है। मैं इस सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि श्री आर० सी० त्यागी को न्याय मिलना चाहिये क्योंकि उनके साथ पिछली सरकार ने और अभी के एक वर्तमान मन्त्री ने उनकी विशेषता को समाप्त करने का काम किया है। अब यह सरकार पुनः इन्हें नौकरी में बहाल करे।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के अखबारों में बहुत बड़ी चिन्ता पैदा हुई है कि देश के अन्दर साम्प्रदायिक तनाव बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक तरफ गुजरात में दंगे हुए और दूसरी तरफ विश्व हिन्दू परिषद ने अपने आयोजन को जल्दी ही शुरू करके राम ज्योतियों को अयोध्या से भेजना शुरू कर दिया है....(**व्यवधान**)

अनेक माननीय सदस्य : यह बहुत अच्छी बात है।

श्रीमती सुभाषिनी अली : इसके साथ-साथ चिन्ता का इससे भी बड़ा विषय है ...(**व्यवधान**)

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (पटना) : इस देश में जवाहर ज्योति जली है वहां अगर राम ज्योति जल जायेगी तो कौन सा अनर्थ हो जायेगा। जवाहर से तो राम बड़े थे।

श्रीमती सुभाषिनी अली : उपाध्यक्ष महोदय, चिन्ता का इससे भी बड़ा विषय यह है कि विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष श्री सिंघल नेपाल गये थे। वहां उन्होंने विदेशियों से दरख्वास्त की है कि वह भी जत्था बनाकर राम मन्दिर बनाने के लिये हिन्दुस्तान में आयें। यह ....**.... काम है। गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं ...(**व्यवधान**)...नेपाल एक दूसरा मुल्क है। कोई किसी भी हिन्दुस्तान के नागरिक.....(**व्यवधान**).....

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष के लिये इन्होंने '**' शब्द प्रयोग किया है। उस पर मुझे आपत्ति है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये, मैं आपको बोलने का टाइम दूंगा। आप बैठ जाइये। जोशी साहब आप बैठ जाइये, मैं आपको समय दूंगा।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठ जाइये मक्कासर जी।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले आर्डर होने दीजिए, फिर पाइण्ट ऑफ ऑर्डर उठाइये।

(**व्यवधान**)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाला गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया सभा में व्यवस्था बनाये रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी, जोशी साहब, आप बैठ जाइये न। आप बार-बार उठ रहे हैं, यहां पर खड़ा हूं, मैं आपको टाइम दूंगा। मक्कासर जी को मैं इधर बैठने के लिए इन्वाइट कर रहा हूं।...

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : इस सदन में यह इजाजत नहीं दी जायेगी कि कोई सदस्य बोलें और यह हल्ला करें, हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे। अभी भी एक महिला सदस्य बोल रही थीं तो ये सारे के सारे क्यों खड़े हो गये · **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप भी क्यों खड़े हो रहे हैं, आप भी बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रावत साहब, अब आपको भी बोलने की इच्छा हो गई ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, आप महिला सदस्य को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति दें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी उनका समर्थन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी उठ रहे हैं। देखिये, मैं बोल रहा हूं कि यह सदन का काम इतने दिन बहुत ही अच्छे वातावरण में हो सका। लास्ट दिन हम लोग बहुत देर से नॉन एजेन्डा आइटम पर चर्चा कर रहे हैं....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कमल नाथ जी आप क्यों खड़े हुए हैं ? मैं खड़ा हूं। सर्वप्रथम सभा में उपयुक्त वातावरण बनाइए और फिर हमें बात करनी चाहिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी कोई नहीं बोलेंगे ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समय देंगे । मैं सबसे पहले आप सब भाइयों से विनती करूंगा कि अगर कोई तीव्र भावना है, तो बोलने के लिये तैश में न आयें ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर मुझे अपना विनिर्णय देने दीजिए । कम से कम किसी को मेरी सहायता करनी चाहिए । श्री सन्तोष मोहन देव व्यवस्था का प्रश्न न उठाकर मेरी सहायता करेंगे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी, मैं आपको अगर विनती किया इधर आने के लिए, तो बुरा नहीं मानेंगे ।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल उधर आने का नहीं है । कोई भी माननीय सदस्य बोले, तो इस तर इन्टरप्ट करेंगे । ये ठेकेदार हैं हिन्दुओं के। ये हिन्दुओं के ठेकेदार अकेले नहीं है ।.... (व्यवधान)

प्रो० राम गणेश कामसे (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सुमाथिणी जी ने जो बात कही, उस पर मुझे आलोचना नहीं करनी है लेकिन विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष के बारे में शब्द का उपयोग यहां नहीं करना चाहिए । क्योंकि वे यहां हाजिर नहीं है । जो हाजिर नहीं, है इस विषय में, मेरा प्लाइंट आफ आर्डर यही है । जो हाजिर नहीं है, इसका जवाब आप नहीं दे सकते, तो हमें जवाब देने दीजिये, हम जवाब देना चाहते है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आप सब लोग मत बोलिएगा ।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : पुरुष शांत रहें और महिलाओं को बोलने दें । (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उत्तेजित मत होइए । मेरी आवाज भी तो हाउस में निकलने दीजिये । मेरी आपसे विनती है कि आप उत्तेजित मत होइए । मैं रिकार्ड देखूंगा, अगर आवेश है, तो उसमें जो पीठ्य कार्यवाही करनी होगी, वह हो जायेगी ।

(व्यवधान)

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपका आदेश हो तो मैं बीच में बैठकर कुछ शांति कायम कर देता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाहर का कर लीजिये, उतना काफी है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का कोई भी माननीय सदस्य अगर कोई सूचनात्मक प्रश्न को उठाना चाहता हो, तो उसकी जानकारी पहले होनी चाहिये और उसी के आधार पर स्वीकृति मिलती है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, यह प्रश्न कहना चाहिए कि सूचना के आधार पर है और जब तक वह आपकी ओर से सूचना के आधार पर उस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं होती है, तो तब तक कहना चाहिये माननीय सदस्य को उस प्रसंग को, उस बात को नहीं कहना चाहिये। विश्व हिन्दू परिषद् के अध्यक्ष के बारे में जो कि इस सदन के सदस्य नहीं है, देश के नागरिक हैं, क्या इस प्रकार की भाषा उनको बोलने की अनुमति मिली है। ···· **(व्यवधान)** ····

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर इतना ही है, जिस व्यक्ति पर यह आक्षेप किया गया है, वह व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं हैं और वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप करना मैं यह मानता हूं कि नियम के अनुसार नहीं। सिंघल जी के बारे में इस प्रकार का आक्षेप किया गया है और इस बात का भी पता नहीं है कि महासचिव हैं या अध्यक्ष है, वह व्यक्ति अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलना उचित नहीं है और नियम के अनुसार भी नहीं है। ऐसा मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं इस प्रकार के आक्षेप को दोहराना नहीं चाहता हूं। **(व्यवधान)**

जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप करना, मैं समझता हूं कि नियम के अनुसार उचित नहीं है। यह मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये, आपने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया, मैंने उसके जवाब में बताया कि रिकार्ड देखा जायेगा, अगर उसमें सही आक्षेप आ रहे हैं तो योग्य कार्यवाही कर दी जायेगी। अब इसके बाद कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि मैं विनर्णय दूं तो मैं विनिर्णय दे सकता हूं। मुझे विनिर्णय देने के लिए बाध्य मत कीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये आप इसको लम्बा मत कीजिये, इतनी देर में तो इनकी बात भी

हो जाती और दूसरे लोग भी बोल लेते । मैंने बार-बार आपको कहा है कि इसको देखा जायेगा और अगर आप इसके ऊपर रूलिंग चाहते हो तो मैं रूलिंग दे सकता हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमको इसको जरा आप देख लेने दीजिये ।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : उपाध्यक्ष जी, जो बात मैं बताना चाहती हूं वह यह नहीं है कि व्यक्ति कौन है, आपत्तिजनक बात यह है कि एक भारत का नागरिक विदेश में जाये और वहां पर लोगों से कहे कि आप लोग भी जत्था बनाइये और हमारे देश में आ करके हमारे देश का कानून को तोड़िये, मैं समझती हूं कि यह बात आपत्तिजनक है और देश के हित में नहीं है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ आयें ।

[अनुवाद]

मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि आप बैठ जाएं ।

[हिन्दी]

वे जो कह रही हैं अगर उसमें कोई अनपार्लियामेंटरी बात है तो बात अलग है, मगर जो वह कह रही हैं उसको आपको सुनना होगा और अगर आपको कोई बात उनकी गलत लग रही है तो मैं बाद में आपको समय दूंगा तब आप बोलिये ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली : उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आज सदन में गृह मन्त्री जी मौजूद हैं, कल सदन का आखिरी दिन है और जो साम्प्रदायिकता की आग पूरे देश में लगाई जा रही है, इसका अन्तर्राष्ट्रीय करने की कोशिश की जा रही है, इस पर गृह मन्त्री जी जरूर हमको बतायें कि भारत सरकार से साम्प्रदायिक तनाव को रोकने के लिये और देश के अहित में हो रही गैर-कानूनी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं, इस बारे में हमें बतायें ?

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं । राम भक्त हिन्दू समाज के लोगों से यह आग्रह किया गया है कि 30 अक्तूबर को होने वाली जो कार-सेवा है उसमें वे भाग लेने के लिये अवध में आयें । मैं एक बात जानना चाहती हूं कि जब अरब से अरबों पेट्रो डालर आते हैं, खुल्लमखुल्ला और निष्पक्ष रूप से आते हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती, इस देश में रहने वाले रूस की यात्रायें करते साम्यवादी के नाम पर एक देश दूसरे देश से सम्पर्क करता है । साम्यवाद के नाम पर एक देश दूसरे देश से संपर्क रखता है, उन पर देशद्रोह का आरोप नहीं लगता है, तो सारे विश्व में बसे हुए हिन्दू समाज से यदि धर्म के नाम पर संपर्क स्थापित किया जाता है, तो इसमें क्या बुराई है । जिस प्रकार

कई बार स्वर्ण मंदिर में कार सेवा में भाग लेने के लिये पूरे भूमण्डल पर रहने वाले सिक्ख समाज को बुलाया जाता है, तो क्या उनको इस बात के लिये रोका जायेगा, इसी प्रकार से सारे विश्व में रहने वाला जो हिन्दू समाज है, यदि विश्व हिन्दू परिषद के जनरल सेक्रेट्री ने कार सेवा के लिए उनका आह्वान किया है, तो इसमें देशद्रोह जैसे शब्द का इस्तेमाल करना बहुत ही शर्मनाक, निन्दा और भर्त्सना का विषय है और देश भर में जो सांप्रदयिकता पैदा हुई है, वह ऐसी ही बातों से पैदा हुई है। (व्यवधान)

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का समय दीजिए। अधिक बारिश होने के कारण सारे हिमाचल प्रदेश में रास्ते बन्द हो गए हैं और राज्य सरकार इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है मैं चाहता हूं कि इसके लिए भारत सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार को मदद की जानी चाहिए और रास्तों को खोलने की कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सेब का समर्थन मूल्य 1.20 रुपए रखा गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है, चौधरी देवीलाल जी ने कहा था जो हमारे कृषि मंत्री थे, कि हम इस घाटे को पूरा करेंगे और 5 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं बाहर हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाऊंगा, मैं भी इस सदन का मैंबर हूं, मुझे भी बोलने का हक है और अपनी बात से सदन को अवगत कराने का हक है। हिमाचल प्रदेश में किसानों को गोलियां मारी गई, ला एण्ड आर्डर की स्थिति वहां खराब हो रही है और सारे रास्ते वहां पर बन्द हैं, सड़कें बन्द है, गांवों का कोई माल शहरों में नहीं आ पा रहा है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को आर्थिक मदद दें, ताकि वहां की स्थिति सुधर सके।

इलेक्शन के दिनों में वहां पर गुजराल जी भाषण देते रहे कि सेब का समर्थन मूल्य 5 रुपये के हिसाब से देंगे, लेकिन आज वे कहां हैं, वे 5 रुपये कहां हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मांग करना चाहता हूं कि हिमाचल के जो सेब उत्पादक हैं, जो फल उत्पादक हैं, उनको उचित समर्थन मूल्य दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री जी० एस० बासवराज (टुमकर) : महोदय, कर्नाटक में सूखे नारियल का भाव गिर गया है। गत वर्ष इसका भाव 4,000 रुपये प्रति क्विंटल था और इस वर्ष यह कम होकर 1300 रुपये से 1400 रुपये क्विंटल हो गया है। हमारे लिये यह अत्यन्त चिन्ता की बात है। नारियल उत्पादक और किसान आंदोलन कर रहे हैं जिसके कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है मार्च रोको आन्दोलन चल रहा है। केरल में भी 1987-88 के दौरान ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। उस समय केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप किया 1600 रुपये समर्थन मूल्य तय किया। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह करता हूं कि किसानों को उसी प्रकार 3000 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य दिया जाए। इस संबन्ध में मैंने नियम 193 और 197 के अधीन अनेक सूचनाएं दी

हैं। परन्तु अभी तक आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरी सूचनाएं गृहीत की जाए और नारियल के भाव के बारे में मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाए। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, आज देश के कोने-कोने से नौजवान, सभी छात्र संगठनों के लाखों लोग बोट क्लब पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है राइट टू वर्क, राइट टू एजूकेशन। राइट टू वर्क का मतलब होता है राइट टू लाइफ। मेरा आपसे निवेदन है कि नौजवानों को काम का अधिकार और उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए···। आज हमारी सरकार को बिल लाना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है जिससे आज यहां लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि ये नौजवान मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का भी समर्थन कर रहे हैं और अपने अधिकार की भी मांग कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को आप इस बात के निर्देश दें कि काम के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए अपना बिल प्रस्तुत करे।

श्री आर० एम० राकेश (चंदौली) : उपाध्यक्ष महोदय, इटावा में एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार करने के बाद उसको मार डाला गया। अलीगढ़ में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद मार डाला गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। श्री बलराम सिंह यादव, श्रीमती शीला दीक्षित, फॉरमर मिनिस्टर, श्री गौरी शंकर, फॉमर मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार, भूतपूर्व सांसद श्री चन्द्रपाल सिंह सैनी, बिहारी लाल और 5 हजार कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बन्द किया गया है और 14 दिन के बाद टाइम बढ़ा दिया गया है बिना किसी डेट को निश्चित किये हुए। कल आगरा की जेल में बलराम सिंह यादव को पीटा गया है, वहां जुल्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और लोकतन्त्र उत्तर प्रदेश में रह नहीं गया है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि गृह मंत्री जी इसका जवाब दें। आखिर देश में लोक तन्त्र रहेगा या नहीं ?

श्री चमक राम गुप्त (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मसला गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहता हूं कि 1947 में पाकिस्तान ने जब हमला किया, तो हिन्दुस्तान की हिफाजत में जम्मू-कश्मीर में लाखों की तादाद में रिफ्यूजी आ गए थे, वे आज जम्मू जिला में, कठुआ जिला में और राजौरी तथा पुंछ जिलों में फंसे हुए हैं। उस समय सरकार ने उनसे यह वादा किया था कि सरकार उनको जमीन देगी, प्रत्येक परिवार को 25 हजार रुपए नकद दिये जाएंगे, ताकि वे अपना काम-धन्धा कर सकें, लेकिन जनाबेवाला आज तक उनके साथ किया गया यह वादा पूरा नहीं

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया और वे स्लम्प में रह रहे हैं। इसलिये सरकार से मेरी गुजारिश है कि उनके साथ जो वादा किया गया है, वह पूरा किया जाए और जो जमीन तथा रुपये देने की बात है, वह दी जाए।

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां भी मुसाफिर फंसे हुए हैं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी का भी यही मसला है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह तो दिया। अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री धर्म पाल शर्मा : मुझे भी वही कहना है जो श्री जनक राज गुप्त कह रहे हैं।

प्रो० संफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे वास्तव में बहुत खेद है कि आप उस मामले के बारे में बोल रहे हैं जिस पर सांय 4 बजे से पूर्व विचार नहीं किया जाना था।

(व्यवधान)

प्रो० संफुद्दीन सोज : सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के पश्चात् हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और उसके पश्चात् प्रसार भारती विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित संशोधनों पर चर्चा कर लेनी चाहिए थी। मैं आपसे कार्यानुसार विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (वन्थली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर, जो मैं उठा रहा हूं बात करने के लिए 12 सांसद प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप समय नहीं दे रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आपको हमारे अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अनुमति देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के अन्दर बड़ौदा में गणेश-विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस पर एक धार्मिक स्थल से पत्थरबाजी हुई और हंगामा खड़ा जिसके कारण 12 से 15 लोगों की मृत्यु हुई है। आज स्थिति यह हो गई है कि हमारे लोग अपना कोई भी धार्मिक त्यौहार मना नहीं सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके बारे में जांच होनी चाहिए और गृह मन्त्री जी को इस बारे में अपना बयान देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री रावत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रुचि रखते हैं तो मैं उन्हें मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहता हूं।

(व्यवधान)

3.45 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

महाराष्ट्र कपास एकाधिकार खरीद योजना की अवधि बढ़ाई जाना

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। बहुत हो गया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावत, यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं तो मुझे कार्य-सूची की अगली मद लेनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं कुछ गलत कार्य नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावत, यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहें हैं तो मैं अगली मद ले लूंगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वस्त्र मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"कपास एकाधिकार समाहार योजना का महाराष्ट्र पर विस्तार करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने में कथित देरी जिससे कपास उत्पादक प्रभावित हो रहे है तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

[अनुवाद]

मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है, महोदय। (व्यवधान)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

वस्त्र मन्त्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : (1) महाराष्ट्र कई एकाधिकार खरीद योजना वर्ष 1989 में एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का अनुमोदन देते समय केन्द्रीय सरकार ने जुलाई, 1989 में एक अन्तर मन्त्रालयी समिति गठित की थी जिसमें वस्त्र, वाणिज्य, कृषि, वित्त मन्त्रालयों और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति का उद्देश्य योजना को 30 जून, 1990 के बाद आगे जारी रखने के लिए गुण—दोषों की गहराई से जांच करना था। उक्त योजना के प्रचालन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी संगठनों जिनमें महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कई उपजकर्ता परिसंघ लि०, अखिल भारतीय सहकारी कई परिसंघ, भारतीय कपास निगम, भारतीय कई मिल परिसंघ, आदि शामिल हैं, से समिति ने विचार आमंत्रित किए और उनके साथ विचार विमर्श किया। समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है जिस पर सरकार द्वारा बहुत ही सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में निर्णय बहुत शीघ्र लिये जाने की आशा है। क्योंकि इस पर निर्णय नई फसल की आवक के आरम्भ से बहुत पहले होने की संभावना है, उपजकर्ताओं के हितों के प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

2. मैं इस विषय पर माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार ने मामले को पूरी तरह समझ लिया है और योजना को बढ़ाने के मामले पर यह शीघ्र निर्णय लेने जा रही है। अध्यक्ष जी, आपको समय का बहुत ख्याल है। माननीय रावत जी और जिन लोगों ने जो कहा है, मैं अध्यक्ष जी, को पहले ही लिखकर देना चाहता था। इस सवाल पर कल ही कोई निर्णय होने वाला है और जो भावना व्यक्त की गई है उसके अनुरूप होगा। सदन में ज्यादा वक्त लेने का मैं कोई अर्थ नहीं समझता हूं। यह कम्पल्शन है और बेहतर होगा कि इसको हमें बढ़ाना चाहिए। इस बात का हमारे पास जो सजैशन आया है उसके अनुसार हम लोग आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष जी, मैंने मन्त्री जी के बयान को भी और उसके बाद जो बात इन्होंने कही है, आश्वासन दिया है इस सदन को, उसको भी सुना है। मैं उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने इस सारे मामले में सहानुभूतिपूर्ण रुख अभी तक अपनाया है, मुझे यकीन है इस बात का कि वे बहुत शीघ्र न केवल निर्णय लेंगे बल्कि ऐसा निर्णय लेंगे जो महाराष्ट्र के लोगों की आकांक्षा के, भावना के अनुरूप होगा। इस मामले में हमारी जो चिन्ता है वह इसलिए ज्यादा सामयिक है क्योंकि कोटन प्रोक्योरमैंट का समय आ रहा है। ऐसे समय में यदि समय पर सरकार योजना निर्धारित नहीं करेगी तो उस संस्था को, जिसे यह काम करना है, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

माननीय शरद यादव जी, दुर्भाग्य से आपके मन्त्रालय का जो अतीत का रिकार्ड है वह इस विषय में बहुत साफ नहीं रहा है और लोगों को इस विषय में शंका रही है। इस मामले को एक

बार नहीं इधर से और उधर से भी हम उठा चुके हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और महाराष्ट्र काटन मेनोपली प्रोक्योरमेंट स्कीम के अध्यक्ष ने भी आप से आग्रह किया है कि कम से कम हमको दस साल की अनुमति दी जाये। उनका इसके पीछे जो तर्क है उससे आप भी सहमत हैं। वह चाहते हैं कि अगर उनको दस साल के लिए यह स्कीम प्रोक्योरमेंट करने के लिए सैंक्शन की जाएगी तो वह इससे लॉंग टर्म प्लान बना सकेंगे। उसके आधार पर न केवल संस्था की भलाई के लिए बल्कि उस संस्था के साथ जुड़े कृषकों की भलाई के लिए भी वह काम कर सकेंगे। मेरा एक आग्रह यह है कि आप मेहरबानी करके इस प्रोक्योरमेंट स्कीम कोड्रेशन कम से कम दस वर्ष होना चाहिये जैसा कि महाराष्ट्र काटन मेनोपली प्रोक्योरमेंट स्कीम की संस्था ने आपसे प्रार्थना की है। उपाध्यक्ष जी, मैं समय के प्रति आपकी चिंता को समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय है। हमें तो बात नहीं करनी है, आपको बात करनी है।

श्री हरीश रावत : आपको चिंता होती है तो सारे सदन को चिंता हो जाती है। आपकी चिंता से हम जुड़े हैं और हमारी चिंता से आप जुड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री हरीश रावत : दूसरा मेरा निवेदन है कि सी० सी० आई० का गठन केवल इसलिए नहीं किया गया है कि एक्सपोर्ट करके कुछ पैसा कमायेगी। वह पैसा कमाती नहीं है, गंवाती है। वह कितना गंवाती है इसके विषय में मैं नहीं जानना चाहता हूं। उसकी जिम्मेदारी यह है कि वह उन राज्यों में जहां बिचौलियों से कृषकों को बचाने वाली दूसरी कोई संस्था मौजूद नहीं है वहां खरीद कर काम करे लेकिन हो यह रहा है आज सी०सी०आई० को एक प्रकार से काटन एक्सपोर्टिंग संस्था के रूप में बना दिया गया है। आप यह समझते हैं कि वह आपके बच्चे हैं, सरकार के बच्चे हैं जितनी मांग करते हैं कि इतनी गाँठें एक्सपोर्ट करेंगे उतनी एक्सपोर्ट करने की आप अनुमति दे देते हैं। मेरा आग्रह है कि चाहे गुजरात में कोआपरेटिव संस्थायें हों चाहे महाराष्ट्र की यह संस्था हो वह जनता की संस्थाएं हैं और उनकी भावनाओं से जुड़ी संस्थाए हैं। वह बहुत अच्छा वहाँ काम कर रही हैं। हमारे साथी श्री उत्तम भाई राठोड़ और पुरोहित जी जैसे महाराष्ट्र के सदस्य बहुत इससे चिंतित हैं। उन लोगों का यह कहना है कि इस स्कीम के अंतर्गत आपने सी०सी०आई० को जितना वह प्रोक्योर करते हैं उसके हिसाब से उनको एक्सपोर्ट करने की आप इजाजत बहुत अधिक मात्रा में देते हैं जबकि उसकी तुलना में गुजरात कोआपरेटिव को और महाराष्ट्र मेनोपली स्कीम को बहुत कम इजाजत देते हैं एक्सपोर्ट करने की। इसके कारण उनको नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा आग्रह है कि जितना वह प्रोक्योर करते हैं उस रेशे में जिस हिसाब से सी०सी०आई० को देते हैं उसी हिसाब से महाराष्ट्र काटन मेनोपली स्कीम को और गुजरात की कोआपरेटिव संस्थाओं को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दें। दोनों में आपको मतभेद नहीं करना चाहिए। एक सरकार की एजेंसी है और दूसरी कोआपरेटिव संस्थाओं की एजेंसी है। कोआपरेटिव को पनपाना सरकार का दायित्व है।

तीसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं होता यह है कि महाराष्ट्र के अन्दर जिस समय पहला रेशा मार्किट में आता है, उसको खरीदने के लिए तो आन्ध्र का व्यापारी भी आ जाता है, उसको खरीदने के लिए बाहर का, दिल्ली का व्यापारी भी चला जाता है और इसका नुकसान इस

स्कीम को उठाना पड़ रहा है, उस संस्था को उठाना पड़ रहा है तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप इसको रोक भी नहीं सकेंगे, क्योंकि, व्यापारी पहला रेशा तो खरीदना चाहेगा, उसमें उसको लाभ होगा और दूसरे के लिए वह उचित मूल्य नहीं देता और उसको इस संस्था को खरीदना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में, जब यह संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही है तो दूसरे राज्यों से भी बातचीत करिये, इसको और स्टेटों में भी कास्टन ग्रोइंग एरियाज हैं, उसमें एक्सटेण्ट करने की कृपा करिये, इसको बढ़ाने के विषय में आप विचार करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि सी०सी०आई० का जो तरीका इस समय तक है, उस तरीके के अन्तर्गत सी०सी०आई० को आपने इजाजत दी, ठीक है, मगर यह जो कॉटन मिल फैडरेशन है, नीतियां इसके दबाव में नहीं बननी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि उनसे नही पूछा जाय लेकिन होता क्या है कि यह मिलें आपस में मिलकर साजिश करके हर साल आपके ऊपर, सी०सी०आई० के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालती हैं और इन्फ्लुएंस कर देती हैं और यह कह देती हैं कि इतना कोटा हमारे लिये रिजर्व रखना चाहिए और उसको एक्सपोर्ट नहीं होने देते और एक्सपोर्ट की मात्रा को कम करवा देती हैं। उससे यह होता है कि मार्केट में एबेलेबिलिटी ज्यादा होने के कारण उनको मनमाने तरीके से अपने दाम डिक्टेट करने का मौका मिल जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि काम्प्रीहैंसिव स्कीम बननी चाहिए, स्कीम ऐसी बननी चाहिए जिसमें काटन मिल फैडरेशन की बात ही अकेले न सुनी जाय बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई अन्य संस्थाओं के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, किसानों की संस्थाओं के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और एक वाइड इण्टरेस्ट में, सारे लोगों के इण्टरेस्ट में इस तरीके की योजना रहनी चाहिए। दो छोटे से सुझाव मेरे और हैं....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इसमें सुझाव देने का नहीं रहता है, क्लैरीफिकेशन पूछने का रहता है। अब आप उसका दायरा बहुत बढ़ा रहे हैं। मोनोपली का दायरा तो सी० सी० आई० की तरह है।

श्री हरीश रावत : मैं सुझाव नहीं क्लैरीफिकेशन के रूप में ही पूछ लेता हूं। मैं चौथी बात जो माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, वह यह है कि सी०सी०आई० का जो प्रिक्योरमेण्ट सिस्टम है, उसको स्ट्रेंदन करने के लिए, उसके और केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र, कपास एकाधिकारी खरीद योजना से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरीश रावत : मैं इस प्रकार की बातों को जानता हूं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने चर्चा का दायरा बढ़ा दिया है। आप इस बात तो नहीं समझ रहे हैं।

श्री हरीश रावत : मैं समझता हूं, मुझे सीख देने की आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो मुझे आपको समझाना होगा ।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन चार बातों का मोटे रूप से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहूंगा । आप भी महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में आप कॉटन उत्पादकों का दुख समझते हैं । आप और हम देखते हैं कि लाखों किसान हजारों एकड़ में कपास उत्पादन करने पर प्रति वर्ष कपास एकाधिकार खरीदी चालू नहीं होती, जिसके कारण किसानों को हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है । हम यह चाहते हैं कि कपास एकाधिकार समाहार योजना की कम से कम 10 वर्ष के लिए अवधि करनी चाहिए प्रतिवर्ष एक्सटेंशन देने के नाम पर केन्द्र सरकार के द्वारा बार-बार यह अड़कड़ा आने के कारण कपास उत्पादकों में एक संभ्रम निर्माण होता है इसलिये इसकी अवधि पूर्ण रूप से 10 वर्ष होनी चाहिये ।

मैं दूसरी बात इसके सम्बन्ध में कहूंगा कि कपास के जो मूल्य हैं, यह मूल्य में भी बहुत कम लोगों को, बहुत कम परिणाम में उत्पादन खर्च के आधार पर, लागत के आधार पर प्राप्त नहीं होते । उत्पादन खर्च के आधार पर लागत मूल्य कम से कम प्रति क्विंटल 1200 या 1250 रुपये देना चाहिये । मगर इसमें कपास एकाधिकार खरीदी योजना में उत्पादन खर्च के आधार पर लागत मूल्य देने का, किफायतसार भाव देने का प्रावधान न होने के कारण····सारी गड़बड़ी होती है ।

4.00 म० प०

किसानों को जो घाटा सहन करना पड़ता है, उसके कारण किसान कर्जदार होता है । इसलिए मेरा कहना है कि लागत के आधार पर, उत्पादन खर्च के आधार पर किसान को भाव प्राप्त होना चाहिए । विशेषकर मराठवाड़ा जो कि विदर्भ का हिस्सा है, में कपास होता है । यह मुल्क अत्यन्त गरीब है । हम यह देखते हैं कि यह योजना चालू करते समय शुरू में मराठवाड़ा में कपास से लेकर सूत से लेकर कपड़े तक यह योजना कार्यान्वित होगी । यह सारी स्कीम थी और कपास उत्पादकों को....

उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध नहीं है, महाराष्ट्र सरकार का सम्बन्ध है ।

प्रो० महादेव शिवनकर : मैं कहना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार को इनको अधिक पैसा देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : पैसा ये नहीं देते हैं, वे अपनी तरफ से करते हैं ।

प्रो० महादेव शिवनकर : आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्रीय सरकार उसमें मदद करे । इसलिए मैं यह मुद्दा उठा रहा था ।

मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं । यह योजना चलती है । हमें एक्सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र मार्केट फैडरेशन को कपास एक्सपोर्ट करने का परमिट समय पर नहीं मिलता है और यह फैडरेशन हमेशा लॉस में चलती है । निर्धारित जो कोटा है, वह कोटा निश्चित रूप से समय पर

देना चाहिये। कपास एक्सपोर्ट की परमीशन मिलनी चाहिये, ताकि यह योजना योग्य रूप से चल सके।

कपास से सूत तक और सूत से कपड़े तक जाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार इसके सम्बन्ध में सोचे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह योजना महाराष्ट्र सरकार की है।

प्रो० महादेव शिवनकर : केन्द्रीय सरकार को भी सोचना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बतलाया है, ऐसा नहीं है। यह महाराष्ट्र सरकार की योजना है।

प्रो० महादेव शिवनकर : जी, धन्यवाद।

श्री हरिशंकर महाले (बालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता सरकार तो किसान के बारे में अच्छी तरह से विचार करती है लेकिन 15 साल कांग्रेस के राज में अन्याय हुआ। एकाधिकार खरीदी पर वही अन्याय आज जनता सरकार दबाव के कारण कर रही है।....(**व्यवधान**)

4.02 म० प०

सभा के कार्य के बारे में

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करूर) : महोदय, आज की कार्यवाही के अनुसार, 4 बजे हमें मंडल आयोग पर चर्चा करनी है। सुबह से ही हम इसके बारे में चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। अब 4 बज चुके हैं इसलिये हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी नहीं रखनी चाहिये। हमें मंडल आयोग पर चर्चा करनी चाहिये। इसके बाद यदि समय रहता है, तो हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज चर्चा जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ आप कह रहे हैं, वह काफी सही है परन्तु आप सभी ने यह देख लिया है कि सदन में क्या हुआ है। मैं यह बात सदन पर छोड़ देता हूं कि जिस तरह से वह चाहें, सदन में कार्यवाही चलाये।

डा० तम्बि दुरै : महोदय, सारे देश में इस मुद्दे पर रोष व्यक्त किया जा रहा है। अनेक बसें जला दी गई हैं। बहुत से छात्र मर गये हैं; जबरदस्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि इस तनाव में कमी हो। संसद सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे छात्र समुदाय में विश्वास पैदा करें। यही उपयुक्त समय है कि हम मंडल आयोग पर चर्चा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आज सदन में कार्यसूची के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई है और यदि मैंने कोई अपना निर्णय दिया भी है तो उसे स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिये मैं इस बात का फैसला सदन पर छोड़ता हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय मैं आपकी समस्या समझता हूं। ऐसी स्थिति में इन चीजों को संभालना आसान नहीं है, परन्तु महोदय, प्रधानमन्त्री सदन में आ चुके हैं इसलिये मेरा ख्याल है कि यह महत्वपूर्ण है। चर्चा के लिये नियत किया गया समय 4 बजे था। हर सदस्य विभिन्न दलों के विचारों को सुनने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें मंडल आयोग पर चर्चा प्रारम्भ कर देनी चाहिये।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, पहले हमें कार्य सूची में दी गई इस मद पर चर्चा पूरी कर लेनी चाहिये, और इसके पश्चात् हम मंडल आयोग पर चर्चा कर सकते हैं। हम देर तक बैठ सकते हैं और इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। आप इस बारे में सदन की राय ले लें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, चार बज गये हैं। दिल्ली के बिल पर कन्सैन्स नहीं बन पाया है। इसलिये मेरा कहना है कि दिल्ली का बिल पेश करके उस पर बहस कीजिए। जैसा कल फैसला हुआ था, रात बारह बजे तक बैठना पड़े तो बैठें और दिल्ली का बिल निकाला जाए। यही मेरा कहना है। कल जो कन्सैन्स एग्रीमेंट हुआ था, उसको लागू किया जाए...**(व्यवधान)**....जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, उसको लागू किया जाये चाहे रात के 12 बजे तक ही क्यों न बैठना पड़े। चाहे कांग्रेस इसका विरोध करे, कुछ भी हो, लेकिन आज इसको जरूर लिया जाये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय प्रधानमन्त्री यहां हैं। हम उनके विचार सुनना चाहते हैं। उन्हें जानना चाहिये कि आज भारत में क्या हो रहा है। यह ज्यादा जरूरी है। इसलिये हमें मंडल आयोग सम्बन्धी विषय पर विचार करना चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि कालिंग अटेंशन चल रहा था और वह अभी पूरा भी नहीं हुआ है, डा० खुशाल बोपचे तथा अन्य माननीय सदस्य अभी बोलने के लिए रह गए हैं और सरकार का निर्णय इस सम्बन्ध में कुछ आया नहीं, सरकार इसके लिए आज फैसला करे क्योंकि यह 10-15 लाख लोगों का सवाल है, इसलिए आज ही इस कालिंग अटेंशन पर हमें आपका निर्णय चाहिये।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : हमारा प्रस्ताव है कि कल शुक्रवार का दिन है जो गैर-सरकारी कार्य का दिन है और कुछ छोटे और विधेयक राज्य सभा को भेजे जाने हैं और कल ही राज्य सभा के सत्र का भी अन्तिम दिन है। इसलिए मेरा सुझाव है कि विधायी कार्य को पूरा किया जा सकता है। हम देर रात तक बैठेंगे और मंडल आयोग पर चर्चा पूरी करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री पी० उपेन्द्र : कृपया सदन की राय मान लीजिए (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : आपको सदन की राय लेने की आवश्यकता नहीं। कार्यसूची के अनुसार हम कार्यवाही कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमन्त्री के अपने दृष्टिकोण है। वह आपके माध्यम से अपना दृष्टिकोण सदन पर नहीं थोप सकते। आपको कार्यसूची के अनुसार कार्य करना है। आप देखिये कि कौन सा कार्य कार्यसूची में 4 बजे के लिए रखा गया है? क्या आप इस क्रम में परिवर्तन कर सकते है, और सदन पर सरकार की इच्छा थोप सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : कृपया सदन की राय ले लीजिये (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : कुल मैं तो बस यह निवेदन करता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय और सदन को जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवायी जा सकती। संसदीय कार्य मन्त्री उपाध्यक्ष महोदय को दबा नहीं सकते हैं। वह ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप उनसे दब नहीं रहे है; परन्तु मुद्दा यह है कि आपको कार्यसूची के अनुसार कार्य करना है। आप इस क्रम में परिवर्तन नहीं कर सकते। (व्यवधान) मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुनः कोई भी अवसर ऐसा नहीं चाहिए जबकि आपके माध्यम से सरकार सदन पर अपनी इच्छा थोपे। यही मैं कहना चाह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बीच में मत लाइये। आपने अपनी बात कह दी है। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूं। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि मैं आपकी गरिमा को कोई चोट पहुंचाऊ। परन्तु कृपया मेरी बात अवश्य सुन लें। हमारा तो बस यही कहना है कि आज की कार्य सूची में 4 बजे के लिए क्या मद निर्दिष्ट है। प्रक्रिया नियमों के अनुसार कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

हमें इसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए, हमें वही मद लेनी चाहिए जो कार्यसूची में दी गई हो, यही मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन पर अपने विचारों को थोपना नहीं चाहूंगा।

श्री बी० शंकरानन्द : आपको अपने विचार थोपने की जरूरत भी नहीं है, परन्तु हम सरकार के विचार सुनना चाहते हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार के विचार सभा में व्यक्त कर दिये गये जाते हैं। दलों के दृष्टिकोण भी सभा में व्यक्त होते हैं। उनको रिकार्ड भी किया जाता है। अब यह सदस्यों पर निर्भर है कि वे एक दूसरे के विचारों को स्वीकार करें या नामंजूर करें। मैं आप से यह नहीं कह रहा हूं

कि आपको इन विचारों को स्वीकार करना चाहिए या नामंजूर कर देना चाहिए। आज पीठासीन अधिकारी की परेशानी यह है कि कार्यसूची के क्रम के अनुसार कोई भी कार्य नहीं हुआ है।

मान लो कोई भी कार्य कार्यसूची के अनुसार नहीं किया गया और यदि सदन को सदस्यों की इच्छाओं के अनुसार चलाया जाता है तो इस बात को भी सदन को सर्वसम्मति से या जिस तरह से आप लोग चाहें उस तरह से तय कर लें। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप इस पर चर्चा करें या न करें, अब यह सदन को तय करना है। मैं इस बारे में कोई निर्णय नहीं लूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, जब भी हमने 4 बजे की बात कही है हमारा यह आशय कभी नहीं रहा कि इसमें जो भी पहले हो। 4 बजे को किसी सीमा के रूप में नहीं माना जा सकता। नियम 193 के अधीन मामलों को सरकारी कार्य की तुलना में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम क्या किया जाना है। शंकरानन्द जी, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। मुझे नहीं मालूम कि क्या किया जाना है। यदि हम उन सभी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं जो 3.30 बजे तक कार्यसूची में नहीं है और यदि हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो अभी समाप्त नहीं हुआ है, के बीच में ही हैं और यदि एक सदस्य इस बात को महसूस न करते हुए कि सदन में क्या हो चुका है, मुझसे यह कह रहे हैं कि मैं उस कार्य की अनुमति दे दूं जिसे 4 बजे लिया जाना है, तो आप मुझसे क्या कहने की आशा रखते हैं ?

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है.... (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : महोदय, जो कुछ आपने कहा मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं। सामान्यतः हम सदन में कार्यवाही इस प्रकार चलाते रहे हैं : कार्यसूची में कार्यों की एक सूची होती है। हम यथासम्भव कार्यसूची के अनुसार कार्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं; कभी-कभी उनमें से कुछ को छोड़ देते हैं जिसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं। परन्तु जब हमने किसी कार्य के लिए 4 बजे का समय निर्धारित किया हुआ है तो सदन की यह परम्परा रही है कि हम उसे 4 बजे ही लें और उस पर चर्चा प्रारम्भ करें, जब तक कि सदन में इसके विपरीत आम राय न हो, बहुमत नहीं....(व्यवधान) जो कुछ आपने कहा सही है। हम सभी कार्यों को पूरा करना चाहते हैं। परंतु हम कर ही क्या सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं डा० तम्बि दुरै द्वारा दी गई सलाह का सम्मान करता हूं। उनको अच्छी तरह जानकारी है कि सदन में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। मेरा सुझाव है कि दलों के सचेतक संसदीय कार्यमन्त्री के चैम्बर में मिलें। तब तक हम ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा पूरी कर लेंगे। यह अच्छा नहीं लगता कि हम इसे अधूरा छोड़ दें।

अब श्री हरि शंकर महाले।

डा० तम्बि दुरै : हमने भी उसे वैसा ही छोड़ दिया। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : कार्यसूची में केवल एक पद का विशेषरूप से उल्लेख किया गया है जिस पर 4 बजे म० प० पर चर्चा शुरू होनी है । अन्य मदों के लिए समय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । (व्यवधान) उसके बाद 5.30 म० प० पर आधे घन्टे की चर्चा है । संसदीय कार्य मन्त्री स्वयं इस विषय को 4 म० प० पर उठाना चाहते हैं । इसका यहां विशेषरूप से उल्लेख किया गया है । उसमें परिवर्तन करने के लिए आपने सलाह दी है कि सचेतक बातचीत कर सकते हैं....(व्यवधान) मेरा निवेदन यह है कि यदि कार्यसूची की किसी मद में परिवर्तन करना है तो यह सभा की अनुमति से होना चाहिए । यदि सचेतक और यह फैसला करते हैं कि इसे बदलना पड़ेगा तो इसके लिए सभा की अनुमति ली जानी चाहिए । यह उल्लेख किया जा चुका है कि इस पर चर्चा 4 म० प० पर होगी और इस पर 4 म० प० पर चर्चा न करने के लिए सर्वसम्मति नहीं है । ऐसी स्थिति में हम क्या करें ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : इस सम्बन्ध में नियम 25 एकदम स्पष्ट है, और इसमें सर्वसम्मति का कोई उल्लेख नहीं है अपितु माननीय अध्यक्ष और अध्यक्षपीठ को ही स्वयं कार्यसूची में परिवर्तन करने का अधिकार है यदि वे यह महसूस करें कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण हैं । मैं इसको पढ़ता हूं ।

> "सरकारी कार्य के सम्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में ऐसे····
> और आज एक ऐसा ही कार्य;
>
> "····कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और महासचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि अध्यक्ष सदन नेता से परामर्श करने के बाद निर्धारित करें :
>
> परन्तु जिस दिन वह कार्य निबटाने के लिए रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक अध्यक्ष का समाधान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त आधार है ।"

सदस्यों में यह विवाद है कि क्या इसमें परिवर्तन किया जाय या नहीं तथा सभा के समक्ष सरकार की ओर से एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए और इस पर पहले विचार किया जाना चाहिए (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभा के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है ।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं इसे पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं । (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं किसी अन्य सदस्य को बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं । (व्यवधान) । उस प्रस्ताव के बिना भी कल और आज हुई चर्चा के आधार पर आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये अपने विवेक का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है । लेकिन, अब जबकि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है और यदि सभा यह निर्णय करती है कि प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाय, तो यह देखना आपका अधिकार होगा कि सभा के निर्णय का पालन किया जाय । यह मेरा निवेदन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूं। इस संबंध में नियम 25 बिल्कुल स्पष्ट है और पीठासीन अधिकारी को स्वविवेक का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। नियम 25 के बिना भी पीठासीन अधिकारी को निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र और प्राधिकार प्रदान किया गया है। मैंने आज निर्णय नहीं किया क्योंकि जो कार्य कार्यसूची में सम्मिलित नहीं था वह 3.30 म० प० तक चला। यह एक कारण है।

मेरे द्वारा निर्णय नहीं लिये जाने का दूसरा कारण यह था कि हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। प्रश्न यह है कि क्या हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बीच में ही छोड़ देना चाहिए या नहीं।

तीसरा कारण यह है कि इस बारे में सभा में सदस्यों के अलग-अलग मत हैं। कुछ सदस्य सोचते हैं कि मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर, जो संपूर्ण देश पर लागू होता है तथा ज्यादा महत्वपूर्ण है चर्चा होनी चाहिए। कुछ सदस्यों का कहना है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा प्रदान करने वाला विधेयक काफी सालों से लंबित पड़ा है अत: इस पर चर्चा पहले की जानी चाहिये। जब परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किये जाते हैं तो कभी-कभी पीठासीन अधिकारी के लिये पूरी सभा को अपने साथ लेकर चलना संभव नहीं। इसीलिये दो रास्ते हैं। पहला तो यह है कि प्रस्ताव पेश किया जाय तथा यह फैसला किया जाय कि क्या करना है। दूसरा रास्ता यह है कि सभा से बाहर चर्चा की जाय तथा यह फैसला किया जाय की क्या करना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं फैसला करूं तो मैं कर लूंगा। लेकिन अगर मैं फैसला करता हूं तो आपको उसका पालन करना होगा। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं।

श्री मदन लाल खुराना : प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

डा० तम्बि दुरै : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहा हूं। आपने जो कहा है वह सही है। लेकिन जब आप पहले से स्वीकृत कार्यसूची में परिवर्तन कर रहे हैं तो आप इसे प्रस्ताव द्वारा नहीं बदल सकते हैं। यदि सभी इसे स्वीकार कर रहे हैं और यदि सभा भी इसे सर्वसम्मति से मान लेती है तो आप फैसले के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। परन्तु प्रस्ताव के माध्यम से आप कार्यसूची में परिवर्तन करते हैं तो वह उचित नहीं है। प्रजातन्त्र में फिर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं ... क्योंकि वह सर्वसम्मति द्वारा तय किया गया है। आप मतदान द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वह बात तो है। आप कर सकते हैं। विशेष रूप से मंडल आयोग का प्रतिवेदन अति महत्वपूर्ण है। परन्तु दिल्ली को राज्य का दर्जा देने संबंधी विधेयक भी महत्वपूर्ण है। वे उसके लिये आंदोलन कर रहे हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। इसीलिये आप यदि कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही जारी रखें तो हम आपके अधिक आभारी होंगे।

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : मेरे विचार से इस समस्या का हल आसानी से किया जा सकता है। अब तक प्रथा यह रही है कि समय के अनुसार जो भी निश्चित किया गया है वह समयबद्ध है। आप जानते हैं कि कभी-कभी कार्यसूची में दर्ज होता है कि अमुक मदं को अमुक समय पर लिया जाएगा या उससे पहले लिया जायेगा यदि यह समयबद्ध है तो अब तक प्रथा यह रही है कि जो भी विषय चल रहा हो हम उसे रोक देते हैं, और समयबद्ध चर्चा को लेते हैं तथा समयबद्ध चर्चा के समाप्त होने पर हम उसी अधूरे विषय को फिर से ले लेते हैं। यहां आज भी मैं जानता हूं कि यह अच्छा होता

यदि हम ध्यानाकर्षण को समाप्त कर लेते और फिर इस विषय को लेते। परन्तु अब समस्या यह है—मैं सरकार की समस्या भी समझता हूं—कि ध्यानाकर्षण को पूरा करने के लिये 4 बजे का जो समय है उस पर अडिग नहीं रह सकते और रुक नहीं सकते और समयबद्ध चर्चा को नहीं ले सकते क्योंकि कार्यसूची में और भी विषय हैं। तब हर सदस्य यह कहेगा कि नियम 377 के अधीन विषय क्यों नहीं लिये जा रहे हैं तथा कार्यसूची में जो और मदें हैं उन्हें क्यों नहीं लिया जा रहा है आदि-आदि।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कृपया पुरानी प्रथा के अनुसार ही चलिये। सदन को उस स्वस्थ परम्परा रूढि तथा प्रथा को नहीं छोड़ना चाहिये। महोदय, नियम 25 और 30 के अधीन अध्यक्ष महोदय को स्वविवेक का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि नियमानुसार अवशिष्ट शक्तियां पूर्णत: रूप से पीठासीन अधिकारी और अध्यक्ष महोदय में निहित हैं। लेकिन अध्यक्ष को भी परम्पराओं और प्रथाओं का ध्यान रखना होता है। एक बार हम परम्परा को तोड़ते हैं तो फिर परम्पराओं को तोड़ना एक आम बात हो जाएगी। हम एक नाजुक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमें कम से कम आज परम्परा को नहीं तोड़ना चाहिये मंडल आयोग के प्रतिवेदन के बारे में चिंतित है। मेरे विचार से हमें 4 म०प० पर होने वाली चर्चा को बदलने की मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र का ध्यान इस ओर लगा हुआ है। मडल आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा जारी रखी जाये। अन्य मदों पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, नियम 193 के अधीन चर्चा जिसमें व्यवधान पड़ गया था, को भी आरम्भ किया जा सकता है और उसे समाप्त किया जा सकता है। यह मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमारे समक्ष तीन रास्ते हैं—या तो पीठासीन अधिकारी निर्णय करें या सदस्य सर्वसम्मति से निर्णय लें या सदस्य मतदान द्वारा निर्णय करें। यदि दलों के नेता यह कहते हैं कि मैं निर्णय करूं तो मैं निर्णय करूंगा। अन्यथा, मैं निर्णय नहीं करूंगा। मैं निर्णय इसलिये नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपकी सहायता से ही सभा की कार्यवाही का संचालन कर सकता हूं। यदि आप सहायता नहीं करेंगे तो मैं सभा की कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकूंगा। मुझे दुःख है कि आज इस समय तक सभा की कार्यवाही का संचालन के लिये कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। आज एक असाधारण दिन है और मैं सदस्यों को अपने साथ लेकर चलने में असफल रहा हूं।

मान लीजिए यदि मैं मण्डल आयोग प्रतिवेदन को चर्चा के लिए लेता हूं तो शायद वे सदस्य इसका समर्थन न करें जिन्होंने ध्यानाकर्षण दिए हैं। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मण्डल आयोग प्रतिवेदन को चर्चा के लिये लिया जाये तो जो दिल्ली को राज्य का दर्जा देने संबंधी विधेयक के पक्ष में हैं वे शायद इसका समर्थन न करें। इसका परिणाम यह हो सकता है कि सभा में हुल्लड़-बाजी होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। सभा के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि दलों के नेता तथा सचेतक थोड़ी देर के लिए श्री उपेन्द्र के कक्ष में जाएं तथा मुझे अपने निर्णय के बारे में बता दें। तब तक हम ध्यानाकर्षण पूरा कर लेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बिलासपुर) : दूसरे कारण पर भी विचार करना होगा। जो भी आपने कहा है वह बिल्कुल सही है। उसके अलावा एक नया कारण सामने आ गया है जिस पर आपको

विचार करना ही होगा। संसदीय कार्य मन्त्री ने औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव पेश किया है जो आपके समक्ष है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : उस प्रस्ताव को आपका कैसे निपटाने का विचार है। उस प्रस्ताव को आप टाल नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त, आप की बात बिल्कुल सही है। इस प्रस्ताव पर उन्हें भी अपना दिमाग लगाने दीजिए, क्या यह प्रस्ताव वैसे ही है जैसे कि होना चाहिए।

डा० तम्बि दुरै : महोदय, आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न का निपटारा नहीं किया। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कार्यसूची के अनुसार 4 बजे हमने चर्चा के लिए, मंडल आयोग प्रतिवेदन को लेना है। इसीलिए जो भी कार्यवाही चल रही हो, चाहे वह ध्यानाकर्षण हो या अन्य कोई और मद, उसे रोक कर मण्डल आयोग प्रतिवेदन को चर्चा के लिए लिया जाए। आपने यह टिप्पणी की है कि यदि आप अब मण्डल आयोग प्रतिवेदन को चर्चा के लिये लेते हैं तो ध्यानाकर्षण के लिए दर्ज सदस्य तथा वे कुछ सदस्य जो दिल्ली को राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी विधेयक पर चर्चा चाहते हैं, उत्तेजित होंगे। इसका अर्थ है कि आप दबाव में आ रहे हैं··· (**व्यवधान**) जैसा कि आपने सुझाव दिया है दलों के नेता श्री उपेन्द्र से उनके कक्ष में चर्चा कर सकते हैं तथा एक सर्वसम्मति से फैसला कर सकते है। जब तक वे इसके बारे में फैसला करें तब तक कार्यसूची के अनुसार मण्डल आयोग प्रतिवेदन पर चर्चा कर लेते हैं। जब भी वे एक मत हो जाते हैं हम मण्डल आयोग प्रतिवेदन पर चर्चा रोक देंगे तथा जिस मद के बारे में वे फैसला करेंगे उसे चर्चा के लिए ले लेंगे।

[**हिन्दी**]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : इसमें कोई कनसैंसस नहीं हो रहा है ? (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री वसन्त साठे : जब आप सरकारी संकल्प पेश करके कार्य सूची को बदलने की प्रक्रिया डालते हैं तो उसके पश्चात कभी भी कोई कार्य निष्पादित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रतिदिन प्रस्ताव पेश किए जाते रहेंगे और कार्यसूची में परिवर्तन होता रहेगा। तब पीठासीन अधिकारी को कठिनाई होगी··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैंने यह कहा है कि अध्यक्ष को इसका अधिकार दिया गया है। मैंने यह कहा है कि इसके अनुसार ही नियम है, तथा हमने जिस प्रक्रिया का पालन किया है वह सर्वसम्मति की ही है। सभा में कुछ ऐसे अवसर आए हैं जब सभा की राय से समय बढ़ाया गया है तथा विषय बदले गए हैं····।

डा० तम्बि दुरै : आपने कहा है कि आप डरते हैं····।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी से नहीं डरता। मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है।

डा० तम्बि दुरै : यह बात आपने ही कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी वजह से डर लगता है। यदि आप बोलने के लिये खड़े होते है तथा कोई भी आपको बोलने नहीं देता तब आपको पीठ से यह कहना पड़ेगा कि सभा को नियंत्रित किया जाए। मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री वसन्त साठे : ये आप कार्य मन्त्रणा समिति पर क्यों नहीं छोड़ देते।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थिति को समझिए। क्या आप चर्चा करना चाहते हैं? आप कृपया यह फैसला कर लीजिए कि आप मण्डल आयोग के प्रतिवेदन या ध्यानाकर्षण या किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। यह मेरे विरुद्ध नहीं है। यह पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध नहीं है। यह राजनैतिक दलों के बीच है। पीठासीन अधिकारी नहीं बोलते, वे आप हैं जो बोलते हैं। यह देखना पीठासीन अधिकारी का कर्त्तव्य है कि सभा की कार्यवाही सही तरीके से चलती रहे। परन्तु कभी-कभी, जैसा कि आपने कहा है, मुझे सभा स्थगित करनी पड़ती है तथा यह देखना पड़ता है कि व्यवस्था स्थापित हो जाए। स्वयं आपने भी यह देखा है। इसीलिए इस पर मुझे अधिक मत कहने दो। इसके व्यवहारिक हल का जो सुझाव मैंने दिया है वह यह है कि आप संसदीय कार्य मन्त्री से बात कर लीजिए। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो फिर मैं फैसला करूंगा।

डा० तम्बि दुरै : तो तब तक आप सभा को स्थगित कर दीजिए.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं कि संसदीय कार्यमन्त्री तथा सचेतक इस मामले पर बात कर लें तथा मुझे यह बता दें कि क्या करना है। अन्त में ध्यानाकर्षण जारी रख रहा हूं।

4.29 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण—जारी

महाराष्ट्र कपास एकाधिकार खरीद योजना की अवधि बढ़ाई जाना—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री हरि शंकर महाले।

[हिन्दी]

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, जनमोर्चा की सरकार ने किसानों के बारे में बहुत अच्छा काम किया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मन्त्री जी ने जो निवेदन पढ़ा उसे मैंने शान्ति से सुना लेकिन पहले जो कांग्रेस सरकार ने किया है यदि वे वैसा ही करना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है। इस योजना की मंजूरी दस साल के लिए करनी चाहिए। सभापति महोदय ने कहा कि मैं जल्दी से परवानगी देता हूं।

किसान घाटे में जा रहे हैं। इसलिये जल्दी से जल्दी मंजूरी देनी चाहिये और दस वर्ष तक के लिये लगातार मंजूरी देनी चाहिये। इतना ही मेरा आपसे सुझाव है।

डा० खुशाल परशराम बोपचे (भण्डारा) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार योजना के विस्तार के सम्बन्ध में मैं शासन के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसके लिये मैं उनका अभिनन्दन करता हूं और स्वागत करता हूं। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह अतिशीघ्र कपास की गांठे खरीदने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनका यह अति शीघ्र कब होगा ?

जिस प्रकार मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने मांग की है उसके ऊपर मैं भी अपनी सहमति प्रकट करता हूं। हर साल आपके सामने किसानों को एकाधिकार की इस मांग को बढ़ाने के लिये आना पड़ता है। अच्छा हो कि अगले दस साल तक के लिये इसकी अवधि बढ़ा दी जाये। किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलना ही चाहिये।

आप तो जानते ही हैं कि संसद का यह सत्र समाप्त होने वाला है यह सत्र समाप्त होने से पहले इस वक्तव्य के बारे में कोई अन्तिम फैसला हो जाना चाहिये। इतनी ही मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री हरीश रावत जी और दूसरे सदस्यों ने जो बातें कही है महाराष्ट्र मनोपली स्कीम के सम्बन्ध में हम कोई भेदभाव उसके साथ करते हैं इस सम्बन्ध में मैं पीछे की बातों में नहीं जाना चाहता हूं। पहले की विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की जो रिपोर्ट थी, उनकी महाराष्ट्र मनोपली स्कीम की खामियों को देखते हुए यह राय थी कि काटन प्रोक्योर होता है वह फाइन क्वालिटी का नहीं होता है विभिन्न सदस्यों ने महाराष्ट्र स्कीम के सम्बन्ध में जो बातें छेड़ी कि हमने उसको कम काटन एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। इस बार इसका हारवेस्ट रिकार्ड हुआ है। 130 लाख बेल्स हिन्दुस्तान में पैदा हुई हैं और सी० सी० आई० ने पूरे देश से इसको परचेज किया है। महाराष्ट्र में इसका उत्पादव पूरे देश भर से 15 फीसदी था। 22 लाख बेल चूंकि यह मनोपली स्कीम है टोटल प्रक्योरमेंट करती है।

पूरे देश भर में इसका जो उत्पादन है उस उत्पादन के अनुरूप जो शेयर बनता है उसको हमने आवंटित करने का काम किया है। महाराष्ट्र मनोपली स्कीम चूंकि किसानों के कपास को खरीदती है उसने 12.5 लाख बेल एक्सपोर्ट करने का काम किया है। उसमें से 4·11 यानी करीब 20 फीसदी जो प्रोक्योरमेंट था उसको एक्सपोर्ट करने का काम किया है। इस बार इससे बहुत मदद मिली है। इसके अलावा महाराष्ट्र एक ड्राई इलाका है, कपास का इलाका है। उसका उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा है।

जिस तरह से पूरे देश में कपास का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कपास का प्रोडक्शन महाराष्ट्र के कुछ इलाके में जरा कम आता है। और जिनिंग और प्रेसिंग की फैसिलिटी, इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर भी सुधारना चाहिए। मैंने पहले ही निवेदन किया कि कोआपरेटिव सैक्टर में किसानों को अपने-अपने स्टेट में मदद करने का काम हो लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि सी० सी० आई० को देश भर को देखना पड़ता है और जैसा माननीय सदस्य हरीश रावत जी कह रहे थे कि सी० सी० आई० ने ज्यादा काटन दे दिया और दूसरी स्टेट्स को, तो हमने सारा डिस्ट्रीब्यूशन न्याय संगत किया है। कई स्टेट्स तो ऐसी हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह एक्सपोर्ट कर नहीं पाई, सी० सी० आई० उनका एक्सपोर्ट कर रहा है। महाराष्ट्र फैडरेशन के लिए मोनोपली स्कीम की जितनी क्षमता है, जितनी हमारी कूवत है, उनको भरपूर एक्सपोर्ट करने का कोटा भी ,हमने आबटित किया और जिस मामले में एक साल का लटकाकर रखा गया था, मैं कहना नहीं चाहता, समय कम है, विवाद में नहीं जाना चाहता, आपके पास बहुत एजेन्डा है लेकिन मेरे पास फीगर्स हैं। यदि हम न आते तो यह मोनोपली स्कीम खतरे में पड़ जाती लेकिन मैं यह मानता हूं कि किसानों के लिए महाराष्ट्र मोनोपली स्कीम कई बार जोखिम उठाती है और सरकार और कोआपरेटिव सैक्टर जब किसी चीज को हाथ में लेते हैं तो हो सकता वैज्ञानिक तरीके से, परफेक्ट तरीके से चीज नहीं चल पाये, लेकिन यह बढ़िया चीज है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार हमने पूरी तैयारी कर ली है और कार्लिंग अटैंशन ने हम लोगों का और काम बढ़ाने का काम किया है। इसमें जल्दी ही हम फैसला लेंगे। कुछ माननीय सदस्यों का कहना था कि 10 साल इसको बढ़ाना चाहिए मैं यह तो नहीं कह पाऊंगा लेकिन निश्चित तौर पर किसानों की कपास की खरीद होने वाली है; उसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी। इस साल हमने कोई दिक्कत नहीं आने दी, कामर्शियल लेविल पर सी० सी० आई० से हमने खरीद कराई है और पूरे देश में कॉटन की जो प्राइसेज हैं, उनको हमने गिरने नहीं दिया। आज मैं फिर सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र मोनोपली स्कीम को और जो देश में काटन ग्रोअर्स है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आयेगी और इन सारी दिक्कतों को यदि कल निर्णय हो गया तो मैं घोषित करूंगा लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं है, कैबिनेट में मामला गया है तो कैबिनेट में हो सकता है, कल न हो पाये लेकिन इतना जरूर है कि उसमें जल्दी फैसला होगा और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं।

मैं जानता हूं कि इस साल बहुत बढ़िया फसल आने वाली है। गुजरात में पानी नहीं गिरा था तो अब पानी गिर गया है और इस बार भी 130 लाख बेल पैदा हुई है। इसी तरह से बम्पर क्राप आई तो जैसा लोगों ने कहा कि हम लोग मिल मालिकों के दबाव में आते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार हमने जो एक्सपोर्ट किया है तो एक भी प्राइवेट ओनर को हमने लाइसेंस नहीं दिया। जितनी स्टेट कोआपरेटिव्ज हैं, सी० सी० आई० ने सही एक्सपोर्ट कराया है और पूरे मामले में लोगों ने यह कहा कि नहीं, एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमने लगातार मानीटर करके कभी लाख, कभी दो लाख, कभी तीन लाख, किमानों के दाम स्थिर रहें, उस लिहाज से एक्सपोर्ट का कोटा आबन्टित किया और अगले साल के लिए जो पांच लाख से ऊपर बेल्स थी, मैंने आज से तीन दिन पहले उन को भी घोषित कर दिया इसलिए कि आने वाली फसल पर तेजा लगे, दाम नीचे न आ पायें। इसीलिए हम पूरी तरह से सतर्क हैं और मैं सदन को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें किसी तरह की कमी नहीं होगी।

4.39 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) "नायक" समुदाय के सहनाम समुदायों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किये जाने की मांग

श्री राजा अम्बाग्ना नायक डोरे (रायचूर) : महोदय मैं सभा का ध्यान कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों के असीम कष्टों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बेडा, बीदर, बाल्मीकि, तलवाड़ा, नायक और नाइक अनुसूचित जनजातियां बहुत कष्ट पा रही हैं।

कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जन जातियों के पचास लाख लोग हैं कर्नाटक सरकार ने संघ सरकार को इस आशय के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे कि 'नायक' समुदाय, जिसे अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के सहनामों की घोषणा की जाए। इन वर्गीकृत समुदायों को अनुसूचित जनजाति के अन्य समुदायों के समान ही मानने की घोषणा करने में नुकसान हो रहा है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि अनुसूचित जनजाति के समुदायों के कष्टों को दूर करने के लिए नायक बेडा, बीदर, बाल्मीकि, तलवाड़ा, नायक, नाइक, जो कि "नायक" के सहनाम हैं, को सम्मिलित "नायक" के समान ही घोषित किया जाये। अनुसूचित जनजनतातियों की सूची में।

(दो) कर्नाटक की सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार को बंध पत्रों द्वारा धनराशि एकत्र करने की अनुमति दिये जाने की मांग।

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्र दुर्ग) : यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र को तथा लम्बे समय से लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। केन्द्रीय सरकार भी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रही है। लम्बित सिंचाई योजनाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब केन्द्र द्वारा पर्याप्त धन दिया जाए। इस समय कर्नाटक सरकार के पास वित्त की बहुत कमी है। अत: केन्द्र सरकार कृषि-विकास के लिए धन जुटाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि एक राष्ट्रीय सिंचाई विकास बैंक की स्थापना की जाए ताकि सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को इस बैंक से धन मिल सके। किन्तु केन्द्र से अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर नही मिला है। केन्द्रीय सरकार ने एन० टी० पी० सी० परमाणु ताप परियोजनाओं जैसे सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों को बन्ध पत्रों के द्वारा पूंजी जुटाने की अनुमति पहले ही दे रखी है। राज्य सरकारों को भी अपने सरकारी उपक्रमों के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने यह आश्वासन भी दिया था कि सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए एकत्र की जाने वाली निधियां इन्हीं परियोजनों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। कर्नाटक सरकार ने यह आश्वासन भी दिया था कि वह इन बन्ध पत्रों तथा ब्याज की अदायगी करने की जिम्मेदारी लेगी। इस सम्बन्ध में और विलम्ब करने से निर्माण लागत में वृद्धि होगी।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन प्रस्तावों को अविलम्ब अनुमति दें।

(तीन) सहकारी क्षेत्र की यंत्रीकृत नौकाओं में प्रयोग किये जाने वाले डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क समाप्त करने के निर्णय को कार्यान्वित किये जाने की मांग

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापत्तनम) : मछली पकड़ने की छोटी यन्त्रीकृत नौकाएं अधिकतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मछुआरों तथा स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले बेरोजगार युवाओं द्वारा चलायी जाती हैं। संघ सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में वृद्धि कर दिये जाने के कारण यंत्रीकृत नौकाओं के चालक कठिनाई में पड़ गये हैं। छोटी मशीनीकृत नौकाए चलाने वालों द्वारा किये गये अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने अपने 1990-91 के बजट में इन नौकाओं में इस्तेमाल किये जाने वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क में छूट देकर कुछ राहत प्रदान करने की घोषणा की थी। यद्यपि शुल्क में यह छूट मई 1990 में घोषित की गयी थी परन्तु इसे कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक आदेश विशाखापत्तनम में स्थानीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास आज तक नहीं पहुंचे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत यन्त्रीकृत नौकाओं में इस्तेमाल किये जाने वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क में छूट के कार्यान्वयन के आदेश जारी करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जायें।

(चार) बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र को घोषित करने और उपचारात्मक उपाय किये जाने की मांग

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा (बेतिया) : महोदय, पंचवर्षीय योजनाओं में, तथा चालू पंचवर्षीय योजना में और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रही है। केन्द्रीय सरकार खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की योजना बनाती रही है किन्तु यह तभी सम्भव होगा जब हम देश में सूखे तथा बाढ़ की समस्या को हल करें। श्रीमान् 1986 तथा 1987 की विनाशकारी बाढ़ों के पश्चात बिहार में पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारण के जिले, इस बार फिर से सूखे की चपेट में आये हुए है। इन जिलों में मुख्यतः धान उगाई जाती है और यह बिहार का प्रसिद्ध हरा-भरा क्षेत्र है। यहां भदई की लगभग सारी फसल नष्ट हो गयी है। ये जिले अभी तक कृषि—जिले हैं, जिनमें 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भदई की फसल के नष्ट होने से तथा खरीफ की फसल के नष्ट होने से वहां के लोग पूर्णतः निराश हताश और दुखी हो गये हैं। वहां की इस दयनीय दशा को देखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारण जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये, और वहां की जनता को इस संकट से उबारने के लिए निम्नलिखित उपाय, युद्ध स्तर पर किये जायें। (1) विद्यमान नलकूपों को 24 घण्टे बिजली दी जायें (2) इन क्षेत्रों में नलकूप लगाने के लिए 100% राज-सहायता दी जाये (3) क्षतिग्रस्त गण्डक नहर प्रणाली, विशेषकर त्रिवेणी, दोण और प्यौराहन तथा उनकी छोटी नहरों को तुरन्त पुनः चालू किया जाए; (4) छोटे तथा सीमान्त किसानों को रबी की फसल के लिए बीज तथा उर्वरक नि शुल्क दिए जाएं और उन्हें ब्याज रहित ऋण देने की व्यवस्था की जाए (5) गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे लोगों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण दिए जायें और, अन्ततः कठोर परिश्रम वाली योजनाओं को तुरन्त लागू किया जाए।

(मांग) मध्य प्रदेश में मिट्टी का तेल और रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए कारगर कदम उठाये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री राघव जी (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में गत दो माह से केरोसीन तेल तथा रसोई गैस का भारी संकट आया हुआ है। दैनिक दिन की उपयोग की इन दोनों वस्तुओं की आपूर्ति में भारी कमी आई है। फलस्वरूप तेल की दुकानों के सामने लंबी कतारें लग रही हैं। तेल उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण जन-जीवन दूभर हो गया है और जहां पर बिजली भी नहीं है वहां लोग अंधेरे में रातें काटने के लिए विवश हैं। दूसरी ओर रसोई गैस के अभाव में मध्य प्रदेश के शहरों तथा कस्बों की मध्यम श्रेणी जनता परेशान एवं दुखी है तथा उनके सामने अपना भोजन कैसे पकायें यह विकट समस्या खड़ी है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि तत्काल इस गहरे संकट को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाये।

(घ:) आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के वैज्ञानिक युग में तथा भौतिकवादी जीवन की भाग-दौड़ में दूरभाष संचार का एक सशक्त एवं त्वरित माध्यम ही नहीं बल्कि जीवन की आवश्यक आवश्यकता बनता जा रहा है परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दूरभाष की बढ़ती हुई मांग को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। विशेषकर पिछड़े इलाके एवं जिले में जहां पर दूरभाष का कनेक्शन दे भी दिया गया है वहां पर सुचारु रूप से काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन की दशा गम्भीर है। बहुत से लोग प्रतीक्षा सूची में हैं तथा जिन लोगों को टेलीफोन कनेक्शन मिल भी गये हैं वे लोग दूरभाष व्यवस्था की गड़बड़ी से काफी चिन्तित हैं, लाइनें हमेशा खराब रहती हैं। स्थानीय काल, ट्रंक काल, उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। शिकयत करने पर उत्तर आता है कि मशीनें पुरानी तथा अनुपयोगी हो चुकी हैं। टेलीफोन के बिल भी किन्हीं न किन्हीं गड़बड़ी के कारण प्रयुक्त कालों से ज्यादा आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने निराश होकर दूरभाष कनेक्शन कटवा दिए हैं। जन प्रतिनिधियों (लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद) के प्रतिनिधियों के भी दूर संचार कनेक्शन ठीक से काम नहीं करते हैं जो कि एक गम्भीर मामला है। ऐसी परिस्थिति में मैं संचार मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आजमगढ़ की दूर संचार दूर्व्यवस्था अतिशीघ्र ठीक की जाये तथा इलेक्ट्रानिक दूर संचार व्यवस्था आजमगढ़ में अतिशीघ्र लागू की जाए।

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए "एक रैंक एक पेंशन" योजना लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की मांग

श्री प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए "एक रैंक एक पेंशन" करने की घोषणा पहले सत्र में की थी। परन्तु अभी तक सरकार ने इस ओर

कोई कदम नहीं उठाया है। संसद में पूछे गये प्रश्नों का भी स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। सरकार की इस अस्पष्टता के कारण भूतपूर्व सैनिकों में असन्तोष तथा अविश्वास की भावना तीव्र होती जा रही है।

देश भर में लाखों भूतपूर्व सैनिकों की "एक रैंक एक पेंशन" की मांग को पूर्ण करने के लिए सरकार तुरन्त निश्चित पग उठाये और इस निर्णय को लागू करे ताकि भूतपूर्व सैनिकों को न्याय मिले जिसके लिए वे वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और हम सभी इसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं।

(आठ) रेलगाड़ियों में सामान बेचने वालों को लाइसेंस दिये जाने की मांग

श्री प्रताप सिंह (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलों में बहुत से हाक्र्स फेरी लगाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। एक अर्से से ये हाक्र्स रेलवे द्वारा इन्हें लाइसेंस दिये जाने की मांग कर रहे हैं। इस व्यवस्था से जहां एक ओर रेलवे को आमदनी होगी, वहीं दूसरी तरफ इन बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार करने का अवसर मिलेगा। रेल यात्री भी इनकी सेवाओं से लाभान्वित होंगे। यद्यपि वर्तमान में भी ये लोग चलती रेलगाड़ियों में हाक्र्स के रूप में अपना सामान बेचते हैं परन्तु लाइसेंस के अभाव में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें समुचित लाइसेंस न मिलने के कारण परेशान किया जाता है। मजबूरन इन हाक्र्स को ले-देकर ही अपना कारोबार करने दिया जाता है। इससे भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा मिलता ही है साथ ही साथ आम यात्रियों में इन हाक्र्स की छवि धूमिल भी होती है।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि वह इन हाक्र्स को लाइसेंस जारी किये जाने के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र कारगर आदेश जारी करे ताकि ये हाक्र्स स्वतंत्र रूप से अपना रोजगार कर सकें तथा अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

(नौ) पंजाब में निर्मित इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर लगे करों को समाप्त करने और राज्य को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग

डा० अतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं—

पंजाब में टैक्स अधिक होने के कारण इलेक्ट्रानिक उद्योग का अत्याधिक नुक्सान हो रहा है, जिस वजह से मोहाली एवं पंजाब के अन्य क्षेत्रों में कई लघु एवं मध्यम इलेक्ट्रानिक उद्योग या तो बन्द हो गए हैं या बन्द होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। पंजाब के साथ के प्रदेशों में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर बहुत ही कम टैक्स है, जबकि पंजाब में यह टैक्स साथ के प्रदेशों से दुगने से भी ज्यादा है। अत: इस विषमता को दूर करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसी की वजह से पंजाब में निर्मित इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री में समस्याएं पैदा हो रही हैं तथा उद्योगों द्वारा निर्मित समान बाजार में नहीं बिक रहा है, जिस वजह से उद्योगों का अत्याधिक नुक्सान हो रहा है।

अत: मेरी यह मांग है कि पंजाब में इलेक्ट्रानिक निर्मित वस्तुओं पर टैक्स का पूर्णतया समाप्त किया जाए, ताकि पंजाब में एक इलैक्ट्रानिक औद्योगिक प्रदेश के रूप में कायम किया जा सके। मैं

यह मांग करता हूं कि संपूर्ण पंजाब को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए, जिससे कि वहां पर रोजगार के अत्याधिक अवसर पैदा हो सकें एवं केन्द्रीय सरकार की ओर से पंजाब को पिछड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्राप्त सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं, जो कि अभी तक नहीं दी जा रही हैं ।

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 4 बजे व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और हमने निर्णय लिया था कि हम 4 बजे मण्डल आयोग पर वाद-विवाद करेंगे । **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : श्रीमान्, इस पर कोई आम राय नहीं है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप कार्य सूची के अनुसार चलें । **(व्यवधान)**

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : श्रीमान्, मैंने उनके सहयोग के लिए अनुरोध किया था । मैंने यह प्रस्ताव किया था कि यदि वे मंडल आयोग पर वाद-विवाद करने पर जोर देते हैं तो हम इसे ले सकते हैं । इसी प्रकार 5.30 बजे आधे घण्टे की चर्चा होनी है । फिर 6 बजे हम विधायी कार्य ले सकते हैं, जैसा कि सूची में दिया गया है, और उसको समाप्त करने हेतु देर तक बैठ सकते हैं । इस प्रस्ताव पर वे सहमत हो गये थे । अब जबकि वे यह कह रहे हैं कि इस पर कोई आम सहमति नहीं है तो, नियम 364 के अधीन में आपसे औपचारिक रूप से अनुरोध करता हूं कि आप सभा का निर्णय ले लें । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई आम सहमति है या नहीं ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये । क्या आप कृपया जो हम कह रहे हैं उसकी ओर ध्यान देंगे ?

आज भी मैं आपको पूरे सदन में अत्यन्त परिश्रम से कार्य करने के लिए बधाई देना चाहता हूं । हो सकता है कि आपने कभी कभार चुभने वाली बातें कहीं हों लेकिन आपने हमें हमेशा अपना सहयोग दिया है । आज भी आपको पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करना चाहिए । इस सदन की परम्पराओं और प्रथाओं तथा यहां के सौहार्द तथा सदभाव के हित में मैंने कहा था कि आपको एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए और आपको इस बात का निर्णय लेना चाहिये कि हम किस प्रकार सर्वसम्मति पर पहुंच सकते हैं । मैंने यह भी कहा है कि यदि आप यह निर्णय लेने में असफल रहते हैं तो मैं इसका फैसला करूंगा । अब मैं निर्णय लेने का प्रयास करूंगा । मुझे आशा है कि आप पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपने पीठासीन अधिकारी में अपना विश्वास व्यक्त किया है ।

अब मैं जो कुछ कहूंगा वह सम्पूर्ण सभा की मर्यादा और परंपरा के हित में होगा । मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं उसका आप समर्थन करेंगे ।

मेरा निर्णय यह है कि हम कुछ समय के लिये मण्डल आयोग पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि मंडल आयोग पर हम चर्चा अभी से शुरू करें और यह चर्चा 7 बजे तक की जाये।

7 से 8 बजे तक हम विधायी कार्य लेंगे।

डा० तम्बि दुरै : आप हमें मजबूर न करें····(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : एक घन्टे में दिल्ली बिल कैसे आयेगा···· (व्यवधान)

12 बजे तक बैठिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : महोदय आपने कोई निर्णय लिया है। हमें आपके निर्णय को मानना चाहिए। किसी को भी आपके निर्णय का विरोध नहीं करना चाहिए। सभी को उसका पालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, आप जो भी निर्णय करेंगे तो सदन को स्वीकार करने में दो मत नहीं हो सकते। मेरा निवेदन है कि उस समय जिस प्रकार से कुछ लोग मंडल आयोग के बारे में चिंतित थे और आग्रह करते थे कि वह होना चाहिए। उसी प्रकार से मेरे बहुत सारे साथी जिसमें मैं स्वयं भी हू, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली का विधेयक भी लिया जाए। अगर यह निश्चित कर लेंगे कि आठ बजे तक केवल कार्यवाही चलेगी और फिर प्रसार भारती हमको पास करना है, उसके बाद ही दिल्ली का विधेयक लिया जा सकेगा इसलिए दिल्ली का विधेयक आए। मेरा निवेदन है कि आपने क्रम तैयार किया है, उसमें मंडल कमीशन ले लें। उसके बाद सात बजे उसको ले लेना बहुत उचित है। लेकिन सात बजे के बाद जिस प्रकार से कल से इस सारे सदन की एक राय थी कि जब तक हम बिल पास नहीं करते, तब तक चलने दें। ····(व्यवधान) मैं और मेरा दल स्वीकार करेगा। मेरा निवेदन है कि इस बारे में आप सीमा न लगाएं। ····(व्यवधान)

5.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आडवाणी जी की इस राय···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले प्रधानमन्त्री जी को सुन लें।

प्रधानमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : दिल्ली के बिल के बारे में, मैं आपसे इतना अनुरोध करूंगा कि इसमें हम सब लोगों की एक राय है, उसे आज जरूर लिया जाये, चाहे हमें देर रात तक भी बैठना पड़े, लेकिन दिल्ली के बिल को आज जरूर लिया जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो राय जाहिर की है, उसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, पूरे हाउस का, और ऐसा लग रहा है कि बाई एण्ड लार्ज फ्यू प्वाइंटस पर, हेयर एण्ड देयर, सब की एग्रीमेंट है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुल मिलाकर दो मुद्दों को छोड़कर सभी सहमत हैं।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं नहीं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नहीं समझ रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइये। श्री सन्तोष मोहन देव।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : आप उन्हें तो बोलने की अनुमति दे रहे हैं लेकिन हमें नहीं बोलने दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री सन्तोष मोहन देव : आपने व्यवस्था दी है कि मंडल आयोग पर 7 बजे तक चर्चा की जायेगी। 7 से 8 बजे तक दिल्ली को राज्य का दर्जा देने वाले विधेयक पर चर्चा की जायेगी। प्रधानमन्त्री और आडवाणी जी ने कहा है कि इसे 8 बजे लिया जायेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मुझे बीच में मत टोकिये। मैं आपकी भावनाओं को जान गया हूं। मैं समझ गया हूं कि आप क्या चाहते हैं। मैं एक विशेष निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। लेकिन आप इस बात को समझिये और एकदम से खड़े मत होइये और जब तक मैं अपनी बात पूरी न करूं बीच में न टोकें। आप कृपया इस बात को समझें कि आपको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है और जब तक आप पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग नहीं करेंगे तब तक पीठासीन अधिकारी भी कार्य नहीं कर सकता है। मैंने कहा है कि आप मुझे बीच में नहीं टोकेंगे। आप कृपया मेरे साथ सहयोग करें। श्री के० एस० राव जी, मैंने कहा है कि हम मंडल आयोग पर चर्चा अभी से शुरू करें और यह चर्चा 7 बजे तक की जाए तथा 7 बजे के बाद हम विधायी कार्य पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे बीच में न टोकें। श्रीमान कमलनाथ जी मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। प्रत्येक सदस्य को मेरे साथ सहयोग करना चाहिए। मैंने व्यवस्था दे दी है। आपने कहा है कि "व्यवस्था दिए जाने के बाद हम आपके साथ सहयोग करेंगे" यदि व्यवस्था आपके खिलाफ है तो आप यह नहीं कह सकते कि हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमन्त्री जी ने और आडवाणी जी ने जो कहा है मैंने उस पर विचार किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मैं अपनी बात पूरी न कर लूं आप कृपया मुझे बीच में न टोकिये । मैं कह रहा हूं कि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि यह विधेयक पारित हो जायेगा । मैं यह निश्चित रूप से देखूंगा कि इस विधेयक को चर्चा के लिए ले लिया जाये ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने सभा में व्यवस्था दी है और आपने सभा से अनुरोध किया है कि वह आपकी व्यवस्था से सहमत हो । मैं उस व्यवस्था से सहमत हूं । वह व्यवस्था क्या है ? वह व्यवस्था यह है कि मंडल आयोग पर चर्चा 7 म० प० तक की जाएगी और 7 से 8 म०प० तक सरकारी कार्य लिया जायेगा । आपने स्वयं ही यह व्यवस्था दी है । हम इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं । क्या आप अपनी व्यवस्था को कार्यान्वित कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे साथ सहयोग करें । मैंने जो वक्तव्य दिया है उस पर ध्यानपूर्वक विचार करें । आप कृपया मेरे साथ सहयोग करें तथा बीच में न टोकें । आप कृपया इस बात को समझें कि जब तक आप एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे तब तक सभा का कार्य नहीं चलेगा । हम सभा का कार्य करने में रुचि रखते हैं । मैंने कहा है कि हम कार्य शुरू कर रहे हैं । हम इसे पूरा नहीं कर रहे हैं ।

मैं इस बात का आश्वासन नहीं दे रहा हूं कि इसे पूरा कर लिया जायेगा । आप कृपया इस बात को समझिये । जब व्यवस्था आपके हित में हो तो आप उसे मान लें और जब यह आपके हित में न हो तो उसे स्वीकार न करें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मेरे विचार से आपने अपनी व्यवस्था में कहा है कि हम मंडल आयोग पर तुरन्त चर्चा करेंगे । यह चर्चा 7 बजे तक चलेगी । 7 से 8 म० प० तक हम सरकारी कार्य लेंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि 8 बजे सभा का कार्य समाप्त हो जाएगा....(व्यवधान) । आपके वक्तव्य को अभिलिखित कर लिया गया होगा । आप अपने इस अभिलिखित वक्तव्य को स्पष्ट करें । आपने कहा है कि सरकारी कार्य 7 और 8 म० प० के बीच लिया जायेगा । यह कार्य 8 बजे से अधिक नहीं चलेगा । यही मेरा प्रश्न है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात का आश्वासन नहीं दे रहा हूं कि यह कार्य 8 बजे समाप्त हो जाएगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे बीच में मत टोकिये । आप कृपया बैठ जाइये । श्री दिनेश सिंह जी मुझे पहले या बाद में जो कुछ कहना भी था वह मैं कह चुका हूं । यदि मैं समय नियत कर रहा हूं और यदि आपने भी सभा का कार्य चलाने के लिए और उसके लिए समय नियत करने के लिए अध्यक्षपीठ को अधिकार दे दिया है तो जहां तक सम्भव होगा कार्य इस नीति से किया जायेगा जिससे दलों के बीच सहमति बनी रहे । आप इस पर ज्यादा जोर न दें । वे और आप दोनों इस बात पर सहमत हैं तथा आपको इस ढंग से कार्य करना चाहिए कि आपके विचार भी अभिव्यक्त हो

पाएं और सभा का कार्य भी चल सके। इस पर अब और अधिक चर्चा नहीं होगी। अब मैं श्री काशीराम छबीलदास राणा को चर्चा आरंभ करने के लिए बुलाता हूं।

डा० तम्बि दुरै : जी, नहीं।

5.10 म० प०

(इस समय डा० तम्बि दुरै आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० तम्बि दुरै जी, कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो पीठासीन अधिकारी रहे हैं। आप पीठासीन अधिकारी की थति से परिचित हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है।

5.13 म० प०

(इस समय डा० तम्बि दुरै अपने स्थान पर वापिस चले गए)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दूंगा। मैं इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहूंगा कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने ऐसी कोई बात कही है जिससे श्री दुरै को किसी प्रकार की चोट पहुंची हो और यदि मैंने ऐसा कहा है और यह रिकार्ड में है तो मैं इसे रिकार्ड से निकाल दूंगा। यह तो रही एक बात।

दूसरी बात यह है कि हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं और यदि आप कोई व्यवस्था का प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं फिर यह कह रहा हूं कि पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य के विरुद्ध कुछ नहीं कहता। कृपया व्यवस्था का प्रश्न उठाइये।

डा० तम्बि दुरै : 4 बजे मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था **(व्यवधान)**

यह कोई काम करने का तरीका नहीं है **(व्यवधान)** मुझे बहुत दुःख है कि आपने मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य किया। 4 बजे मैंने अपना व्यवस्था का प्रश्न कार्यसूची में दिए गए कार्य के बारे में उठाया था। मैंने कहा था "4 बजे हमें मंडल आयोग पर चर्चा प्रारम्भ करनी चाहिए" सारा देश इस मुद्दे पर आन्दोलित है। अनेकों लोग मर रहे हैं और पुलिस भी गोली चला रही है। यह बड़ी गम्भीर बात है इसलिए हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। हमारा द्रविड़ आन्दोलन इस मंडल आयोग की सिफारिशों लागू कराने के लिए चलाया गया था। हमारा पूरा दल इसके लिए समर्पित है। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। इससे पूर्व, दो दिन पहले ही मैंने कहा था कि

मंडल आयोग पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है कि वह इसे लागू कर रही है। परन्तु इसमें अनेक खामियां हैं। मैं उन खामियों को प्रकाश में लाना चाहता हूं ताकि सारा राष्ट्र यह जान सके कि देश में क्या हो रहा है।

मैं पिछड़े समुदाय का हूं। मैंने कैसे प्रगति की है, यह सिर्फ मैं ही जानता हूं। जो कुछ श्री पुजारी ने कल कहा था मैं भी कह सकता हूं। सारा देश प्रधानमन्त्री से किन्हीं आश्वासनों की आशा कर रहा है इसलिए हम यहां उत्तेजित हो रहे हैं। मैंने कल और इससे पहले भी अनुरोध किया था कि इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। आज सुबह भी प्रश्नकाल के पश्चात मैंने पीठासीन अधिकारी से अनुरोध किया था कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा तत्काल प्रारम्भ की जाये। परन्तु मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा में ढिलाई बरती जा रही है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। एक मन्त्री कह रहा है कि यह शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। यह क्या है ? बिना शिक्षा के क्या आप किसी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं ? इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है....(व्यवधान)....

इसीलिए मैंने अनुरोध किया था कि 4 बजे हमें चर्चा प्रारम्भ कर देनी चाहिए। पीठासीन अधिकारी ने यह आश्वासन दिया था कि इसे 4 बजे आरम्भ कर दिया जाएगा। 4 बजे मैं यह कहने के लिए उठा था कि हमें कार्यसूची के अनुसार कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए। आपने कुछ स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि अगर आम राय होती है तो हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं और यदि सभी लोग सहमत होते है तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा ! परन्तु आम राय है ही नहीं।

कभी-कभी हम यह भी देखते हैं कि जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा चल रही होती है और यदि आप इसमें परिवर्तन करते हैं तो सदस्यगण उत्तेजित हो जाते हैं। कुछ लोग दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने वाले विधेयक मे भी दिलचस्पी रख रहे हैं।....(व्यवधान).... कृपया मेरी बात सुनिए ...(व्यवधान)

सदन में घोर अव्यवस्था है। कोई आम राय भी नहीं है। इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया था कि कृपया आप कार्यसूची के अनुसार ही कार्य करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा। परन्तु यदि आप कार्यसूची के बारे में कोई प्रस्ताव रखते हैं और साधारण बहुमत से उसे पास कराते हैं तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। सदन की कोई भी वर्ग किसी भी चीज के लिए प्रस्ताव कर देगा और इस बात से सदन में अनावश्यक पूर्वोदाहरण बन जायेंगे। इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप कार्यसूची के अनुसार ही कार्य करें।

इसके बाद जब हमने इस पर चर्चा की तो मैं सदन में आया और व्यवस्था का प्रश्न उठाया। आपने कहा कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। आपने कहा था कि यदि आम राय हो तो इस पर चर्चा की जा सकती है। मैं आपके निर्णय का पालन करना चाहता हूं। आपने कहा था कि 7 बजे तक हम मंडल आयोग पर चर्चा प्रारम्भ कर सकते हैं और 7 से 8 बजे तक विधायी कार्य कर सकते हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : तम्बि दुरै जी, यदि मैंने आपकी बात को कहीं गलत समझा है तो इसे वापिस ले लूंगा। मैं अपने चैम्बर में आपसे इस पर चर्चा करूंगा। आप मुझे बता सकते हैं कि हम कब बैठें और विचार-विमर्श करें।

डा० तम्बि दुरै : मैं चैम्बर की कार्यवाही जानता हूं। मैं भी पीठासीन अधिकारी रह चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमने इस पर चर्चा प्रारम्भ कर दी है। अब हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

डा० तम्बि दुरै : मैं जानता हूं कि जब मैं पीठासीन अधिकारी का कार्य कर रहा था तो हमारे सदस्यों ने किस तरह से माईक उठा-उठाकर फैंके थे उस समय किसी ने इसकी निन्दा नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं।

डा० तम्बि दुरै : मैं उन सभी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। हम यहां सत्याग्रह के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं और हम बड़े विनम्र रूप में मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कार्यसूची के अनुसार ही कार्य हो। आप इसमें परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? जब तक आप गारन्टी नहीं देते तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपका निर्णय क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? क्या आप अपने व्यवस्था के प्रश्न पर कोई निर्णय चाहते हैं?

डा० तम्बि दुरै : आपको कार्यसूची के अनुसार ही कार्य करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा मंडल आयोग पर है।

डा० तम्बि दुरै : 5.30 बजे आधे घन्टे की चर्चा शुरू होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय इस बारे में निर्णय करेंगे। मैंने कहा है कि हम यह चर्चा 5 बजे शुरू करेंगे और यह 7 बजे तक चलेगी।

डा० तम्बि दुरै : परन्तु 5.30 बजे आधे घन्टे की चर्चा होनी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब मडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं।

डा० तम्बि दुरै : मैं पीठासीन अधिकारी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या आप 5.30 बजे आधे घन्टे की चर्चा प्रारम्भ करने वाले हैं? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम आधे घन्टे की चर्चा को स्थगित कर देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम आधे घन्टे की चर्चा को स्थगित कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में आप ठीक कर रहे हैं। मैं सही समय पर यह कहता कि हम आधे घन्टे की चर्चा को स्थगित करेंगे।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : फिर यह कब तक चलेगा ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से न पूछें, मैं इस प्रकार उत्तर नहीं दे सकता। अब हम मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे।

5.22 म. प.

नियम 193 के अधीन चर्चा

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अतिरिक्त युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री राणा।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण के बारे में माननीय प्रधानमन्त्री जी ने सात अगस्त के दिन इस सदन में जो स्टेटमेंट पढ़ा, मैं समझता हूं कि उन्होंने समय की मांग की पूर्ति की है। हम जानते हैं कि हमें 1947 से आजादी मिली है, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों को सामाजिक आजादी दिलानी है और उन्हें आर्थिक आजादी भी दिलानी है। जब-जब भी यह सामाजिक और आर्थिक आजादी दिलाने और उनको उनका हक दिलाने के लिए घोषणाएं की जाती हैं, तब-तब ऐसी कोई-न-कोई रुकावट उसमें खड़ी कर दी जाती है।

मान्यवर, चुनाव में जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को इम्पलीमेंट करने का प्रॉमिस जनता को दिया था। मैं यह मानता हूं कि अगर सभी पक्षों से कन्सल्ट करके; एक कन्सैंसस बनाकर, निर्णय लिया जाता, तो और अच्छा होता। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सत्ता में आने के तुरन्त बाद अगर यह घोषणा आरक्षण के बारे में की जाती, तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश की करोड़ों की आबादी उसका वैलकम करती। मुझे दुःख होता है, मैं दो दिन से लगातार मंडल कमीशन की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य सुन रहा हूं और जब वक्तव्य कांग्रेस की ओर से सुना, मुझे बहुत दुःख हुआ। आज जब इस देश में लोकतन्त्र है, जनतन्त्र है, जनतन्त्र मायने अगर 51 प्रतिशत लोग कहें, वह सच माना जाता है। जब इस देश में पिछड़ी जाति, दलित, शोषित और पीड़ित 52 प्रतिशत लोग हैं और फिर भी उस बात को मानने से इंकार करते हैं। हमारे कांग्रेस के सदस्यों ने कहा, जब एक ओर माननीय पुजारी जी कहते हैं कि मंडल कमीशन के विरोधी नहीं हैं और साठे जी मनुस्मृति का पाठ पढ़ाते हैं और कमी-कमी क्लास और कास्ट की दीवार बीच में खड़ी करने की कोशिश करते हैं। अगर कास्टिज्म बढ़ा, तो 1947 में तो इस देश के टुकड़े होकर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बना, अगर हमारे प्रधान मन्त्री जी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हैं, तो हजारों टुकड़ों में इस देश को बांटने की बात करते हैं। उपा-

ध्यक्ष महोदय, ऐसा हम सुनते हैं और आज हमें मनुस्मृति के बारे में बताते हैं। आज अगर इस देश के पीड़ित लोगों को उनके अधिकार देने का समय जब आया, इस सरकार ने निर्णय लिया, तब मनुस्मृति दिखाते हो। जब चुनाव होते हैं तब आपके लोग भी यही भाषा बोलते हैं कि दलितों, पीड़ितों और शोषितों को हमें न्याय देना है और अगर उनको न्याय देना है, ऊंचा उठाना है, उनकी आर्थिक असामनता को दूर करना है तो माननीय उपाध्यक्ष जी आज उसके जो दांत हैं वे दिखाने के अलग हैं, चबाने के और हैं, ऐसा इधर देखने को मिलता है। मुझे आज भी याद है कि 1985 में गुजरात में आन्दोलन हुआ, उस समय के प्रधानमन्त्री और आज के विरोधी पक्ष में बैठे नेता माननीय श्री राजीव जी ने कहा था कि अपना आन्दोलन वापस लो, इस मुद्दे के ऊपर नेशनल कैन्सेसस बनाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, अब सत्ता इनके हाथ से चली गई. 4-5 साल तक इन्होंने नेशनल कन्सेस नहीं बनाया। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में दलित और शोषितों को ऊपर लाने की बात करने वाले लोग, इनका अधिकार हड़प करने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उल्टा करने के लिए, मुस्लिमों का वोट लेने के लिये, कास्टीट्यूशन में, लॉ में अमेंडमेंट करके, मुस्लिमों के वोट लेने का प्रयास किया, लेकिन दलित, पीड़ितों के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये कभी भी प्रयास नहीं किया।

मान्यवर, आज इस देश में पिछड़े, दलित और शोषित जाति के लोगों को हमने देखा है कि क्यों उनके घर के बच्चे भूखे मरते हैं, उनके घर की महिलाएं कुओं में गिरकर क्यों आत्महत्या करती हैं, क्यों उनके घर में बैठे हुए माता-पिता ट्रेन के नीचे कट जाते हैं? यह सब इसलिये होता है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास खाने के लिए अनाज का दाना नहीं है और बच्चे को दूध पिलाने के लिये पैसे नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में 52 फीसदी ऐसे लोग हैं जो ऐसी हालत में जी रहे हैं, चाहे वे कांग्रेस के हमारे माननीय सदस्य हों, सिर्फ पालिटीकल एडवांटेज लेने के लिये ऐसे कदम उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो लोगों के सामने कहा है कि मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे हमने ये भी कहा है कि हम इस देश में कास्ट और क्लास के बीच में, कोई उच्च वर्ग और पिछड़ी जाति के बीच में कोई दीवार खड़ी करना नहीं चाहते। हम यह कहना चाहते हैं कि आज जब अधिकार देने के लिये सरकार ने इस निर्णय को मान लिया है तो आपको भी इसमें सहयोग देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मानवता के नाते, इस देश के करोड़ों 52 परसेंट ऐसे लोग हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, इनमें से सिर्फ 4.65 परसेंट लोगों के पास रोजगार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि कास्ट और क्लास के बीच में भेद किया जाये, फिर ये कास्ट और क्लास के झगड़े क्यों बोये जा रहे हैं। आज अखबार में आया है कि माननीय प्रधानमन्त्री जी को खून की दो बोतलें भेजी गईं, उसमें से एक बोतल में बैकवर्ड क्लास का खून था और दूसरी बोतल में फारवर्ड क्लास का खून था ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा। बैकवर्ड क्लास के और बाकी क्लास के जो लोग हैं, इस देश के 85 करोड़ जो लोग हैं, वे सब भारतीय हैं, उनकी नसों में एक ही लहू बह रहा है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि उनके लहू में कोई फर्क नहीं है। जब आप समझते हैं कि सब एक लहू के बने हैं, एक देश के हम रहने वाले हैं फिर अगर हममें से कुछ लोग भूखे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं तो बाकी जो लोग हैं,

उनको यह सोचना चाहिये कि उनके लिये अगर कुछ सेक्रीफाइज कर सकते हैं तो करें। आज तक जिनका शोषण हुआ है, एक्सप्लाइटेशन हुआ है, जो पीड़ित रहे हैं और उनकी इस हालत के लिये कौन जिम्मेदार है, 52 प्रतिशत लोगों का 4.65 प्रतिशत रोजगार मिला है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है। आजादी के 43 साल के बाद भी, सिर्फ 3-4 साल तक जनता पार्टी का शासन रहा, बाकी सालों में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, तो इन 43 सालों में स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हट गई, उस समय सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री कहते थे कि देश में पीड़ितों को अधिकार दिलाएंगे, लेकिन आज 43 सालों के बाद भी स्थिति वही रही है। आज अगर इस देश को एक रहना है तो कैसे रहेगा। मान्यवर आसाम की स्थिति के बारे में बात की गई, वहां पर जो महाराष्ट्र से, गुजरात से या नान-आसामीज लोग हैं, उल्फा आदि संगठन उनके खिलाफ क्यों हो गए, क्योंकि वहां के निवासियों का एक्सप्लाइटेशन हुआ था, उनकी सहनशीलता सेचूरेशन प्वाइंट तक पहुंच गई थी, इसलिए आज वे उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि अगर यही सिलसिला इस देश में चलता रहा, 52 फीसदी लोगों का शोषण होता रहा तो एक दिन आसाम जैसी स्थिति पूरे देश की होने वाली है। जिसके पास कुछ नहीं है न खाने को है, न रोजगार है, बच्चों के पहनने के लिए वस्त्र नहीं हैं, वह क्या करेगा, वह ऊंचे महलों में रहने वाले लोगों के आगे आएगा। इसलिए यह जो निर्णय है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसके अलावा भी कुछ जातियां ऐसी हैं, जिनका समावेश मण्डल कमीशन की रिपोर्ट में नहीं हो पाया है, कोई कम्युनिटी या कास्ट ऐसी है जो गरीब रही है, जो पिछड़ी हुई स्थिति में जी रही, उनको भी इकनामिक बेसिस पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसके लिए 5-10 परसेंट के लिये कहा भी गया है। मैं समझता हूं कि अभी भी समय है कि सभी पार्टियों के नेता बैठकर सर्वसम्मति से इस दिशा में आगे बढ़ें। (व्यवधान)

मुझे मालूम है कि आज देश में जो काम चल रहा है, जो लड़ाइयां चल रही हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं मानता हूं कि यहां पर बैठे हुये लोग अगर ईमानदारी से प्रमाणिकता के साथ अगर विचार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन चलेगा। उड़ीसा में किसने आंदोलन चलाया, हम जानते हैं, कौन सारे देश में चला रहा है, यदि हम लोगों को सही नेतृत्व देना चाहते हैं हम सही नेता हैं तो लोगों को जाकर कहना चाहिये कि अगर इस देश में स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है तो हमें इसी आधार पर देखना होगा। संविधान की धारा 15-4 या 16-4 में जो कुछ लिखा हुआ है, उसको सामने रखकर शपथ ली है, उस शपथ का पालन करने के लिए हमें इस देश की जनता को एक करने के लिये, उसकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नति के लिए, समानता के लिये कदम उठाने ही होंगे और जब-जब ऐसा कदम उठाया जायेगा तब-तब प्रतिकार होता रहेगा, लेकिन इस प्रतिकार में जो खरा उतरता है वही नेता कहलाता है। यदि लोग मानते हैं कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, तो वह आंदोलन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो निर्णय आज इस सदन में लिया गया, यह निर्णय 43 साल पहले लेना चाहिए था, संविधान बनाया गया, तब यह निर्णय लेना चाहिए था। आज हम सब इसको अपनी सहमति देकर इस देश के पिछड़े हुए, दलित समाज को ऊंचा उठाने के लिए कमर कसें, यही कर्तव्य करने के लिए हम लोगों को यहां भेजा गया है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत गुप्त : (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान, अपनी पार्टी की ओर से मैं सरकार तथा प्रधानमंत्री के पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के निर्णय का पूर्ण समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : देवीलाल के डर से.....(व्यवधान)

श्री इन्द्र जीत गुप्त : आप जब बोलेंगे तो हम आपको नहीं टोकते रहते। धीरे-धीरे धीरज सीखना चाहिए। दूसरे लोगों की बात सुनने के लिए थोड़ा-सा धीरज सीखना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमान, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस मामले पर कुछ कठिनाई में है। कांग्रेस का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि वे मंडल आयोग का विरोध करते हैं लेकिन अब बात उनके हाथ से निकल गयी है। उन्हें एक मौका दिया गया था। उन्हें एक सुनहरा अवसर मिला था। वे इतने वर्षों तक सत्ता में रहे। पिछले दस वर्षों में जिनमें मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है वही पार्टी सत्ता में थी और यदि वे अपने वायदों पर वास्तव में सच्चे थे तो उन्होंने इस प्रकार की पहल की होती। तब वर्तमान सरकार के लिए ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं रहती वे ऐसा कर तो सकते थे लेकिन वे असफल रहे क्योंकि वे इस सबन्ध में वास्तव में गम्भीर नहीं थे। जब वे यह कहते हैं कि हम मंडल आयोग का समर्थन करते हैं तो वे इसलिए कहते हैं क्योंकि वे इसका विरोध नहीं कर सकते। वे इस संबन्ध में कई शर्तें तथा पाबंदियां लगाते हैं जिन्हें यदि हम मान लें तो फि इसमें कुछ बचेगा ही नहीं।

श्रीमान, असल बात यह है कि अब देश में वातावरण बहुत सवेदनशील है और मैं समझता हूं कि किसी के लिये भी यह बहुत मुश्किल है कि वह सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय के प्रभावों को बहुत अलग हटकर तथा वस्तुपरक ढंग से देखे। क्योंकि अब लोग सड़कों पर आ गये हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सामाजिक ढांचा विशेषकर हिन्दू समुदाय का सामाजिक ढांचा इस निर्णय से हिल गया है। यह स्वाभाविक ही है कि वे लोग या वे ग्रुप या वे तत्व जो सोचते हैं कि इतने वर्षों से मिला हुआ उनका विशेषाधिकार समाप्त हो जायेगा वे इससे विचलित तो होंगे ही। वे नाराज हो सकते हैं और वे अपने भविष्य के बारे में सदेह कर सकते हैं। जब किसी समाज के सम्पूर्ण ढांचे में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन आता है तो ऐसा होता ही है जैसा कि अब हो रहा है। मैं तथा मेरी पार्टी इस निर्णय की घोषणा के बाद हुई लोगों की जान-माल की हानि पर बहुत दुःखी है। मैं जानता हूं कि दिल्ली में सरकार ने आदेश दिये थे कि किसी भी प्रकार के भड़कावे के तथा किसी भी प्रकार की कठिनाई के बावजूद पुलिस गोली न चलाये। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर गोली चली है और कुछ युवाओं की जानें गयी हैं। उसी के साथ मुझे आश्चर्य है कि इन सभी युवाओं ने, जो हमारे बच्चे हैं और जो सड़कों पर निकल आये हैं क्या इन सभी ने यह समझा है या किसी ने उन्हें शांति से तथा विस्तार में यह समझाने की कोशिश भी की

है कि आरक्षण के बारे में जो घोषणा की गयी है वास्तव में उसके परिणाम क्या हैं। अथवा क्या इसे बहुत बढ़ चढ़ कर पेश किया जा रहा है ? क्या इससे युवाओं के मन में एक ऐसा भय पैदा नहीं हो रहा है जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है ? मेरे विचार से उन्होंने मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को विकृत रूप में लागू किया है। उन्होंने एकमात्र यही कार्य किया है और उसी से पूरे देश में यह होहल्ला मच गया कि इन पिछड़े वर्गों को, जो 52 प्रतिशत हैं 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। कहां दिया जाना चाहिए ? केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में। अन्यत्र कहीं नहीं, राज्य सरकारें अपने विभागों और उपक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त करती है। सरकार का यह निर्णय उन पर लागू नहीं होता है। यह किसी शैक्षणिक संस्था पर लागू नहीं होता है। यह किसी मेडिकल कालेज या इन्जीनियरिंग कालेज पर लागू नहीं होता है। यह ऐसे वर्गों या जातियों पर भी लागू नहीं होता जो राज्य की सूची में नहीं है, जो विभिन्न राज्यों में पहले से ही हैं और मंडल आयोग की सूची से मेल खाती है। यह उन पर लागू नहीं होता। एक स्पष्ट आश्वासन भी दिया गया था कि यह ऐसे किसी राज्य पर लागू नहीं होगा जो इसे न चाहे। मुझे नहीं मालूम कि क्या उन सभी लोगों ने जो इस बारे में इतने उत्तेजित हैं, जो बोल कर, लिखकर या गलियों में प्रदर्शन का नेतृत्व करके इतना बड़ा आरक्षण विरोधी आंदोलन चला रहे हैं, सम्बन्धित लोगों को वास्तव में सच्चाई और ईमानदारी से इस बारे में बताया है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के वास्तविक आयाम क्या है। मुझे इसमें बहुत संदेह है। क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंडल आयोग की सिफारिशों का यह एक बहुत ही मर्यादित, प्रतिबंधित और विकृत क्रियान्वयन है। परन्तु यह पूर्णतया न्यायोचित है और इसका स्वागत है। यह वह सब नहीं है जो मंडल आयोग के नाम पर लागू किया जाना चाहिए था, किया जाता था किया गया। कुछ व्यक्ति इस प्रकार आचरण कर रहे हैं मानो उनके बेटों, पोत्रों की आने वाली पीढ़िया रोजगार से पूर्णतया वंचित हो जाएंगी और उनका कोई भविष्य नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्बन्ध में तथ्यों को बढ़ा-चढ़ा कर और तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। अन्यथा इस प्रकार उत्तेजना और आंदोलन की स्थिति पैदा नहीं होती जैसा कि अब हो गई है।

मेरा केवल इतना कहना है कि यह संघर्ष था इसे हम जो कुछ भी कहें—मतांतर, संघर्ष या कुछ मामलों में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है और उससे आरक्षण समर्थन और आरक्षण विरोध का प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिए। यह हमारे समाज के लिए अत्यन्त हानिकारक होगा। यह हम समझते हैं कि अनेक शताब्दियों के इतिहास और परम्पराओं वाले हमारे जैसे समाज में यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। साठे जी मनुस्मृति के बारे में बहुत अच्छा बोले हैं और सच्चाई यह है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो पिछले 3000 वर्ष से जाति प्रथा के कड़े शिकंजे में जकड़ा है जिसमें लोगों को एक-दूसरे को जाति आधार पर बांटा गया है जिसमें उन्हें जन्म के आधार पर एक-दूसरे से पृथक कर दिया गया है। हम इस जाति प्रथा की चाहे जितनी निंदा करें और हम इस बात की चाहे जितनी आशा करें और कहें कि जाति प्रथा से हम एक दिन छुटकारा पा लेंगे और चाहे हम सभी यह अनुभव करते हैं कि इसके रहते आधुनिक समाज विकसित नहीं हो सकता, परन्तु वास्तविकता यह है कि हम सभी, में, जिनमें सुशिक्षित व्यक्ति भी शामिल हैं, सांस लेते हैं समय खाते समय सोते समय व्यक्तिगत अहसास बराबर बना रहता है हमने संविधान के प्रारम्भ से अब तक इस संसद में अनेक कानून पास किए हैं। यदि आप इन कानूनों को देखे तो पता चलेगा कि इस देश में

छुआछूत और जाति प्रथा के लिए कोई स्थान नहीं है। परन्तु वास्तव में इस देश के कितने लोग अपने दैनिक जीवन में उन कानूनों का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करते हैं ? क्या हम अपनी लड़कियों का विवाह करते समय उन कानूनों का पालन करते हैं। अपवाद स्वरूप ऐसे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। अन्तर-जातिय और अंतर-समुदायिक विवाह करने के पक्ष धर्मी लोग वस्तुतः वंदनीय है किन्तु ऐसे कितने व्यक्ति होंगे ? अधिकांश लोग, जिनमें अच्छे पढ़े-लिखे व्यक्ति भी शामिल है, जाने या अंजाने में जाति या जाति प्रथा के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। उनमें से ऐसे कितने लोग होंगे जो हरिजन की झोंपड़ी में जाकर उसके साथ बैठने और खाना खाने को तैयार होंगे ? कितने व्यक्ति अपनी पुत्रियों का विवाह अन्य जातियों में करना चाहेंगे ?

पिछले दिनों यहां किसी के विचार सुनने का अवसर मिला। शायद वे हमारे मंत्री महोदय जनेश्वर मिश्र थे जिनके बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा : जब कोई हरिजन लड़की किसी ठाकुर से विवाह करती है तो वह ठकुरानी बन जाती है और जब कोई हरिजन लड़का ऊंची जाति की लड़की से विवाह करता है तो उसे जमाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुझे पता है ऐसा करने पर उनके साथ क्या होता है। हमारे देश में ऐसे अनेकों मामले हुए हैं अपना जीवन जोखिम में डालकर इस प्रकार विवाह करने पर उन्हें उसी गांव या उसी क्षेत्र में रहने नहीं दिया जाता।

अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सीमित आरक्षण कोई इलाज नहीं है, जाति प्रथा दूर करने के लिए राम बाण नहीं है और न ही इससे बेरोजगारों की समस्या हल होगी। यह उसके लिए नहीं बना है। परन्तु मैं यह कहता हूं कि मैं एक साम्यवादी हू व्यक्तिगत रूप से और संकोच के साथ कह सकता हूं और ऐसे व्यक्ति के लिए यह शर्म की बात है जिसने अपने जीवन में कभी गरीबी नहीं देखी। मैंने अपने जीवन में कभी गरीबी नहीं भोगी। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने सामाजिक उत्पीड़न भी नहीं झेला, न ही मुझे यह शिकायत है कि मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली। मैं यह सभी कुछ अपने परिवार और अभिभावकों की अच्छी स्थिति के कारण प्राप्त कर सका हूं। परन्तु आज सभी इस सच्चाई से अवगत हैं कि यदि ये दलित पिछड़े कमजोर वर्ग, सामाजिक और शैक्षाणिक दृष्टि से पिछड़े लोग ऐसी स्थिति में बने रहे तो हमारे समूचे समाज तथा भावी विकास और प्रगति मार्गगामी प्रशस्त नहीं हो सकेगा और हमारा देश कभी आगे नहीं जा सकेगा।

इस प्रकार जो 15% या 17% लोग, मुझे पता नहीं कि वास्तव में उनका कितना प्रतिशत है, जो अपने स्वार्थों के कारण जानबूझकर इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, को इस सम्बन्ध में वीटो करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जाति-प्रथा को समाप्त नहीं कर सकते हम इसे रातों-रात या कुछ वर्षों में या शायद कुछ शताब्दियों में भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। जाति प्रथा समाप्त नहीं होगी। इस स्थिति में लोगों के मन में मनु की बनाई व्यवस्था सर्वोच्च है। परन्तु विश्व चेतना और मानव मन में परिवर्तन लाना अत्यंत कठिन है। अत: जातिवाद लम्बे समय तक चलता रहेगा। मेरे विचार में इस सभा में बैठे हम लोग जब इस संसार में नहीं होंगे तब भी यह जातिवाद चलता रहेगा।

लेकिन प्रश्न यह है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं उसे वास्तविक मानते हुए हम उस अर्थ में यथार्थवादी हैं कि हमें इस संसार इस समाज को उसी रूप में स्वीकार करना होगा जिस रूप में यह है, कि उस रूप में जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। लेकिन यथार्थवाद हमें बताता है कि हमें यहीं से आरम्भ करना है। जब आप अपने अन्तिम उद्देश्य के अनुरूप किसी दिशा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको यहां से आरम्भ करना चाहिए।

आपको अपना जीवन यहां से आरम्भ करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा कुछ ठोस कदम उठाकर ही करना चाहिए। अत: मैं समझता हूं कि जातियां और वर्ग तथा व्यवस्था और वृत्तियां आपस में मिलजुल गई हैं जिसके कारण भ्रम उत्पन्न हो गया है। यदि आप मंडल आयोग द्वारा तैयार की गई सूचियों को देखें तो आपको वर्गों का पता चलेगा। लेकिन हम जातियों के बारे में खुलेआम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह असंवैधानिक है। इन सूचियों में व्यवसायों और वृत्तियों का वर्णन है लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि क्या मंडल आयोग ने जो सूचियां तैयार की हैं उनमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है और ये सूचियां पूर्णतया सही हैं और इनमें किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं है।

मैं यह नहीं कह सकता हूं। इन सभी बातों पर इस बीच विचार कर लिया जायेगा। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि, उदाहरण के तौर पर आन्ध्र प्रदेश में उच्च वर्गों के कुछ लोग हैं जिन्हें कभी भी पिछड़ा नहीं कहा जा सकता है। वे उच्च वर्गों के लोग हैं किन्तु उन्हें पिछड़ी जातियों की सूची में रखा गया है। ठीक है, यदि यह सच है तो इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए और इसमें शुद्धि की जा सकती है।

अगले दिन किसी व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वह उड़ीसा के मुख्यमन्त्री थे, ने यह कहा था कि कुछ लोगों को, जिन्हें उच्च वर्गों से जाना जाता है, पिछड़ी जातियों की सूची में रखा गया है। यदि यह सच है तो इस तरह की गलतियों को सुधारा जा सकता है और इनमें सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं वह यह है कि इस समय आप सभी प्रकार के प्रतिबन्ध, अर्हताएं तथा शर्तें लगाकर इससे नहीं बच सकते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण का विचार बहुत देर से आया है। कुछ लोगों ने अब पिछड़े वर्गों में कम पढ़े-लिखे और कम समृद्ध लोगों के प्रति अचानक ही सहानुभूति दिखानी शुरू कर दी है। वे कह रहे हैं कि "ओह" उन्हें कभी ये लाभ नहीं मिलेंगे। ये सभी लाभ ऊपर बैठे कुछ ही लोगों को मिलेंगे। लेकिन हमारा समाज इसी तरह चल रहा है। लेकिन उच्च वर्गों के लोगों का क्या होगा ? क्या इन लोगों के विशेषाधिकारों, लाभों और अधिकारों का फायदा लोगों के कुछ वर्ग ही नहीं उठा रहे हैं ? क्या हमारे विशाल औद्योगिक साम्राज्य में उच्च वर्गों के उद्योगपति और बड़े एकाधिकारी घराने सदैव इस बात की शिकायत नहीं करते रहते हैं कि कुछ ही लोग और औद्योगिक घराने सभी लाइसेंसों, समस्त आर्थिक सहायता और सभी प्रकार के नियांत लाइसेंसों का लाभ उठा रहे हैं ? वे ऐसा कर रहे हैं और मैं भी इस बात से आश्वस्त हूं। मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करता कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अन्य वर्गों की अपेक्षा बेहतर ढंग से संगठित हैं और ये बेहतर ढंग से संगठित वर्ग उन लाभों का, जो उन्हें मिल रहे हैं, अधिक फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि हरिजनों में क्या होता है। महोदय आप भी इस बात को जानते हैं। हम जानते हैं कि आपके महाराष्ट्र राज्य में क्या हुआ है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अभी से नहीं अपितु हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से आरक्षण

का लाभ मिल रहा है। अनुसूचित जातियों में भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अन्य वर्गों की अपेक्षा बेहतर ढंग से संगठित हैं और यदि आप इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार करें तो आप देखेंगे कि इन वर्गों को जो लाभ और नौकरियां मिलनी चाहिए थीं उनसे अधिक उन्हें मिल रही हैं। लेकिन समुचित अनुसूचित जाति समुदाय में इसके विरुद्ध किसी प्रकार का होहल्ला नहीं सुन रहा हूं। जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिन्हें वंचित रखा गया है, जो उचित नहीं हैं, जो गरीब हैं उनकी भावनाओं को हताहत और नष्ट किया गया है तथा उनमें एक प्रकार की हीन भावना भर दी गई है। यह देखना हमारा कर्तव्य है कि वे इस हीन भावना से ऊपर उठें। अतः मैं कहूंगा कि यह बहुत गलत बात है। मैं इसे कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहता जिस पर किसी के साथ तर्क वितर्क किया जाये।

लेकिन मैं यह कहता हूं और मेरा दल भी यह महसूस करता है कि इस समय आरम्भ से ही पहली बार यह आरक्षण सीमित स्तर पर 27 प्रतिशत तक लागू किया जा रहा है और यह कहना सही तथा वांछनीय नहीं होगा कि कुछ आर्थिक मानदण्डों या साधन परीक्षण पर जोर दिया जाये।

हां, हम इस व्यवस्था को तब तक बनाये रखें जब तक ये वर्ग कुछ सीमा तक प्रगति नहीं कर लेते तथा ऊंचा नहीं उठ जाते। तत्पश्चात्, सम्पूर्ण मामले पर दुबारा विचार किया जा सकता है। अन्य सभी मामले कि क्या आरक्षण को केवल भर्ती तक ही अथवा पदोन्नति तक भी सीमित रखा जाए, गौण और अलग हैं। हम सभी जानते हैं कि विशेषकर सरकारी सेवाओं में पदोन्नति का जो प्रश्न है वह अन्तर्दाह का मुख्य कारण है। मैं समझता हूं कि किसी न किसी अवस्था में हमें इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि किसी विशेष व्यक्ति तथा उसके परिवार को केवल एक ही बार लाभ दिया जाये। जब वह एक बार कलेक्टर या मजिस्ट्रेट या बड़ा सरकारी अधिकारी बन जाता है तो उसके पश्चात् उसके बच्चों को ये लाभ नहीं दिये जाने चाहिए। इन सभी बातों पर किसी न किसी अवस्था में विचार करना होगा। लेकिन मेरा और मेरे दल का यह कहना है कि जब आरम्भ में इन लोगों को पहली बार यह महसूस करने का अवसर दिया जा रहा है कि देश के प्रशासन में उनकी भी हिस्सेदारी होगी और इसमें उच्च वर्गों के कुछ लोगों का ही अधिपत्य और बोलबाला नहीं होगा। इस समय यह एकदम गलत होगा, इसके सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेंगे यह अवांछनीय होगा यदि इस समय साधन परीक्षण अथवा आय की अधिकतम सीमा जैसी बातों पर जोर देने का प्रयास किया जाता है। बेहतर होगा यदि हम इस पर कुछ समय के पश्चात विचार करें। हमने अपने दल के संकल्प में इस बात का सुझाव दिया है कि इस योजना को 10 वर्ष तक कार्य करने दिया जाये और 10 वर्ष के पश्चात इन सभी बातों पर पुनः विचार करके इनमें संशोधन किया जा सकता है।

आज यद्यपि मैं इस सम्बन्ध में सभा में पहले ही उल्लेख करना चाहता था लेकिन मुझे इसके लिए अवसर नहीं मिला। यहां पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ जिसका समापन बोट क्लब पर एक रैली के रूप में हुआ तथा जिसमें चालीस से पचास हजार युवाओं तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया वे सभी गत रात खुले में मूसलाधार वर्षा में बोट क्लब पर भिगते रहे जहां सिर छिपाने को भी जगह नहीं है। वे देश के विभिन्न राज्यों से आये थे और उनका मुख्य नारा था "सभी को नौकरी", "सभी को शिक्षा" दो। संयोग से, सरकार द्वारा आरक्षण मुद्दे पर लिये गये निर्णय में उन्होंने भी अपना समर्थन जाहिर किया है। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण मात्र से किसी समस्या

का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिये यह अत्यावश्यक है तथा मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अनुवर्ती कार्यवाही की जाये और मुझे विश्वास है कि ऐसा किया जायेगा। मुख्य बात यह है कि देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर पैदा किये जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार लड़के यहां नहीं आयेंगे और उन्हें सरकारी कार्यालयों में रोजगार नहीं मिलेगा और उन्हें किसी सरकारी कार्यालय अथवा रेलवे में पंखे के नीचे किसी मेज कुर्सी पर बैठकर कार्य करने का अवसर नहीं मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां वे रहते हैं उन्हें वहीं कोई लाभप्रद करने के अवसर प्रदान होंगे उनके लिए एक व्यापक कार्यालय की आवश्यकता है। उनके लिये नए प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए या स्व-रोजगार और अन्य ऐसी चीजों के कार्यक्रम बनाने होंगे देश के जिन भागों में अभी भूमि सुधार आयोजन लागू नहीं किए किये गए हैं अथवा जहां उनकी उपेक्षा की गई है, वहां भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करने होंगे निश्चय ही हमारे देश में शैक्षणिक अवसर बहुत कम हैं। हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा—यह कोई दलगत मुद्दा नहीं है कि कैसे बड़े पैमाने पर इन लोगों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिन्हें काफी समय से इनसे वंचित रखा गया है। आरक्षण तभी सार्थक हो सकेगा जैसा कि मैं प्रारम्भ में कह चुका हूं कि इन सारी चीजों का आयास हमें ध्यान में रखना होगा।

महोदय, मंडल आयोग ने अपने सुझाव में कुछ बहुत प्रभावकारी टिप्पणी की है।

> हमारा यह दावा कभी नहीं रहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को कुछ हजार नौकरियां दे देने भर से हम भारतीय जनसंख्या के 52% को उन्नत करने में समर्थ हो जायेंगे। लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सामाजिक पिछड़ेपन के विरुद्ध लड़ाई पिछड़े लोगों के मन में लड़ी जानी है। भारत में सरकारी सेवा को हमेशा प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रतीक के रूप में माना गया है। सरकारी सेवा में अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर हम उन्हें इस देश के शासन में शामिल होने का अनुभव कराते हैं। जब कोई पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार एक कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक बन जाता है, तो उस पद से प्राप्त होने वाले फायदे केवल उसके परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन इस बात का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है कि उक्त पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार का समूचा समुदाय अपने आपको सामाजिक रूप से उन्नत महसूस करने लगता है। सामान्यतः जब कोई स्थाई लाभ समुदाय को नहीं मिलते हैं, तब यह भावना कि "शक्ति के गलियारे" में अब उनका 'अपना आदमी" है, एक साहसवर्धक के रूप में कार्य करती है।
>
> किसी लोकतांत्रिक ढांचे में प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को, इस देश के शासन में भाग लेने के लिए वैध अधिकार और आकांक्षाएं प्राप्त हैं। कोई भी स्थिति जिसके परिणामस्वरूप देश की जनसंख्या के लगभग 52% उक्त अधिकार से वंचित हो जाते हैं, तो उसमें शीघ्र सुधार करने की जरूरत है।

6.00 म० प०

अतः इस स्थिति को सुधारने के लिये एक पहला छोटा-सा कदम उठाया गया है। अतः यह कहना कि इन लोगों को आरक्षण प्रदान करने से योग्यता का ह्रास होगा प्रशासनिक कार्यक्षमता

समाप्त हो जाएगी, इत्यादि सब व्यर्थ की बातें हैं और यह एक ऐसा तर्क है जो स्वतन्त्रता के पूर्व हमें विदेशी शासकों से सुनने को मिलता था। यदि इन लोगों को शिक्षा और अवसर प्रदान किये जाये तो ये लोग भी अन्य लोगों के तरह ही उन्नति और विकास कर सकेंगे। इसका कोई महत्व नहीं है कि वह किस वर्ग और किस जाति के हैं। मैं नहीं समझता कि हमारा प्रशासन जिसमें उच्च वर्ग के लोगों की प्रबलता है वह ईमानदारी कर्त्तव्यनिष्ठा और कार्यक्षमता का एक महान् उदाहरण है। मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई इस तरह की प्रतिष्ठा हासिल किया है। निश्चय ही, उनमें बहुत अच्छे बहुत कार्यक्षम अधिकारी हैं। नौकरशाही व्यवस्था जो इस सम्पूर्ण देश को चलाती है को अपनी कर्तव्यनिष्ठा और कार्यक्षमता के लिये कोई बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हासिल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है ? इसमें निम्न वर्ग के लोगों की प्रबलता नहीं है। अतः ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं नहीं समझता कि योग्यता केवल कुछ उच्च वर्ग के लोगों का ही एकाधिकार है। ऐसा सोचना गलत है कि योग्यता का पैमाना केवल उच्च जाति के चन्द लोगों तक ही सीमित है। इस तरीके से, निश्चय ही योग्यता का ह्रास होगा। देश की प्रशासन और विकास की मुख्यधारा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाना आवश्यक है। इसलिये, इस दिशा में उठाये गए कदम का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उन सभी अच्छी बातों में से कुछ का मैं भी समर्थन करता हूं। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि शायद इन चीजों को और बेहतर ढग से लागू किया जा सकता था और यदि इस संबंध में व्यापक आधार पर परामर्श और चर्चा की जाती और इस बारे में जल्दी में घोषणा नहीं की गई होती तो व्यापक रूप से एक सहमति हो गई होती। इस दिशा में कोई जल्दबाजी नहीं की गई। यह कदम तो बहुत पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था। लेकिन जिस जल्दबाजी से इसे घोषित किया गया वह शायद अक्लमन्दी नहीं थी।

अन्त में, मैं केवल यह कहना चाहूंगा विभिन्न दलों के नेता जो भी कहें, मैं समझता हूं कि प्रत्येक दल में बिना अपवाद के अनेक ऐसे सदस्य हैं जो दलीय अनुशासन या अपने नेताओं या अन्य कारणों से इस बारे में अपना मत व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं; लेकिन मुझे विश्वास है कि सभी दलों में अनेक ऐसे लोग हैं जो इसका हृदय से स्वागत करते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक नेताओं को इस बात का नहीं समझते और जब तक वे अपने दृष्टिकोण और स्थिति को अपने दल के लोगों की भावनाओं के अनुकूल नहीं करते तो उन्हें जल्दी या बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा।

किसी सदस्य ने पहले ही कहा है कि वर्तमान में जिस 52% जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या सर्वोच्च पद पर 4.5 प्रतिशत है। क्या यह अन्याय नहीं है ? इसे रातों-रात बदला नहीं जा सकता। आपको याद होगा कि अनुसूचित जाति के लोगों के मामले में क्या हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हजारों आरक्षित पद, जिन्हें भरा नहीं किया गया है। अगले वर्ष में ले जाया जाता है यह पद कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। उन्हें भरा नहीं जाता। यह हमारे लिये शर्म की बात है। इससे पता चलता है कि हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था में घोर कमियां हैं।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लोगों के आने से कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में गिरावट आने की अशंका बिलकुल बेबुनियाद है। मुझे कालेजों के उन युवा लड़के-लड़कियों को देखकर बड़ा अफसोस होता है जो 'योग्यता' की अर्थियां और अन्तेष्ठि निकाल रहे हैं। 'योग्यता' नाम की किसी चीज को जलाया या दफनाया जा रहा है तथा युवा लड़कियां

यह पोस्टर लेकर घूम रही हैं कि उन्हें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। लेकिन इस देश में ऐसे लाखों-करोड़ों पति जो बेरोजगार हैं जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे इन युवा लड़कियों के बारे में सोचकर दुःख होता है कि उन्हें इन लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है। वे मात्र इतना ही सोचते हैं कि भविष्य में उनके पति बेरोजगार नहीं होने चाहिये। समाज में यह कैसी धारणा है विशेषकर उन लोगों के बीच जिन्हें अच्छी और उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त है। उनमें कुछ सामाजिक चेतना का होना भी आवश्यक है। मेरा विचार है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं किन्तु इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। ऐसा अनेक बातों के बारे में और ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन हम सभी को एक साथ मिलकर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उत्तेजनापूर्ण वातावरण को शांत किया जा सके। इस समस्या का समाधान सड़कों पर नहीं किया जा सकता। इसे चर्चा, बात-चीत, विचारों के आदान-प्रदान इत्यादि से हल किया जा सकता है। जो भी इस देश का भविष्य और कल्याण के प्रति चिंतित है ऐसे हर व्यक्ति को आंदोलनकर्ता से चाहे वे जो भी हो, आंदोलन छोड़ने की अपील करना चाहिए और उनके प्रतिनिधियों, नेताओं, चाहे जो भी हों और जितने भी जोरदार तरिके से वे अपनी बात कहना चाहते हों वे कह सकते हैं, लेकिन यह आमने सामने बैठकर होना चाहिए न कि सड़कों पर। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अत्यावश्यक उपाय कर आंदोलनकारी छात्र नेताओं या अन्य युवा नेताओं से जो कि बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, वार्ता शुरू की जाये। मैं पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध किए गए दमन का भी विरोध करता हूं। मैं देश में कुछ ऐसी शक्तियों और तत्वों की भी भर्त्सना करना चाहता हूं जो जानबूझकर इन लोगों के मन में निराधार और गलत आशंकाएं पैदा कर उन्हें उकसा तथा भड़का रहें हैं जिससे उन्हें शांत से यह सोचने का अवसर नहीं दिया जा रहा कि सरकारी निर्णय के वास्तविक आयाम क्या है। यह राजनीतिक एवं दलगत उद्देश्य के लिए बहुत ही गलत बात है।

यह आपसी भाईचारा को समाप्त कर इस समस्या के समाधान की कोशिश करना है। इससे हम एक-दूसरे का ही नुकसान करेंगे और अन्ततः देश का नुकसान करेंगे।

अतः मैं सभी लोगों से अपील करता हूं—हो सकता है यह एक निरर्थक अपील हो—लेकिन हमें अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए इस आंदोलन को कम करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि शांतिपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके और जिससे सभी लोग एक साथ बैठकर अपने-अपने विचार को रख सकें और उस पर चर्चा कर सकें। उन्हें अपना विचार त्यागने को कोई नहीं कहता। लेकिन उन्हें विचार रखने चाहिये और उन पर विचार-विमर्श से ही इसमें हमें कोई सफलता मिल सकती है। हालांकि मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसी सूचना मिली है कि आंदोलन की तीव्रता अब अपने शिखर पर पहुंच गया है। अपने तीव्रता के शिखर पर पहुंचने के बाद इसमें ह्रास होगा। कोई भी आंदोलन सर्वदा नहीं चलता रहता।

अतः, अन्त में मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि मेरे मित्र श्री वसन्त साठे एक बहुत ही होश्यार आदमी है। मुझे इससे इन्कार नहीं। (व्यवधान)

उनके चर्चा का मुख्य बल इस बात पर था कि हम मनु के काल में पुनः वापस जा रहे हैं, मनु को पुनर्जीवित कर रहे हैं जैसे कि मनु कभी रहा ही नहीं। अब केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में 27% स्थान आरक्षित कर मनु को वापस लाया जा रहा है और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एक

नया मनु हैं। उनके चर्चा में इस बात पर मुख्य बल था। मैं इस मुद्दा को उठाना चाहता हूं। इस बात का उत्तर दिया जाना चाहिए कि इन तमाम वर्षों के बाद पिछड़े और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिये उठाया गया यह कदम, क्या मनु के युग में वापस जाना है, ऐसा मनु जिसने समाज को एक बहुत ही गलत दिशा दी या क्या यह जाति मकिंगता की दीवार को तोड़कर एक नई दिशा में जाना है और एक प्रगतिशील कदम है। किसी भी तरीके से यह एक क्रांति नहीं है। मैं इसे किसी भी तरह से क्रांति नहीं समझता। लेकिन इसने निश्चय ही कमजोर वर्गों के हित में सामाजिक संरचना को झकझोर कर रख दिया है जिससे उच्च वर्ग के लोग भयभीत हो गये या उन्होंने इसे पसन्द नहीं किया। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि सामाजिक संरचना को झकझोर ने वाले इस कदम को बहुत पहले ही उठाया नहीं गया। मेरा दल पूर्णत्या इस कदम का समर्थन करता है तथा सरकार को मैं इस कदम के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : महोदय, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया है। इसको मुझे स्पष्ट करना चाहिए। (व्यवधान) मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था। महोदय, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता हूं कि इसके उपरांत इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने माथे पर अपनी जाति का चिह्न लगाने के लिए कहा जाएगा, जो निश्चय ही हमें उस मनु के क्रूर और पाशविक युग में लिये जा रहा है जो जाति के आधार पर देश को बांटेगा। कृपया ऐसा न करें। वे ऐसा ही कर रहे हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : इस पार्लियामेंट में जरा हाथ उठाकर बताइये कि किसी ने इण्टरकास्ट मेरिज की है क्या? कोई भी ऐसा है जिसने अपनी काष्ट से बाहर शादी की हो। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : हमने कभी किसी का नाम, जाति नहीं पूछी। एक मानव से दूसरे मानव की जाति पूछना, मैं सबसे बड़ी गाली समझता हूं। बेटियों को बैल और बकरी मत समझो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसी टिप्पणी न करें जिससे वातावरण बिगड़े।
(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में जो बात कहना चाहता हूं, उसे शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी-अभी सरकार के मंत्री महोदय ने जो कहा उससे मुझे बहुत आघात पहुंचा है। यह बहुत ही दुःख की बात है कि इस सरकार की विचारधारा जाति तक ही सीमित है और शायद इसी कारण आज हम इस स्थिति ···(व्यवधान)।

श्री बाबू सिंह (दौसा) : आपके बारे में क्या कहें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस तरह से व्यवधान न डालें। यदि आप बोलना ज्यादा आवश्यक समझते हैं तो आपको यहां बोलने का अवसर दिया जाएगा। मैं

इस ओर के सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वे इस तरह से प्रतिक्रिया न करें जिससे बोलने वाले सदस्य को बाधा पहुंचे ...।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, यह तरीका नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे पास समय की बहुत ज्यादा पाबंदी है। इसके लिये 4 म० प० से 6 म० प० का समय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ प्रश्न पूछने थे। इसलिये आपने समय बढ़ा दिया। यदि चर्चा इसी तरह से चलती रही तो 8 बजे म० प० से पहले सरकारी कार्य को निपटाना बहुत मुश्किल होगा, अतः मेरे विचार से सरकार को इस बात का ध्यान रहना चाहिए।

महोदय, जब कोई प्रधानमन्त्री द्वारा इस नीति की घोषणा के समय पर ध्यान देता है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है यह एक ऐसा समय है जबकि राष्ट्र को कई गंभीर बल्कि घोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से कश्मीर की स्थिति इतनी खराब कभी नहीं रही। पंजाब की स्थिति भी शायद इतनी ज्यादा खराब कभी नहीं रही। असम की स्थिति भी ऐसी ही है। तमिलनाडु में भी उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यदि मुझे सही याद है तो प्रधानमन्त्री ने इसी सभा में बोलते हुए राष्ट्र को युद्ध के लिए तैयार रहने या कुछ ऐसा ही शब्द - मनोवैज्ञानिक तौर पर युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था। इसके अतिरिक्त, हमारे समक्ष पहले से ही भाषा के नाम पर शासन करने वाला उत्तर-दक्षिण में तनाव फैल रहा था दल से सम्बन्ध रखने वाले कुछ मुख्यमन्त्री भाषा का मुद्दा उठाकर भाषा के प्रश्न पर उत्तर-दक्षिण में तनाव पैदा हो रहा है क्योंकि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल से सम्बद्ध कुछ मुख्य मन्त्रियों ने भाषा का मुद्दा उठाकर उत्तर-दक्षिण को बांटने की कोशिश की है। केवल कांग्रेस के परिणामस्वरूप ही जो कि एक उत्तरदायी दल है और जिसके ज्यादातर सदस्य.....(व्यवधान)। महोदय, जब तक व्यवधान जारी है मैं नहीं बोलूंगा। आपके आदेश से ही मुझे यह मैं अपनी बात कहूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

हंसना है तो हंस लो।

[अनुवाद]

महोदय, मैं देख रहा हूं कि आज उनकी बैसाखी बदला हुई है; और उनके सामान्य समर्थक आज यहां नहीं हैं। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यहां विद्यमान हैं। यदि आप इस वैकल्पिक शब्द को पसन्द नहीं करते तो इसे स्टेपन्नी कह सकते हैं।

फिर तनाव बहुत बढ़ा हुआ है और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले कुछ महीनों इसमें और अधिक वृद्धि होगी। इसलिए नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं बल्कि इसलिए कि आपकी

पार्टियों में से एक पार्टी ऐसा कुछ कर रही है और इसलिए कि आप इस समस्या को संभाल नहीं पा रहे हैं। फिर प्रश्न भी ग्रामीण तथा शहरी लोगों के बीच विभाजन से है कि शासक दल में कुछ मत-भेद होने के कारण हाल ही में पैदा किया गया है। (**व्यवधान**)

श्रीमान, मैं यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष में केवल एक सदस्य ऐसे हैं जो समझते हैं कि कोई मतभेद नहीं है। (**व्यवधान**)

श्रीमान, सबसे बड़ी बात तो यह है कि काफी समय के बाद जातिगत तनाव पैदा हुआ है और जैसा कि अब हम देख रहे हैं यह दो स्तरों पर विद्यमान है—जातिगत तनाव की पहली लहर तो तब चली थी जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने एकत्र होने के लिए "अजगर" सूत्र का उपयोग किया था। इस "अजगर" सूत्र जातिगत भावना से परिपूर्ण था और लगभग 10 वर्ष बाद, इसने फिर से चुनावी नीति में जातिवाद भर दिया। यदि आप 1980 की बात सोचें तो कांग्रेस ने इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में यह नारा दिया था "न जात पर न पात पर"

[**हिन्दी**]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : "देवराहा बाबा की लात पर" (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री राजीव गांधी : श्रीमान, ऐसी वर्तमान स्थिति में जब कि बाहर तथा भीतर दोनों ओर से ही दबाव पड़ रहा हो, सरकार की ओर से सान्त्वना देने की कोई बात होनी चाहिए। जहां राष्ट्र और हमारे समाज को शान्त करने और सान्त्वना दिए जाने की जरूरत है, वहां सरकार ने इसके विपरीत ही किया है। उन्होंने कोई आधार बनाये बिना इसकी घोषणा कर दी है। श्री गुप्त जी इस सभा के बहुत जिम्मेदार तथा वरिष्ठ सदस्य हैं और जो सरकार के कट्टर समर्थक हैं उन्होंने स्वयं कहा है—मेरे विचार में उनके शब्द ये हैं, "यह बहुत जल्दी (रश) नहीं किया गया था बल्कि उतावलेपन (हरी) में ही किया गया है" कुछ इसी प्रकार के शब्द थे।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : हड़बड़ी (हैस्ट) में किया गया।

श्री राजीव गांधी : हां हड़बड़ी में। अब इस "हड़बड़ी" का अर्थ क्या है? हड़बड़ी का अर्थ यह नहीं है कि यह दस वर्ष से लटका हुआ था, सो आप बटन दबा दें और वह बाहर आ जाए। हड़बड़ी का अर्थ यह है कि कोई आधार नहीं बनाया गया और आधार न बनाने का प्रमाण यह है कि लोग मर रहे हैं, बसें जलाई जा रही हैं, रेलगाड़ियां जलाई जा रही हैं और भवनों को नष्ट किया जा रहा है। यही इसका प्रमाण है।

श्री नाथू सिंह : 1975 में क्या हुआ था? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाथू सिंह, कृपया टिप्पणी न करें। यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : श्रीमान; जहां एक तरफ प्रधानमन्त्री राष्ट्र को युद्ध के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र के लिए वे बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। वे हमारे समाज में यह फूट डाल रहे हैं ताकि देश पाकिस्तान की धमकी, जैसा कि उन्होंने कहा है, का सामना करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार न हो सके। सरकार यह रवैया पूर्णत: गैर—जिम्मेदाराना है।

हमारे कई राष्ट्रीय उद्देश्य हैं। यदि हम अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को दिखाना चाहते हैं तो हरेक दल का कुछ न कुछ भिन्न ही दृष्टिकोण होगा। लेकिन उसमें बहुत सी बातें समान होंगी और मेरे विचार में इस सभा में कोई भी यह नहीं कहेगा कि पिछड़ेपन को तथा गरीबी को दूर करना हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं है। मेरे विचार में इस सभा में उपस्थित कोई भी माननीय सदस्य यह भी नहीं कहेगा कि जातिवाद को दूर करना हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य का अंग नहीं है। हमें दोनों बातें याद रखनी चाहिए। जब हम गरीबी और पिछड़ेपन और गरीबी की बात को सोचते हैं तब प्रश्न केवल यह नहीं होता कि बहुत वर्षों से विद्यमान सामाजिक बुराई को दूर करना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम राष्ट्र की शक्ति को इतनी तेजी से विकसित करें ताकि हम अन्य देशों का मुकाबला कर सकें। यह तभी हो सकता है जब हम अपनी जनता के सभी प्रकार के संसाधनों का सदुपयोग करें। इसमें सबसे कमजोर, पिछड़े हुए तथा सबसे अधिक गरीब, सभी शामिल हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की यह बात कहेगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके गुणों में किसी भी प्रकार से दूसरे बच्चे के गुणों से बहुत अन्तर होता है। वे सभी एक जैसे होते हैं। अन्तर तब आता है जब उन्हें समान अवसर नहीं दिए जाते। पिछड़ेपन तथा गरीबी को दूर करने के लिए हमें समस्या की जड़ में जाना होगा और सभी को समान अवसर देने होंगे। चाहे वह बच्चा अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो या किसी पिछड़ी या उन्नत जाति या किसी धर्म के अल्पसंख्यक समुदाय का हो। गुण तो सभी में होते हैं लेकिन उन्हें अपने गुणों को विकसित करने के अवसर नहीं मिलते और यदि वह उन्हें विकसित नहीं कर पाता तो देश के विकास के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। अत: यह आवश्यक है कि हम इन बच्चों की सहायता करने के लिए अपनी सम्पूर्ण शक्ति व संसाधनों का उपयोग करें ताकि उन बच्चों को अपनी प्रतिभा का अधिकतम विकास करने के अवसर मिल सकें।

पिछड़ेपन की समस्या अत्यन्त वास्तविक है। लेकिन इसे केवल एक पहलू पर ध्यान देकर हल नहीं किया जा सकता। आप यह नहीं कह सकते कि केवल शिक्षा देने से पिछड़ापन दूर हो जाएगा। आपको इस समस्या की जड़ में जाना होगा। लेकिन इसमें कुछ वर्ष लगेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ वित्तीय सहायता देकर पिछड़ापन दूर हो जाएगा। आरक्षण से मदद तो मिलेगी किन्तु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तव में आपको एक व्यापक योजना की आवश्यकता है। आपको व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन बातों को आप एकतरफा ढंग से नहीं देख सकते। अर्थात कांग्रेस जन, पिछड़े समुदायों के लिए कांग्रेस एक व्यापक कार्य योजना, एक लाभप्रद योजना बनाने के पक्ष में हैं। हमें इसकी आवश्यकता भी है। यह समस्या केवल राजनीतिक हथकंडों से या राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के जरिए नहीं सुलझ सकती। (व्यवधान) श्रीमान, मैं वामपंथी सदस्यों से अपील करता हूं। अब जब वास्तविक समस्या उभर कर आई है तो उन्हें चाहिए कि उसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति दें।

श्रीमान, मैं मंडल आयोग की रिपोर्ट से उद्धरण देता हूं। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 1.4 में काका साहिब कालेलकर आयोग की बात को दोहराया है। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आयोग की सिफारिशें बहुत दूरगामी और बहुत व्यापक हैं। उनमें व्यापक भूमि सुधार; ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन, भूदान आंदोलन, पशुधन का विकास, डेरीफार्मिंग, पशु बीमा, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, मछली पालन, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों का विकास, ग्रामीण आवास, जन स्वास्थ, ग्रामीण जल आपूर्ति, प्रौढ़शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा, सरकार में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व आदि जैसे विभिन्न विषय शामिल हैं।

इसके बाद मंडल आयोग ने अध्याय 13 में बहुत दूरगामी सिफारिशें की हैं। इनमें पैरा 13.2 से 13.17 में आरक्षण, पैरा 13.18 से 13.26 में शैक्षिक सहायता, वित्तीय सहायता तथा संगठनात्मक परिवर्तन शामिल हैं। इनके बाद विविध सुझाव तथा केन्द्रीय सहायता का उल्लेख है।

केवल एक मद को लेने की बात नहीं है। कालेलकर आयोग या मंडल आयोग दोनों ने बहुत व्यापक तथा आधारभूत कार्यवाही करने की आवश्यकता बताई है। हमें यह याद रखना चाहिए। कांग्रेस "सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों" को ऐसी सहायता देने के पक्ष में है। संविधान में यही कहा गया है। परन्तु ऐसा कहने से कि हम ऐसे उपायों के पक्ष में हैं, मैं सभी प्रश्नों को शामिल कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि कुछ प्रश्न कल सभा में उठाये गये थे। कांग्रेस ऐसे सभी उपायों के पक्ष में है। लेकिन—मैं "लेकिन" पर जोर दे रहा हूं—हम चाहेंगे कि ऐसे सभी उपायों से सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन्हीं लोगों को लाभ मिले जिन्हें ऐसी सहायता की वास्तव में आवश्यकता है। हम इस पक्ष में नहीं हैं कि ऐसे उपायों का लाभ सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में किसी विशेष समूह द्वारा हथिया लिया जाये। लाभ उन्हीं लोगों को मिलने चाहिए जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वे वर्ग कौन हैं, वे लोग कौन हैं उन वर्गों में से वे लोग कौन हैं जिन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं? मैं इसे केवल सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। जब आप कुछ देना चाहते हैं, कुछ सकारात्मक कार्यवाही करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ ठोस चीज दें। आपको यह बात माननी होगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सम्भवतः पहले सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के रहे हों लेकिन आज किसी भी स्थिति में उन्हें सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं कहा जा सकता।

मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए, एक व्यक्ति है, जो लगभग 10 या 15 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है और बाद में राजनीति में आ जाता है और केबिनेट स्तर का एक मन्त्री बन जाता है, क्या वह सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है? क्या वह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है? क्या उसके बच्चों को मदद की जरूरत है?

एक माननीय सदस्य : ऐसे कितने लोग हैं?

श्री राजीव गांधी : मैं यह नहीं बता रहा हूं कि ऐसे कितने लोग हैं। यदि ऐसा एक भी व्यक्ति है तो वह सहायता उस व्यक्ति को न मिलकर किसी अन्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए। असल बात तो यह है। (व्यवधान)

उदाहरण के तौर पर, क्या हम यह चाहते हैं कि सरकार जो फायदे दे रही है वे मन्त्रियों या मन्त्रियों के लड़कों या मन्त्रियों के परिवारों द्वारा हथिया लिए जाएं ? क्या हम यह चाहते हैं कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले फायदे बड़े जमींदारों या ऐसे लोगों द्वारा हथिया लिये जाएं जिनके पास बहुत अधिक सम्पत्ति है ? (व्यवधान)

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री शरद यादव) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री बसन्त साठे : यदि प्वाइंट आफ आर्डर की आड़ में वह कुछ और बात कहें तो उसे कार्यवाही के रिकार्ड का भाग नहीं बनाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि ..... (व्यवधान) मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया है। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर सुनिए। मैं सिर्फ आधा मिनट बोलूंगा। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि कांग्रेस शासित स्टेट्स और राजीव गांधी राज में इस काम को क्यों नहीं किया गया ?

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

दूसरा उदाहरण यह है, क्या ये सभी फायदे भूमिधरों और जमींदारों द्वारा हथिया लिए जायें ? हम एक निश्चित सम्पत्ति रखने वाले लोगों को ऐसे लाभों से दूर क्यों नहीं रखते ? क्या हम चाहते हैं कि ये लाभ सरकार के उन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को मिलें जिन्हें पहले ही ये लाभ मिले हुये हैं ? हां यह सही है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं ? लेकिन सभी विशेष सुविधाएं वे कुछ ही लोग क्यों प्राप्त करें ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश पाल (मेरठ) : क्या आपने अपने कार्यकाल में इसी वजह से नहीं दिया।

श्री राजीव गांधी : अगर आपको बात खटक रही है तो मैं क्या करूं। अगर आपको चोट लग रही है तो मैं क्या करूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

जब किसी व्यक्ति का स्तर एक निश्चित स्तर से ऊपर उठ जाता है और वह डाक्टर या वकील या इंजीनियर अथवा व्यवसायी बन जाता है तो क्या उसके परिवार को इस लाभ की आवश्यकता है या क्या यह लाभ सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े किसी ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसे कम सुविधाएं प्राप्त हैं और जिसे कम फायदा होगा ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

कल जब आप बोल रहे थे तो सब लोग शान्ति से सुन रहे थे। अब आप शान्ति से बैठिये।

[अनुवाद]

क्या हम चाहते हैं कि ये फायदे उन करदाताओं को मिलें जो समाज के उच्च वर्ग के हैं ? इस प्रकार के और कई वर्ग होंगे । इस पर और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है ।

क्या सरकार किसी विशेष निहित स्वार्थ का ही ध्यान रख रही है या सरकार वास्तव में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का ध्यान रख रही है ? मैं यह प्रश्न प्रधानमन्त्री से पूछना चाहता हूं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अरे, आप पहले सुन तो लीजिये ।

[अनुवाद]

जब प्रधानमन्त्री बोलेंगे और कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा । अब प्रधानमन्त्री को उन प्रश्नों का उत्तर देने दीजिये जो मैं उनसे पूछ रहा हूं ।

[हिन्दी]

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : आप पहले खत्म तो कीजिए, मैं जवाब दूंगा और पूरा जवाब दूंगा ।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : प्रधान मन्त्री को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि उपाध्यक्ष इसकी अनुमति न दे दें ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (बमदम) : उन्हें कर चोरी करने वालों को मदद करने दीजिए । इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप चुप होकर बैठ जाइए ।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर क्या आपत्ति हो सकती है ? वास्तव में हर आपत्ति जिसे मैं सुन रहा हूं, उससे केवल मेरी यही आशंका पुष्टि होती है कि यह सरकार इन लाभों को एक विशिष्ट सुविधा प्राप्त वर्ग को देना चाहती है और वास्तव में गरीब लोगों का ध्यान नहीं रख रही है (व्यवधान) । मैं झुकने वाला नहीं हूं ।

[हिन्दी]

श्री राम धन (लालगंज) : उपाध्यक्ष जी, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है, आप पहले सुन लीजिए । (व्यवधान)

मैं आपको बता रहा हूं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुनिये तो (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता । बैठिये, बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री राम धन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि विपक्ष के नेता ने कहा कि ओब्जैक्शन है । इनटरप्ट करना किसी भी सदस्य का अधिकार है, इन्टरपशन हो सकता है ।

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा) : यह क्या है ? वह कह रहे हैं कि अध्यक्ष के कार्य में बाधा डालने का उनका अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा ।

श्री आर० एम० राकेश (चैल) : मैं भी बाधा डालूंगा । यह मेरा अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हर कोई सदस्य बाधा डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा तो ठीक इसी तरह की स्थिति पैदा होगी । किसी भी सदस्य को बाधा डालने का अधिकार नहीं है । हर सदस्य को यही बोलने का अधिकार है । इस प्रकार का व्यवस्था का प्रश्न वास्तव में अव्यवस्था का प्रश्न है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं । यदि आप वास्तव में कोई बात पूछना चाहते हैं और यदि अध्यक्ष आपकी बात मान लें तो आप कोई बात पूछ सकते हैं । लेकिन व्यवस्था के प्रश्न की आड़ में बाधा मत डालें आप इस बात को ध्यान में रखें और यदि आवश्यक हुआ तो आप उत्तर दे सकते हैं । सदस्य, अन्य सदस्यों के प्रश्नों और वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए सक्षम हैं । यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब कोई सदस्य कुछ कह रहा हो और आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो सभा को नियन्त्रण में रखना बहुत कठिन हो जाता है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को मेरे पर छोड़ दीजिए । आप में क्षमता है, आपके पास समय है और यदि आवश्यक हुआ तो आप अन्य सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं । लेकिन वाद-विवाद में किसी तरह की बाधा या व्यवधान मत डालें आपसे मेरा यह अनुरोध है ।

(व्यवधान)

श्री खेमचंदभाई सोमा भाई चावड़ा (पाटण) : महोदय इस सभा की गरिमा और मर्यादा इस बात की अपेक्षा करती है कि जब विपक्ष के नेता श्री राजीव गांधी बोल रहे हैं और उन्हें बाधा पहुंचाई जा रही है तो उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी इनटैलीजैंस इस प्रकार से मत बताइए, आप अपने भाषण में बताइए ।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : श्रीमान मैं इस शर्त पर प्रधान मन्त्री के सामने झुक जाऊंगा। दूसरी ओर के सदस्यों ने बाधा डालकर मेरा कम से कम 25 मिनट का समय ले लिया है। यदि इसी प्रकार बाधा की जाती रही तो श्री उपेन्द्र और कांग्रेस के बीच में हुआ यह समझौता कि इसके बाद कुछ और कार्य किया जाएगा, पूरा नहीं हो पायेगा। यह बात अब पूरी तरह से साफ हो जानी चाहिए। मैं प्रधान मन्त्री के सामने झुक जाऊंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता कह रहे थे कि कुछ व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें लाभ क्यों दिया जा रहा है। असली मुद्दा समाज के सारे वर्ग, शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का है न कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों का। यही मुद्दा है। जब कोई वर्ग ऊपर उठ जाता है तो निःसंदेह उसमें से ऊपर उठ चुके लोगों को अलग किया जा सकता है। लेकिन जब सारा वर्ग गरीबी की रेखा से नीचे है और केवल एक प्रतिशत ही ऊपर उठा है। मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा तो यह है कि सारा वर्ग पर उठा है या नहीं।

श्री राजीव गांधी : मेरे विचार से माननीय प्रधान मन्त्री मेरी बात को बिल्कुल ही नहीं समझ पाये। बात वर्ग विशेष के भीतर की है। आप मदद किन लोगों की करना चाहते हैं ? क्या आप समाज विशेष के उन व्यक्तियों की मदद करना चाहते हैं जो पहले ही अच्छी हालत में हैं ?

एक माननीय सदस्य : ऐसे कितने लोग हैं ?

श्री राजीव गांधी : मैं इस बात का उत्तर दूंगा कि कितने लोग हैं। यदि संख्या नाममात्र हो या एक, दो है तो अब आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप 42 या 43 करोड़ लोगों में से केवल दो को अलग कर रहे हैं। फिर आपको आपत्ति किस बात पर है ? असल बात तो यह है कि अगर आप एक वर्ग की सहायता करना चाहते हैं तो वह सबसे गरीब व्यक्ति को मिलनी चाहिए। मैं इस बात की सिफारिश करता हूं,...

[हिन्दी]

श्री राम धन : इनके बच्चों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी इनके घर में चली गई।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यक्तिगत आक्षेप मत कीजिए। यह ठीक नहीं है ?

श्री राजीव गांधी : क्या मैं यहां नियमों का उद्धरण दे सकता हूं (व्यवधान)। आपकी अनुमति हो तो अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाए। श्री राम धन ने यह कहा है कि वक्ता की बात की व्याख्या करना सदस्यों का अपना अधिकार होता है। क्या मैं नियम 349 (2) पढ़ सकता हूं ?

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : हो गया।

श्री राजीव गांधी : मैं राम धन जी के लिए सुना रहा हूं। वह सुन लें और समझ लें। (व्यवधान)

रूलिंग तो तीन बार कर चुके हैं। जैक इन दो बॉक्स की तरह कूदता जाता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

नियम बताता है :

"जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से कोई सदस्य बाधा नहीं डालेगा।"

[हिन्दी]

राम धन जी समझ लिया—(व्यवधान)—अब तो स्टेपनी बैठ जाये, असली चीज हो गई है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विपक्ष के नेता को अपना भाषण करने दो। मैं अनुरोध करता कि व्यवधान न डाला जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी यह ठीक नहीं है। आप भी पीठासीन अधिकारी की कुर्सी पर बैठते रहे है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : ऐसे किसी उपाय का लाभ सम्पन्नता प्राप्त लोगों को नहीं जाना चाहिए। बल्कि ऐसे लाभ भूमिहीन श्रमिकों, कुलियों, रिक्शे वालों, नाइयों और धोबियों आदि को पहुंचना चाहिए जो निश्चय ही हमारे समाज में कम सुविधा प्राप्त लोग हैं। और जब तक कि आप ··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन केवल झाड़ू वालों के लिए रहे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : एक बात और (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन : धोबी तो शेड्यूल्ड कास्ट है, बैकवर्ड कहां है ।

श्री राजीव गांधी : मुसलमान धोबी भी होता है, रामधन जी, आपको मालूम नहीं होगा । (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, यह न केवल ऐसे कम सुविधा प्राप्त लोगों को तथा उन जैसे अन्य वर्गों के लिये होना चाहिए बल्कि यह सभी धर्मों के उन लोगों के लिये भी होना चाहिए जो कम सुविधा प्राप्त हैं और यही ऐसा मुद्दा है जिस पर मेरा सरकार से गम्भीर मतभेद है । वे अधिकांशतः सिर्फ जाति को ही आधार मान कर चल रहे हैं । (व्यवधान)

केवल इतना ही नहीं है उन्होंने ऐसे बहुत बड़े अल्पसंख्यक वर्गों को भी शामिल नहीं किया है जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए । यदि आप मुसलमानों को देखें तो भारत में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से हर जगह पिछड़ा हुआ है । यही सच्चाई ईसाईयों के साथ भी है । सिखों के बारे में भी ऐसा ही है जो बहुत सीमा तक तो ठीक स्थिति में हैं परन्तु फिर भी उनमें ऐसे वर्ग हैं जो पूरी तरह खुशहाल नहीं हैं । अधिकाशतः सभी धर्मों के लिए यह सच है कि उनमें ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं । उन्हें क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए ? सरकार को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए । देश इस बारे में जानना चाहता है ।

दूसरा मुद्दा जो हमारा एक राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए, वह यह है कि जाति विहीन समाज है । संविधान अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बीच पूरी तरह से अन्तर स्पष्ट करता है । हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा अन्तर क्यों किया था ? उनके मस्तिष्क में कुछ न कुछ बात जरूर थी । आज हम उस अन्तर को क्यों समाप्त कर रहे हैं ?

मैं आपके साथ सहमत हूं कि वास्तविकता यह है कि इस देश में जात-पात का बहुत बड़ा स्थान है । मैं इस बात से इन्कार नहीं करता, परन्तु हमारा उद्देश्य क्या है ? क्या हमारा उद्देश्य एक जाति विहीन समाज बनाना है ? यदि हमारा उद्देश्य एक जाति विहीन समाज बनाना है तो निश्चय ही हमें हर कदम जो हम उठाते है—हो सकता है कि हमने भूतकाल में गलतियां की हो और मैं स्वयं को भी उसमें शामिल कर रहा हूं···(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हालांकि आप निश्चित नहीं हैं ।

श्री राजीव गांधी : मैं इस वाद-विवाद को एक उच्चस्तरीय और गम्भीर बनाने का प्रयास कर रहा हूं । मैं कोई हल्की-फुल्की बात नहीं कह रहा हूं और मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि यदि विशेष रूप से वामपंथी दलों के सदस्य गठजोड़ करने से काफी पहले तक वे बहुत जिम्मेदार सदस्य थे, सिद्धांतवादी सदस्य थे और जो किन्हीं बातों में विश्वास रखते थे···

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमारी जिम्मेदारी की भावना के कारण ही हम आप को वहां बैठा देख रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : जो कुछ आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप तो हमेशा से वहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दरअसल विपक्ष के नेता का यह आत्मघोषित बचपना है। वह यह नहीं समझते कि वह वहां क्यों हैं, जबकि इससे पिछले सदन में उनके 450 सदस्य थे। किस तरह से गरीब लोग कांग्रेस पार्टी से विरक्त हुए थे, लोगों ने उनमें अपना विश्वास क्यों खो दिया? वह इस बारे में अपने आप से नहीं पूछते। मैं यहां पर हूं या नहीं, वहां होऊं या नहीं। मैं तो इस देश के आम लोगों के लिए निर्धन लोगों के लिए और संघर्षरत लोगों के लिये काम करता रहूंगा। हम उनके विरुद्ध हमेशा ही और हर जगह लड़ते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : माननीय सदस्य इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं और मैं उनकी बातों का खण्डन नहीं करना चाहता। परन्तु जबकि हम लोगों का विश्वास खो चुके हैं उसके बावजूद हमें देश के 42 प्रतिशत लोगों का विश्वास प्राप्त है। आपने 5 प्रतिशत या 6 प्रतिशत की सीमा से कब आगे बढ़ पाये?

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु हमने कभी भी लोगों के साथ धोखा नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, आज हमारे उद्देश्य एक जाति विहीन समाज बनाने का होना चाहिए। हमें इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

वह मजा हो गया। आप थोड़ा चुप बैठिए न।

[अनुवाद]

महोदय क्या हमारा उद्देश्य अभी तक भी एक जाति विहीन समाज की स्थापना है? जब मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को बोलते हुए सुना तो मुझे थोड़ी चिन्ता हुई क्योंकि उन्होंने एक रेखा खींच दी है। मेरा ख्याल है कि जो रेखा उन्होंने खींची है बहुत बारीक हो सकती है; या जैसाकि मेरे मित्र कह रहे हैं यह एक टूटी रेखा भी हो सकती है। यदि आप एक जाति विहीन समाज में विश्वास रखते हैं तो जो कोई भी आप बड़ा कदम उठाना चाहें, वह ऐसा होना चाहिए कि आप एक जाति विहीन समाज की ओर ही बढ़े और आप ऐसा कोई कदम न बढ़ायें जिससे कि समाज जाति प्रथा की ओर बढ़ जाये। दुर्भाग्यवश जो कदम आज आप उठा रहे हैं और जिस तरीके से आपने यह कदम उठाया है वह एक जातिवाद का फार्मूला ही है। हालांकि इस बात को मानते हुए भी कि जाति प्रथा एक सच्चाई है, हमें उस फार्मूले को प्रभावहीन करना चाहिए और इसमें कुछ खींच और खींच कर इस फार्मूले को समाप्त कर देना चाहिये ताकि कम से कम हम जातिवाद के इस फार्मूले से थोड़ा बहुत हटना तो शुरू कर दें। यहीं मैं यह महसूस करता हूं कि वामपंथी दल अपनी जिम्मेदारी

को नहीं निभा रहे हैं और आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसा करना आपके अधिकार में है। क्या यह आपके अधिकार में नहीं हैं ? थोड़ा-सा दबाव बढ़ाकर थोड़ा बहुत शिकंजा कसकर यह सब किया जा सकता है।

इसलिए आपको यह करना है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाहे वामपंथी का प्रभाव आप पर हो या न हो, उनका प्रभाव वर्तमान सरकार पर अवश्य है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : वास्तव में यही बात मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिये यदि वर्तमान सरकार जातिवाद की दिशा में कार्य करती है तो आंशिक रूप से आप भी इसके लिये जिम्मेदार हैं। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप इससे बच नहीं सकते। मैं यहां प्रधान-से विशेष रूप से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या वे जातिविहीन समाज में विश्वास करते हैं। यह एक विशेष प्रश्न है "क्या आप व्यक्तिगत रूप से भारत जैसे विकासशील देश के ध्येय के रूप में जाति विहीन समाज में विश्वास रखते है।" (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इसका उत्तर अब नहीं, बाद में दूंगा, आप अपनी बात कहना जारी रखिए। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, यह एक विशेष प्रश्न है वे इसका उत्तर दे सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : बीच में तो जवाब दूसरी चीजों का दे दिया। सवाल उठा दिया, ऐसे स्पष्ट सवाल का जवाब नहीं दे सकते।

[अनुवाद]

महोदय, इसी बात का मुझे डर था। प्रधानमन्त्री में इतना साहस नहीं कि वे यह बतायें कि जातिविहीन समाज में विश्वास करते हैं या नहीं।

महोदय, यह बड़े दुःख की बात है।

महोदय, राजा साहिब एक बार फिर जाति को हमारे समाज में ला रहे हैं। वे यह सुनि-श्चित कर रहे हैं कि इस कार्य से जाति व्यवस्था समाप्त न हो जाये और जाति के मुद्दे पर वे अड़िग हैं। (व्यवधान)

श्री राम धन : कौन-से राजा साहिब ? (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, श्रीमान, यह सरकार जातिवाद में निहित स्वार्थ पैदाकर रही है और इसके लिए देश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जाति की उनकी परिभाषा··· (व्यवधान)

7.00 म० प०

महोदय, मैं राजा साहिब से अनुरोध करता हूं कि वे जाति के मसले को इस तरह न लटकायें बल्कि जाति की परिभाषा को विस्तृत बनायें। पहले सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़े लोगों या पिछड़े समूहों—आप कुछ भी कहें—को शामिल करें और ये हिन्दू धर्म में ही अन्य जातियों से होने चाहिएं और फिर इसका विस्तार अन्य धर्मों की, अर्थात्, मुसलमानों, ईसाईयों, सिक्खों, बौद्ध, पारसियों, तथा अन्य धर्मों से आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करें। सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े उन सभी वर्गों को पहले····(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : एंगलो इंडियन रह गया न।

श्री राजीव गांधी : हां, एंगलो-इंडियन भी...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझसे जाति के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछा गया था और मैं सीधे उसका उत्तर देना चाहता हूं····(व्यवधान) यह समाप्त हो गया····(व्यवधान)····मैं जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करना चाहता हूं कि आप मुझे नहीं सुनेंगे लेकिन जवाहर लाल नेहरू को सुनेंगे। कृपया आप पंडित जवाहर लाल नेहरू का निरादर न करें उन्होंने संसदीय दल की एक बैठक में जातिवाद के बारे में आपकी ही तरह बात की थी और उन्होंने उसकी निन्दा की थी जैसी की उन्हें करनी चाहिए थी लेकिन बात वहीं है। उन्होंने कहा था कि भारत में हिन्दूओं में आधा दर्जन या लगभग दस तथाकथित श्रेष्ठ जातियों का प्रभुत्व है (व्यवधान) इसमें कोई संदेश नहीं है। और यदि मैं जातिवाद को समाप्त करने के बारे में कुछ कहता हूं तो आप यह न समझें कि मैं वर्तमान वर्गीकरण को बढ़ावा देना चाहता हूं जैसाकि ऊपर के कुछ लोग और कुछ नीचे के ऐसा समझते हैं। तो जवाहर लाल ने यह कहा था। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : श्रीमान्, मैं माननीय प्रधानमन्त्री को बताना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू ने जो कुछ कहा था उसके बारे में मुझे इनसे ज्यादा जानकारी है (व्यवधान)

महोदय, प्रश्न बहुत विशिष्ट था। क्या प्रधानमन्त्री जातिविहीन समाज में विश्वास रखते हैं या नहीं मैं यह नहीं जानना चाहता कि पंडित जी का क्या विचार था मैं—यह जानना चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री किस बात में विश्वास रखते हैं/मेरे विचार में इस बारे में सोचने में प्रधानमंत्री ने दस या 12 मिनट—पता नहीं सही समय कितना लगा–लगा दिए हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि कहीं इस समय का हिसाब मन्त्रीमण्डल सचिवालय में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगाया गया है या नहीं (व्यवधान) मैंने देखा है कि जिस कागज से माननीय प्रधानमन्त्री ने यह बात पढ़कर सुनायी है वह उन्हें पीछे से दिया गया था। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (बंकुरा) : यह उद्धरण मंडल आयोग की सिफारिशों में से ही है। उन्होंने उसी में से ही पढ़ा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : क्या आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है ?

श्री राजीव गांधी : मैंने मंडल कमीशन को पढ़ा है इतना आपने भी नहीं पढ़ा होगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमन्त्री ने इस बात को अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वे जातिविहीन समाज में विश्वास रखते है या नहीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। न केवल आपकी संतुष्टि के लिए बल्कि सभा की संतुष्टि के लिए स्पष्ट कर दिया है। इसलिए कृपया आगे चलें। रिकार्ड की तरह बार-बार एक ही लाइन पर न अटके रहें।

श्री राजीव गांधी : मैंने प्रधानमन्त्री का यह तर्क मान लिया था और अपनी बात जारी रखी थी। लेकिन, वह स्वयं ही स्पष्ट करना चाहते हैं अतः उन्होंने ही इस मुद्दे को शुरू किया है मैंने नहीं। प्रधानमन्त्री की बात को स्वीकार करते हुए हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे मैं यह बात उन्हीं पर छोड़ता हूं। यदि इस वाद विवाद के दौरान कोई और शुभ घड़ी आये तो हम इस बात का स्वागत करेंगे कि वे खड़े हों और कोई अन्य उत्तर दें जो पहले दिए गए उत्तर से अधिक पूर्ण उत्तर हो। क्या मैं प्रधानमन्त्री से एक विशेष प्रश्न पूछ सकता हूं ? ···(व्यवधान)

मैं मंडल आयोग की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं··· (व्यवधान)

राजा साहिब ने यह बताने से इन्कार कर दिया है कि वे जाति व्यवस्था में विश्वास करते है या नहीं। क्या मैं उनसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूं ? (व्यवधान) मेरे विचार में राजा साहिब ने कई बार ऐसा कहा है कि वे मंडल आयोग की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने जा रहे हैं और ऐसा थोड़ा-थोड़ा करके होगा लेकिन पूर्ण रूप से होगा। ऐसा उन्होंने कई बार कहा है।

मैं यहां एक वाक्य पढ़ता हूं और एक बार फिर विशेष रूप से राजा साहिब से पूछता हूं कि इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, बैठ जाइए। उनको अपनी बात कहने दीजिए।
(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : श्री मंडल ने पैरा 12.11 में हिन्दू धर्म से इस्लाम, ईसाई तथा अन्य धर्मों में आने वालों के बारे में उल्लेख किया है। मैं उस पैरा का एक अंश पढ़कर सुनाता हूं :

"इसका परिणाम यह हुआ कि जिन हिन्दुओं ने धर्म परिवर्तन किया वे इस्लाम जैसे उच्च समतावादी धर्मों में गलती से जाति प्रथा के प्रतिनिधित्व करते रहे····।"

क्या प्रधानमन्त्री यह विश्वास करते हैं कि जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है वे इस्लाम में हिन्दु धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं ? मैं इस सम्बन्ध में उनका उत्तर चाहता हूं।

सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को वास्तविक लाभ प्रदान करने के लिये उन्हें उनमें से ऐसे लोगों को अलग करना होगा जिन्हें इस सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत आवश्यक है।

इस सदन में मंडल कमीशन रिपोर्ट पर कांग्रेस शासन के दौरान कोई कार्यवाही न किये जाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हमें कहा गया पिछले दस सालों से यह प्रतिवेदन पड़ा रहने ही रहा, इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई; कांग्रेस दल इस दिशा में क्या कर रहा था ?

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस दल सो रहा था।

श्री राजीव गांधी : नहीं, हम सो रहे थे।

ऐसी किसी नीति को लागू करने के पहले, जिसमें ज्यादा सामाजिक फेर बदल की संभावना हो, उसके लिए सर्वप्रथम आधार तैयार करना आवश्यक होता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप तो इसकी जड़ खोद रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : पहले मुझे अपना भाषण समाप्त करने दें, फिर आप समझ पाएंगे। आप भी समझ जाएंगे। मैं इसे इतनी सरल भाषा में कहूंगा कि आपको भी इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

ठीक है, मैं इसे नहीं कहूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त का उद्धरण दूं तो उन्होंने भी ठीक वैसा ही कहा है। "आपको कोई ऐसा कदम उठाने के पहले आधार तैयार करना चाहिए।" इस सरकार ने ऐसा कोई आधार तैयार नहीं किया। हो सकता है कि हमसे गलती हुई हो और हमने इसमें ज्यादा वक्त लिया हो। परन्तु हमने इस सम्बन्ध में अनेक मन्त्री मंडलीय बैठकें की थी जिसमें प्रधानमन्त्री उस समय कैबिनेट में होने के नाते, इसमें सम्मिलित थे। मुझे स्मरण नहीं पड़ता कि उस समय उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई जोरदार टिप्पणी की हो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आधार तैयार करने में, आप अपना आधार खो बैठे हैं।

श्री राजीव गांधी : अब मैं इस प्रतिवेदन के दूसरे पहलु पर आता हूं जिसमें इसे लागू करने के लिये हमारे समक्ष समस्या इसलिये थी कि हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में सबसे कमजोर और सबसे गरीब लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में सहायता पहुंचाना चाहते थे —जिससे कि उन्हें इसका लाभ मिल सके। मेरा तीसरा मुद्दा मंडल कमीशन रिपोर्ट से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों से है। मंडल कमीशन रिपोर्ट में अनेक असंगतियां है और मैं इस सदन को इसकी कुछ असंगतियों से अवगत कराना चाहूंगा।

सर्वप्रथम, इस रिपोर्ट को तैयार करने का वैज्ञानिक आधार क्या था क्योंकि ऐसे किसी रिपोर्ट के लिये व्यापक आधार होना जरूरी होता है ? मैं कुछ उद्धरण पेश करना चाहूंगा। मैं इन उद्धरण

को बाहर या कहीं और से दर्शाने नहीं जा रहा हूं। मैं इस प्रतिवेदन से ही उद्धृत करने जा रहा हूं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : गलत उद्धरण के लिये।

श्री राजीव गांधी : नहीं, मैं कोई गलत उद्धरण पढ़ने नहीं जा रहा हूं। इससे पता चलता है कि उत्तर देने में कुछ कठिनाईयां है मेरा आशय यह नहीं है कि रिपोर्ट बेकार है। इस रिपोर्ट में कई अच्छी बात कहीं गई है किन्तु साथ ही इसमें कुछ असंगतियां भी हैं। हमें उन्हें समझना चाहिए। सर्वप्रथम हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मंडल कमीशन रिपोर्ट काका साहेब कालेलकर आयोग के बारे में क्या कहता है।

काका साहेब कालेलकर रिपोर्ट सरकार को सुपुर्द करने के बाद, सरकार ने पैरा 1.9 में जो कहा है उसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, सरकार सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिये "कुछ साकारात्मक और व्यावहारिक उपाय" करना आवश्यक समझती है।"

काका साहेब कालेलकर रिपोर्ट में यह समस्या थी और श्री मंडलयी का प्रथम कर्त्तव्य इस समस्या का समाधान करना था। श्री मंडल ने इस समस्या के समाधान के लिये क्या किया ? इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने पैरा 1.17 में कहा है : ऐसे तो उपरोक्त त्रुटियां गम्भीर है फिर भी इस रिपोर्ट की वास्तविक कमजोरी वे काका साहेब कालेलकर की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे— आन्तरिक असंगतियों में निहित है।" श्री मंडल की श्री कालेलकर रिपोर्ट के बारे में यहीं टिप्पणी है। तत्पश्चात उन्होंने क्या किया ? श्री मंडल उससे अच्छी रिपोर्ट के लिये कृतसंकल्प थे। उन्होंने अपने पैरा 3.1 में कालेलकर रिपोर्ट की खामियां का जिक्र किया और फिर पैरा 3.2 में निश्चयापूर्वक इसका उल्लेख किया। पैरा 3.1 में वह कहते हैं ऐसा किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक बहुत बड़ा कार्य एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मेरे विचार से सदन को उस आधार को समझना चाहिए जिसके तहत यह कदम उठाया गया है। पैरा 3.1 में कहा गया है :—

> "काका साहेब कालेलकर रिपोर्ट की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के वर्गीकरण में निष्पक्ष परीक्षण और उचित मानदण्ड का अभाव था....."
>
> "...कुछ राज्य सरकारों द्वारा जारी आरक्षण आदेश के विरोध में दायर किये गये अनेक याचिकाओं को मद्दे नजर रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन या अन्य पिछड़े वर्गों के पहचान हेतु आनुभाविक पहल की अनिवार्यता पर बल दिया है।"

दूसरे पैरा में, उन्होंने अपने कर्त्तव्य की चर्चा की है।

> "अपनी कार्य योजना में आयोग ने उपरोक्त आवश्यकताओं को लगातार ध्यान में रखा है।"

इसका आशय है कि उन्होंने वास्तव में इसे अपना मुख्य कर्तव्य समझा है। इसके समाधान हेतु वह प्रयत्नशील रहे। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट और प्रशसनीय है। लेकिन क्या हुआ? क्या मंडल आयोग ने अपनी उपलब्धियों को ठोस आधार दे सका? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। अन्यथा, ये सारी संख्या कहां से आयी?

महोदय, मंडल आयोग में तीन महत्वपूर्ण समाजशास्त्री—प्रो० बी० के० रॉय बरमन, प्रो० श्री निवास और प्रो० जोगेन्द्र सिंह शामिल थे। मंडल आयोग रिपोर्ट की प्रस्तावना में उनके सहयोग के लिये धन्यवाद किया गया है। लेकिन हाल ही में समाचार पत्रों से यह मालुम हुआ कि उन्होंने इस सम्मान को लेने से इन्कार कर दिया था और स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें आयोग द्वारा जांच में भाग लेने का वास्तविक अवसर नहीं प्रदान किया गया। (व्यवधान)

इस आयोग में शामिल तीनों महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीयों ने आज कहा है कि उन्होंने इस आयोग में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। तब, इस आयोग ने सूचना कहां से प्राप्त की? इसके लिये एक अनुसंधान और आयोजना दल का निर्माण किया गया था ,जो केवल तीन दिन ही बैठक कर सकी।

मैं पैरा 11.3 पढ़ता हूं जिसमें यह कहा गया है :

"समाजशास्त्रीयों के एक अनुसंधान आयोजना दल की बैठक 12 से 14 जून, 1979 तक दिल्ली में उन अध्ययनों और अनुसंधानों की योजना तैयार करने के लिये हुई जो पिछड़ा वर्ग आयोग को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिये वैज्ञानिक और वस्तुपरक ढंग से निर्धारित करने के लिये, करने थे।"

इसके अलावा वे कहते हैं कि यह रिपोर्ट के पीछे दिया गया है (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : इसकी क्या-क्या विसंगतियां है?

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : अगर सुनोगे तो समझोगे, अगर सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे।

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : महोदय, इस रिपोर्ट का 90 प्रतिशत सदस्यों ने अध्ययन नहीं किया है और वे लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : मैं इसे फिर से पढ़ूंगा। इस दल का कार्य मुख्य रूप से अध्ययन की योजना तैयार करना था—केवल अध्ययन ही करना नहीं अपितु अध्ययन की योजना तैयार करना था। उन्होंने अध्ययन नहीं किया। इस दल से पुनः कभी भी परामर्श नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, श्रीनिवास पैनल मात्र तीन दिनों के लिये ही बैठक की। इस तरह, अनुसंधान दल तीन दिन बैठक किया और श्री निवास दल पांच दिनों का बैठक किया।

पैरा 11.4 "बाद में प्रो० एम० एन० श्रीनिवास की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक पैनल की बैठक 16 से 20 जुलाई, 1979 तक अर्थात् पांच दिन के लिए दिल्ली में हुई

और विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् अनुसूचियों, नकली सारिणियों, अनुदेशों, आदि के एक सैट के साथ सर्वेक्षण की पूरी रूपरेखा तैयार की गई।"

इस प्रकार एक मायने में इन दो दलों ने यह निर्धारित किया कि आयोग को क्या करना है। अब हमें यह देखना है कि आयोग ने वास्तव में इसके बारे में क्या किया क्योंकि इसके बाद इन दलों से कभी भी परामर्श नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि इन पांच दिनों के सिवाय इस प्रतिवेदन के साथ किसी विशेषज्ञ, किसी समाजशास्त्री को शामिल नहीं किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक स्पष्टीकरण चाहिए। अब विपक्ष के नेता गम्भीर खामियों का उल्लेख कर रहे हैं, उनके अनुसार प्रतिवेदन में कमियां हैं। उनकी सरकार ने इस प्रतिवेदन को अस्वीकार क्यों नहीं किया ? (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

एक माननीय सदस्य : यैस, यैस।

श्री राजीव गांधी : अरे, तुम भी मिनिस्टर थे, अब यैस-यैस कर रहे हो।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : हर रोज चेंज करते थे, इसलिये आपको याद नहीं कि कौन था ?

[**अनुवाद**]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : याददाशत की कमजोरी है ? (**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : श्रीमान्, हम बहुत अधिक समय ले रहे हैं क्योंकि व्यवधान हो रहा है। इस समिति की दुबारा कभी बैठक नहीं हुई और इससे फिर कभी सलाह नहीं ली गई। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह प्रतिवेदन बेकार है और इसे फैंक दिया जाना चाहिए, बल्कि मेरा कहना यह है कि इस प्रतिवेदन में कई सारवान बातें हैं और आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस पर चर्चा किये या वाद-विवाद किये बिना यह पर्याप्त नहीं है। इसकी और अधिक जांच किये जाने की आवश्यकता है। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने दस साल तक क्या किया ?

श्री राजीव गांधी : दस सालों को भूल जाईये। हमने गलती की। आपको घोषणा करने से पूर्व कम से कम इस प्रतिवेदन को पढ़ लेना चाहिए था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं ?

श्री राजीव गांधी : इस समिति को विशेषज्ञ सलाह केवल एक दफ्तरशाह, केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली तकनीकी सलाहकार समिति और एक व्यावसायिक सीख्यकीविद से प्राप्त हुई है (**व्यवधान**) न कि किसी समाजशास्त्री से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे समाज की समस्याओं का ज्ञान हो और यह पता हो कि उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।

श्री निर्मल कांन्ति चटर्जी : वह जानते हैं कि एक सांख्यकीविद कैसे कार्य करता है। (**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : यह बौद्धिक स्तर था जिस पर आंकड़े प्राप्त किये गये हैं और उन्हें व्यवस्थित किया गया है। यही बौद्धिक जानकारी थी जो इसमें शामिल की गई। लेकिन आंकड़े क्या है; एकत्र किये गये आंकड़ों का स्वरूप क्या है ? मैं अपनी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं बल्कि यह एक विषयपरक टिप्पणी है। मैं श्रीमान मंडल का ही एक उद्धरण दे रहा हूं कि वह एकत्र और प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के बारे में क्या सोचते हैं। पहले पैरा 3.15

[हिन्दी]

श्री राम धन : कांग्रेस पार्टी रिजेक्ट कर दे।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : पैरा 3.15 में 1891 तथा 1913 के लागत सूचकांक के आधार पर यह कहा गया है :

> "1891 और 1931 की जनगणना के आधार पर आंकड़े एकत्र किये गये और उनका विश्लेषण किया गया ताकि पारम्परिक व्यवसायों का जाति के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक ढांचा प्राप्त हो सके।"

अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ? हम उन आंकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो 100 वर्ष या 60 वर्ष पुराने हैं। क्या वे आंकड़े आज संगत हैं ? क्या हम वास्तव में 1891 और 1931 के आंकड़ों के आधार पर 1990 में कोई निर्णय ले सकते हैं ? या इसमें कुछ और बेहतर किये जाने की आवश्यकता है ?

यह कहते हैं कि आयोग ने सोचा कि वे आंकड़े अपर्याप्त हैं और उन्होंने स्वयं कहा कि उन्होंने तीन तरीकों पर भरोसा किया क्योंकि एकत्र किये गये आंकड़े बहुत उपयोगी नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने स्वयं उन्हें आरम्भ में अस्वीकार कर दिया था। अपनाये गये तीन तरीके इस प्रकार हैं : (1) विभिन्न प्राधिकारियों को भेजी गई प्रश्नावलियां; (2) सामाजिक शैक्षिक क्षेत्र सर्वेक्षण (जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, वह सर्वेक्षण का स्वरूप है); और (3) दौरे तथा जनता और विशेषज्ञों के साथ आपसी बातचीत। प्रश्न यह है कि उन्हें जो आंकड़े मिले, वे इतने समर्थनकारी नहीं थे। मैं पैरा 9.4 से उद्धरण देना चाहता हूं जो यह बताता है कि श्री मंडल और उनका आयोग राज्य सरकारों से आने वाले आंकड़ों के स्वरूप के बारे में क्या सोचते थे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

थोड़ा आप भी समझ लें, देख लें, क्या प्राब्लम्ज हैं ?

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, आपने कहा था कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा 7.00 बजे तक ही होगी, उसके बाद लैजिस्टेटिव बिजिनैस लिया जायेगा। अगर अपोजीशन लीडर इसी तरह कोट करते रहेंगे तो कैसे दूसरा सब्जैक्ट लिया जा सकता है। जो आपने निश्चित किया था, उसका पालन होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अगर आप डिस्टर्ब कम करेंगे तो स्पीड बढ़ सकती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं पैरा 9.4 से पढ़ रहा हूं, जिसमें श्रीपान मंडल ने राज्य सरकारों से प्राप्त हुए आंकड़ों के स्वरूप के बारे में टिप्पणी की है।

"9.4 "यह देखकर निराशा हुई कि किसी भी राज्य ने अपेक्षित जानकारी नहीं दी।"

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा—"केवल एक, दो राज्यों ने आवश्यक ब्यौरा दिया है। कई राज्यों ने महत्वपूर्ण नीति के मसलों से सम्बन्धित बहुत आसान और सीधे सवालों का उत्तर देना भी ठीक नहीं समझा।" इस प्रकार राज्यों से नाममात्र के आंकड़े प्राप्त हुये। इसके अलावा उन्होंने पैरा 10.47 और 10.48 में यह कहा कि उन्हें आम जनता से क्या मिला। (व्यवधान) पैरा 10.47 में कहा गया है कि "आमतौर पर....." यह बहुत महत्वपूर्ण बात है आपको इसे सुनना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं सीरियस बात कह रहा हूं और तुम लोग मजाक कर रहे हो। (व्यवधान)

वह आपकी समस्या है लेकिन यह भी बहुत जरूरी बात है क्योंकि इसमें हमारा समाज डिवाइड हो रहा है, बंट रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कृपया पैरा 10.47 सुनिये। "आमतौर पर....." मैं चाहता हूं कि आप शांत रहें क्योंकि मेरे विचार से ये दो पैरे बहुत महत्वपूर्ण हैं। "आमतौर पर....." (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे वाद-विवाद को पूरा करने में हमारी मदद करें। मैं आपको यह बता दूं कि जैसा मुझे बताया गया है, प्रधानमंत्री भी उत्तर देने जा रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि मेरे पास समय रहा तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। हर कोई सदस्य विपक्ष और विपक्ष के नेता और भूतपूर्व प्रधान मंत्री के विचार जानना चाहते हैं। यह सभा और इससे बाहर के लोगों के हित में है कि उनकी बात सुनी जाए।

माननीय प्रधानमन्त्री यहां उपस्थित हैं। वह भी आपके प्रश्नों का जवाब देने जा रहे हैं अतः माननीय प्रधानमन्त्री और विपक्ष के माननीय नेता के भाषण को ध्यान से सुना जाना चाहिए। यदि आपका कोई मत्र है, और यदि इस मत्र को सदन में रखना चाहते हों तो आप रख सकते हैं। लेकिन मैं सदन में उचित वातावरण बनाये रखने के लिए आपका सहयोग चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कम से कम कुछ समय के लिये आप इसे गम्भीरता से क्यों नहीं लेते ?

श्री राजीव गांधी : पैरा 10.47 में कहा गया है, "आमतौर पर यह देखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का विचार···" यह व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है। "प्रत्येक अलग समूह और संघ के विचार उनके अपने वर्ग हितों के अनुसार थे तथा अन्य पिछड़े वर्गों को रियायतें देने का प्रश्न पर भावनात्मक रूप से विचार किये गये थे।"

इसका अर्थ यह है कि व्यक्तियों या संघों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे उन लोगों के पक्ष में हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तत्पश्चात वह कहते हैं :

> "यह स्वाभाविक था कि आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले ज्यादातर प्रत्यर्थी अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित थे।"

इसका यह मतलब है कि उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की वे समाज के अन्य विभिन्न वर्गों के विचार नहीं हैं।"

पुनः सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण की चर्चा करते हुए वह कहते हैं :

"अध्याय में इसका विस्तार से सूचीबद्ध कर उल्लेख किया गया है लेकिन यह सर्वेक्षण मात्र 810 गांवों में किया गया था।" नमूने के तौर पर कुल पांच लाख गांवों में से केवल 810 गांवों का सर्वेक्षण किया गया। रिपोर्ट की प्रमाणिकता को जांच के उद्देश्य से ऐसा करना उचित था। रिपोर्ट की प्रामणिकता के उद्देश्य से इतने कम गांवों को नमूने के तौर पर जांच करना उचित कदम है। लेकिन क्या इस सर्वेक्षण को ऐसी किसी सम्पूर्ण रिपोर्ट का आधार बनाना एक उचित कदम है ?

केवल इतनी बात ही नहीं किए जाने वाले सर्वेक्षण के बारे में विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिशों को आयोग द्वारा एकतरफा तौर पर नामंजूर किया गया और मनमाने ढंग से उसे अस्वीकार और परिवर्तन कर दिया गया। वह पैरा 11.10 और 11.15 में कहा गया है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या वह पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे···(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे यह नहीं समझते कि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं ·· (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, पैरा 11.10 में उस सामाजिक—शैक्षणिक अध्ययन का उल्लेख जो किया गया था; इस पैरे में बताया गया है :

> "विशेषज्ञों के पेनल ने यह सिफारिश की थी कि पिछड़े वर्ग की बहुलता का पता लगाने के लिये जिला स्तर पर 1% उद्देश्यपूर्ण गांवों का सर्वेक्षण किया जाये।"

यह विशेषज्ञों का दल था जो मात्र कुछ दिनों के लिये कार्य किया। उन्होंने नमूने के तौर पर एक प्रतिशत गांवों का सर्वेक्षण हेतु सुझाव किया था।

यह सूत्र (फार्मूला) बदल दिया गया। पैरे में इससे आगे यह कहा गया है :

> "केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के महानिदेशक की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति की एक परवर्ती बैठक में···"

इस नियम को बदल दिया गया। इसमें कहा गया है :

"...यह निर्णय किया गया कि हमारे प्रयोजन से हमारे देश की जनसंख्या का 1% का नमूना जो कि 65 लाख व्यक्ति बैठता है, वह बहु अधिक है ..."

इसमें बताया गया है कि उन्होंने मनमाने ढंग से प्रत्येक जिला के दो गाँव और एक शहरी खंड का चयन किया। इसका तात्पर्य है कि विशेषज्ञों और समाजशास्त्रीयों ने जो सुझाव दिये थे उनको पूर्णतया बदल दिया गया और उसके स्थान पर एक भिन्न मानदण्ड निर्धारित किया गया। इस तरह हम इस प्रकार के किसी सर्वेक्षण के परिणामों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं।

महोदय, कनिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा यह सर्वेक्षण किया गया था, जिसके बिना किसी उच्च अधिकारी या जाने माने समाजशास्त्रीयों द्वारा पर्यवेक्षण या जाँच या प्रमाणित किये बिना ही किया गया था। यही हमारे आंकड़ों का आधार है।

वास्तव में मंडल आयोग ने स्वयं पैरा 11.2 में यह स्वीकार किया है, और कहता है :

अन्त में, इस बात पर बल दिया जा सकता है कि सर्वेक्षण को कोई शैक्षिक अनुसंधान होने का दावा नहीं किया गया है इसका सर्वेक्षण सरकार के प्रशासनिक तंत्रों द्वारा किया गया है .... और ये सभी बातें प्रत्यक्षत: किसी तकनीकी रूप से सुदृढ़ और शैक्षिक दृष्टि से संतोषजनक कार्यों की आवश्यकताओं के विपरीत हैं।

उन्होंने स्वयं कहा है कि यह कार्य न तो वैज्ञानिक है, न तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ और न ही और न ही शैक्षिक दृष्टि से संतोषजनक है। स्वयं द्वारा एकत्रित अपने आंकड़ों के बारे में आयोग का यह विचार है। अध्याय 3.9 में मंडल आयोग ने क्या कहा है ? एक समस्या यह थी कि जब आयोग स्वयं गांवों में जाकर वहां की वास्तविकता का अध्ययन करना चाहता था। उसमें केवल उन गांवों का दौरा किया जबकि सर्वेक्षण में 810 गांवों का सर्वेक्षण है मुझे विश्वास है कि इस सभा में बैठे हुए, हममें से प्रत्येक सदस्य ने आयोग द्वारा दौरा किये गये गांवों के अपेक्षा सौ गुणा ज्यादा गांवों का दौरा किया होगा। अत: कुल 5.5 लाख गांवों में से आयोग ने 37 गांवों का दौरा कर यह आंकड़े संग्रह किये हैं। इन आंकड़े का आधार क्या है ? ऐसे निष्कर्ष निकालने के लिये क्या यह आंकड़े हैं ?

अध्याय 10 में आयोग में कोई भी विशेषज्ञ या अकादमिक मत उद्धृत करने में असफल रहा है। कहने का आशय यह है कि आयोग वैज्ञानिक और तकनीकी तर्क पर आधारित नहीं था। आयोग अप्रभावनीय और अवैज्ञानिक रहा है।

इसके बाद अल्पसंख्यक वर्गों का प्रश्न आता है। क्या उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है ? (व्यवधान) यदि आप अल्पसंख्यक के हितों के लिये इच्छुक नहीं है, तो ऐसा स्पष्ट कीजिये; अन्यथा चुप रहिए। अल्पसंख्यकों के बारे में आयोग क्या कहता है ? आयोग पैरा 12.1 में कहा है। "हिन्दुओं की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति तथा सवर्ण हिन्दू जाति के लोगों और समुदायों में से अन्य पिछड़े हिन्दू वर्ग के लोगों को अलग करने के पश्चात् इनकी जन संख्या 52 प्रतिशत बैठती है।"

सर्वप्रथम यहां भी एक समस्या है। आयोग ने अपनी सूची में जिन जातियों को शामिल किया है उनमें अनेक जाति सम्पन्न और अनुसूचित जातियां हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्री मंडल और उनके आयोग द्वारा जो आंकलन किया गया है उस 52 प्रतिशत में अनुसूचित जातियां तथा सम्पन्न जातियां भी शामिल है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें अनेक अनुसूचित जातियां सम्मिलित की गयी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल एक जाति—साहू इसमें शामिल की गयी है।

श्री राजीव गांधी : मुझे बताया गया है कि इसमें 13 21, 16 जातियां सम्मिलित है मैंने आंकड़े का स्वयं निरीक्षण नहीं किया है। अतः मैं इसको उद्धृत नहीं रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अनेक जातियां शामिल है।

मैं एक तथ्य जानता हूं कि इसमें ब्राह्मण, रेड्डी, वाकालिगास, कामास, लिंगायत, गोंडुर, चेक्कियार जातियां शामिल है। क्या ये पिछड़ी जातियां हैं ? क्या उन्हें सहायता की आवश्यकता है ? इस तरीके से 52 प्रतिशत का आंकड़ा तैयार किया गया है। अतः इस 52 प्रतिशत का भी एक प्रश्न है। बाद में उन्होंने इस आंकड़े को लेकर मनमाने ढंग से अल्पसंख्यकों पर लागू कर दिया। वह कहते हैं कि यदि 52 प्रतिशत हिन्दू लोग अन्य पिछड़े जातियों के हैं तो 52 प्रतिशत मुस्लिम लोग 52 प्रतिशत क्रिश्चियन, 52 प्रतिशत सिख और प्रत्येक धर्म के 52 प्रतिशत लोग पिछड़ी जातियों के होंगे। फिर इसमें क्या तर्क है ? मैं इसमें से पढ़ूंगा। लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के गैर-हिंदू लोगों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता। यह मान लिया गया कि मोटे तौर पर गैर-हिन्दुओं में अन्य पिछड़े वर्गों का अनुपात उतना ही है जितना की हिन्दुओं की जनसंख्या में है।

इसका आधार क्या है ? क्या इस सदन में बैठे हुए हम में से हर एक सदस्य इस बात को नहीं जानता कि कुल मिलाकर मुसलमान समुदाय, हिन्दू समुदाय से कहीं ज्यादा पिछड़ा हुआ है ? वे लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसके बावजूद हम वही फार्मूला मुसलमानों पर भी लागू करते हैं। इसे किस तरह लागू किया जा सकता है ? हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं ? इसे बदला जाना चाहिए।

इसके अलावा हिन्दुओं में अन्य पिछड़े वर्गों की गणना करते समय उन्होंने अनुसूचित जातियों को भी शामिल नहीं किया है। जब आपने ईसाइयों मुसलमानों, सिखों, आदि में अन्य पिछड़े वर्गों की गणना की तो निश्चित रूप से अनुसूचित जातियों का प्रतिशत भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए था। क्योंकि अनुसूचित जाति के उन लोगों को जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए हैं मुसलमान बन गये हैं, और जिन्होंने अन्य धर्मों को अपना लिया है, किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह लोग भी पिछड़े हैं ·····(व्यवधान)। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वे वास्तव में विश्वास करते हैं कि हिन्दू-पिछड़ेपन का पचास प्रतिशत का यह फार्मूला मुसलमान पिछड़ों के लिए भी 50 से 52 प्रतिशत तक लागू होना चाहिए। मैं वास्तव में इस बात को जानना चाहता हूं। क्या आप यह विश्वास करते हैं कि मुस्लिम जनसंख्या का केवल आधा हिस्सा ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है ? मैं इस बात पर आपको चुनौती देता हूं। मेरा ख्याल है कि हम इसी बात का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

.....रामधन जी, पौने आठ बज रहे हैं, अभी तक तो हो जाता.....(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) आप बाइण्ड अप तो करें, अभी बताते हैं।

श्री राजीव गांधी : आपके मैम्बर्स कह रहे हैं कि सारे मुसलमान बैकवर्ड हैं, आपकी लिस्ट में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्री गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं और मैं रिपोर्ट में से ही कुछ उद्धरण देता हूं कि वह मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं। मण्डल आयोग स्पष्ट रूप से बताता है कि भारत की कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग है; जिसमें हिन्दू और गैर-हिन्दू दोनों ही शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सर, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि आपने यह बहस शुरू होते समय यह कहा था कि 7 बजे तक यह बहस पूरी हो जायेगी और सात बजे के बाद दूसरा आइटम शुरू होगा। अब आपने कुछ समय दिया वह तो हम समझ सकते हैं लेकिन मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि जो कुल मिलाकर आज का प्रोग्राम तय किया है, उसके अनुसार हम नहीं जा रहे और जाते समय कोई एक दफा एक एक्सट्रैक्ट, दो एक्सट्रैक्ट्स दो पैराग्राफ पढ़े तो बात समझ में आ सकती है।

[अनुवाद]

लेकिन विपक्ष के नेता रिपोर्ट में से एक-दो पैरे उद्धृत कर सकते हैं परन्तु वे पैरे के बाद पैरे पढ़ते चले जा रहे हैं हमने रिपोर्ट पढ़ी है। हम इस बारे में उनकी टिप्पणी जानना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अड़ंगे लगाने वाली चालें चल रहे हैं। हमें समय का भी ध्यान रखना चाहिए। इस वाद-विवाद को सात बजे तक पूरा हो जाना है। 40 मिनट से अधिक समय बीत चुका है। कृपया समय का भी ध्यान रखिए।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : अब, उन्होंने जो गलतियां की थीं, उसे महसूस कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : महोदय, सच्चाई तो यह है कि अल्पसंख्यकों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिल पाया है। माननीय सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि सभी अल्पसंख्यकों को पिछड़ों के रूप में गिना गया है। मैं ऐसा नहीं समझता

कि जो दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गये हैं उसके अनुसार यह बात सही है ·····(व्यवधान) सच्चाई यह है कि इस सरकार ने तिकड़में लड़ा कर अल्पसंख्यकों को जानबूझकर इस आरक्षण से अलग रखा है। उन्होंने जानबूझ कर अल्पसंख्यकों को कोई भी लाभ उठाने से अलग कर दिया है। प्रधान मंत्री को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि वह किस तरह से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक समुदायों की सहायता करने जा रहे हैं।

दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि किस आधार पर मण्डल आयोग ने अपनी परिभाषा में जातियों की व्याख्या की है ? मण्डल आयोग ने किस तरह से संविधान की पुर्नव्याख्या करके पिछड़े वर्गों को पिछड़ी जातियों में परिवर्तित कर दिया है ? पैरा 10.4 में ···(व्यवधान)

[हिन्दी]

जरा सुनो, सुनने की चीज है।·····(व्यवधान)·····

अरे, इसी से तो चोट लगेगी तुम्हें।·····(व्यवधान) ····

[अनुवाद]

महोदय यह अध्याय 10 है। जनता द्वारा साक्ष्य है—पैरा 10.4····· पिछड़ेपन की परिभाषा करने वाले मानखण्ड: उत्तर देने वाले लगभग 78 प्रतिशत लोगों की यह राय थी कि जाति को एक मानदण्ड के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए परन्तु, 28 प्रतिशत लोग जाति को ही अकेले मानदण्ड के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में थे। उत्तर देने वाले केवल 28 प्रतिशत लोगों ने ही जाति को अकेले मानदण्ड के रूप में स्वीकार किया। 28 प्रतिशत ने कहा कि जाति एक मानदण्ड हो सकता है परन्तु अकेला मानदण्ड नहीं और फिर उन्होंने स्वय आगे कहा : उत्तर देने वाले ' लगभग 70 प्रतिशत लोग सामाजिक स्थिति; राजनैतिक प्रभाव, शैक्षिक योग्यताओं, आर्थिक स्तर, रोजगार की स्थिति आदि पर आधारित बहुपक्षीय मानदण्ड बनाने के पक्ष में थे। अन्य लोग निवास स्थान और वित्तीय स्थिति को शामिल करने के पक्ष में थे। मैं इस बात को एक पिछले उद्धरण से जोड़ना चाहता हूं जो मैंने दिया था, जहां आयोग ने यह कहा है कि उत्तर देने वाले अधिकांश लोग अन्य पिछड़े वर्गों के थे। इसलिए उत्तर देने वाले अधिकारी लोगों ने जो पिछड़े वर्गों के थे, यह कहा है कि वे जाति को अकेले मानदण्ड के रूप में नहीं चाहते·····(व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : हमें प्रसन्नता है कि वर्षों के बाद, आप आयोग की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं····(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : अरे, कम से कम सुन तो लो।

[अनुवाद]

महोदय, तब किस आधार पर इस सरकार और मण्डल आयोग ने जाति को ही अकेला मानदण्ड स्वीकार कर लिया ? इसके अलावा जानकारी एकत्रित करने का एक तरीका अपनाया गया।

मैं उद्धरण देना नहीं चाहता, क्योंकि स्पष्ट है कि उनकी समझ में यह बात नहीं आयेगी। फिर वही बात आती है। उन्होंने चार स्रोतों का इस्तेमाल किया है। एक तो वह स्वयं हैं। उन्होंने सामाजिक-शैक्षिक क्षेत्र सर्वेक्षण का हवाला दिया है। यह सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र सेवा क्या थी? इसके लिए वैज्ञानिक आधार कहां था? उन्होंने स्वयं ही इसकी विवेचना की है। उनकी दूसरी बात है जनगणना रिपोर्ट 1961 की जनगणना रिपोर्ट। इस जनगणना रिपोर्ट ने हमें क्या दिया है? वह स्वयं कहते हैं "जनगणना रिपोर्ट विशेष रूप से आदिम जातियों, आदि-कालीन जन-जातियों, वनों में रहने वाली जनजातियों, और आदिवासियों की पहचान के लिए" तीसरी बात है, 37 गांवों का दौरा करने के बाद प्राप्त व्यक्तिगत जानकारी 37 गांवों और उनकी व्यक्तिगत जानकारी से हमें यह सूचना मिलती हैं। चौथा स्रोत है; विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार की गई अन्य पिछड़े वर्गों की सूची। मेरा ख्याल है कि यह महत्वपूर्ण है कि मण्डल ने स्वयं ही अन्य राज्यों द्वारा तैयार की गई अन्य पिछड़े वर्गों की सूची के बारे में क्या कहा है **(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय कांग्रेस वाले भाग न जायें, बैठे रहें। प्राइम मिनिस्टर को सुन लें। दिल्ली का बिल ले लें, भाग न जायें, यह एश्योरेंस इनसे ले लें।...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्रीमान्; कृपया हमें इस अत्याचार से बचाइये जो मंडल आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है जिसे वह पढ़ रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : मैं आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने यदि और नहीं तो कम से कम सिफारिशों वाला अध्याय तो पढ़ा होगा। **(व्यवधान)** तो मैं आपसे सिफारिशों के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। **(व्यवधान)**। श्रीमान्, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे वाम-पंथी दलों को अवश्य सुनना चाहिए। श्रीमान् आयोग ने जाति पर आधारित चुनाव क्षेत्रों की विशेष सिफारिश की है। आयोग ने पैरा 13.37.4 में सिफारिश की है —"बेहतर प्रतिनिधित्व देने के लिए **(व्यवधान)** इन बातों को यूं ही न समझें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

आप इस देश का बंटवारा क्यों कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह इंपोर्टेंट मैटर है, हिन्दू कोड बिल की तरह, इस पर हम 5-6 घन्टे में डिसकशन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप नहीं बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कोई समय सीमा होनी चाहिए। यह क्या है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए हिन्दू कोड बिल जैसे इंपोर्टेंट मैटर पर अगर चर्चा होती है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मैं कहूंगा कि अगर जरूरी होगा तो हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के साथ बात करके, इसको कैसे निपटाना है, विचार करेंगे, मगर सबसे बड़ी अपोजीशन पार्टी के लीडर अगर इंपोर्टेंट विषय पर बोल रहे हैं और कास्ट सिस्टम पर इलेक्टोरेट करने की इसमें अगर रिकमण्डेशन है, ऐसे टापिक पर जिस पर महात्मा गांधी ने अपोज किया था, ऐसे टापिक पर अगर यहां चर्चा हो रही है तो क्या आप सुनना नहीं चाहेंगे, सिर्फ समय की कमी के लिए सुनना नहीं चाहेंगे ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो मैं आप सभी को इस पर बोलने के लिए अपने प्राधिकार के अनुसार समय दूंगा। लेकिन यदि ये विषय महत्वपूर्ण है, और यदि ये सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं आपसे कहूंगा कि कृपा करके ऐसा न करें। आप बहुत सहयोग देते रहे हैं और अब भी मैं आपसे यही आशा करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय तय कर दीजिए, 12 बजे तक या सारी रात बैठिये, इसके बाद प्रसार भारती और दिल्ली का बिल लाइये।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : पूरी किताब पढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : किताब नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम लोग यहां पर सिर्फ जीरो आवर का काम करने के लिए नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : श्रीमान, मेरे विचार में यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं संक्षेप में अपनी बात कह सकता हूं, लेकिन उससे इस मामले के साथ न्याय नहीं हो पायेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे के लिए दिए गए समय में कटौती न करें। यदि आप इसे कल जारी रखना चाहें तो हम इसके लिए तैयार हैं। (व्यवधान) हम बैठेंगे। और इसके लिए हम सभा का समय बढ़ायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इस मामले पर कल चर्चा करना संभव होगी। कृपया इसे अभी जारी रखें। आप और समय ले सकते हैं। मैं प्रधान मन्त्री को भी बोलने की अनुमति दूंगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि सभा में उपस्थित रहें। यदि मामला महत्वपूर्ण है—इस तरफ के लोगों के लिये यह महत्वपूर्ण है और उस तरफ वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है—तो मेरा अनुरोध है कि विपक्ष के नेता को इतना समय मिलना चाहिए जितना कि वह चाहे और सभा के नेता को उसकी इच्छा अनुसार समय मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : श्रीमान, मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। रिपोर्ट के पैरा 13.37 (4) में कहा गया है :

> "हिमाचल प्रदेश में गद्दी, महाराष्ट्र में नव-बौद्ध, तटवर्ती क्षेत्रों में मछुवारों, जम्मू और कश्मीर में गूजरों जैसे अन्य पिछड़े वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः निर्धारण के समय ऐसे क्षेत्रों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाना चाहिए, जिनमें ऐसे लोगों का बाहुल्य है।"

क्या सरकार मंडल आयोग के इस विचार से सहमत है कि राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जाति के आधार पर किया जाए। क्या हम निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए फिर से गोलमेज सम्मेलन के समय की ओर लौट रहे हैं ? श्रीमान् प्रधान मन्त्री ने कहा है कि वे इस रिपोर्ट को पूर्णतः स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि इस देश को तोड़ने की योजना बनाई जा रही है।

और मैं रिपोर्ट के अन्त में दी गई सिफारिशों से पढ़ रहा हूं न कि कहीं और से।

8.00 अ० प०

क्या प्रधान मन्त्री इसे स्वीकार करते हैं ? यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी या वामपंथी पार्टियां इस प्रश्न के उत्तर से बच सकते हैं। वे चुप तो रह सकते हैं। मेरा अभिप्राय राजनीतिक दृष्टि से नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या है और आप क्या समझते हैं। मैं इसमें निहित राष्ट्रभक्ति को भी जानता हूं। क्या आप इसी तरह से चुपचाप बैठे रह कर इन श्रीमान को जो यहां बैठे हैं जाति पर आधारित निर्वाचन क्षेत्र बनाने की, जैसी कि श्री मंडल ने सिफारिश की है, अनुमति दे सकते हैं। यह वचन दिया गया है कि इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा। प्रधान मन्त्री को यह कहना चाहिए कि वे इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि इस सरकार ने इस रिपोर्ट को ध्यान से नहीं देखा है क्योंकि यदि उन्होंने इसे पढ़ा होता तो उन्हें यह ज्ञात होता कि इसमें से क्या छोड़ना है और यदि उन्होंने इसे न भी पढ़ा हो और उन्हें यह भी ज्ञात न हो कि इसमें से क्या छोड़ना है तो कम से कम अधिकारियों ने तो उन्हें यह बताया होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा भी मौका नहीं दिया।

श्रीमान् मैं फिर इसी प्रश्न पर लौट रहा हूं कि जाति को ही आधार माना जाये। मैं अभी यह पढ़कर सुनाता हूं कि जनता की राय क्या थी। 70 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों ने कहा है कि केवल जाति को ही आधार नहीं माना जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि दस राज्यों ने क्या कहा,

असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मुझे याद नहीं कि उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्री कौन था।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आपका होगा।

श्री राजीव गांधी : हमारा तो होगा, लेकिन हमारे वहां भी हैं। हमारे कई लोग वहां भी आ गये हैं।

[अनुवाद]

इन सभी राज्यों ने सिफारिश की है कि पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए जाति को केवल एक आधार मानना चाहिए न कि एकमात्र आधार। इसके पश्चात तीन राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली, दादरा-नागर हवेली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने कहा है कि जाति को पिछड़ेपन का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। फिर सात राज्यों बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने कहा है कि 'निम्न आय को एक महत्वपूर्ण आधार' माना जाना चाहिए। इसके पश्चात एक राज्य तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों हरियाणा, दिल्ली और दादरा-नागर हवेली ने कहा था कि आर्थिक स्थिति को ही पिछड़ेपन का एकमात्र आधार मानना चाहिए। इसके पश्चात अलग-अलग व्यक्तियों ने, जिन्होंने आयोग के साथ चर्चा की थी, तथा जिन राज्यों ने अपने प्रतिवेदन दिए थे, प्रत्येक ने यही कहा था कि जाति को एकमात्र आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके पश्चात भी आयोग ने जाति को ही एकमात्र आधार बनाया है। हम जो यहां बैठे हैं जाति को ही एकमात्र आधार क्यों मान रहे हैं? इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है क्या उससे हटकर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। क्या इस सभा में बैठकर हमारा यह उत्तरदायित्व नहीं है कि हम यह देखें कि किसी की गलती से राष्ट्र का विभाजन न हो जाये? हम यहां किस लिए हैं? अन्यथा वे यहां बैठ सकते हैं। (व्यवधान)

महोदय, जनगणना के आंकड़ों सम्बन्धी पैरा 9.16 में उन्होंने विभिन्न राज्यों से जानकारी मांगी, और वह कहते हैं :

> "इस धारा में अन्य पिछड़े वर्गों, उन अधिसूचित जनजातियों, अवनी जातियों के विभिन्न जनसांख्यकीय पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना तथा काका कालेलकर आयोग द्वारा तैयार अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों का विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तैयार अधिसूचित सूचियों से मिलान करने के लिए कहा गया है।"

फिर, आयोग यह कहता है कि दी गई जानकारी बहुत अपूर्ण थी। इसके बाद वह कहते हैं कि—अन्य पिछड़े वर्गों के साक्षरता और शैक्षिक स्तर के बारे में आंकड़े नहीं दे सकी। इससे आगे वह कहते हैं कि "कोई भी राज्य सरकार इस प्रश्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सकी।" यह प्रतिवेदन किस प्रकार की जानकारी पर आधारित है? इसका सार क्या है?

और फिर वह स्वयं यह कहते हैं कि सम्पूर्ण देश के लिए किसी अर्थपूर्ण आकलन हेतु यह जानकारी "अत्यन्त अपूर्ण और असम्बद्ध है"—ये उनके ही शब्द हैं। (व्यवधान)

उनके स्वयं यह स्वीकार कर लेने के पश्चात् कि उनके आंकड़ों का आधार पूर्णतः गैर-वैज्ञानिक और गैर-तकनीकी है और कि यह आधार वास्तव में इतना बिछा हुआ है कि कोई उल्लेखनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं, वह यह सब कुछ वैज्ञानिक योग्यता के मुलम्मे में छिपाना चाहते हैं। इस प्रकार की सामग्री के आधार पर हम कहां से आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं? हम इस प्रकार की प्रतिशतता वह भी दो दशमलव स्थानों तक जैसे 4 69—10.63, 24.04, 12.55 कैसे प्राप्त करते हैं? यह खाली एक मुलम्मा चढ़ाने की बात है जिसमें कोई सार नहीं है। इस पर वाद-विवाद करने के लिए हमारे पास और बहुत कुछ सामग्री होनी चाहिये। हम इसे एक तथ्य के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं और पूरे राष्ट्र पर इसे कैसे थोप सकते हैं? हमें उससे कहीं अधिक जिम्मेदार बनना होगा। हमारे अपने राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं। आपके अपने है; हमारे अपने हो सकते हैं --(व्यवधान)

डा० विलप्व दास गुप्त : मेरा यह कहना है कि मैं यह मानता हूं कि विपक्ष के नेता को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। परन्तु वह बातों को बहुत अधिक दोहरा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : परिभाषा के रूप में "वर्ग" के स्थान पर 'जाति" शब्द रखने के पक्ष में आयोग उच्चतम न्यायालय के तीन निर्णयों का उल्लेख करता है। परन्तु स्वयं उसी प्रतिवेदन में ही उच्चतम न्यायालय के कम से कम तीन ऐसे निर्णयों का उल्लेख किया गया है जिनमें कहा गया है कि आप "वर्ग" को केवल "जातियों" के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। पैरा 7.15, पैरा 7.24 और पैरा 7.40 में, जिन्हें मैं सभा में पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, स्वयं आयोग ने यह विस्तार से कहा है कि "जाति" एकमात्र आधार नहीं हो सकता। स्वयं उच्चतम न्यायालय भी यह कहता है कि "जाति" एकमात्र आधार नहीं हो सकता और यदि ऐसा है, तो इसे समाप्त किया जाएगा। परन्तु यहां हम देखते हैं कि "जाति" को ही एकमात्र आधार माना जा रहा है। और हम ये 500 प्रतिनिधि यहां बड़े मजे से बैठे हैं। और हम खुशी से कह रहे हैं कि 'हां' जाति ही एकमात्र आधार हो सकती है और जाति ही एकमात्र आधार होना चाहिए। यह बड़ा अविश्वसनीय लगता है कि इस प्रतिवेदन के बारे में सरकार के पास इसके अतिरिक्त और कोई टिप्पणी नहीं है कि "हम इसे सम्पूर्ण रूप से लागू करेंगे।"

सरकार ने उन सभी मुद्दों पर टिप्पणी क्यों नहीं की जो मैंने उठाए हैं?

सरकार ने आंकड़ों में वैज्ञानिक सामग्री के अभाव के बारे में क्यों नहीं सोचा, उन आंकड़ों के वैज्ञानिक विश्लेषण के अभाव के बारे में क्यों नहीं सोचा क्योंकि किसी समाजशास्त्री की सेवाएं नहीं ली गई थी?

सरकार ने आयोग को भारी शर्तों पर मिली सामग्री के बारे में क्यों नहीं बोला?

सरकार ने इस बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं की कि प्रतिवेदन तैयार करने में बहुत तेजी और हड़बड़ी जल्दबाजी की गई? (व्यवधान)

[हिन्दी]

एक चीज पढ़ने की जरूरत है। अच्छा नहीं पढ़ूंगा, यदि आप तंग आ गए हैं।

[अनुवाद]

प्रस्तावना के तीन पैराओं में आयोग ने स्वयं यह कहा है कि उन्होंने सारा कार्य बहुत तेजी और हड़बड़ी में किया है और उसी में संसद और विधान सभाओं के चुनाव हुए। अतः उस अवधि में वे ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सके क्योंकि नौकरशाही, प्रशासन और प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में लगा हुआ था। अतः यद्यपि देखने में तो काफी समय लगता है परन्तु वास्तव में जिया गया समय तो बहुत कम था। यह बात यहां प्रस्तावना में लिखी हुई है। इसी आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

जैसाकि मैंने शुरू में कहा, कांग्रेस सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए आरक्षण सहित सभी प्रकार के कार्य करने के पक्ष में है। मैंने तो उससे भी अधिक कहा है। मैंने कहा है कि सामान्य तौर पर मंडल आयोग तथा काका साहिब कालेलकर आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशों को लागू किया जाए परन्तु हमारी समस्या कुछ परिभाषाओं को लेकर है।

हमारी आपत्ति तब है यदि सभी वर्गों में सर्वाधिक कमजोरी वर्गों और अल्पसंख्यक धर्मों में सर्वाधिक कमजोर लोगों की सहायता न की जाए।

हमारी आपत्ति तब है यदि हमारे देश में जाति को जातिवाद के रूप में परिभाषित किया जाए।

हमें आपत्ति तब है यदि जातिवाद को संसदीय और विधान सभा के चुनावों में एक आधार बनाया जाए।

कांग्रेस किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक लाभ के लिए इस देश को बंटते हुए नहीं देख सकती।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपके मैनिफेस्टो में था क्या ?

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि मंडल आयोग ने इन्दिराजी का विशेष उल्लेख किया है और उनका धन्यवाद किया है। क्योंकि विपक्ष के हमारे अनेक मित्रों का यह विचार प्रतीत होता है कि उस अवधि के दौरान कांग्रेस ने आयोग की सहायता नहीं की थी। यहां मैं यह पढ़ना चाहूंगा :

"यह उल्लेख किया जा सकता है कि यद्यपि यह आयोग....."

[हिन्दी]

श्री राम धन : इस सरकार ने मण्डल कमीशन बनाया था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं यह श्री मंडल द्वारा राष्ट्रपति को लिखे व्याख्या पत्र से उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा है : "यह कहा जा सकता है कि यद्यपि यह आयोग पिछली जनता सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था....." (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : राम धन जी, अब बस कीजिए। अच्छा हो कि आप दोनों बाहर जाकर एक दूसरे से बात कर लें।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : सबसे अच्छा है कि बात ही न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो सबसे अच्छा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : राकेश जी, कृपया बैठ जाइए।

श्री राजीव गांधी : महोदय, श्री बी० पी० मंडल ने कहा है :

"यह कहा जा सकता है कि यद्यपि यह आयोग पिछली जनता सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने न केवल इसके कार्यकाल में दो बार वृद्धि की, बल्कि हमारे कार्य के निर्वहन में सभी प्रकार की सहायता और सहयोग भी दिया....."

इसके पश्चात वे इससे भी आगे कहते हैं।

"इससे दमन के शिकार हुए लोगों, दलितों और उत्पीड़ितों के प्रति उनकी निष्ठा और वचनबद्धता स्पष्ट दिखाई देती है ..."

उन्होंने यह भी कहा है कि इन्दिरा जी ने आयोग के समक्ष विदाई भाषण भी दिया था। परन्तु उन्होंने विदाई भाषण में जो कुछ कहा था वह दुर्भाग्यवश गुम हो गया लगता है। (चूंकि पुस्तक भयभीत करने वाली है) इसलिए मैं केवल तीन वाक्य पढ़ना चाहूंगा। मैं उद्धृत करता हूं :

"पिछड़े वर्गों का प्रश्न केवल पिछड़े वर्गों या जातियों या पिछड़े क्षेत्र के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4)—इन उपबन्धों में ऐसे वर्गों के प्रति आरम्भ से ही राष्ट्र की विशेष पक्षधरता झलकती है इस पक्षधारणा का आशय नई विषमताएं पैदा करना नहीं, विद्यमान अन्याय को दूर करना है। उद्देश्य यह है कि ऐतिहासिक और भौगोलिक कमियों को दूर किया जाए, न कि नए निहित स्वार्थ पैदा किए जाएं। पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण करना सदैव कठिन रहा है। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि हमें एक ऐसा सूत्र खोजना होगा जो हमारे राष्ट्रीय ताने-बाने को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त अधिकांश व्यापक रूप से स्वीकार्य हो....." हमारे राष्ट्रीय ताने-बाने को मत भूलिए... (व्यवधान)

ऐसे प्रतिवेदन जिसमें अनेकों प्रश्नों को सुलझाया नहीं गया है.... (हम अनेकों बातों से सहमत हो सकते हैं, परन्तु ऐसी भी बातें हैं जिनसे हम असहमत हैं) पर कार्रवाई करने से पूर्व यदि सरकार ने कम से कम अपने मित्र दलों से बात कर ली होती तो बहुत अच्छा होता। यदि हमें

बुलाया जाता तो हम भी बात करने को तैयार थे। यदि उसने कम से कम अपने मित्र दलों को बुलाकर पूरा विचार-विमर्श कर लिया होता, तो मुझे पक्का विश्वास है कि इस प्रकार की खामियां नहीं रहती। परन्तु दुर्भाग्यवश, इसके बारे में सोचे बिना और शायद प्रतिवेदन पर दृष्टिपात तक किए बिना और इसे पढ़े बिना ही, केवल अपने चुनाव घोषणा-पत्र, जिसमें इसके बारे में 10 शब्द हैं, को देखकर इस पर हाथ डाल दिया। सरकार ने इन सब बातों पर और अधिक गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया ? क्या इस सरकार के लिए देश की एकता और अखंडता महत्वपूर्ण नहीं थी ? क्या यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि गलियों में बच्चे मर रहे हैं ? क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि पूरे देश में जाति के आधार पर हिंसा फैल रही है ?

प्रतिवेदन में से, श्री मंडल ने जो समग्र तस्वीर देश की है उसमें से, मैंने उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में से अनेकों खामियां नोट की हैं। परन्तु उनके निष्कर्ष मे बहुत सी बातें विवेकपूर्ण हैं, जिन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या आपने वह कर दिया है जो श्री मंडल आप से करवाना चाहते थे ? क्या आपने उनके समग्र प्रतिवेदन को ध्यान में रखा है ? या आपने राजनीतिक सुविधा के लिए उसके केवल एक भाग को ही लागू किया है ? क्या श्री मंडल ने अपने प्रतिवेदन में अपनी सिफारिशों के एक भाग को दूसरे भाग से अधिक महत्व दिया है ? क्या उन्होंने इस भाग को प्राथमिकता दी है ? आपने इसे किस आधार पर प्राथमिकता दी है ? वास्तव में यदि मैं इन सिफारिशों के बारे में स्वयं मंडल का मत उद्धृत करूं तो वह केवल है सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो आपने किया है। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण तथा सभी सम्भव वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने तीन प्रकार की सहायता सूचीबद्ध की है जिसमें से आपने केवल एक की है। यह सारा प्रश्न एक लघु प्रयास बन कर रह जाएगा।

[हिन्दी]

सुनिए क्या नहीं किया आप लोगों ने।

[अनुवाद]

जब तक पिछड़ेपन की समस्या की जड़ पर वार नहीं किया जाता, यह सब एक लघु प्रयास ही रहेगा। और फिर वे विस्तार से बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए।

परन्तु आपने क्या किया ? आपने इसे पूर्णतः अपनी मनमर्जी से चरण एक, चरण दो, चरण तीन बना दिया। यहां तक कि आपने तो इन चरणों को लागू करने की समय सीमा भी नहीं बताई ....(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या आप अपने भाषण की समय सीमा बढ़ोंगे।

श्री राजीव गांधी : जी नहीं। क्योंकि जिस ढंग से आपने मंडल आयोग को लागू किया है वह मेरे विचार से मेरे देश को तोड़ना है। हो सकता है कि मेरे देश के टूटने का आपके लिए कोई महत्व नहीं हो। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : यह आपका देश नहीं है। यह हमारा देश है।

[हिन्दी]

***श्री राजीव गांधी** : अगर कुछ आवाज उठाएं तो मैं समझूंगा, आप तो उनके साथ खड़े हैं, देश का विभाजन करवा रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। मैं जानता हूं कैसे फंस गए। अब शिकंजे में फंस गए, न निकल सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कम से कम बंद कमरे में तो इन्हें समझाइए कि क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर मंडल आयोग के प्रतिवेदन की समग्रता को तोड़ा है। उन्होंने किस आधार पर इस प्रतिवेदन को भागों और चरणों में बांटा है? और वे इन चरणों को कितनी अवधि में पूरा करेंगे? और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बिना कोई बात सोचे इन पर एक-एक करके झपट रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक मुद्दों पर आधारित सरकार है। परन्तु कम से कम अगले मुद्दे के बारे में भी सोचिए जो 24 घन्टे बाद आएगा। आपने 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। अचानक आप और 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा उनसे भी अधिक आरक्षण की बात करने लगे। अब हमें पता लगा है कि आपने अपने कतिपय अल्पसंख्यक सदस्यों से वायदा किया है कि आप अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष सैक्टर बनाएंगे। आपने भूतपूर्व सैनिकों से भी कुछ वायदा किया है। आपने किन्हीं अन्य से भी कुछ वायदा किया है। अब कोई निर्णय लेने से पूर्व निश्चय ही आपके समक्ष पूरी तस्वीर होनी चाहिए।

यदि आप 50 प्रतिशत की सीमा पार कर सकते हैं तो आप अन्य पिछड़ी जातियों को 52 प्रतिशत क्यों नहीं दे सकते? 22½ प्रतिशत के आरक्षण में आप और 52 प्रतिशत क्यों नहीं जमा कर सकते? आपने अब तक पूर्णतया मनमाने ढंग से जो कदम उठाए हैं, उनका क्या औचित्य है या आरक्षण को 27 प्रतिशत तक सीमित करने के पीछे क्या तर्क है? (**व्यवधान**) उन्हें अपनी बात कहने दीजिये मैं उसका जवाब दूंगा। किन्तु पहले इसी विषय पर मेरी पूरी बात सुनिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

[**हिन्दी**]

श्री राजीव गांधी : अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं वापिस लेता हूं।

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे वापिस ले लिया है तथा इसे कार्यवाही वृतान्त में भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर बोल रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। आरक्षण जैसे मसले पर थोड़ा-थोड़ा करके विचार नहीं किया जा सकता। हमें सम्पूर्ण

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तस्वीर पर विचार करना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए, सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि कितने वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्या उन्हें पिछड़ी जातियों में या सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों में शामिल किया जा रहा है या उन वर्गों को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों से अलग रखा जा रहा है ? हमें यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि अनारक्षित सीटें कितनी हैं। अन्यथा हमें यह पता नहीं लग पाएगा कि अन्तिम तस्वीर किस प्रकार की होगी। हम यह चाहते हैं कि सरकार इस सभा के समक्ष एक श्वेत पत्र जिससे पहले तो यह पता चल सके कि इस रिपोर्ट की विसंगतियों के प्रति सरकार का रुख क्या है तथा इन विसंगतियों को कैसे दूर किया जाएगा। दूसरे इसे कैसे कार्यान्वित किया जायेगा तथा सिफारिशों को कैसे कार्यान्वित किया जाएगा। तीसरे, आरक्षण चाहने वालों की सम्पूर्ण तस्वीर क्या है तथा वे कितना भाग अनारक्षित रखना चाहते हैं ? (व्यवधान) यह भी महत्वपूर्ण है ताकि राष्ट्र के समक्ष उस समय पूरी तस्वीर हो जब ऐसा फैसला करना हो। हम पूरी तरह से ऐसे वाद-विवाद में भाग लेंगे तथा मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ऐसी राष्ट्रीय बहस से वह तनाव कम होगा जो आज पूरे देश में व्याप्त है।

महोदय, इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि ये सब बातें क्यों हो रही हैं। मैं 'इण्डियन्स्टैण्ड' में प्रकाशित एक लेख से एक उद्धरण देना चाहता हूं, जो इस प्रकार है;

"केवल पांच माह पूर्व···"(व्यवधान)

[हिन्दी]

जरा सुन लो कभी-कभी अखबार में अच्छी चीजें भी लिखी हुई होती हैं।

[अनुवाद]

महोदय, यह अखबार, सितम्बर, 1990 का है। यह केवल छह रोज पुराना है। पांच माह पूर्व जब कुछ सम्पादकों ने 'उन्हें' यानि 'प्रधानमन्त्री को चेतावनी दी थी कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के भयंकर परिणाम होंगे और वर्ग-संघर्ष होगा तो तब श्री वी० पी सिंह ने कहा था कि रिपोर्ट वास्तव में केवल एक राजनैतिक रणनीति है तथा वे मूर्ख नहीं हैं। श्री वी० पी० सिंह पांच माह पूर्व सम्पादकों से इस प्रकार की बात कर रहे थे।

अब इन पांच महीनों में क्या हुआ है। इन चन्द महीनों में कुछ नहीं हुआ। इन चन्द महीनों में कोई खास बात नहीं हुई। परन्तु इसके पश्चात अचानक ये सभी प्रकार की बातें हो रही हैं। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ?

(व्यवधान)*

श्री राजीव गांधी : मैं अखबार से उद्धरण देना चाहता हूं जिसके अन्तिम वाक्य में वे कहते हैं "यह केवल एक राजनैतिक रणनीति है।" उन्हें इस राजनैतिक रणनीति का प्रयोग करना पड़ा।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : अगर कुछ आवाज उठाएं तो मैं समझूंगा, आप तो उनके साथ खड़े हैं, देश का विभाजन करवा रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। मैं जानता हूं कैसे फंस गए। अब शिकंजे में फंस गए, न निकल सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कम से कम बंद कमरे में तो इन्हें समझाइए कि क्या कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर मंडल आयोग के प्रतिवेदन की समग्रता को तोड़ा है। उन्होंने किस आधार पर इस प्रतिवेदन को भागों और चरणों में बांटा है? और वे इन चरणों को कितनी अवधि में पूरा करेंगे? और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बिना कोई बात सोचे इन पर एक-एक करके झपट रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक मुद्दों पर आधारित सरकार है। परन्तु कम से कम अगले मुद्दे के बारे में भी सोचिए जो 24 घन्टे बाद आएगा। आपने 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। अचानक आप और 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा उनसे भी अधिक आरक्षण की बात करने लगे। अब हमें पता लगा है कि आपने अपने कतिपय अल्पसंख्यक सदस्यों से वायदा किया है कि आप अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष सैक्टर बनाएंगे। आपने भूतपूर्व सैनिकों से भी कुछ वायदा किया है। आपने किन्हीं अन्य से भी कुछ वायदा किया है। अब कोई निर्णय लेने से पूर्व निश्चय ही आपके समक्ष पूरी तस्वीर होनी चाहिए।

यदि आप 50 प्रतिशत की सीमा पार कर सकते हैं तो आप अन्य पिछड़ी जातियों को 52 प्रतिशत क्यों नहीं दे सकते? 22½ प्रतिशत के आरक्षण में आप और 52 प्रतिशत क्यों नहीं जमा कर सकते? आपने अब तक पूर्णतया मनमाने ढंग से जो कदम उठाए हैं, उनका क्या औचित्य है या आरक्षण को 27 प्रतिशत तक सीमित करने के पीछे क्या तर्क है? (**व्यवधान**) उन्हें अपनी बात कहने दीजिये मैं उसका जवाब दूंगा। किन्तु पहले इसी विषय पर मेरी पूरी बात सुनिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं वापिस लेता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे वापिस ले लिया है तथा इसे कार्यवाही वृतान्त में भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर बोल रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। आरक्षण जैसे मसले पर थोड़ा-थोड़ा करके विचार नहीं किया जा सकता। हमें सम्पूर्ण

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तस्वीर पर विचार करना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए, सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि कितने वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्या उन्हें पिछड़ी जातियों में या सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों में शामिल किया जा रहा है या उन वर्गों को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों से अलग रखा जा रहा है ? हमें यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि अनारक्षित सीटें कितनी हैं। अन्यथा हमें यह पता नहीं लग पाएगा कि अन्तिम तस्वीर किस प्रकार की होगी। हम यह चाहते हैं कि सरकार इस सभा के समक्ष एक श्वेत पत्र जिससे पहले तो यह पता चल सके कि इस रिपोर्ट की विसंगतियों के प्रति सरकार का रुख क्या है तथा इन विसंगतियों को कैसे दूर किया जाएगा। दूसरे इसे कैसे कार्यान्वित किया जायेगा तथा सिफारिशों को कैसे कार्यान्वित किया जाएगा। तीसरे, आरक्षण चाहने वालों की सम्पूर्ण तस्वीर क्या है तथा वे कितना भाग अनारक्षित रखना चाहते हैं ? (व्यवधान) यह भी महत्वपूर्ण है ताकि राष्ट्र के समक्ष उस समय पूरी तस्वीर हो जब ऐसा फैसला करना हो। हम पूरी तरह से ऐसे वाद-विवाद में भाग लेंगे तथा मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ऐसी राष्ट्रीय बहस से वह तनाव कम होगा जो आज पूरे देश में व्याप्त है।

महोदय, इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि ये सब बातें क्यों हो रही हैं। मैं 'इण्डियन्डेल्ह' में प्रकाशित एक लेख से एक उद्धरण देना चाहता हूं, जो इस प्रकार है;

"केवल पांच माह पूर्व···"(व्यवधान)

[हिन्दी]

जरा सुन लो कभी-कभी अखबार में अच्छी चीजें भी लिखी हुई होती हैं।

[अनुवाद]

महोदय, यह अखबार, सितम्बर, 1990 का है। यह केवल छह रोज पुराना है। पांच माह पूर्व जब कुछ सम्पादकों ने 'उन्हें' यानि 'प्रधानमन्त्री को चेतावनी दी थी कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के भयंकर परिणाम होंगे और वर्ग-संघर्ष होगा तो तब श्री वी० पी सिंह ने कहा था कि रिपोर्ट वास्तव में केवल एक राजनैतिक रणनीति है तथा वे मूर्ख नहीं हैं। श्री वी० पी० सिंह पांच माह पूर्व सम्पादकों से इस प्रकार की बात कर रहे थे।

अब इन पांच महीनों में क्या हुआ है। इन चन्द महीनों में कुछ नहीं हुआ। इन चन्द महीनों में कोई खास बात नहीं हुई। परन्तु इसके पश्चात अचानक ये सभी प्रकार की बातें हो रही हैं। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ?

(व्यवधान)*

श्री राजीव गांधी : मैं अखबार से उद्धरण देना चाहता हूं जिसके अन्तिम वाक्य में वे कहते हैं "यह केवल एक राजनैतिक रणनीति है।" उन्हें इस राजनैतिक रणनीति का प्रयोग करना पड़ा।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वाक्य के अन्तिम भाग में वे कहते हैं कि "वे मूर्ख नहीं हैं। शायद उस वाक्य के पहले भाग की कार्यान्वित से दूसरी बात समाप्त हो जाती है। यह बात इतनी हड़बड़ी में क्यों की गई? यह मैं नहीं जानता क्योंकि कुछ बातों से हमारा वास्ता नहीं है। परन्तु मुझे विश्वास है कि जिस दिन मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया उस दिन की मन्त्रिमण्डल कार्यसूची में यह विषय सम्मिलित ही नहीं था। इसे सभा पटल पर रखा गया तथा जल्दबाजी में इसे पारित कर दिया गया क्योंकि बाहर जो हो रहा था उसे देखते हुए ऐसा करना ही पड़ा। बाहर क्या हो रहा था? दिल्ली में एक रैली हो रही थी। (व्यवधान) इस रिपोर्ट को लागू करना आवश्यक क्यों था? क्योंकि यदि उस रैली को कुछ मुख्य मन्त्रियों का समर्थन प्राप्त हो जाता तो इस सभा में सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो जातीं। इसीलिए दल के आन्तरिक झगड़ों से अपने को सुरक्षित रखने के लिए—और मेरा भी यही आरोप है – आपने देश को वर्ग-संघर्ष के कगार पर पहुंचा दिया है (व्यवधान)

महोदय, राजा साहब की नीतियां, अंग्रेजों की नीतियों से अधिक भिन्न नहीं हैं। वे अंग्रेज ही थे जिन्होंने जाति तथा धर्म के आधार पर हमारे देश को विभाजित करने का प्रयास किया और अब राजा साहब, जो यहां बैठे हैं जाति तथा धर्म के आधार पर हमारे देश को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान) पहले ही आप इस देश में धर्म के आधार पर मतदाता तैयार कर रहे हैं, पहले आप नौकरियों में आरक्षण करके विभाजित करने जा रहे हैं। सरकार इस देश को·· की ओर ले जा रही है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आन्ध्र में क्या कर रहे थे? कितना भाषण झाड़ रहे हैं। बताइए?

श्री राजीव गांधी : जब आप अपने भाषण में बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा।···(व्यवधान)··· मैं तो खाली वामपंथी भाइयों को याद दिला रहा हूं कि राजा साहब बैठे हैं।···(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : राजा साहब, पहले आपके साथ थे। अब खराब हो गए।··(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : महोदय यहां तक कि इस अन्तिम घड़ी में देश को जाति-पांति के विभाजन से बचाने के लिए अभी भी समय है। यहां तक कि इस घड़ी में भी आप उस रास्ते को छोड़ सकते हैं जिस पर आप चल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों पर विचार करेंगे जो मैंने गंभीरता से उठाई हैं। महोदय राजा साहब के व्यक्तित्व की इस देश में कोई व्यापक सराहना नहीं हुई है। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ढांचे को कमजोर कर दिया है तथा इसके साथ केन्द्रीय सरकार तथा मन्त्रियों सहित ने जानबूझकर जातीय-झगड़ों तथा वर्ग-संघर्ष के लिए लोगों को भड़काया है। (व्यवधान)···मन्त्रियों द्वारा जाति युद्ध भड़काये जाने के बावजूद···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह गलत है। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो पत्ता झड़ता है। प्रधान मन्त्री का भाषण था। जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो पत्ता झड़ता है। हिन्दू-सिक्ख रॉयट के समय में क्या हो रहा था ? जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो पत्ता झड़ता है।

[अनुवाद]

यह तत्कालीन भारत के प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की व्याख्या थी।

[हिन्दी]

देश को बर्बाद कर दिया। जब बड़ा पेड़ गिरता है, तो पत्ता झड़ता है।....(**व्यवधान**)....

श्री सोमनाथ चटर्जी : पासवान, तुमने ठीक कहा है। खत्म करने दो भाई।....(**व्यवधान**)....

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : मंत्रीगण जाति युद्ध भड़का रहे हैं और राजा साहिब चुपचाप बैठे हैं। अब वह क्यों नहीं बोल रहे हैं ? वह अपने मंत्रियों को नियन्त्रण में रहने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं ? यदि वह अपने मंत्रियों को काबू में नहीं रख सकते हैं तो क्या वह भी जाति युद्ध को भड़काने में शामिल हैं जिसके वजह से बाहर लोग मर रहे हैं ? महोदय, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण सहित सभी प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए और कांग्रेस इस सम्बन्ध में आपका समर्थन करेगी। हम कहेंगे कि यह सहायता सामाजिक क्या शैक्षिक रूप से पिछड़े उन निर्धारित तथा सबसे कमजोर वर्गों को मिलनी चाहिये जिनकी रूपरेखा कांग्रेस दल ने इस वर्ष 30 अगस्त को कार्यकारिणी समिति के संकल्प में प्रस्तुत की थी।

मैं इस सभा से अनुरोध करूंगा कि हम एक व्यक्ति की जिद पर भारत को दांव पर न लगायें उस एक व्यक्ति की जिद पर बच्चों की हत्या न होने दें और हमारे बच्चों, भारत के बच्चों की गलियों में हत्या न हो। उस एक आदमी की जिद से जाति युद्ध न भड़के (**व्यवधान**)। हिंसा समाप्त होनी चाहिए। मैं इस सम्पूर्ण सभा से, इस सभा के प्रत्येक देशभक्त सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे निष्क्रिय और चुप न बैठे रहें और इस देश को एक व्यक्ति की जिद से बचायें। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रधानमंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। और वह जितना समय आवश्यक हो, ले सकते हैं। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर शिष्टाचार का पालन करें और उनका भाषण पूर्ण होने तक सभा में उपस्थित रहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विपक्ष के नेता को उचित शिष्टाचार का प्रदर्शित करना चाहिए था और सदन के नेता को "उस आदमी" "वह आदमी" कहकर नहीं पुकारना चाहिए था। यह अत्यन्त अशिष्टता है। एक संस्था के रूप में संसद अत्यन्त महत्वपूर्ण है....(**व्यवधान**)

8.43 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, प्रधान मन्त्री जी बोल रहे हैं, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, आज बड़ी हिम्मत के साथ, पूरे सदन में सब की सारी परीक्षा देते हुए, नेता विरोध पक्ष का भाषण सुना। इन्होंने इतिहास का एक कीर्तिमान स्थापित किया, और ये कीर्तिमान यह है कि आज तक किसी भी राष्ट्रीय नेता ने मण्डल रिपोर्ट की खिलाफत में इतना लम्बा भाषण कभी नहीं दिया। यह देश के कोने-कोने में जायेगा कि नेता विरोधी दल तीन घण्टे तक सदन के अन्दर मण्डल कमीशन के विरोध में, लगातार बोले। (**व्यवधान**) लेकिन उनको भी मैं इसमें क्रेडिट दूंगा कि मण्डल कमीशन के बारे में, एक चीज में उन्होंने समर्थन किया। (**व्यवधान**)

इन सब के बावजूद एक चीज का उन्होंने समर्थन किया, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सब के बावजूद उनको कहना पड़ा कि और चीजों के साथ रजिर्वेशन भी पिछड़ी जातियों को मिलना चाहिए, पिछड़ी क्लासेस को मिलना चाहिए, यह दिल से बहुत उबली हुई बात है, लेकिन इसको वे नहीं दबा सके कि रिजर्वेशन होना चाहिए। (**व्यवधान**)

इसलिए इसका महत्व है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हू, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी दलों के नेताओं को, जहां तक पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई भी मतांतर नहीं है और यह बड़े ही राष्ट्रीय महत्व की बात है कि और बातों में हम लोगों का मतांतर हो लेकिन पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई मतांतर नहीं है। और यह स्वीकृति, चाहे इधर की हो या उधर की हो, राष्ट्रीय महत्व की बात है, कम से कम आज राष्ट्र इस निर्णय पर आ गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए, यह बहुत बड़ी चीज है और वर्तमान व्यवस्था के अन्दर जो निहित सामाजिक अन्याय है, उसकी भी राष्ट्रीय स्वीकृति हो गई है, उसको स्वीकार किया गया है कि समाज के अन्दर सामाजिक अन्याय है, इसकी राष्ट्रीय स्वीकृति हुई है, चाहे इधर के लोग हों उधर के लोग हों, पिछड़े वर्गों के लिये विशेष प्रावधान होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसमें मतांतर हो सकता है, लेकिन होना चाहिए, इसमें मतांतर नहीं हैं। इसका राजनीतिक महत्व यह है कि जो समाज के अन्दर अन्याय है, उसको अब राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है, उस पर मोहर लगी है, यह बात साफ हो गई है।

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : संविधान में आर्टिकल 15-4 और 16-4 वाली बात तब मिलाई थी या आज मिलाई? (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसमें एक चीज और है, इन्द्रजीत गुप्ता जी ने जो बात कहीं, बावजूद एक साम्यवादी दृष्टिकोण रखते हुए भी उन्होंने सामाजिक यथार्थ की ओर कहा और इसलिए कहा कि इस देश के अन्दर सरकार बदल सकती है, प्रधानमंत्री बदल सकता है, धर्म बदल

सकता है, लेकिन पैदाइश की जो मोहर लगती है, वह नहीं बदल सकती। जन्म से, जहां जन्म पाया है, जन्म से चिता तक · (व्यवधान) मान्यवर मैं कह रहा था कि विशेष वर्ग में पैदा होकर, दलित और पिछड़े वर्ग में जन्म लेकर, जन्म से चिता तक अपमान की भयंकर ज्वाला में जलता रहता है। और इन्सान चिता पर एक बार जलता है, लेकिन अपमान में जीवनभर जलता रहता है। उस का भी आप अन्दाज कीजिए। सम्मान के साथ चिता में जलना स्वीकार है। लेकिन अपमान के साथ जिन्दगी का सवाल नहीं है। आप कहते हैं कि आरक्षण कर दीजिए। समाज को तोड़ दिया, देश को तोड़ दिया और आरक्षण आज नहीं कर रहे हैं। आरक्षण हजारों-हजारों वर्ष से हुआ है। किसका आरक्षण हुआ है। जो आज सिर पर मैला उठाकर और हजारों वर्ष से आरक्षित कर दिया तो सिर पर मैला नहीं रखा जायेगा। कोई भी आज 40-42 साल के बाद कोई बिरादरी मैला सिर पर नहीं रख सकती। यह आरक्षण जो आज इस समाज को जकड़े हुए है और जो आज दलितों, दरिद्रों और पिछड़ों को जकड़े हुए है, उस आरक्षण ने देश को बांट दिया है।····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप उन घावों को देखिए जो दिल के अन्दर वास करते हैं।···· (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : यह बिल्कुल फेयर नहीं है।···(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप दो घन्टे बोले हैं। एक घन्टे के बाद उठियेगा तब मैं जवाब दूंगा। जब आप एक घन्टा बोलें तो तब मैं उठा हूं। ····(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : इन्हीं सामन्तवाद के नीचे काम कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह केवल सरकारी नौकरियों का सवाल है। केवल तन्ख्वाह का सवाल नहीं है। केवल इसी के अन्दर देखें। किसी वर्ग का सरकारी नौकरियों के द्वारा और कर सकते हैं तो इसका सवाल नहीं है।····(व्यवधान) सामाजिक न्याय का सवाल तो है। उसके साथ हमको सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन करना है। कहां से शुरू करें। कैसे शुरूआत होगी। एक समाज और राज-सत्ता का ढांचा है और जो राजसत्ता है वह सामाजिक सत्ता के अनुरूप ढाई जाती है और सामाजिक सत्ता बलवती हो गई है। अगर उसमें परिवर्तन लाना है तो उस राजसत्ता के जो ढांचे हैं, उन ढांचों के अन्दर जिसके अन्दर ब्युरोक्रेसी है, उस स्थायी सत्ता का ढांचा है। निर्णय वहां पर होते हैं, बड़े-बड़े निर्णय जो हैं, वह एक संस्था है। उस राजसत्ता के अन्दर, समाज के अन्दर दबे हुए लोगों को स्थान देंगे तब परिवर्तन समाज के अन्दर तो नहीं आयेगा। इसलिए केवल इसको नौकरियों और पेट के सवाल से जोड़ा जा सकता है, चालीस फीसदी उनके हिस्से में आ जायेंगी तो वे भी पासवान हो जायेंगे। चूंकि जो समाज सत्ता में रहा, वह राजसत्ता को ही देखने में रहा। उसका नतीजा क्या हुआ, साढ़े बाइस फीसदी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण के लिए आश्वासन दिया गया, सबने दिया।

श्री आर० एन० राकेश : आप भी थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी मैं नहीं था। नतीजा यह हुआ कि देश का आश्वासन था कि हम साढ़े बाइस प्रतिशत देंगे दलित को, क्लास वन के अन्दर/सारी योजनायें चलती रहीं, गरीबी

हटाने की योजनायें चलती रहीं, अनुसूचित जनजाति विकास योजनायें चलती रहीं, स्पेशल कम्पोनेंट की योजनायें चलती रहीं, स्कालरशिप चलती रही, सब होता रहा, लेकिन क्लास वन में वह केवल साढ़े आठ फीसदी पहुंच पाये। (व्यवधान) इतनी बात कही गई कि शिक्षा द्वारा सारे पैकेज किये जायेंगे, जरूर करना चाहिए, लेकिन होलिस्टिकएप्रू के बाद 4 साल के होलिस्टीक एप्रू के बाद पिछड़ा वर्ग क्लास वन मे साढ़े चार फीसदी भी नहीं पहुंच पाया। सवाल केवल कुछ सहूलियतें देने का नही है, सवाल शिरकत का है कि हम सत्ता के अन्दर शिरकत देंगे या नहीं उन वर्गों को जिन्होंने सत्ता में शिरकत नहीं की, जिनको निश्चितरूप से राष्ट्रीय मोर्चा आंख खोलकर शिरकत देना चाहती है, सहूलियतों या कुछ लोगों की रोजी-रोटी के सवाल के लिए नहीं कर रही है, बल्कि सत्ता के अन्दर जितनी भी संस्थायें हैं उनमें शिरकत देने का काम कर रही है।

श्री वसन्त साठे : जाति के आधार पर····

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सवाल तिजोरी का नहीं है कि तिजोरी से दान-बख्शीश करते रहे कि कितना दान किया, सवाल तख्त का है और सत्ता का है। मैं फिर दोहराऊंगा कि हम केवल गरीबी का कारण आर्थिक समझते हैं, लेकिन यह सत्ता से नितांत जुड़ा है। एक जमाना था आर्य आये द्रविड़ों को हरा दिया। एक सत्ता का राज हुआ और आज तक वह दलित बने हुए हैं। यह इस सत्ता से जुड़ी हुई चीजें हैं। उसको आज सत्ता के अन्दर देने के लिए आपके पास हिम्मत हो तो जो बराबर नहीं हैं उनको बराबरी पर लाइये। क्योंकि संविधान में बराबर हो गये, वह बराबरी नहीं है, उनको बराबर कहना सबसे बड़ा अन्याय है।

मैंने प्रस्ताव किया था अगर गरीबों के लिए इतना दर्द होता है तो निर्णय के सब स्थानों पर विधानसभाओं, लोक सभा, राज्य सभा में गरीबी रेखा से नीचे 40 फीसदी जो हैं उनको हिस्सेदारी देने की हिम्मत करो, फैसला करो, ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो उनकी गरीबी को दूर कर सकती हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राकेश जी, आप बैठ जायें। आप राजीव जी की बात भी नहीं मान रहे हैं। आप बैठ जाये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब मैं पूछना चाहूंगा कि जितने जोश, खरोश और गुस्से तथा तेजी से सवाल कर रहे थे उसका दशमाश भी चन्ना रेड्डी जी को बुलाकर कह दीजिये—बेचारे वहीं इस्तीफा लिखकर चले जायेंगे। आंध्र प्रदेश में जिस आधार पर या शुद्ध जाति के आधार पर आपने आरक्षण कर रखा है।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमन्त्री जी ने दो मुद्दे उठाये हैं। उन्होंने पहला जो मुद्दा उठाया है वह उन लोगों के बारे में है जो हजारों वर्षों से आरक्षित श्रेणी में हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि अधिकांशतः यह सब कुछ सामन्तवादी प्रणाली के अन्तर्गत था जो बहुत पहले से प्रचलित था और जिसे कांग्रेस ने समाप्त किया। आप भी इसका एक भाग थे··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री जी ने श्री राजीव गांधी की बात मान ली है।

श्री राजीव गांधी : महोदय, उन्होंने विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार के आरक्षण के बारे में प्रश्न उठाया है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आन्ध्र में क्या हुआ?

श्री राजीव गांधी : विशेषरूप से आन्ध्र, मैं आंध्र के बारे में भी कह रहा हूं··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

9.00 म० प०

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसलिए गरीबी हटाने वाले तो बहुत हो गये हैं। गरीबी हटाने वालों को हटा दीजिए। गरीब को सत्ता दे दीजिये। गरीबी हटा लेगा या अपनी किस्मत पर तसल्ली कर लेगा मजबूती से दीजिये, टुकड़ों में मत दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : हम इस सत्र को बढ़ा देंगे और हम आपके विधेयक पर विचार करेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, मैं इसे रिकार्ड में रखता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कहते हैं कि जातिवाद आ रहा है और ये विरोध पक्ष के नेता जब आपस में मिलते हैं तो इतने गुस्से से नहीं मिलते हैं, मुस्कराते हुए मिलते हैं लेकिन जब खड़े हो जाते हैं तो गुस्से में सवाल करते हैं।

श्री राजीव गांधी : गुस्सा आप पर नहीं, आपके कार्य पर होता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ये कहते हैं कि जातिवाद आ रहा है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जब 52 फीसदी के लोग उच्च फैसले में साढ़े चार फीसदी पायें और जो 22.5 फीसदी हैं, वे केवल 8.5 फीसदी पायें तो जातिहीन समाज है। (व्यवधान) और अब समीकरण को बदलने की कोशिश की जाये तो जातिवाद हो गया। किस ढांचे पर खड़े हैं?

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या आप ऐसा कर कहते हैं? आप 'हां' या 'ना' में कहिए··· (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय मैंने शुरू-शुरू में कहा है कि अनेक गलतियां की गई हैं··· ··· (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब आपको गलती का पता लग गया है तो क्या आप इसे ठीक करेंगे ?

श्री राजीव गांधी : यदि आपकी तरफ के लोग चुप करें तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं, वे शोर नहीं करेंगे।

श्री राजीव गांधी : अनेक राज्यों में अनेक गलतियां की गई हैं। यह केवल आंध्र में ही नहीं है अपितु लगभग प्रत्येक राज्य में जाति के आधार पर आरक्षण का रास्ता अपनाया गया है। मैं समझता हूं कि यह गलत बात है और मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि (**व्यवधान**) इस संबंध में मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। आज शाम मैं वोटों की बात नहीं कर रहा हूं। आज जो कुछ हमारे देश में हो रहा है, मैं उसके बारे में कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह अधिक महत्वपूर्ण है। राज्यों में जो गलतियां हुई हैं जरूरी नहीं है कि उन्हें केन्द्र में भी दोहराया जाये। आज हमें एक राष्ट्रीय सहमति की जरूरत है। हम केन्द्र की ओर देख सकते हैं और हम प्रत्येक राज्य की ओर भी देखेंगे। आओ हम इकट्ठे बैठेंगे, हम साकारात्मक रूप से कार्य करेंगे और उस राष्ट्रीय सहमति को कार्यान्वित करेंगे (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जितने ध्यान से आपने श्री राजीव गांधी जी को सुना है, मैं चाहूंगा कि इस सभा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप प्रधान मंत्री जी को भी धैर्य से सुनें। मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे प्रधानमंत्री जी को भी धैर्य से सुनें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं कम से कम विरोध पक्ष के नेता को हिम्मत और ईमानदारी की दाद देता हूं कि उन्होंने पहले अपनी गलती स्वीकार की। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये सभी आरक्षण मेरे राजनीति में आने से बहुत पहले हुए थे। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं, वह ठीक बात है, ठीक बात कहते हैं विरोध पक्ष के नेता, कि जब वे राजीति में नहीं आये थे, तब की ये बातें हैं। कोई बात नहीं, अगर ये इन्दिरा जी और जवाहर लाल नेहरू जी को डिसओन कर देते तो भी कोई बात नही··· (**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : मैं यहां किसी को डिसओन नहीं कर रहा हूं। (**व्यवधान**) इसीलिये मैंने पहले माना था, लेकिन जब आपने व्यक्तिगत मेरी तरफ प्वाइंट करके कहा, तो मुझे कहना पड़ा। (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या आपने मुझे प्वाइंट करके बात नहीं कही थी, और जब मैंने आपको प्वाइंट करके बात कही तो आपको तकलीफ क्यों हुई ? ((**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : मैं मानता हूं कि मुझ से पहले जरूर कुछ हुआ होगा, उसका मुझे पता नहीं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, वह मुझ से पहले हुई थी। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब यह सारा सदन इस बात का साक्षी है कि हमारे विरोध पक्ष के नेता ने पहले की बात को भी गलत माना है और अब को भी गलत माना है। (व्यवधान) सारा सदन इस बात का साक्षी है, सब के सामने, जो गलती इन्होंने की है, उसे माना है। मुझे उम्मीद है है कि ये अब उस गलती को सुधारेंगे और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को यह गलती सुधारने के निर्देश जारी करेंगे। अगर हमारे विरोध पक्ष के नेता ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वह ईमानदारी की बात नहीं है। (व्यवधान) यदि वे ऐसा नहीं करते फिर उनकी तेजी किसके लिये है, उनकी नाराजगी किस के लिये है। आदमी जितने विश्वास के साथ कोई बात कहता है, यदि अन्दर भी उसके वही विश्वास हो, आप उसे प्रदर्शित करिये और इसके लिये चाहे आंध्र प्रदेश की आपकी सरकार चली जाये, आपके अन्दर करने की हिम्मत होनी चाहिये। नहीं तो सदन में खड़े होकर इतना लम्बा भाषण करने का कोई मतलब नहीं, तीन घंटे हम ही बोर नहीं हुए हैं, उधर भी बोर हो गये हैं।

श्री राजीव गांधी : मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें एक राष्ट्रीय सहमति बनानी चाहिए···(व्यवधान) आप किसी राज्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आंध्र ही केवल ऐसा राज्य नहीं है आरक्षण के क्या मानदण्ड होने चाहिएं इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सहमति बनाई जानी चाहिए। सरकार को इस संबंध में एक श्वेत पत्र लाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अभी तो बड़ी हिम्मत के साथ देश बचाने को चले थे और देश को बचाना आता, तो सिर भी कटाना होता और जब बात आई आन्ध्रा की, तो अलग-बगल देखने लगे, कंसेंसस की बात करने लगे। अगर हिम्मत हो, तो अकेले चलना चाहिए। हम लोगों की हिम्मत है, तो हम लोग मण्डल कमीशन को लेकर अकेले चल रहे हैं। हम आपकी राय नहीं मान रहे हैं हम चल रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : अगर आप में हिम्मत हो, और दृढ़ता हो, तो आप एक नैशनल कंसेंसस लाइए। हम देखते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं ? आपने खुद कहा कि स्टेट्स की जो मरजी हो; वह करें। क्या तकलीफ है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब जब यहां कंसेंसस है, वहां कंसल्टेशन की जरूरत है। हम लोग तो अपनी कंसेंसस से चल रहे हैं, हम कंसेंसस की अपील कर रहे हैं, लेकिन आप तो चले थे देश बचाने को, अब सरकार बचाने में लग गए। यह चलता नहीं है, बन्दर भभकी, तेजी से, यह चलती नहीं है। हमें मालूम है। 20 साल हम भी उसी दल में रहे हैं। हम सब जानते हैं।

गम्भीरता की बात यह है कि हम लोग भी रिजर्वेशन न हो, यह चाहते हैं, यह कोई इलाज नहीं है, हम जानते हैं। आप खाना, कपड़ा और मकान सब का सामान कर दीजिए। एक भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। सब हटा दीजिए। अनुसूचित जन जाति को भी हटा दीजिए, लेकिन सवाल यह आता है कि कोई मर्ज का पूरा इलाज नहीं भी होता है, डाक्टर उस समय नहीं कर पाता है। मलेरिया है, ठीक है। उसका खाना कपड़ा और मकान समान होना ही चाहिए। रिजर्वेशन उसका इलाज है, लेकिन जब तक वह नहीं आते हैं, तो भी क्लोरिन की दवाई दी जाती है। हम नहीं कहते हैं

कि इससे बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन एक कदम सामने हैं। जो व्यवस्था है; उससे टकराव की बात जरूर है। जब टकराव होता है, तो फिर उसी से शक्ति का सृजन होता है यह बात नहीं है कि शक्ति का सृजन नहीं होता है बात यह है कि समाज की जो डण्डी है तोलने की, जो तराजू है, उसकी डंडी जरा खिसकी हुई है। गरीब बेचारा जिस पलड़े पर है, चाहे जितना लादो, उसका पलड़ा सीधा नहीं होता है। हम लोग खाली उस डण्डी को, जो खिसकी हुई है, उसको मध्य में ले आना चाहते हैं।

फिर हम से पूछा कि इसका टाईमिंग्स कैसे हो गया ? इसके टाईमिंग के बारे में सवाल पूछा और फिर कहा कि इसके नक्षत्र कब आए और ज्योतिषी ने कब कहा ? अरे, 10 साल तक तो इसके नक्षत्र नहीं पहुंचे थे और विधान के अन्दर तो टाईमिंग का सवाल ही नहीं आया है।

एक माननीय सदस्य : क्या कभी पब्लिक मीटिंग नहीं देखे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, यह पब्लिक मीटिंग में बहस कर लीजिए। चलिए। आइए। **(व्यवधान)** तीन घंटे का नाटक आप भी देखते रहिए, दो सवाल में नाटक पंचर हो गया, दो सवाल में तीन घंटे का नाटक समाप्त हो गया है। **(व्यवधान)** आपके शासनकाल में तो घड़ी ही नहीं आई, नक्षत्र ने योग ही नहीं बनाया, अब इसको इम्प्लीमैंट करने का कम से कम योग तो आया, चाहे जैसे आया। विरोधी दल के नेता ने बड़े विस्तार से यहां पर मंडल कमीशन को पढ़ा। इसको लागू करने के लिए इतना नहीं पढ़ा, लागू हो रहा है उसे रोकने के लिए पढ़ा। कहते हैं कि बड़े गलत ढंग से लागू कर दिया। हां, आपके हिसाब से गलत ढंग से किया, आपके ढंग से करते तो दस साल और लगाते, इक्कीसवीं सदी में पहुंच जाते। आपके विधान के हिसाब से जरूर गलत रहा है लेकिन हम इक्कीसवीं सदी में नहीं, अभी करना चाहते थे। फिर कहते हैं कि बहस नहीं हुई। जब से यह हुआ है उससे पहले से उनके संघर्षों को देखिए, कितने लोग हैं जिन्होंने लाठी, डंडा, जेल और गोलियां खाई हैं और आप कहते हैं कि इसके पीछे बहस नहीं हुई। ठीक है हम कांग्रेस में रहे, हम उसकी शिरकत नहीं कर सके, लेकिन क्या बात के साथ जुट नहीं सकते। हम तो जुट गए हैं, आप भी जुट जाइए। **(व्यवधान)** अभी तो और सब्र करके सुनिए, अभी तो शुरूआत है, इतने में ही हिम्मत छोड़ रहे।

श्री बसन्त साठे : आपका यह कहना है कि हमने ** की····**(व्यवधान)** यह ** हम से नहीं होगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : केवल यही नहीं कि जनता में बल्कि हर जगह हमने अपने संघर्ष के दिनों में कहा कि सत्ता में आने से ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राम धन, क्या आप पाइंट आर्डर पर हैं ? आप पाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री राम धन : साठे साहब ने कहा कि यह ···हमसे नहीं होगी। इस शब्द को निकालना चाहिए।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाला गया।

अध्यक्ष महोदय : देख लिया जाएगा।

श्री वसन्त साठे : ** की जा सकती है कहीं नहीं जा सकती। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसके बाद मैनीफेस्टो में हम लोगों ने इसे रखा। इसकी बहस केवल जनता दल में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मोर्चे में अलग-अलग व सामूहिक रूप से इसकी स्वीकृति दी है। उसके बाद प्रेजीडेन्टस ऐडरैस में दोनों बार रखा गया। प्रेजीडेन्टस ऐडरैस में जब बहस हुई तो इस पर भी बहस हुई। जब बहस होती थी तो आप लोग कहते थे कि मंडल कमीशन कब ला रहे हैं? शायद श्री अकबर जी ने भी कहा था कि मंडल कमीशन नहीं लागू करने वाले हैं।

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : लेकिन मैंने नहीं का।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं कहा तो बहुत अच्छी बात है। आपने मंडल कमीशन का समर्थन किया इसके लिए शुक्रिया। (व्यवधान) सवाल उधर से होता था कि मंडल कमीशन कब लगायेंगे। राज्य सभा में जाते थे तो पूछा जाता था कि मंडल कमीशन कब लगायेंगे? जब लगा दिया तो कहा गया कि अरे, इतनी जल्दी लगा दिया। राज्य सभा में मैंने पिछले सत्र के अन्दर यह आश्वासन दिया था कि एक के अन्दर उसको घोषित करके लागू करेंगे। यह हमारा पहला वर्ष है। अगला जो सत्र होगा वह अगले वर्ष में आयेगा लेकिन इसकी पहले अवसर में ही पूर्ति करके सदन के अन्दर हम लोग आये। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे : प्रत्येक सत्र में एक चरण।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रत्येक सत्र में एक चरण और आप चरण से बाहर हो जायेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बड़ी बहस हुई····(व्यवधान)····

श्री वसन्त साठे : आपकी फेस तो आपके बायें हाथ में बैठी हुई है···(व्यवधान)···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम सामूहिक रूप से कह रहे हैं····(व्यवधान)····बड़ी भारी बहस हुई मंडल कमीशन केवल जाति के आधार पर है, इसलिये स्वीकार नहीं। इस बात पर सारी बहस तीन घण्टे हुई। आप देखें कि केवल जाति को आधार नहीं माना है मंडल कमीशन ने। इसके पेज नम्बर 63 में देख लें और चैप्टर 11 जो है :—

[अनुवाद]

यह पृष्ठ 63 पर अध्याय 11—पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक सैक्षणिक सर्वेक्षण खण्ड में दिया गया है।

"उनके सापेक्ष महत्व की दृष्टि से प्रत्येक सामाजिक संकेतक के लिए 3 अंक निर्धारित किये गए थे, 2 शैक्षिक संकेतकों के लिए और एक आर्थिक संकेतकों के लिए।"

[हिन्दी]

इकोनमिक इंडिकेटर्स मंडल कमीशन ने ले लिये। इकोनमिक कंसिडरेशन करके सोशल एजुकेशनल इण्डिकेटर का कम्पोजिट इंडिकेटर बनाकर इकोनमिक इंडिकेटर लेकर तब उन्होंने फैसला किया।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : यह बहुत गम्भीर बात है। विवाद यह नहीं है कि चयन में आर्थिक आधार शामिल किया गया था या नहीं। समस्या शब्द को परिभाषित करने की है अर्थात् 'जाति' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और आप पैरा 12.4 देखें। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है—

> "असल में जाति हिन्दू समाज के सामाजिक संगठन की मूल इकाई होने के कारण जातियां ही तत्काल तथा स्पष्टत: "स्वीकार्य और निरन्तर समूहों के रूप में विद्यमान हैं।"

उन्होंने केवल जाति के आधार पर परिभाषित किया है। उन्होंने आर्थिक आधार का उपयोग यह जानने के लिए किया होगा कि कौन-सी जाति शामिल की जाए और कौन-सी नहीं की जाए। लेकिन केवल जाति के आधार पर ही निर्दिष्ट किया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह एक मिनट के लिए भी जांच पर खरा नहीं उतरता। (व्यवधान) इसके अन्दर यह स्पष्ट है कि केवल जाति नहीं एजुकेशनल और इकोनमिक इंडिकेटर को मंडल कमीशन ने लेकर कम्पोजिट इंडिकेटर बनाकर फैसला किया। अब यह कहना कि केवल जाति पर है, जाति केवल हिन्दू धर्म से जुड़ा हुआ है, अगर यह केवल जाति पर होता तो यह मुसलमान वर्ग कैसे आते, क्रिश्चयन कैसे आते ···(व्यवधान)····

श्री एम० जे० अकबर : इस्लाम में जात नहीं है।

श्री राजीव गांधी : इन्होंने इस्लाम में जात डाल दी। (व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : अल्लाह, रसूल और इस्लाम में जात नहीं है····(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसीलिये मैं कह रहा हूं कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन लेकर केवल जाति होती तो अंसारी, चिकवा, जफाली, फकीर, कुंजड़ा, मनिहार, मोमिन, हज्जाम, रंगरेज को उत्तर प्रदेश में न रखा जाता। तमिलनाडु में इसी तरह है, गुजरात में भी है, बहुत लम्बी लिस्ट है, यह न रखा जाता। इसलिए जाति के खिलाफ बांध नहीं रहा है, मण्डल कमीशन, वह जाति के अलावा सोशली, इकोनोमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड जहां भी पायें, वहां हैं। अगर केवल जाति का होता तो जाति तो एक ही होती, चाहे इस स्टेट में हो, चाहे उस स्टेट में हो लेकिन एक क्षेत्र में अगर वह एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है तो वहां की लिस्ट में माना है, जो दूसरी जगह का नहीं है तो वहां नहीं माना है। इसलिए क्षेत्रीयता के अनुसार जैसा मापदण्ड है, उसको भी रखा है, तो यह चेहरा मत पहनाइये। यह चेहरा आप राजनैतिक लक्ष्यों के लिये पहना रहे हैं, जो

चीज हमने शुरू की है, उसको खत्म करने के लिये कर रहे हैं। उसमें वर्तमान जो जाति व्यवस्था, रूढ़िवाद है, उसको स्थापित करने के लिये कर रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं। आज इस तरह की चीजों को सदन के सामने और देश के सामने रखकर। उसकी असलियत और गहराई तक जाने की बात है और उसके कारण सारी बहस हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे तो आप हाय-हाय करेंगे··· (व्यवधान) जरा कलेजा थामकर सुनिये। पी० शिवशंकर जी को मैं कोट कर रहा हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : और उन्होंने मण्डल कमीशन के सामने डैस्टीफाई किया था, जब वह लॉ मिनिस्टर थे। 10.33, श्री पी० शिवशंकर ने, हम भी एकाध जरा कुछ तो मुकाबला कर लें, आपस में, ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन थोड़ा ही सही ···

श्री एम० जे० अकबर। पढ़ने-लिखने के साथ अपने आपको मत जोड़िये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : रिपोर्ट के पैरा 10.44 में कहा गया है :

"श्री पी० शिवशंकर (विधि मन्त्री) ने सुझाव दिया था कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का वही मापदण्ड अपनाना सुरक्षित होगा जो कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है। दूसरे मापदण्ड अपनाने से नये मुकदमे खड़े हो जाएंगे और इससे उलझनें पैदा होंगी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि आर्थिक आधार मानने से अन्य पिछड़े वर्गों को धक्का लगेगा।"

[हिन्दी]

आपके लॉ मिनिस्टर ने कहा और क्राइटीरिया मत लगाइये और यही है कि उनमें झगड़ा पैदा करने की बात है। ठीक है। अब दो चीजें हैं, आर्थिक मापदण्ड एक वर्ग का और आर्थिक माप-दण्ड एक व्यक्ति का। वर्ग का जहां आर्थिक मापदण्ड है, इकोनोमिक इण्डीकेटर मण्डल कमीशन ने वर्ग का मापदण्ड अपने निर्णयों के अन्दर पहले ही से इण्डीकेटर में ले लिया और उन वर्गों को जिनमें इकोनोमिक इण्डीकेटर भी है, उसकी घोषणा उसके अनुसार की और जब एक वर्ग पूरा ऊपर उठे, तब होता है कि तब उसमें कोई छटनी शुरू हो जाय। कुछ और मापदण्ड लगाये, जैसा कि इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा, कि आपका सुझाव स्वीकार है और भी रिव्यू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी यह कहा था कि कुछ स्टेज पर ओपन हैण्डेड नहीं होना चाहिए। एक स्टेज तो आनी चाहिए, ठीक है। एक वर्ग एक स्तर तक पहुंचे, उसका रिव्यू जरूर करें। तो दस वर्ष का जो रिव्यू का है, वह हम लोगों को स्वीकार है। जब एक स्तर आये, लेकिन मिला नहीं, अभी परोसा नहीं, उससे पहले ही बटोही लेकर चले जा रहे हैं, आने तो दीजिए थाली में, कुछ पेट में पड़ जाय, तब कहिये कि ज्यादा खा गये, अब तुम मत खाओ लेकिन परोसा नहीं उसके पहले ही···· (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : शरद यादव को मत परोसो, हुकमदेव नारायण यादव को मत परोसो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अच्छा, उस पर भी आ जाओ। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सिकिहो सेमा (नागालैंड) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। नियम 351 के अधीन एक सदस्य को अध्यक्ष को सम्बोधित करना होता है। पिछले 45 मिनट से मैं माननीय प्रधानमन्त्री की बात सुन रहा हूं लेकिन उन्होंने अध्यक्ष को सम्बोधित नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इधर भी देख रहा हूं, तो सम्बोधित आपको कर रहा हूं।

दूसरा मापदण्ड का सवाल आता है। वर्ग के आर्थिक मापदण्ड मंडल ने अपने में ले लिये। अब सवाल व्यक्ति का आता है, उसका अगर आर्थिक उत्थान हो गया रिजर्वेशन से (व्यवधान) तो उनके फिर बच्चों को ···(व्यवधान)··· उनके बच्चों को लाभ नहीं मिलना चाहिए। कह कौन रहा है—कोई पिछड़ा वर्ग कह रहा है, कोई अनुसूचित जाति का कह रहा है ? (व्यवधान) लेकिन इसका कोई सम्बन्धिक है नहीं। अगर कोई भी सामूहिक मांग होती, तो एक टैन्ट लेकर बोट-क्लब पर बैठे होते। आज तक छोटी-छोटी मांग का भी आता है। इस वर्ग से कोई आज तक मांग नहीं है। मर्ज नहीं है, इन्जैक्शन जरूर लगायेंगे। इलाज जरूर करेंगे। अरे भाई, कोई मांग रहा हो, जांच रहा हो, तो इलाज करने चलो। सच पूछिये —कोई भी इन के वर्ग का आफिसर हो जाता, कलैक्टर हो जाता, एस पी हो जाता, जो आज तक नहीं है, उनको उम्मीद होती है और थाने पर पहुंचता है। सब की हिम्मत बनती है, उस हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। और क्या है ? एक पहुंच गया, अपने बच्चों को पढ़ाने के लायक हो गया, अभी तक तो नहीं था, उनके पुरखे भी नहीं थे कि शिक्षा दे सकें, तो कहें कि बन्द कर दो। मायने यह कि यह वर्ग केवल चपरासी वर्ग देता रहे, आफिसर वर्ग न दे। इसका काम इस योजना से बन रहा है तो अनुसूचित जाति व जनजाति और पिछड़ा वर्ग जरा भी अगर उठें, तो सिर तराश दो, जिसमें कि आर्थिक शक्ति क्लास-वन तक पहुंचने लायक न रहे और केवल चतुर्थ श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी शिक्षा ही अपने बच्चों को दे पायें। जो प्रथम श्रेणी की शिक्षा देने की क्षमता रखें, उनको उससे अलग कर दो। बहुत सही है। इसीलिए श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने ठीक बात कही है····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसमें अगर इन वर्गों में बड़े मजबूत हो गए हैं, बड़े शक्तिशाली हो गए हैं और उनको रिजर्वेशन देंगे तो एक दम धावा बोलकर कब्जा कर लेंगे। ऐसा खतरा बताया जा रहा है। अगर ये इतने मजबूत होते इतने धनी होते, तो क्लास-वन में साढ़े चार परसेंट

आज पिछड़ा वर्ग न होता वह भी अपनी हिस्सेदारी अच्छी करता। इतने मजबूत हमारे अनुसूचित जनजाति के होते, तो आज सब पोस्टरों के और इश्तिहारों के बावजूद साढ़े आठ परसेंट न होते।··· (व्यवधान) इन वर्गों के गरीब तबके लोगों से भी बात की गई, सवाल यह है कि वे तो कहते हैं कि अगर हमारा साढ़े 22 फीसदी कोटा है, उसमें केवल साढ़े 8 फीसदी जगह भरी है और 16 फीसदी बाकी है तो हमारा एक खुश किस्मत भाई हमारी जगह का हक बन्द किये हुए हैं। साढ़े 16 फीसदी में तो गरीब पहुंच सकता है, 16 फीसदी जो खाली है वे गरीब तबके को तो नहीं देते हैं, इन साढ़े 8 फीसदी में जो हो गये हैं उनको निकालो। अरे वे पूरा कर लीजिये, कोटा कुछ दिन के लिये 27 परसेंट और साढ़े 22 परसेंट अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के फेवर का कर लीजिये, कुछ दिन तक उसको रखिये, 10-15 साल, उसके बाद कहिये छटनी शुरू है, वे पूरा हुआ नहीं उससे पहले ही योजना बनाई (व्यवधान) ये रणनीति हम जानते हैं ये रणनीति आप देखिये, मैं अपने अनुभव की बात करता हूं वर्ल्ड बैंक और आई० एम० एफ० ने, जब हम लोग डेवेलपिंग कंट्रीज में जाते थे···

एक माननीय सदस्य : कब ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम गये हैं वर्ल्ड बैंक में, जब हम फाइनेंस मिनिस्टर थे।

एक माननीय सदस्य : तब अब आप कांग्रेस में थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां-हां, कांग्रेस के सब अनुभव हम नहीं बोल रहे, 30 साल रहे हैं, इसलिये हमारे अनुभवों का लाभ उठाइये, आप गैर थोड़े हैं, अभी उनसियत है हमको कांग्रेस से (व्यवधान) ठीक है, हमको तो आप ये तोहफा दे सकते हैं, हमको तो आप बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन अपनी अक्ल को क्यों गिराते हैं, आप बेवकूफ बन रहे थे, कम से कम अपनी अक्ल को तो रखते। (व्यवधान) हम लोग जब विकासशील देश, वर्ल्ड बैंक और आई० एम० एफ० के पास जायें तो विकासशील देशों को कुछ विकसित देश, वही बात यहां चल रही है, कुछ दीजिये, कुछ मदद कीजिये तो वर्ल्ड बैंक और आई० एम० एफ० कहते हैं हां, जरूर आप दबे और पिछड़े हुए लोग हैं, हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन बताइये इसमें सबसे पिछड़ा हुआ कौन है तो हम लोग बड़ी एकता लेकर गये, तब सब लोग एक-दूसरे का मुंह देखने लगे कि कौन ज्यादा पिछड़ा है, कौन कम है, तो वे कहने लगे कि जो ज्यादा पिछड़ा है उसको ज्यादा देंगे और जो मध्यम है उसको कम देंगे तो एकता टूट गई, तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई, तो आप वर्ल्ड बैंक की नीति मत अपनाइये, आई० एम० एफ० को गरीबों और पिछड़ों को बांटने के लिये कुछ समय थोड़ा भोजन करने दीजिये, उसके बाद करियेगा। अब रही बात, जो अच्छे और मजबूत वर्ग हैं वे कब्जा कर लेंगे, तो ठीक बात कही, क्या जनरल के अन्दर नहीं कर लेते, उसमें क्या रोक-टोक करने जा रहे हैं, क्या रोक लगायेंगे, तो जो अफसर हो गये हैं या जो मिनिस्टर हो गये हैं उनके लड़के उसमें नहीं जायेंगे, गरीबों के लिये कर दीजिये पूरा कर दीजिये। (व्यवधान) सवाल तो यह है, कि यह सर्वमान्य है कि पिछड़े वर्ग को कुछ आरक्षण देना चाहिये, अब बात मतभेद की यह है कि कितना देना चाहिये। 27 परसेंट का हम लोगों का नोटिफिकेशन हुआ है तो कहते हैं कम है, ज्यादा है, इसको नहीं करना है, अब 52 फीसदी लोगों को 27 फीसदी मिले, मतलब उसमें 36 का आधा और जो 25 फीसदी बचे हैं उनको पचास की अवसर मिले, दुगुना, यानि एक और चार का रेश्यो हो गया है।

यानी 52 फीसदी को 27 फीसदी और 25 फीसदी को 50, आप कहेंगे कि नहीं उसमें औरों का कंपीटीशन हो सकता है, लेकिन डीफैक्टो जो है, जो उसमें दिया ही नहीं, जो आपके आंकड़ों के सामने है, तो डीफैक्टो तो वन टू फोर रहता है। अब आप कहते हैं कि सब राज्यों के अन्दर..... **(व्यवधान)**

यह जल्दी आपकी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा, कल पढ़कर समझ में आएगा, आंकड़ों में आप कमजोर रहे हैं हम समझते हैं। **(व्यवधान)**

माननीय, कई राज्यों के अन्दर झगड़े हो गए, खून खराबा हो रहा है, लेकिन इसीलिए हम लोगों ने एहतियात बरती है। **(व्यवधान)**

लिस्ट में बड़ी खामियां हैं, मण्डल कमीशन की जो लिस्ट है, इसलिये एहतियात बरत के, ताकि किसी राज्य को कठिनाई न हो, लिस्ट में कोई कमी हो तो राज्यों के जो अनुभव हैं, उनको मान्य करके, उन्होंने जो बैकवर्ड लिस्ट बनाई है और इसमें जो कामन है, उस हद तक हम करेंगे। अगर इसमें कमजोरियां होंगी तो जो राज्य क्रियान्वित कर रहे हैं, उन कमजोरियों को दूर करके अपने परिप्रेक्ष्य में करें। तो जो राज्य कर ही रहे हैं.....। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अन्वाराशु इरा (मद्रास मध्य) : कुछ राज्यों में पिछड़े वर्गों तथा समुदायों की कोई विशेष सूची नहीं है। तो यदि आप इसे लागू करना चाहें तो आप इसे कैसे लागू करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इतना तो देने नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं और दे दो, आप तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

तो जहां पर राज्य की स्वीकृति है, एक लिस्ट को वह राज्य मानता है कि ये पिछड़े हैं, उनको रिजर्वेशन देता है, जाब्स देता है, जो मानसिक और राजनीतिक रूप से स्वीकृत है एक राज्य में, हम अगर हद तक जा रहे हैं तो कौन-सी नई चीज पैदा कर रहे हैं। खाली यह कहा कि जो राज्य कर रहा है, उसको केन्द्र भी कर लेगा, मतलब राज्य आगे है, उसके बराबर हम ने केन्द्र को कर दिया है, उस पर कौन सा पहाड़ टूट रहा है। यह समस्या जरूर है, जहां लिस्ट नहीं है, वहां पर कैसे होगा। वहां पर इन राज्यों से बातचीत करके, उनकी बात की वरीयता मानकर, जितना वे चल सकते हैं, उतना चलें। ठीक है इस गति को आप कहते हैं कि बहुत तेजी हो रही है, लेकिन यह तो धीमी गति हुई। ठीक है, एक्सीलरेटर इतना ही देना चाहिए कि गाड़ी की स्पीड जेट न हो जाए। **(व्यवधान)**

इसके बाद अब दूसरा सवाल आता है कि मैरिट चली जाएगी। मैरिट कहां पैदा होती है।

श्री बसन्त साठे : हमारी तरफ से किसी ने नहीं कहा।

श्री एम० जे० अकबर : बी० जे० पी० ने कहा। (व्यवधान)

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : बाहर जो बात चल रही है, मैं यह नहीं कह रहा, किसी की बात नहीं है, वे दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, बैलेंस कितना हो, उसमें मैरिट का स्थान हो, बैलेंस रहना चाहिए, सारा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इस बात को कह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे मानसिकता क्या है, मानसिकता वही है, जो 72 फीसदी देश की आबादी है वह बिना किसी क्षमता, योग्यता या शक्ति के है. यह इस मानसिकता का प्रकटीकरण है। क्या ये सब अयोग्य हैं। 22 फीसदी अनुसूचित जाति और जन जाति 52 फीसदी पिछड़े वर्ग, इस तरह से 74 फीसदी अयोग्य हैं तो फिर देश में रहा क्या। तो यह मानसिकता पता लगती है। (व्यवधान)

जो बात बाहर चल रही है, इसलिए मै बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

इसके साथ-साथ तमिलनाडु में 70 फीसदी से थोड़ा रिजर्वेशन है, आन्ध्र में कर्नाटक में काफी मात्रा में है, केरल में भी है, क्या यहां का एडमिनिस्ट्रेशन सब अक्षम है क्या और जहां साढ़े आठ फीसदी क्लास वन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आए हैं, साढ़े 4 फीसदी पिछड़े वर्ग के लोग आए हैं तो वर्तमान में जितनी अक्षमता और भ्रष्टाचार है, उसके लिए क्या वे ही जिम्मेदार हो गए, कौन जिम्मेदार है ?(व्यवधान) तो यह प्रतिभा क्या है। अगर इस देश को बढ़ाना है तो केवल काम ही करना नहीं होगा बल्कि काम करने वालों की मर्यादा देनी होगी। जब तक कपेरा वर्ग दबा रहेगा तब तक देश की उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ सकती। उसको सम्मान देने की आवश्यकता है और इसीलिए जब हम मजदूरों को भागीदारी देने की बात कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो उसके अंदर यूनियन का पर्टिकुलर डिमाण्ड का रिस्पान्स नहीं है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सोर्स है कि भागीदारी और हिस्सेदारी हमको देनी है और कमेरे वर्गों को देनी है। केवल ड्राइंग रूम इतिहास के लोग काम करने पर लगा दिये जाएगे काम की जगह पर तो और काम कम होगा। सोचने के लिए लगा दीजिए। जहां काम की बात है तो कमेरे लोगों को लगाइये। इससे देश का काम ज्यादा बढ़ेगा। शिक्षा की बात कही गई। मैं जानता हूं कि जब तक शिक्षा का प्रावधान नहीं होगा, वे शिक्षित नहीं होंगे और कम्पीट करने में तब दिक्कत होगी। आज तीन शिक्षा प्रणालियां हैं जिसमें गरीब, मध्यम और उच्च वर्ग के लिए है। गरीब वाला टाट पर, मध्यम वाला अपने स्कूलों पर और जो उच्च वर्ग हैं····(व्यवधान) यह शिक्षा भी जो है तो इसमें परिवर्तन नहीं आता। एक समान शिक्षा में समान अवसर नहीं होते। मैरीट होती है। सपान जो है, वह आगे कंपीटीशन कराना है तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंज यहां पर लाने की जरूरत है। ट्रेनिंग स्कूल से कुछ नहीं होगा। ट्रेनिंग स्कूल पिछड़ों और एस०सी०एस०टी० को देंगे तो हो जायेगा····(व्यवधान) मंडल कमीशन के अन्दर स्ट्रक्चरल चेंज की बात है। उसके अन्दर क्या किया गया। लैंड रिफार्म को हम लोगों ने नाइन्थ शैड्यूल में रखा और लैंड ट्राइब्यूनल की बात है, ओन दी इन्सपेक्शन की बात है। और एग्रीकल्चरल लेबर के लिए हम लॉ ला रहे हैं। ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने, सी० पी० एम० के श्री सोमनाथ जी और इन्द्रजीत जी तथा उधर से भी कहा गया कि जनरल

एम्पलायमेंट को बढ़ाना होगा। केवल जॉब से इम्पलीमेंट का सवाल है और सत्ता में साझेदारी जरूर है। केवल सत्ता में साझेदारी देने में एम्पलायमेंट का सोल्युशन नहीं होता और केवल गवर्नमेंट जाब से वह नहीं होता और आठवीं योजना जो है वह पूरी हो जाए, वह केन्द्र मान रहा है....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सबसे बड़ा एम्पलायमेंट सैक्टर कृषि है। कृषि को ही प्रधानता दी जा रही है। जो इंडस्ट्री है तो स्माल सैक्टर को दिया जायेगा और सर्विस सैक्टर के लिये भी कार्यक्रम लिये जा रहे हैं। देश के नौजवानों के लिए सैल्फ एम्पलायमेंट के लिए करीब 265 करोड़ दिये गये जो कि 20 करोड़ थे। उस चीज में हम डिटेल में नहीं जायेंगे। विद्यार्थियों के साथ यह भावना है कि उनके साथ बात हो। उनके साथ चर्चा हो और उनकी तलीफ सुना जायेगा। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उनसे डॉयलाग करने को तैयार है। नौजवानों से भी हमें अपील करनी है कि बहुत भयानक ढंग से उनको समझाया गया है। जिस रूप में उनके साथ रखा गया है, वह नहीं है। और उसमें आदान-प्रदान करके नौजवानों के लिये नई योजनाओं का हो सकता है, उसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक कौंसिल बनाने की बात कही गई है, मैं उसके तफसील में नहीं जाऊंगा, उसको हम लोग करने जा रहे हैं।

मैं अन्त में यह अपील करूंगा कि यह जो फैसला किया गया है एक सामाजिक न्याय के लिये किया गया है। यह डा० लोहिया जो कि भारत रत्न हैं, चौधरी चरण सिंह, महात्मा जी, जयप्रकाश जी, रामास्वामी पेरियार के सपनों की पूर्ति की बात है, इसमें आप सहयोग दें। आप हिंसा की बात करते हैं कि आग लगा दी, खून बहा दिया है। बिहार सरकार से रिपोर्ट आई है कि जो वहां हिंसा की घटनाएं हुई उनमें श्री महाचन्द्र सिंह, एम०एल०सी०, श्री राजेन्द्र सिंह बास्मिल, एम०एल०सी०, श्री योगेश्वर झा एम०एल०ए०, श्री रामेन्द्र प्रताप साही, एम०एल०ए० और श्री रामाकान्त पान्डेय, एक्स०एम०एल०ए०, ये सारे हिंसा के पीछे लिप्त हैं....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स कृपया बैठ जाइये। यह तरीका नहीं है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ये कांग्रेस के विधायक हैं। मैं कांग्रेस से, विरोध पक्ष से कहूंगा कि जो हिंसा भड़काने वाले हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और यह साबित करें कि कांग्रेस पार्टी हिंसा के पीछे नहीं है और अपना सबूत दें कि वह हिंसा के पीछे नहीं है।

9.52 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० उपेन्द्र प्रस्ताव करेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना का उपबन्ध करने, उसके गठन कृत्य तथा शक्तियां परिनिश्चित करने और उससे संबद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्न-लिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :—

खण्ड 4

कि पृष्ठ 4 पर, पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए अर्थात् :—

"(4) उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशें इस धारा के अन्तर्गत नियुक्तियों के प्रयोजनों के लिये बाध्यकर होंगी।" (1)

खण्ड 7

कि पृष्ठ 5 पर, —

"(i) पंक्ति 21 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
(क) भारत का नागरिक नहीं रहता; या

(ii) विद्यमान प्रविष्टियां (क) से (घ) को क्रमशः प्रविष्टियां (ख) से (ङ) पुन-संख्यांकित किया जाये।" (2)

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हम इसे कल पारित कर सकते है। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : हम इसे कल पारित कर सकते हैं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इसे कल पारित पारित करेंगे। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और हम इसे कल पारित करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भी तो कुछ कहने दीजिये। मैंने इस पीठ से कुछ कहा था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आठ बजे नहीं बल्कि हम 10 बजे तक बैठेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आठ बजे तक ही कह सकते हैं। अब यह पुरःस्थापित हो चुका है। मैंने कहा था कि हम मंडल आयोग पर चर्चा एक विशेष समय पर करेंगे और बाद में हम विधायी कार्य करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात के लिये आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे ढंग से सहयोग दिया ? मैंने आप से जो कुछ कहा है कम से कम आपको उसे समझना चाहिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरीके से नहीं।

श्री वसन्त साठे : हम लोग प्रसार भारती विधेयक को कल पारित करने को तैयार हैं। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। राज्य सभा ने इसे वापस भेज दिया है और आप जानते हैं कि यह विधेयक कितना महत्वपूर्ण है। मैंने प्रसार भारती विधेयक पर न केवल चर्चा की शुरूआत की है अपितु यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि दोनों पक्षों द्वारा इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये। मेरा निवेदन यह है कि प्रसार भारती विधेयक पर, जिस रूप में उसे अब पुरःस्थापित किया गया है, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन मैं बहुत थक चुका हूं तथा अब मैं और बैठ कर अपने आप को थकाना नहीं चाहता हूं। मैं आप से इसे कल तक के लिये स्थगित करने का अनुरोध करता हूं। यदि आप चाहें तो आप दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने से सम्बन्धित विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, ईशू प्रसार भारती नहीं है क्योंकि इस पर किसी विचार या चर्चा की आवश्यकता नहीं है। यह तो एक साधारण बिल है जिसको हम वोट करके पास कर लेंगे। ईशू तो दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के बारे में है। जिसके लिये यह व्यौरा दिया जा चुका है कि आज इस बिल पर चर्चा करेंगे और कल इसको समाप्त करेंगे।

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मान्यवर, आपको चेयर से यह आश्वासन मिला था कि दिल्ली के बिल पर आज ही चर्चा करेंगे, इसलिये हम बैठेंगे।

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी भी सुनिये क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सभा में कहा था कि विधायी कार्य किया जायेगा। जब माननीय प्रधानमन्त्री और श्री आडवाणी जी ने कहा कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने सम्बन्धी विधेयक महत्वपूर्ण है अतः इस पर चर्चा की जानी चाहिये, तो मैंने कहा था कि इस पर चर्चा आज पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम इस पर चर्चा आरंभ कर सकते हैं। यह आपका कर्त्तव्य है कि आप मुझे उसमें सहयोग और सहायता प्रदान करें। हम सभा की कार्यवाही को सर्वसम्मति द्वारा करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप वैसी ही शिष्टाचार और सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : हम लोग यहां सुबह 9 म० पू० से उपस्थित हैं। यहां अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर जाकर भोजन किया और फिर वापस आये। लेकिन हम लोग लगातार यहां बैठे हुये हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, एक हल्के भोज का प्रबंध किया गया है। (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : मैं कुछ नहीं कहना चाहता था पर इसके लिये मुझे खेद है। लेकिन मेरा विवेक अब मुझे कुछ कहने को प्रेरित कर रहा है। (व्यवधान)

10.00 म० प०

श्रीमती गीता मुखर्जी (बंसकुरा) : महोदय, क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे ?

एक बार पुनः मैं सभा के सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करती हूं (व्यवधान)। यदि आप सहयोग प्रदान करेंगे तो मुझे खुशी होगी और यदि आप सहयोग प्रदान नहीं करेंगे तो मैं आपकी ही तरह ऊंचे स्तर में बोल सकती हूं। महोदय, मैंने आज ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में मामला उठाया है जिस पर कल चर्चा की जाएगी। उसी समय मैंने यह प्रस्ताव भी किया था कि इसी बीच प्रसार भारती विधेयक पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन इसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई। इसलिये मैं किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। मैं आशा करती हूं कि कल किसी उचित समय में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा प्रारम्भ की जानी चाहिये, इसके बिना मैं सभा की कार्यवाही होने नहीं दूंगी। कल इस मुद्दे पर चर्चा हेतु समय निश्चित किया जाना होगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी ने अभी जो बात कही, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करती हूं और आपसे कहना चाहती हूं कि महिलाओं पर अत्याचार से सम्बन्धित डिसकशन लगातार 15 दिनों से लोकसभा के एजेण्डा में आ रहा है, परन्तु नियम, 193 के अंतर्गत वह चर्चा अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हुई है। जिस तरह से इस चर्चा को टाला जा रहा है, यह महिलाओं पर दूसरा बड़ा अत्याचार है। इसलिये मैं सदन से अनुरोध करती हूं कि महिलाओं से सम्बन्धित जो चर्चा पैन्डिंग है, उसे और न टाल कर, आज ही उसके लिये समय निश्चित किया जाये, अभी समय निर्धारित किया जाये।

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : लेकिन हमारे साथ, दिल्ली को राज्य का दर्जा न दिये जाने के कारण जो अत्याचार हो रहा है, पहले उसके बारे में तो फैसला हो जाये। वह भी बहुत आवश्यक बिल है। **(व्यवधान)**

श्रीमती सुमाधिनी अली (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि अभी श्रीमती गीता मुखर्जी ने महिलाओं पर अत्याचार से सम्बन्धित जिस चर्चा का विवरण दिया, वह काफी समय से पैन्डिंग है, करीब 15 दिन पहले वह चर्चा शुरू हुई थी. लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई है। कल हमारे सत्र का अन्तिम दिवस है मैं चाहूंगी कि वह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, उस पर चर्चा कल अवश्य होनी चाहिये। आज ही उस चर्चा के लिये समय निर्धारित होना चाहिये, उसके बाद ही आप दूसरा कोई विषय हाथ में लें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : हम लोग अभी महिलाओं पर अत्याचार के सम्बन्ध में चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं। यह मेरा निवेदन है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सहयोग प्रदान किया है और सदन इस बात का ध्यान रखेगा तथा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके लिये समय निर्धारित करने के लिये मुझसे न कहे। मैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय और अन्य लोगों से चर्चा करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : महोदय, हम लोग कल क्यों नहीं इस पर चर्चा कर सकते। क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्य प्रस्ताव है ? कल इस सत्र का अन्तिम दिन है। क्या कल के लिये कोई और प्रस्ताव है ? यदि कल कोई और प्रस्ताव नहीं है तो कल क्यों नहीं हम इस पर चर्चा कर सकते ? कल इस विषय पर चर्चा करते समय हम सभा का समय भी बढ़ा सकते हैं। **(व्यवधान)**

डा० तम्बि दुरै : महोदय, मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं कि मैंने क्यों 4 म० प० उल्लेखित हुआ था। मैं मंडल आयोग पर चर्चा करना चाहता हूं। मुझे इस पर बोलने का अवसर नहीं प्रदान किया गया···(व्यवधान) मंडल आयोग पर बोलने के लिये आप मुझे कब मौका दे रहे हैं। ····(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, मण्डल कमीशन पर मेरा नाम है मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया।

श्री पी० पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सर, मैं इतनी तैयारी करके आया हूं। मुझे बोलने नहीं दिया गया (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मण्डल आयोग पर चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह मात्र हस्तक्षेप था (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। कृपया इंतजार करें।

तम्बि दुरै ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ तथ्य है। मैं उनसे तथा अन्य सदस्यों से बोलने को कहा था। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इस पर चर्चा शुरू की जा सकती। लेकिन यह तभी सम्भव है जब हमें आपका सहयोग मिले। यदि आप सहयोग करें तो हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सहयोग करना होगा। यदि आप कोई ऐसा मुद्दा उठाना चाहते हैं जो कार्यसूची में शामिल नहीं है, तो इससे कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। लेकिन यदि आप सहयोग करें तो हम इसके समाधान की कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : हम लोग कल मण्डल आयोग पर चर्चा जारी रखेंगे।

श्री वसन्त साठे : इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। मण्डल आयोग पर चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है (व्यवधान) आप भी इस बात से सहमत हैं कि मण्डल आयोग पर अभी चर्चा समाप्त नहीं हुई है। अभी अनेक वक्ताओं को इस विषय पर बोलना है। आपने खुद कहा है कि उन्हें इस

विषय पर बोलना है तथा आप उन्हें इसके लिये समय देंगे । आप मण्डल आयोग पर चर्चा जारी रख सकते हैं या सभा को कल तक के लिये स्थगित कर सकते हैं तथा हम लोग इस पर कल चर्चा कर सकते हैं अब इसके लिये चर्चा का समय नहीं है····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये प्लीज, आप दो-दो मिनट बोल देते हैं । मुझे सारे लोगों का जवाब देना पड़ता है । प्लीज मुझे आप को-ऑपरेट करिये ।

आप मुझे बोलने तो दीजिये । हर आदमी की कमेण्ट्री का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रसार भारती प्रस्ताव पहले ही पेश कर चुके हैं । मैं श्री साठे जी, और श्री कुरियन जी से अनुरोध करूंगा । ठीक है हमें एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित करना होगा । मैंने एक सूत्र प्रस्तुत किया था और आपने इसे स्वीकार करने की कृपा की है । अब आप मुझे अनुमति दें । मेरे सूत्र के अनुसार हमें पांच से छह बजे तक तथा फिर सात बजे से आठ बजे तक इस पर चर्चा करेंगे । मैंने यह बात कही थी ।

आडवाणी जी ने कहा था कि वे इस पर चर्चा करना चाहते हैं, उन्होंने विशेष रूप से एक वक्तव्य दिया था, मैंने कहा था कि यह आज पूरा नहीं हो पायेगा, लेकिन चर्चा अवश्य आरंभ हो जायेगी । यदि मैंने ऐसा कहा था और यदि सभी ने इसे स्वीकार किया था, मैं आशा करता हूं कि सदस्य इसे स्वीकार करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : आप चाहते हैं कि 10 बजे से 11 बजे म० प० तक प्रसार भारती विधेयक लिया जाए और इसके बाद दिल्ली विधेयक को । आप हमसे कब तक बैठने की आशा करते हैं ? (व्यवधान)

"(इस समय) प्रो० पी० जे० कुरियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए तथा सभा पटल के निकट खड़े हो गए"

(व्यवधान)

श्री अन्नाराजु इरा : इसे हम कल ले लेंगे । इस दिल्ली विधेयक को लेने की इतनी जल्दी क्या है ?

श्रीमती जे० जमुना (राजामुंद्री) : सभी महिला सदस्य मण्डल आयोग तथा महिलाओं पर अत्याचार पर अपने विचार व्यक्त करेंगी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम प्रसार भारती विधेयक को कल पारित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप इसे हम पर क्यों लाद रहे हैं ? कृपया लादें नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे लाद नहीं रहा हूं। आप भी मुझे आदेश नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय । मैं कहूंगा कि कितना अच्छा होता यदि आप·····**(व्यवधान)**

अनेक माननीय सदस्य : नहीं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को आज के लिये स्थगित नहीं कर रहा हूं; मैं सभा को केवल 15 मिनट के लिये आप से बात करने के लिये स्थगित कर रहा हूं।

10.16 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा 10.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

10.35 म० प०

लोक सभा 10.35 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० उपेन्द्र ने प्रस्ताव पेश किया है कि राज्य सभा द्वारा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक; 1990 में किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए। अब, प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना का उपबंध करने, उसके गठन, कृत्य तथा शक्तियां परिनिश्चित करने और उससे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाए :

खण्ड 4

कि पृष्ठ 4, पंक्ति 27 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(4) उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशें, इस धारा के अधीन नियुक्तियों के प्रयोजनों के लिये बाध्यकर होंगी।" (1)

खण्ड 7

कि पृष्ठ 5 पर,—

"(i) पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए अर्थात् :—'

(क) भारत का नागरिक नहीं रहता; या

(ii) विद्यमान प्रविष्टियों (क) से (घ) तक को क्रमश: (ख) से (ङ) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।" (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को लेते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा संस्तुत संशोधनों को लेते हैं। अब मैं मुख्य संशोधन संख्या 1 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 1

खण्ड 4

प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 4, पंक्ति 27 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् : —

(4) उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशें, इस धारा के अधीन नियुक्तियों के प्रयोजनों के लिये बाध्यकर होंगी।" (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संशोधन संख्या 2

खण्ड 7

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य संशोधन सं० 2 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

कि पृष्ठ 5,—

(i) पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
(क) भारत का नागरिक नहीं रहता; या

(ii) विद्यमान प्रविष्टियों (क) से (च) को क्रमश: (ख) से (छ) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाये।" (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(व्यवधान)

10.37½ म० प०

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक

नए अनुच्छेद 371 ञ का अन्त:स्थापन तथा पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन

गृह मन्त्री (श्री बुआती मोहम्मद सईद) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।" —

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

10.38 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 7 सितम्बर, 1990/16 भाद्र, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : एस० नारायण एंड संस 7117/18 पहाड़ी धीरज दिल्ली-6